(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 12वां दिवस [संख्या 8

मंगलवार,
दिनांक 15 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री राधेश्याम।

गंगानगर में हैजे का प्रकोप

120. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री गंगानगर की इन्द्रा कालोनी में जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह में हैजे की बीमारी का प्रकोप फैला था ? यदि हां, तो उस बीमारी के फलस्वरूप क्या किन्हीं आदमियों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो मृतकों के नाम पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त बीमारी के फैलने से पूर्व जिला एवं नगर परिषद् द्वारा समुचित उपाय किये गये थे ? यदि नहीं, तो इस शिथिलता के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां। जिन-जिन व्यक्तियों के स्टूल का परीक्षण करवाया उनमें से दो हैजे के थे और 27 आंत्रशोथ के। अन्य लोगों का स्टूल परीक्षण नहीं हुआ लेकिन क्लिनिकल परीक्षण से वे मामले आंत्रशोथ के पाये गये। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दिनांक 20-6-80 को जैसे ही बीमारी का पता लगा इन्द्रा कालोनी में एन्टीकलोरा वेक्सीनेशन दिया गया। स्टूल के नमूने लेकर जयपुर भिजवाये गये हैं। पानी की लाइन काट कर, टैंकरों द्वारा क्लोरीन युक्त पानी की सप्लाई प्रारम्भ की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री घनश्याम : समझ में नहीं आया क्या जवाब दे गये।

एक माननीय सदस्य : दुबारा पढ़ें।

श्री भंवर लाल शर्मा : हिन्दी में बोलें तो समझ में आ जाय।

(प्रश्न का उत्तर दुबारा पढ़ा गया)।

Page No 2

(2)

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : समझ में तो आया नहीं।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : कितने बच्चों की मृत्यु हुई है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : चार बच्चों की मृत्यु हुई है। दो बच्चे एक-एक साल के थे और दो बच्चे 6-6 साल के थे।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हैजे और आन्त्रशोथ में क्या अन्तर है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जो टैस्ट होता है उसमें कुछ फर्क होता है बाकी सिम्पटम और इलाज में कोई फर्क नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल में आने के बाद मृत्यु हुई है या अस्पताल आने से पूर्व ही मृत्यु हो गई ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह जानकारी इस समय नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इम्पार्टेन्ट सवाल है, इसकी जानकारी तो आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा, क्या सरकार दोषी आफिसरों को सजा देने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया 29 तारीख को सबसे पहले केस का मालूम हुआ और 30 तारीख को जांच की गई। कोई दोषी नहीं पाया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ लेता हूं।

इस बीमारी के फैलने के क्या कारण थे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : इन्द्रा कालोनी जिस जगह बसी हुई है वहां पर वाटर सप्लाई की लाइन गटर से पास है। उससे पानी का पोल्यूशन हो जाता है। यह वाटर लाइन म्यूनिसिपैलिटी की है। म्यूनिसिपैलिटी से कहा गया है कि यह लाइन बदल दी जाय, मगर नहीं बदली गई। फिर पाइप लाइन काट कर टैंकरों से पानी पहुंचाया गया तब जाकर बीमारी कन्ट्रोल में आई।

श्री राधेश्याम : मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय ने जो आम पत्रों में छपा है, उसे नहीं देखा है। उसमें 9 डेथ बताई गई हैं। जैसी जानकारी आपने दी है, हो सकता है दो ही हों लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले 30 वर्षों से बना हुआ वाटर वर्क्स है। गन्दे नाले से पाइप लाइन जाने के कारण हर साल कभी 10, कभी 15 और कभी 20 मृत्यु होती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो वाटर वर्क्स म्यूनिसिपैलिटी से हटा कर गवर्नमेंट को ले लेना चाहिये। पानी का इन्तजाम बढ़िया न होने के कारण लोग पानी के लिये तरसते हैं। पाइप लाइन पुरानी है। गन्दी जगहों से पाइप लाइन जाने के कारण हर साल डेथ होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी अरेन्जमेंट किया जाय और दोषी व्यक्तियों

(श्री राधेश्याम)

को जैसा कि मैंने इससे पहले भी निवेदन किया, सजा दी जाय। इस एरिया की पाइप लाइन खराब है। करीब डेढ़ साल से फिटकरी भी नहीं डालते हैं...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इससे गरीब लोगों के स्वास्थ्य का सवाल जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं देंगे, माननीय सदस्य।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह वाटर वर्क्स म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में है। म्यूनिसिपैलिटी से कहा गया था कि ठीक करा दें या गवर्नमेंट को दे दें। अब फिर म्यूनिसिपैलिटी को कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को हेन्ड ओवर करदें। हेण्ड ओवर होने के बाद ठीक करा दिया जायगा।

श्री राधेश्याम : दोषी आफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? जिन लोगों की वजह से मृत्यु हुई है, उनको क्या सजा देने का विचार है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया है।

अगला प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

सातवे वित्त आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में नये न्यायालय खोलना

121. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में किस-किस स्तर के कितने-कितने और कहां-कहां पर न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में भूतपूर्व सरकार द्वारा निर्णय लिये गये थे?

(2) इस निर्णय का अब तक किस सीमा तक पालन किया गया और शेष का पालन कब तक होगा?

विधि मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) सातवे वित्त आयोग की सिफारिश पर 9 अतिरिक्त जिला एवं सेशन्स न्यायालय एवं 39 मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय दिनांक 15-2-1980 से स्थापित किये गये। स्थानों की सूची संलग्न है।

(2) समस्त 48 न्यायालय दिनांक 15-2-1980 से ही कार्यरत हैं। इन 48 न्यायालयों के भवन एवं 48 पीठासीन अधिकारियों के आवासीय गृह भी केन्द्र द्वारा स्वीकृत राशि से निर्मित होने हैं, जिसकी कार्यवाही चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है, उसके लिये तो मैं आभारी हूं लेकिन मेरा मूल सवाल यह था कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भूतपूर्व सरकार ने कितने कोर्ट्स खोलने का निर्णय लिया था? उनमें से कितने अब तक खोले गये हैं और कितने अब तक खोलने बाकी हैं?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया 39 और 9 कुल 48 मंजूर हुये थे। वे सारे खोल दिये गये हैं और सब कार्यरत हैं।

Page No 4

(4)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि बारां से ए. डी. एम. के कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाय ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी में होगी आप देखिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी उसके आधार पर कुल कोर्ट खोले गये हैं उनकी संख्या होती है 48। जहां तक मेरी जानकारी है भूतपूर्व सरकार ने जो कोर्ट्स खोलने का निर्णय लिया था उसके आधार पर उनकी संख्या होती है 62। माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी सूचना दी है उसके अन्दर उन्होंने कहा कि 48 कोर्ट्स खोले गए और वे सारे कार्यरत हैं। मैं सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है भूतपूर्व सरकार ने 62 कोर्ट्स खोलने का निर्णय लिया था। मंत्री महोदय कृपया पूरी जानकारी प्राप्त करके उत्तर दें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : 15-2-80 से 48 कोर्ट्स कार्यरत हैं। इसके अलावा जैसा माननीय सदस्या फर्मा रही हैं कि 62 कोर्ट्स खोलने की बात थी तो यह अलग से प्रपोजल चल रहे होंगे। फाइनल सैंक्शन हुई है वह 48 कोर्ट्स की ही है और वे कार्यरत हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : जिन कोर्ट्स को खोलने की फाइनल सैंक्शन अभी तक नहीं हुई उन कोर्ट्स खोलने का भूतपूर्व सरकार ने निर्णय लिया था। क्या वर्तमान सरकार उनको खोलने का निर्णय लेगी और उनको खोलने के उचित निर्देश देगी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सातवे वित्त आयोग की सैंक्शन के आधार पर कोर्ट्स खोले गये थे। 15-2-80 से वे कार्यरत हैं। इसके अलावा कोई प्रपोजल नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन यह है कि सातवे वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इतना रुपया राज्य सरकार को जुडिशियरी के सम्बन्ध में दिया जाएगा। वह सारा रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ है या खर्च हो गया है। यह तो एक साल का प्रोग्राम था जिसके आधार पर कोर्ट्स खोले गये। कोर्ट्स के भवन बनाए जा रहे हैं और बाकी व्यवस्था की जा रही है। माननीय सदस्या जो प्रश्न पूछ रही हैं उनका मतलब यह है कि फाइनेंस कमीशन ने जुडिशियरी के सम्बन्ध में और क्या सिफारिशें की हैं ? उन पर कार्य करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, 62 कोर्ट्स खोलने का निर्णय नहीं लिया गया। जितना रुपया प्राप्त हुआ था उसके आधार पर कोर्ट्स खोलने, उनके भवन निर्माण आदि का कार्य हो रहा है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : भवन निर्माण का जो कार्य आप करवा रहे हैं उसमें कितना रुपया इस वर्ष लगाने का प्रावधान रख रहे हैं ? अगले कितने वर्षों में कितने भवनों के निर्माण का कार्य पूरा हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन : इसी से सम्बन्धित प्रश्न है; अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है और जो जवाब दे रहे हैं उसी से सम्बन्धित सवाल है।

श्री अध्यक्ष : भवनों के सम्बन्ध में आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन-जिन स्थानों पर आपने न्यायालय खोले हैं उनका आधार क्या था ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी !

एक लाख की जनसंख्या से ऊपर के नगरों का विकास कार्यक्रम

122. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्र सरकार ने एक लाख और उससे ऊपर के नगरों के विकास की एक योजना राज्य सरकार के पास भेजी है?

(2) क्या उस योजना के तहत शहरों में ड्रेनेज, पाईप लाइन, सफाई एवं प्रदूषण को रोकने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास इस सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वापस भेज दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन शहरों के नाम राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) केन्द्र सरकार द्वारा एक लाख तथा इससे कम जनसंख्या वाले छोटे एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास के लिये एक योजना वर्ष 1979-80 में प्रसारित की थी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दिये जाने का प्रावधान है और शेष 50 प्रतिशत को राज्य सरकार या स्वायत्तशासी संस्था, जिसके द्वारा योजना की क्रियान्विति की जायेगी, द्वारा वाहन किया जाना है।

(3) राज्य सरकार ने गत वर्ष यानि 1980 में दो नगरों यानि पाली तथा श्री गंगानगर के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे। पाली शहर के लिये गत साल 3.15 लाख रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस वर्ष भीलवाड़ा, बाड़मेर, सीकर बारां, चितौड़गढ़, सुमेरपुर के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे गये हैं।

(4) उपरोक्त शहरों के अतिरिक्त अभी और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जीत मल जैन !

6

विभिन्न वस्तुओं के लिये एक ही लाइसेन्स व्यवस्था

123. **श्री जीतमल जैन (अलवर) :** क्या खाद्य व आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या गत सरकार ने अनाज, तिलहन खांडसारी, चीनी, गुड़ व शक्कर वनस्पति घी, खाद्य वस्तुओं के व्यापार करने वालों के पृथक-पृथक लाइसेन्स लेने की प्रवृत्त व्यवस्था के स्थान पर एक ही लाइसेन्स व्यवस्था चालू करने का निर्णय लिया था ? अगर हां, तो मौजूदा सरकार उक्त निर्णय को कब तक लागू करेगी ?

खाद्य व आपूर्ति मंत्री) श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था। तत्पश्चात् गठित जनता सरकार ने एक समिति गठित की व उसकी सिफारिशों को विचारा। अब वर्तमान सरकार ने पृथक-पृथक 9 आदेशों का एक एकीकृत आदेश तैयार कर उसको अति-शीघ्र प्रसारित करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बुलाकीदास कल्ला !

नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति व कार्यक्रम

124. **श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति व कार्यक्रम क्या है ?

(2) भविष्य में सर्व थम विश्व-विद्यालय कहां खोला जायगा और स्थान के चयन का आधार क्या होगा ?

(3) क्या श्री कालूलाल श्रीमाली समिति ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन दिया है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) श्री एम. बी. माथुर की अध्यक्षता में तारीख 30-1-1979 को एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नीति एवं कार्यक्रम सम्बन्धित निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(2) अभी प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि बीकानेर में साइन्स, कामर्स और आर्ट्स इन तीनों विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें हैं, एल. एल. एम. की कक्षायें भी पूरे राजस्थान में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त बीकानेर में ही हैं और एम. एससी. की कक्षायें भी केवल बीकानेर में ही हैं और किन्ही स्थानों पर नहीं है ? क्या भविष्य में इन आधारों पर बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माथुर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही विचार होगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या आप यह उचित समझते हैं कि वर्तमान विश्व विद्यालयों पर बढ़ते हुए भार, परीक्षा परिणामों में देरी और अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
में जल्दी ही विश्व विद्यालय खोले जावें ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राय दी जा सकेगी।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या मंत्री महोदय ....

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सच है कि श्री बरकतुल्ला साहब जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने यह लिखित में आश्वासन दिया था कि अगर कोई विश्वविद्यालय राजस्थान में खुलेगा तो वह सबसे पहले अजमेर में खुलेगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। मैंने अभी जैसा निवेदन किया था, माथुर समिति अपना विचार देगी वह अजमेर, कोटा और बीकानेर तीनों स्थानों के सम्बन्ध में होगा। माथुर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): श्री एम.बी. माथुर साहब समिति की टर्म्स एण्ड रेफरेंस क्या हैं ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सी. पी. जोशी : जब आप यह सोच रहे हैं कि एम. बी. माथुर समिति की रिपोर्ट आने पर विचार करेंगे तो उस समिति की टर्म्स एण्ड रेफरेन्स क्या हैं, यह तो आपको मालूम होगा ?

श्री अध्यक्ष : रेफरेन्स मालूम हों तो बता दीजिए।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इसमें थोड़ा समय लगेगा, अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन कर दूं कि पहले एक श्रीमाली कमेटी का गठन किया गया था। श्रीमाली समिति ने अपनी रिकमण्डेशन प्रस्तुत कर दी थी। श्रीमाली समिति ने ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब पूरा होने दीजिए।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : श्रीमाली समिति का गठन 5-7-72 को किया गया था। उन्होंने 21-6-74 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट के अन्दर विश्वविद्यालय खोलने के स्थान पर इन तीनों स्थानों पर छोटे विश्वविद्यालय के रूप में स्नातकोत्तर कक्षायें अजमेर, कोटा बीकानेर में खोलने की व्यवस्था की जावे और आगामी दस वर्षों में धीरे-धीरे विश्वविद्यालय स्थापित किये जावें यह सिफारिश की गई थी। किन्तु इसी के बीच में 30-1-79 को जनता पार्टी की सरकार ने श्रीमाली समिति की रिपोर्ट पर विचार कर विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन हेतु विचार कर सिफारिश करने हेतु एक माथुर समिति का गठन किया। इसमें उन्होंने विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मुख्यतया जोर दिया था। उसकी जो टर्म्स एण्ड रेफरेंस रखे गए हैं वह मैं आपको निवेदन कर दूं :

(1) जयपुर शहर में स्थित डिग्री कालेजों को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र

Page No 8

(8)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

से हटा कर निदेशक, कालेज शिक्षा के अधिकार में रखना,

(2) जस्टिस एस. डी. सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर उदयपुर विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करना,

(3) राजस्थान में कालेजों के सम्बद्धन (एफिलियेशन) हेतु वर्तमान विद्यालयों को तीन क्षेत्रों में विभाजित करना,

(4) तीनों विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों को पोस्ट ग्रेजुएट एवं रिसर्च के शैक्षणिक कार्य तक सीमित रखना एवं कालेजों के सम्बद्धन एवं उनके परीक्षण इत्यादि कार्य अलग से एक विश्वविद्यालय को स्थानान्तिरण करना।

यह समिति अपनी रिपोर्ट 30-4-79 तक राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। किन्तु इस समिति का कार्य पूरा नहीं हुआ है और जुलाई, 80 तक इस समिति का कार्यकाल बढ़ा हुआ है।

जहां तक आपका मूल प्रश्न है मैं यह मान कर चलता हूं कि श्रीमाली समिति की रिपोर्ट जो थी उसमें तीनों स्थानों पर दस सालों में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी लेकिन माथुर समिति को विश्वविद्यालय खोलने की दृष्टि से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं। यह जनता पार्टी की सरकार का निर्णय था। जब माथुर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो राज्य सरकार श्रीमाली समिति और माथुर समिति की सिफारिशों पर विचार कर, जो दोनों समितियों की रिपोर्ट होगी उन पर विचार कर अपना निर्णय लेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन दोनों समितियों के अलावा कोठारी समिति भी बीच में गठित हुई थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी कभी इधर का भी नम्बर आ जाय।

श्री अध्यक्ष : आ गया न।

श्री सी. पी. जोशी : कोठारी कमेटी और माथुर कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेंस अलग-अलग थे। बीकानेर, अजमेर और कोटा में विश्वविद्यालय खोलेंगे यह माथुर कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं है। इसलिये आप माथुर कमेटी की रिपोर्ट मानेंगे या विश्वविद्यालय खोलेंगे – ये दोनों अलग-अलग इश्यू हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में यू. जी. सी. के क्या निर्देश हैं कृपया बतावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। अगला प्रश्न।

नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं के चुनाव

125. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): श्री शिवदानसिंह (जैतारण) :** क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में नगरपालिका तथा नगर परिषद् आदि के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे?

निर्वाचन मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): नगरपालिका मण्डलों एवं नगरपालिका

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

परिषदों के चुनाव स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्वाचन विभाग द्वारा संपन्न करा दिये जायेंगे। अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हजारीलाल शर्मा : कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री कौन है ?

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : कब तक करा दिये जायेंगे, यह मूल प्रश्न है। क्या गवर्नमेंट ने कोई पालिसी बनाई है ? वोटर लिस्ट बनेगी या नहीं ? आपने तो बिल्कुल ही प्रश्न का जवाब अवाइड कर दिया।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से पूछा जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इसके मंत्री कौन हैं ?

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न मेरा भी है। मैं निर्वाचन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भूतपूर्व जनता शासन ने पंचायतों के चुनाव अधर झूल में लटका दिये उसी प्रकार से नगरपालिकाओं के चुनाव को भी क्या अनसर्टेनिटी में रखेंगे ? निश्चित उत्तर तो आना चाहिये।

श्री अहमद बख्श सिंधी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से, क्या हाई कोर्ट से हुक्म जारी हो गया है कि चुनाव शीघ्र करवायें वरना आपके खिलाफ मानहानि का केस चलाया जायेगा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन डिपार्टमेंट को तो जो आर्डर प्राप्त हो, हुक्म मिल जाय तो पालियामेंट के भी कराने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री राज बहादुर (भरतपुर): पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन तो होता है, अध्यक्ष महोदय।

माननीय मंत्री महोदय से एक अहम् मसले पर सवाल पूछा जाय क्या उसका जवाब इस प्रकार मिलना चाहिये। सीधा सवाल है कि म्यूनिसिपलिटीज के चुनाव कराने हैं या नहीं ?

श्री माधवसिंह दीवान : मैंने अपना प्रश्न स्वायत्त शासन मंत्री जी से पूछा था। यह किस लेवल पर निर्वाचन मंत्रीजी के पास पहुंच गया ? आपके सचिवालय द्वारा चेंज किया गया या कैसे पहुंचा....

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी लेकर बता सकती हूं।

श्री माधवसिंह दीवान : सवाल यह है कि आप चुनाव कब करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से आप उठा सकते हैं।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : इन्होंने नगरपालिकाओं के चुनाव कराने का मानस बनाया है या नहीं ? यह बता दें।

श्री दिनेश डांगी : मैंने पूछा है कि जैसे जनता शासन में पंचायतों के चुनाव करा कर प्रधानों और प्रमुखों के चुनाव अधर-भूल में डाल दिये वैसे ही नगरपालिकाओं के चुनाव अनसर्टेन रखेंगे ? निश्चित बतायेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है। फिर भी निर्वाचन मंत्री जी ने टालने की कोशिश की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार ने 142 चुनी हुई नगरपालिकाओं को भंग करके जनता का सीधा अपमान किया है। आज मैं आपके माध्यम से मंत्रिमण्डल से. निर्वाचन मंत्री जी से जानना चाहता हूं जहां नगरपालिकाओं के 10-10 साल से चुनाव नहीं हुए और जनता को तकलीफें हो रही हैं, क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी और निर्वाचन मंत्री जी मिल कर शीघ्र ही नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय इलेक्शन डिपार्टमेंट चुनाव कराने की एजेंसी है। यह सवाल इलेक्शन डिपार्टमेंट से न करके लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से करना चाहिये था। आपने इलेक्शन डिपार्टमेंट से सवाल किया है। मैंने कहा, हम चुनाव कराने के लिये तैयार हैं लेकिन कंसर्न्ड डिपार्टमेंट कहेगा तब ही....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री माधवसिंह दीवान : वे हाउस में बैठे हुए हैं। क्या कोई मानस बनाया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इसका उत्तर आ गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चुनी हुई नगरपालिकाओं को जनता पार्टी के शासन ने खतम कर दिया।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : स्वायत्त शासन मंत्री जी से जवाब दिला दिया जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जितनी उनके पास सूचना थी, वह उपलब्ध करा दी। आप संबंधित मंत्री जी से पूछेंगे तो जवाब मिल जायेगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इनके पास सूचना है ही नहीं, क्या बतायेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : इन्होंने मानस बनाया है या नहीं कि राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव कराने हैं या नहीं ?

श्री राज बहादुर : निश्चित जानकारी चाह रहे हैं। दोनों मंत्री यहां मौजूद हैं। जवाब क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा !

रक्त (ब्लड) बैंक

126. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान में कितने रक्त कोष (ब्लड बैंक) खोले गये हैं ?

(2) किन-किन जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों पर ब्लड बैंक स्थापित हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या प्रसूति, व परिवार कल्याण केन्द्र के साथ ब्लड बैंक रखना उचित है ? यदि हां, तो कितने स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था है ?

(4) क्या सरकार जिन जिला मुख्यालयों पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है वहां पर अब खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री): (1) इस समय राजस्थान में कुल 17 ब्लड बैंक कार्यरत हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। प्रत्येक मुख्यालय पर ब्लड बैंक की व्यवस्था करने के पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री भंवरलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जी नहीं' उत्तर दिया गया है। क्या प्रसूति गृह हैं वहां पर ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: जहां पर आपरेशन होते हैं वहां पर आम तौर से इसकी आवश्यकता होती है। जो प्रसूति गृह होते हैं वहां पर आम तौर से इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आवश्यकता होती है तो सप्लाई कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

परिवहन निगम की बसों के दुर्घटना-ग्रस्त होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा

127. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक परिवहन निगम की कितनी बसों की दुर्घटनाएं हुई ? उनमें कितने का नुकसान हुआ, कितने यात्रियों की मृत्यु हुई तथा कितने यात्री अंग-भंग हुए ?

(2) क्या यह सही है कि उन दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो प्रत्येक को कितना धन दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या विभाग इन दुर्घटनाओं के संदर्भ में बीमा योजना बनाने का विचार कर रहा है ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) जनवरी, 1980 से जून, 1980 की अवधि तक परिवहन निगम के

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कुल 71 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से निगम को अनुमानतः रुपये 1,57,075 की क्षति हुई है। इन दुर्घटनाओं मे कुल 57 यात्रियों की मृत्यु हुई तथा 108 यात्री गंभीर रूप से तथा 119 यात्री साधारण रूप से घायल हुए हैं।

(2) जी नहीं। परन्तु इस अवधि में अनुग्रह राशि 67,300/– का भुगतान किया गया।

(3) जी हां। बीमा योजना निगम के विचाराधीन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैंने सूची मांगी थी.वह सूची अभी तक मुझे नहीं मिली है।

दूसरा यह प्रश्न है कि सरकार ने जो मृत्यु होने पर मुआवजा दिया है उसका क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है?कौन से आधार तय किए हुए हैं? साधारण चोट पर कितना मुआवजा दिया जाता है और ग्रीवियस चोट पर कितना किस प्रकार से मुआवजा दिया जाता है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त सहायता दी जाती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने किसी को तो दो हजार रुपये की सहायता दी है किसी को 500 रुपये दिये हैं। इसका क्या कारण है? आखिर मृत्यु मृत्यु ही है। हरएक के साथ एक-सा बर्ताव किया जाना चाहिये। स्थगन प्रस्ताव के जरिये कोई प्रश्न उठाया जाए तो मृतकों को दो हजार की सहायता दी जाए और साधारण दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो 500 रुपये ही दिए जाएं। अलवर में मृत्यु हो जाए तो दो हजार रुपये की सहायता और उदयपुर में किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो 500 रुपये ही दिये जायें, यह तो लज्जाजनक बात है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मूल प्रश्न यह है कि कैसे कितना भुगतान किया गया।

श्री अध्यक्ष : वह सूची पढ़ दीजिए।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : क्षमा चाहता हूं। यह सूची मेरे पास नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन नार्म्स के आधार पर आपने अलवर के मृतकों के परिवारों को सहायता दी है क्या उसी आधार पर बाकी सभी लोगों को सहायता देंगे? जिनको सहायता कम दी गई है क्या उनको और अधिक दी जाएगी? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आधार पूछा है। यदि आधार में कहीं पर अन्तर है तो उसको ठीक करके एक ही आधार बना दिया जायेगा। आधार यह है कि मृत्यु पर एक हजार रुपये और घायल होने पर 250/–, 100/– रुपया जैसी स्थिति होती है उसके आधार पर दिया जाता है। जहां तक बीमा योजना का प्रश्न है यह विचाराधीन है।

सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके लिए सदन चाहे तो प्रश्न को स्थगित रखे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है। जिस आधार को कर अलवर की घटना में आपने मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया है उस आधार पर जिन लोगों को कम मुआवजा दिया गया है उनको आप अधिक सहायता देंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अलवर का जो आधार था वह यह था कि मृतकों के परिवारों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसा दिया गया है। यातायात विभाग का जहां तक प्रश्न है एक हजार रुपया पहले भी दिया गया और एक हजार अब भी दिया जाता है। आधार में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बाकी चीजों में अन्तर हो सकता है लेकिन इन्सान की मृत्यु में अन्तर करना सरकार को शोभा नहीं देता, चाहे वह मृत्यु अलवर में हुई हो, उदयपुर में हुई हो, कोटा में हुई हो। मुख्य मंत्री कोष से 2000 की सहायता दी गई, अच्छा काम किया गया-इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस परिवहन निगम से कुछ नहीं कर रहे हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बहुत अधिक संख्या नहीं है, उनके परिवार को आप किस आधार पर पेमेन्ट करेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया है मृतकों को सहायता देने का, वर्त्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने इस दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति का रुख अख्तियार किया और उन्होंने मृतक परिवार को दो हजार की अनुग्रह राशि दी है। यदि भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने अपने सहायता कोष से कोई राशि नहीं दी तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। वे ही इसका उत्तर दे सकते हैं। पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री ने क्या किया, वहां की स्थिति को किस तरह से संभाला, दो हजार से कम ज्यादा राशि दी, यह सारी जानकारी तो वे ही दे सकते हैं। परन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध मुख्य मंत्री सहायता कोष से नहीं है। यातायात विभाग के जो नियम है, उन्हीं के अन्तर्गत पथ परिवहन निगम की एक नीति है कि दुर्घटना में मारे जाने पर परिवार को एक हजार रुपया दिया जाता है। पूर्व में जो मर गये उनके परिवारों को भी एक हजार रुपया दिया है और आगे भी एक हजार दिया जाएगा। बीमा योजना का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है...

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि मृतक के परिवार को जो एक हजार रुपये की सहायता दी जाती है क्या वह अपर्याप्त नहीं है ? रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर अधिक राशि दी जाती है तो क्या कारण है कि बस दुर्घटना में केवल एक हजार दिया जाता है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि राजकीय उपक्रम समिति ने सिफारिश की है कि यात्री भाड़े के अन्दर ही बीमा राशि सम्मि-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लित करके मुआवजा की राशि अधिक दी जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि राजकीय उपक्रम समिति की इस सिफारिश पर क्या अमल हुआ है? क्या इस प्रकार की व्यवस्था कर के सरकार का मुआवजा की राशि बढ़ाने का विचार है? इससे अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो तात्कालिक सहायता दी जाती है वह एक हजार रुपया है। बाकी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए निगम मोटर एक्सीडेन्ट ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार कार्यवाही करता है। वहां से जो अवार्ड होता है उसके अनुसार कार्यवाही होती है। जो अधिक राशि का प्रश्न है वह अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, कितने लोगों को इस अवार्ड के अनुसार मुआवजा दिया गया है? कुल 7 व्यक्ति मारे गये और उनको 57 हजार रुपये आपने दे दिये। बाकी के व्यक्तियों के लिये आपने क्या किया?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक बीमा योजना का प्रश्न है इस प्रश्न पर आज से तीन दिन पहले ही मैंने पथ परिवहन निगम के अधिकारियों से चर्चा की है। मेरी स्वयं की मान्यता है कि निगम द्वारा बीमा योजना चालू करके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों को अधिक सहायता दी जा सकती है जिससे उनको आगे जाकर मदद मिल सके। अलग-अलग बीमा कम्पनियों से बात करके इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मुआवजा का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका निर्धारण किन सिद्धान्तों, किन आधारों पर हो, इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि अन्य राज्यों में भी पथ परिवहन निगम हैं वे ऐसी दुर्घटनाओं में कितना मुआवजा देते हैं? इसके अलावा रेलवे कैसे सहायता देती है, कितनी मात्रा में देती है, उसका आधार क्या है, उस पर विचार करें तो मालूम होगा कि हमारा जो मापदण्ड है वह बहुत कम है, अपर्याप्त है। चाहे मुख्य मंत्री कोष से सहायता दें वह अपर्याप्त है। जो देते हैं वह आंसू पोंछने के लिए काफी नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आंसू पोंछने के लिए कितनी मात्रा पर्याप्त होगी, यह माननीय सदस्य ही कह पायेंगे। मोटर एक्सीडेन्ट ट्रिब्यूनल अवार्ड देने वाला है। वह सारी परिस्थितियां देख कर अवार्ड देता है। अवार्ड का मामला कोर्ट में जाता है। जो निर्णय होता है वह मानना पड़ता है। मैंने निवेदन किया है, यह सहायता 1 हजार रुपया है यह तात्कालिक सहायता के रूप में है। अवार्ड की राशि अपर्याप्त मानते हुए हमने जीवन बीमा निगम से बात करने की कोशिश की है।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : क्या यह राशि 15 हजार या 20 हजार की जाएगी?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह अवार्ड से तय की जाती है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं।

(एक माननीय सदस्य)

राजस्थान पथ परिवहन निगम की गाड़ियों की जो दुर्घटनाएं होती हैं, वह निगम की अव्यवस्था से होती हैं। यह अव्यवस्था तब से शुरू हुई है जब से भारतीय मजदूर संघ ने इसमें प्रवेश किया है। जब तक उसका वास उन्मूलन नहीं किया जाएगा तब तक पथ परिवहन निगम को घाटा और नुकसान होते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह आपका पूरक प्रश्न नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवार्ड की जो भी कार्यवाही होती है, वह हाई कोर्ट में जाती है तो पथ परिवहन निगम यह वायदा करे कि वह हाई कोर्ट में अपील में नहीं जाएगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : ऐसा है, अपील को लेकर हाई कोर्ट में जाने का उसका अधिकार है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कोई प्रश्न है नहीं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह रुपया मुआवजे के रूप में दिया जाएगा या सहायता के रूप में ?

एक माननीय सदस्य : एक हजार रुपया आपने दिया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

पंचायतों पर शिक्षा कर

128. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों पर शिक्षा कर लागू किया या है ? यदि हां, तो कब से व कितना ?

(2) इसकी वसूली के साथ क्या कोई शर्त जोड़ी गयी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर):

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा पंचायतों पर शिक्षा कर लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए शर्त जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

निगम के बस स्टेण्ड पर शौचालयों एवं मूत्रालयों की व्यवस्था

129. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड पर शौचालय एवं मूत्रालयों का पूर्ण अभाव है, जिससे महिलाओं एवं बच्चों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर से सांचौर वाया पाली जालोर के बीच शौचालय की व्यवस्था केवल अजमेर में ही है जो कि अपर्याप्त है ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर सांचौर वाया रोहिट भाद्राजून के बीच कोई शौचालय नहीं है ?

(4) क्या सरकार इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने का इरादा रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) महत्वपूर्ण स्टेण्ड्स पर व्यवस्था है। अन्य स्टेण्ड्स पर अभी कठिनाई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) निगम द्वारा बस स्टेण्ड्स पर इन सुविधाओं की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जो कि निगम की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर किया जावेगा।

श्री सूरजपालसिंह : निगम की आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी ? क्या मंत्री महोदय, यह कठिनाई वास्तव में महसूस करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पूरक प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : निगम की आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी, मैं यह कह नहीं सकता हूं। प्रयत्न मैं कर रहा हूं। थोड़ा समय दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री सूरजपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बहुत आवश्यक सुविधाएं हैं सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। ये सुविधाएं आपको देनी चाहिए। लेडीज को कितनी कठिनाई होती है। हालत यह है कि निगम का कोई स्टेण्ड नहीं है। भीनमाल की 20 हजार की पापूलेशन है किन्तु वहां पर स्टेण्ड नहीं है। जालोर में कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यह आपका घाटा ही घाटा कब तक चलेगा ? नागरिकों को सुविधा देने का विचार तो करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : निगम के 39 स्टेण्ड हैं, जहां ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अन्यत्र प्रयत्न यह है कि वहां की नगर परिषद् निर्माण करा दे तो निगम किराया दे दे। जैसा कि मैंने प्रश्न में स्वीकार किया है कठिनाई है, कठिनाई से इन्कार नहीं किया है। जो मानसिक व्यथा आपको है, वह मैं अनुभव करता हूं।

एक माननीय सदस्य : मानसिक व्यथा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मानसिक व्यथा ही हुई। उस कठिनाई को दूर करने के लिए जितना जल्दी हो सकेगा, प्रयत्न करेंगे। ऐसी कठिनाई है कि कई जगह बस स्टेण्ड निर्माण नहीं करा सके। आर्थिक कठिनाई कब तक दूर हो जायेगी इस बारे में कहना कठिन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

श्री चेतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आर्थिक कठिनाई है तो भी क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि जनहित में वह इसका निर्माण कराये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

Page No 17

(17)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बस स्टेण्ड को बनाने के लिए सरकार का क्या मापदण्ड है ?

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय ने आर्थिक कठिनाई के बारे में बताया है। मेरा निवेदन है कि यह आर्थिक कठिनाई कब से है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस प्रकार तो एक का भी उत्तर नहीं आ सकता।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पहले कार्पोरेशन को 80 लाख का प्रोफिट था। यह प्रोफिट में रन कर रहा था। अब घाटे में जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक !

जयपुर जिले में सीमेंट के कोटे का वितरण

130. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जयपुर जिले के लिए वर्तमान में सीमेंट का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

(2) उक्त निर्धारित कोटे का वितरण किस-किस प्रकार से किया जाता है ?

आपूर्ति मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) सीमेंट उपलब्धि के आधार पर आवंटित की जाती है। कोटा निर्धारित नहीं है। द्वितीय तिमाही 1980 में 7,500 मे० टन सीमेंट जयपुर जिले के लिए आवन्टित किया गया है।

(2) उपलब्ध मात्रा का 40% जयपुर नगर परिषद् के क्षेत्र में तथा 60% अन्य क्षेत्रों में वितरण किया जाता है। इस 60% का वितरण जनसंख्या के आधार पर जिले की अन्य नगर पालिकाओं व पंचायत समितियों में किया जाता है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीमेंट कोटा निर्धारित किया गया, जयपुर जिले के लिए जो निर्धारित किया गया और निर्धारित किया जाता है उसके वितरण में भयंकर घोटाले हो रहे हैं और बहुत अन्याय हो रहा है। प्रभावशाली लोग जो है वह एक साथ पूरे गांव के सीमेंट का कोटा ले जाते हैं। जितनी सीमेंट की आवश्यकता होती है उतनी सीमेंट उपभोक्ता तक कभी नहीं पहुंच पाती। इसके अतिरिक्त जिनके काम कन्टीन्यू हैं उनको सीमेंट का कोटा कम मिलता है और जिनका काम शुरू नहीं हुआ, जो चालू करने वाले हैं उनको भारी मात्रा में सीमेंट का कोटा दे दिया जाता है। क्या इस बात की जानकारी मंत्री महोदय को है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य महोदय यदि आपको ऐसे प्रश्नों की जानकारी है तो आप बतायें सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल करेगी।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मुझे यह बतायें, जो सीमेंट का वितरण होता है आप तो केवल पंचायत समितियों को दे देते हैं, 60 पर्सेन्ट गांवों के

Page No 18

(18)

(श्री नाथूसिंह)

लिए, 40 पर्सेन्ट सिटी के लिए, लेकिन 60 पर्सेन्ट जो गांवों के लिए दिया जाता है उसमें आपको मालूम है कि बरसात शुरू होने से पहले किसान अपने कुओं को ठीक करवाते हैं, वरना कुएं बैठ जाते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ प्रतिशत सीमेंट आप कुओं के लिए निर्धारित करेंगे? बी. डी. ओज.....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं दें, प्रश्न पूछें।

श्री नाथूसिंह : होता क्या है कि मकान बनाने के नाम पर अधिकतर सीमेंट की फर्जी एप्लीकेशन्स बना कर उसको ब्लेक में बेच दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री नाथूसिंह : स्पष्ट रूप से आप उत्तर दें कि कितने प्रतिशत कुओं के लिए, कितने प्रतिशत खेती के लिए, कितने प्रतिशत मकान बनाने के लिए और कितने प्रतिशत राहत कार्यों के लिए देंगे? कोई प्रतिशत तय करें जिसके आधार पर किसानों को प्राथमिकता दी जा सके?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : कुओं के लिए एक बार में 75 कट्टे सीमेंट दी जा सकती है, यह राज्य सरकार के आदेश हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि सीमेंट की जो मात्रा है, जितना उपलब्ध है उसके अनुसार सब जगह देना शायद सम्भव नहीं हो पाता। इसलिए कुछ कठिनाइयां हैं। अन्त में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, सीमेंट की यह स्थिति है कि गत वर्ष 29597 कुल राज्य के लिए सीमेंट मिली थी। इसके बाद 80 में करीब 151 मिल चुकी है। गत साल जो कुल सीमेंट आई थी, उससे अधिक सीमेंट इस वर्ष राज्य सरकार जयपुर के लिये आवंटित कर चुकी है। फिर भी जो कठिनाई किसानों को है, कुओं की है उनको प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं और यदि अस्पष्टता होगी तो और आदेश दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-7-80)

अध्यापिकाओं को वेतन, यात्रा भत्ता आदि की बकाया का भुगतान

31. श्री गोपाल पचेरवाल (टटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) वृत्त, जयपुर के अधीन कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला की अध्यापिकाओं का वेतन, यात्रा भत्ता, मेटरनिटी लीव आदि के प्रकरण गत दो वर्षों से बकाया है? यदि हां तो बकाया की पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें व बतायें, बकाया के क्या कारण हैं और कब तक उन्हें भुगतान कर दिया जावेगा?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : जी हां। सूची संलग्न है। कारण:–
(1) वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा बिलों की पूर्ति एवं समय पर प्रस्तुत न करने के कारण।

(2). जिला उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का विभाजन होना एवं रिकार्ड के पूर्ण रूप से आदान-प्रदान में देय होने के कारण।

शीघ्र ही भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है वह सूची बहुत लम्बी दी है। मैंने केवल 2 साल के लिए पूछा था। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को समझने की कोशिश नहीं की या फिर वह समझ नहीं पाये। मैंने प्रश्न में निवेदन किया था कि गत 2 वर्ष के लिए कितना भुगतान किया गया है? श्रीमान्, मुझे जो सूची दी गयी है उसमें 61 से लेकर जानकारी दी गयी है। मैं चाहता था कि 2 साल का बतायें पुराना नहीं बताएं।

श्री अध्यक्ष : इसमें 2 वर्ष का आप ही निकाल लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : यदि 2 वर्ष का मैं निकाल लूं तो आप प्रश्न को स्थगित कर दें मैं निकाल लूंगा।

गत 15 दिनों में कितने कर्मचारियों को भुगतान किया है? यह जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। इन लोगों को भुगतान नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को भुगतान किया गया है?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को पुनः स्थगित किया गया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री श्रीराम गोटेवाला!

स्थगित प्रश्न।

(दिनांक 10-7-80)

नाहरी का नाका (जयपुर) क्षेत्र में जे. पी. कालोनी नाम की अनधिकृत बस्ती का निर्माण

32. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में नगर विकास न्यास की भूमि पर जे. पी. कालोनी के नाम से एक अनधिकृत बस्ती बसाई गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालोनी में बसाने हेतु कुछ व्यक्तियों ने काफी राशि लोगों से वसूल की एवं अपने आपको समानान्तर नगर विकास न्यास घोषित कर दिया?

(3) क्या यह सही है कि यह सब कार्य एक सहकारी समिति के माध्यम से किया गया? यदि हां, तो सहकारी समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकारणी समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि, जो कि नगर विकास न्यास की थी पर अवैध कब्जा करने के कारण शास्त्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया?

नगर आयोजना मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) नाहरी का नाका क्षेत्र में नगर विकास न्यास जयपुर की भूमि पर अनधिकृत रूप से बस्ती बस गई है जो अपने आपको जे. पी. कॉलोनी के नाम से पुकारते हैं।

(2) ऐसे संकेत हैं लेकिन स्पष्ट स्थिति जांच के बाद ही मालूम हो सकती है।

(3) भूमि को समतल कराने का कार्य माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से कराया जाना पाया गया। उक्त समिति के पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। पुलिस द्वारा मामला सिविल नेचर का मान कर दिनांक 29-12-78 को एफ. आर. अदम वकुआ दी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं जानना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें उसने कहा था कि अनधिकृत रूप से जमीन को बेचा, क्या यह बात सही है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं प्रश्न समझा नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास, जयपुर की तरफ से शास्त्री नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी कि हमारी भूमि फाड करके कुछ लोगों ने गलत तरीके से बेची है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इतनी मैं जानकारी नहीं दे सकता। इतना मैं जानता हूं कि इस प्रश्न पर 1971 से कोर्ट में एक केस है। इसके बाद असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहां चला, फिर रेवेन्यू बोर्ड में चला और रेवेन्यू अपीलेट में चला और अभी भी रेवेन्यू बोर्ड में है। इस भूमि के लिए एक आदमी ने कहा था, मेरा कब्जा है, उसे लेकर केस चल रहा है किन्तु जो जांच सामने आई है उसके आधार पर यह स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं कि उस समय पुलिस ने एफ. आर. दी वह युक्ति-संगत नहीं लगती। मैं सरकार की ओर से इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड में बहस हो जाने और उसका फैसला प्राप्त होने के बाद यदि कोई विशेष व्यवस्था करनी पड़ी तो की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता!

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड का स्टे था, वह दोनों पक्षों पर लागू होता है। यू० आई० टी० पर भी और पार्टी पर भी लागू होता है। उस स्टे की स्थिति के अन्दर जब वह जमीन बेच दी गयी तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि किन लोगों ने माधव नगर सहकारी समिति बनाई?

Page No 21

(२१)

(श्री श्रीराम गोटे वाला)

जो आपने सूची दी है उसमें एक द्वारका प्रसाद अग्रवाल मंत्री हैं, इन सब लोगों की मिल कर जयप्रकाश के नाम पर यह नगर बसाने की योजना थी। मेरे पास रसीदें, टोकन वगैरह हैं। कम से कम 10 लाख रुपये की यू० आई० टी० की जमीन बेच कर इन लोगों ने घपला कर दिया। क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ जांच की कार्यवाही करवाने के लिए तैयार हैं?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह भी रेवेन्यू बोर्ड का स्टे था और जैसी स्थिति थी वैसी बने रहने के आदेश थे। इसके बाद राज्य सरकार को यू० आई० टी० की ओर से इस सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि जमीन खुर्द बुर्द की जा रही है प्लाट्स काटे जा रहे हैं। यहीं रेवेन्यू बोर्ड को लिखित में आवेदन दिया गया है लेकिन उस पर भी निर्णय नहीं हो सका। अब उन सब प्रश्नों पर फैसले हो जायेंगे।

श्री दिनेश डांगी : एक पूरक प्रश्न है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जयपुर में सहकारी समितियों ने जिस प्रकार जमीन का अॉवर्टन किया है यह काम तो यू० आई० टी० को करना चाहिए था। मुझे याद आता है कि यहां पर कई सदस्य भी हैं, माननीय मुख्य मंत्री भी हैं उन्होंने मेरे साथ एप्लाई किया था 10 साल पहले लेकिन किसी को भी यू० आई० टी० ने प्लाट दिया नहीं। अनधिकृत या गैर कानूनी कार्यवाही उन सोसायटीज को करनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, यह आखिर कब तक चलेगा? इसके लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए क्योंकि जयपुर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर लोग खेती की जमीन को बेच देते हैं और बीच में लोग लाखों रुपया खा जाते हैं। नतीजा इसमें यह होता है कि सरकार को जो टेक्स मिलना चाहिये वह टेक्स भी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि मुझे पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण एक दो पूरक प्रश्न हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि जिस यू० आई० टी० के अधिकारी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी उस अधिकारी का उस समय भंवरलाल शर्मा जो कि स्वायत्त शासन मंत्री थे, ने स्थानान्तरण कर दिया? उसका नाम क्या था?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं कि शास्त्री नगर थाने में किस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी? उस समय यू० आई० टी० के चेयरमेन कौन थे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आप माननीय सदस्य, इतना लम्बा प्रश्न नहीं करें वरना मंत्री महोदय प्रश्न भूल जायेंगे।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का भी जवाब आना चाहिये। आज यू० आई० टी० काम नहीं कर रहा है और बीच में ही यह कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर लाखों रुपया हड़प रहे हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस केस की एफ० आई० आर० 21-7-78 को शास्त्रीनगर थाने में मुकदमा नम्बर 119 धारा 44 आई० पी० सी० के तहत दर्ज हुई। पुलिस ने इसको सिविल मामला मान कर इसकी एफ० आर० दिनांक 29-12-78 को दी। दूसरा माननीय सदस्य ने पूछा है कि वह अधिकारी कौन था जिसका स्थानान्तरण किया गया, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, उस समय यू. आई. टी. के चैयरमेन गिरधारीलाल भार्गव थे। उन्होंने लाखों रुपये इस घपले में कमाये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह भार्गव साहब साधु बने घूमते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. पी. जोशी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं लोगों ने कालाबाजारियों को पनपाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं लोगों ने जे पी. जैसे व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग किया है। इनको सजा मिलनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टौंक आगार की बसेज

89. **श्री महावीर प्रसाद (टौंक) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य परिवहन निगम के अधीन टौंक आगार द्वारा बसेज के कुल कितने चक्र प्रतिदिन तय करना निश्चित है ?

(2) क्या जितने चक्र टौंक आगार द्वारा संचालित किये जाने चाहिये, उतने ही चक्र नियमित रूप से किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? एवं इस संबध में सरकार के क्या प्रयास हैं ?

उत्तर

(1) निगम के टौंक आगार द्वारा ग्रीष्मकालीन समय सारणी के अनुसार प्रति दिन 47 अनुसूचित सेवाओं से 124 एकल परिचक्र संचालित हेतु निर्धारित किये हुये हैं।

(2) जी नहीं। टायर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की कमी तथा निगम द्वारा ली हुई।

(यातायात मंत्री)

अनुबंधित निजी वाहनों की हड़ताल के कारण इस समय टोंक आगार पर उपलब्ध 33 वाहनों द्वारा अनुसूचित सेवाओं से प्रतिदिन 98 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। पूर्ण परिचक्र संचालित किये जाने हेतु टायर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की पूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा कोटा संभाग के अधीन अन्य आगारों के जो मार्ग वर्षा काल में अवरुद्ध हो गये हैं तथा जिनकी वजह से उन आगारों में जो वाहनें नहीं चलेंगी उनमें से कुछ वाहनें टोंक आगार को भिजवाई जा रही है ताकि निरस्त परिचक्रों में कमी लाई जा सके। वर्तमान में टोंक आगार में 9 वाहनें टायरों के अभाव में खड़ी हुई हैं। टायरों की कमी को पूरा करने हेतु निगम द्वारा माह जुलाई, 1980 में 2100 टायरों की खरीद हेतु आदेश प्रसारित कर दिये हैं ताकि निरस्त परिचक्रों को पुनः चालू किया जा सके।

गेहूं की उपज पर आय व्यय

90. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गेहूं की उपज पर प्रति एकड़ आय व व्यय कितना होता है ? क्या गेहूं की खेती लाभकारी है ? क्या सरकार को पंजाब व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति एकड़ व्यय की जानकारी है ? यदि हां, तो प्रति एकड़ व्यय क्या है ?

उत्तर

राजस्थान में जिला अलवर, सवाई-माधोपुर एवं चित्तौडगढ़ में किए गए अध्ययन के आधार पर वर्ष 1978–79 में गेहूं की खेती पर प्रति एकड़ व्यय रु० 1130.20 एवं आय 1226.70 रु० आयी है। गेहूं की खेती लाभकारी है। पंजाब व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति एकड़ व्यय की जानकारी नहीं है।

महिला सदन की आवासनियों के विवाह

91. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जनवरी, 1980 से अब तक महिला सदन घाटगेट की किन-किन आवासनियों का विवाह किन-किन के साथ किया गया और कब-कब ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कितने विवाह सफल हुए ?

उत्तर

(1) महिला सदन घाटगेट की जिन जिन आवासनियों को विवाह दिनांक 1 जनवरी, 1980 से अब तक हुआ है उनकी तालिका संलग्न है।

(2) इतनी कम अवधि में विवाह की सफलता-असफलता के विषय में निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

भवानी मण्डी का कृषि उपज मण्डी यार्ड

92. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में कृषि उपज मंडी का यार्ड है ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

भवानी मंडी में नये यार्ड की स्थापना पर कितनी धनराशि व्यय होना प्रस्तावित है ?

(2) क्या जो नया यार्ड मिल के पास बन रहा है उसमें किसानों और व्यापारियों के माल की पूर्ण सुरक्षा नहीं हो सकेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार जहां वर्तमान यार्ड स्थापित है उसे वहीं रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। भवानी मण्डी में नये यार्ड के निर्माण हेतु कुल 40.00 लाख की परियोजना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। नये यार्ड के निर्माण से माल की पूर्ण सुरक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी।

पशु नस्ल सुधार के साधनों का उपयोग

92. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में पशु नस्ल सुधार के लिये किन-किन साधनों का उपयोग हो रहा है तथा उन साधनों पर अब तक कितनी राशि व्यय हुई और कितने पशु पालकों को लाभ पहुँचा ?

(2) क्या जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों की माली हालत सुधारने के लिये कोई पशुपालन योजना चल रही है ? यदि नहीं, तो ऐसी योजना कब तक चालू करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) पशु नस्ल सुधार हेतु राजस्थान में पशु पालन विभाग के माध्यम से निम्न साधन उपयोग में लाये जा रहे हैं :

1) राजकीय पशु प्रजनन केन्द्रों पर उत्पादित उत्तम वंश के सांड/नर ऊँट नस्ल सुधार हेतु पंचायतों में वितरित किये जाते हैं।

2) स्थानीय गौ-वंश के सांड, संकर नस्ल के सांड, मुर्रा भैंसे तथा जमनापारी बकरे क्रय कर नस्ल सुधार हेतु विभागीय संस्थाओं में रखे जाते हैं एवं पंचायतों को भी वितरित किये जाते हैं।

3) चारा विकास, पशु आहार वितरण, टीकाकरण, बधियाकरण इत्यादि कार्य पर भी ध्यान दिया जाता है।

4) संकर प्रजनन कार्यक्रम एवं ग्राम आधार योजना के माध्यम से पशुओं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली से भी नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है।

5) लगभग एक लाख पचास हजार पशु पालकों के परिवारों को लाभ पहुंचता है।

पशु नस्ल सुधार कार्य हेतु चार वर्षों में जो खर्चा हुआ है. उसकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

जनजाति क्षेत्र में भी आदिवासियों की माली हालत सुधारने हेतु पशु पालन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, इस हेतु

(पशु पालन मंत्री)

आदिवासी क्षेत्र में विभाग की संस्थाएं निम्न कार्य कर रही हैं :

1) गो-संवर्धन हेतु 6 ग्राम आधार योजना कार्यरत हैं जिनके द्वारा पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान एवं संकर प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

2) उदयपुर में ही आदिवासी पशुधन सहायकों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है।

3) उदयपुर सलूम्बर, धरियावद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़ में चारा प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

4) डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में सघन कुक्कुट विकास खण्ड स्थापित है, तथा इन्हीं स्थानों पर चूजा पालन केन्द्र भी स्थापित है जिनके द्वारा कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिया जाता है। निजी क्षेत्र में कुक्कुट पालन इकाइयां स्थापित करने हेतु अनुदान की व्यवस्था है।

5) जिला विकास अभिकरण के माध्यम से पशु इकाइयां, बकरी इकाइयां एवं कुक्कुट इकाइयां हेतु अनुदान का प्रावधान है।

इनके अतिरिक्त पशु पालन प्रसार एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यापक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्र में पशु पालन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु उप निदेशक परियोजना का कार्यालय उदयपुर में ही स्थापित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

चौमेला में डाक्टर स्तर की डिस्पेन्सरी

94. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में क्या कोई डिस्पेन्सरी है ? जनसंख्या की दृष्टि में क्या सरकार वहां डाक्टर स्तर की डिस्पेन्सरी खोलना आवश्यक समझती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

चौमेला में पूर्व से ही राजकीय सहायक चौकी (एडपोस्ट) कार्यरत है। 1971 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या केवल 916 है। चौमेला पंचायत समिति डग के अन्दर आता है और इस पंचायत समिति के अन्तर्गत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डग में व दो डिस्पेन्सरी क्रमश: गंगधार व कचनारा में कार्य कर रही है। नई डिस्पेन्सरियां खोलने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

मेल नर्स द्वितीय को वेतन व भत्ता

95. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि आक्जिलरी हैल्थ वर्कर को सरकार ने मेल नर्स द्वितीय के पद पर नियुक्त किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन्हें मेल नर्स द्वितीय का वेतन एवं भत्ता दिया जा रहा है ?

उत्तर

जी हां। उन्हें मेल नर्स श्रेणी द्वितीय के पदों के विरुद्ध उनके स्वयं के पद समाप्त होने के कारण लगाया गया है।

(चिकित्सा मंत्री)

जी नहीं। क्योंकि आक्जिलरी हैल्थ वर्कर को मेल नर्स श्रेणी 2 के पदों पर पदोन्नति करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस विषय में लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गई है।

सवाई मानसिंह अस्पताल के काटेज वार्ड

96. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अप्रेल, 1980 से अब तक सवाई मानसिंह अस्पताल के काटेज वार्ड में कौन-कौन से सरकारी कर्मचारी उपचार हेतु कितने-कितने दिन रहे ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों के लम्बे अर्से तक काटेज वार्ड में रहने के कारण अन्य आम लोगों को काटेज वार्ड नहीं दिया जा सका ?

(3) क्या सरकारी कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार काटेज वार्ड में संख्या निर्धारित करेगी ताकि आम जनता को कोटेज वार्ड उपलब्ध हो सके ?

उत्तर

(1) वांछित सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को भी कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। आवश्यकता तो वार्डों की संख्या बढ़ाने की है, जो धन उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अभिभाषकों की नियुक्ति की प्रक्रिया

97. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) फरवरी, 1980 से लेकर अब तक राज्य में किन-किन अभिभाषकों को कितने-कितने वेतन और भत्ते पर कब-कब से किस-किस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है ? विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नियुक्तियां किस प्रक्रिया के आधार पर की गईं ?

(3) जिनकी ये नियुक्तियां की गई हैं उनकी योग्यता और अनुभव क्या है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1 फरवरी, 1980 से लेकर अब तक विधि विभाग द्वारा राज्य में जिन-जिन अभिभाषकों की नियुक्ति की गई है उसका विवरण वेतन और भत्ते सहित संलग्न तालिका में बताया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा भी नियुक्तियां की गई है, जिनसे सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) ये नियुक्तियां अधिकतर उन अभिभाषकों की गई है, जो राजकीय अधिवक्ता अथवा राजकीय अभिभाषक रहे हैं एवं जिनकी कार्य कुशलता सन्तोषप्रद रही है। इनके अलावा उप राजकीय अधिवक्ता एवं सहायक राजकीय अधिवक्ता की नियुक्तियां राजकीय अधिवक्ता की सिफारिश पर की गई। लोक अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभिभाषक की नियुक्तियां विधि एवं न्याय विभाग के मेन्युअल के नियम 12 के अनुसरण में जिलाधीश एवं

(विधि-मंत्री)

जिला एवं सत्र-न्यायाधीश की सिफारिश पर की गई।

(3) ये सभी विधि स्नातक एवं अनुभवी कुशल अधिवक्ता रहे हैं। इनमें से अधिकतर ने पूर्व में भी राजकीय अधिवक्ता या अभिभाषक के पद पर कार्य किया है। श्रीमती कमला जैन को महिला अभिभाषक होने के कारण नियुक्त किया गया।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जैसलमेर राजकीय अस्पताल में डाक्टर्स एवं नर्सेज

98. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जैसलमेर राजकीय अस्पताल में कितने डाक्टर्स, महिला चिकित्सक एवं नर्सेज कार्यरत हैं ? विशेषज्ञों की संख्या व उनके विभाग अलग-अलग से बताए जाएं ?

उत्तर

जैसलमेर राजकीय चिकित्सालय में स्वीकृत कार्यरत व्यक्तियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

कनिष्ठ विशेषज्ञ	(मेडिसन)	1 पुरुष
,, ,,	(सर्जरी)	1 पुरुष
,, ,,	(नेत्र)	1 पुरुष
,, ,,	(बाल रोग)	1 पुरुष (पद रिक्त है)
,, ,,	(स्त्री रोग)	1 महिला (पद रिक्त है)
सी. ए. एस. कार्यरत		7

वरिष्ठ विशेषज्ञों का कोई पद स्वीकृत नहीं है। कनिष्ठ विशेषज्ञों के दो पदों के अलावा सभी पद भरे हुए हैं। रिक्त पदों के भरने के लिये डी. पी. सी. बैठाने की कार्यवाही की जा रही है। एक पद स्टाफ नर्स व 8 पद मेल नर्स श्रेणी 2 के स्वीकृत हैं जिन पर कर्मचारी कार्यरत हैं।

हरिपुरा में एलोपैथिक सब-सैन्टर

99. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत चाकसू के हरिपुरा ग्राम के लिए एक एलोपैथिक सब-सैन्टर स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या वह चल रहा है ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रतापगढ़ तहसील में चिकित्सा सुविधा

100. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में प्रतापगढ़ तहसील में 2 मिनी हैल्थ सैन्टर, 4 सब-सैन्टर तथा प्रतापगढ़ नगर चिकित्सालय में 100 शैयाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

(2) क्या राज्य सरकार भूतपूर्व जनता सरकार की चिकित्सा एवं परिवार कल्याण योजना को गावों में लागू करना चाहेगी ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर।

1. (क) जी नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रतापगढ़ नगर, जहां सामान्य एवं जनाना अस्पताल में 75 शैयाएं ही स्वीकृत है, में इस वर्ष 100 शैय्याएं की कुल सुविधा देने का प्रस्ताव है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इसे क्रियान्वित किया जा सकेगा।

(2) जी हां प्रत्येक सरकार का ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। योजना को चालू रखा जावेगा।

टौंक आगार के वाहन

101. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या राज्य परिवहन निगम के टौंक आगार म कुछ एक वाहनों को छोड़कर यात्रियों को बरसात में लाने ले जाने के लिए सारे वाहन अनुपयुक्त हैं ?

(2) टौंक आगार में कितने वाहन कार्यरत हैं तथा कितने वाहन मोटर वेकल्स एक्ट की शर्तों को पूरा करने में सक्षम है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। करीब 5 वाहनों में खिड़कियों के टूटे हुए शीशे के स्थान पर चद्दरें लगी हुई हैं। इसके लिए मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है।

(2) टौंक आगार में 48 वाहनें आवंटित हैं, जिनमें से 7 वाहनें कोटा सम्भाग कार्यशाला मे मरम्मत हेतु भेजी हुई है। निगम की प्रत्येक वाहन का फिटनेस कराया गया है जो यह दर्शाता है कि वाहनें मोटर व्हीकल एक्ट की शर्तों को पूरा करती हैं।

केशोरायपाटन नगरपालिका के कर्मचारी

102. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका केशोराय पाटन जिला बूंदी में नाकेदार, सब-नाकेदार के कितने पद सृजित हैं तथा वर्तमान में कितने नाकेदार एवं सब-नाकेदार, इस्पेक्टर कार्यरत हैं ? कृपया निम्न जानकारी सहित सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें:—

नाम, जाति, आयु, निवासी, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, योग्यता, पदोन्नति की तिथि ?

(2) उक्त पदों पर नियुक्तियां क्या नियोजन विभाग के माध्यम से की गई हैं या सीधी की गई हैं ?

(3) क्या नगरपालिका केशोराय पाटन में कैशियर के पद पर कोई कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ? कार्यरत व्यक्तियों की निम्न जानकारी देने का श्रम करें:—

नाम, जाति, आयु, निवासी, योग्यता, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, पदोन्नति की तिथि, नियुक्ति का माध्यम ?

उत्तर

(1) नगरपालिका में नाकेदार के 3, सब-नाकेदार के 7 पद सृजित हैं। इसके अतिरिक्त 1 पद सहायक कर निरीक्षक का

(स्वायत्त शासन मंत्री)

है। चाही गई जानकारी सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूचना में यह जानकारी अंकित है।

(3) जी हां। जानकारी अनुसूची 'अ' पर अंकित कर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला टौंक की सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार

103. श्री महावीर प्रसाद (टौंक): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) टौंक जिले में कितनी सहकारी समितियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि की कार्यवाही कितने समय से चल रही है? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितनी एवं कौन-कौनसी समितियों के विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है तथा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। सूची 'अ'।

(2) सूची संलग्न है। सूची 'ब'।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)।

ग्राम गोनेर में कालबेलियों के लिए पेयजल व्यवस्था

104. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि सांगानेर पंचायत समिति के ग्राम गोनेर में कुछ स्थानों पर कालबेलियों को बसाया गया है? वे कब से वहां बसे हुए हैं? क्या इनको पेयजल उपलब्ध करवाने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है?

उत्तर

जी हां। लगभग 8-10 वर्षों से बसे हुए हैं। मार्वासीय भूमि अलाटमेंट अभियान, 1975 में तहसील सांगानेर द्वारा पट्टे दिये गये थे। ग्राम पंचायत, गोनेर द्वारा अपनी निजी आय से वर्ष 80-81 में पेयजल कूप इन्हीं के लिए, तैयार कराया जा रहा है जो जुलाई, 80 के अंत तक पूर्ण हो सकेगा।

सवाई माधोपुर जिले के विद्यालयों में संस्कृत विषय

105. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत वैकल्पिक विषय है?

(2) क्या यह सही है कि जिले के एक भी विद्यालय में संस्कृत पाठन की व्यवस्था नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों और वहां सरकार संस्कृत वैकल्पिक विषय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में 33 माध्यमिक एवम् 9 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है।

(2) जी नहीं।

अतिरिक्त विकास अधिकारी झालावाड़ द्वारा जब्त चावल

106. श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़ में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त विकास अधिकारी, झालावाड़ के द्वारा 22 बोरी चावल छापा मार कर पकड़ा गया है ? यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा, पंचायत समिति झालरापाटन को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत मजदूरों में वितरण के हेतु दिये गये अनाज से अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिनांक 24-6-80 को श्री लक्ष्मीकान्त अग्रवाल (उचित मूल्य दुकानदार, झालरापाटन के घर से 22 बोरी चावल छापा मार कर पकड़ा गया। मामले की एफ० आई० आर० पुलिस थाना झालरापाटन में दिनांक 25-6-80 को दर्ज करा दी गई है एवं दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

जयपुर जिले के अकाल राहत कार्य

107. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) इस वर्ष जयपुर जिले को किस-किस तहसील में किस-किस लागत के कौन-कौन से अकाल राहत कार्य खोले गये ? कृपया तहसीलवार विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) जो कार्य अधूरे रह गये उन्हें पूरा करने की क्या व्यवस्था है ?

(3) इन कार्यों में किस किस माह में कितने-कितने मजदूरों को रोजगार दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि कई मजदूरों को 15 दिन से अधिक की मजदूरी नहीं मिली है ? यदि हां, तो कितने मजदूरों को 15 दिन के बाद कितने-कितने दिन का वेतन वितरित किया गया और कितना शेष है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के 15 कार्य 10.39 लाख रुपये की लागत के तथा सिंचाई विभाग के 14 कार्य 2.90 लाख रुपये की लागत के खोले गये हैं, जिनका तहसीलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में है। इसके अतिरिक्त काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भी 1091 कार्य पंचायतों के माध्यम से कराये गये हैं, जिनमें से 215 कार्य रुपये 13.76 लाख की लागत के पूर्ण हो चुके हैं तथा 876 कार्य 50.76 लाख रुपये की लागत के चल रहे हैं। पूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब" एवं चालू कार्यों का विवरण परिशिष्ट "स" में पंचायतवार संलग्न है।

(2) ऐसे अधूरे कार्य, जिन्हें काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधनों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा, अवश्य पूर्ण किये जा सकेंगे। शेष कार्यों के सुपर लेवल तक छोड़ा जाना आव-

(अकाल राहत मंत्री)

श्यक होगा। जहां तक संभव हो सकेगा ऐसे कार्यों को अन्य विभाग की योजना के अन्तर्गत लेने का भी प्रयत्न किया जावेगा।

(3) माहवार मजदूरों, जिन्हें रोजगार दिया गया, का विवरण परिशिष्ट 'द' में संलग्न है।

(4) यह सही नहीं है कि मजदूरों को 15 दिन से अधिक की मजदूरी नहीं मिली है। श्रमिकों को पाक्षिक भुगतान किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जा रहे राहत कार्यों में से रामगढ़ पंचवारा से तुंगा रोड तहसील लालसोट में नियोजित श्रमिकों, जिनके वेतन का विवाद है एवं जिन्होंने भुगतान लेने से मना कर दिया है, के अलावा सब श्रमिकों को 31-5-80 तक भुगतान कर दिया है। पंचायतों के कार्यों पर लगे श्रमिकों को भी 31-5-80 तक का भुगतान अनाज के रूप में दी जाने वाली मजदूरी का पंचायत समिति दौसा एवं कुछ उन पंचायतों के श्रमिकों को छोड़कर, जिनके विरुद्ध मस्टररोल संबंधी शिकायतें हैं, किया जा चुका है। दौसा पंचायत समिति में भी 31-3-80 तक भुगतान कर दिया गया है। वहां कार्यों का मूल्यांकन नहीं हुआ है, जो कराया जा रहा है। मूल्यांकन के बाद वहां अंतिम किश्त का भुगतान इसी माह में कराया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सरपंच ग्राम पंचायत गणनावद के विरुद्ध आरोप-पत्र

103. श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) : क्या ... मंत्री ... की कृपा करेंगे :

क्या ग्राम पंचायत गणनावद (गणेशपुरा), पंचायत समिति झालरापाटन के सरपंच के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में घपला किये जाने बाबत, जिलाधीश झालावाड़ एवं सामुदायिक विभाग, जयपुर को कोई आरोप-पत्र मिला है? यदि हां, तो सरकार कब तक और क्या कार्यवाही करने जा रही है और विलम्ब का क्या कारण है?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम पंचायत गणनावद (गणेशपुरा) पंचायत समिति झालरापाटन के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना के तहत कराये गये कार्यों के बारे में अभी तक जिलाधीश झालावाड़ एवं सामुदायिक विभाग, जयपुर को कोई भी आरोप-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

केशोराय पाटन नगरपालिका द्वारा यातायात सुविधा

109. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका केशोराय पाटन, जिला बूंदी ने यातायात सुविधा एवं पालिका की आय बढ़ाने की दृष्टि से एक मिनी बस खरीदी थी? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त बस कहां से कहां तक चलती है तथा प्रति सवारी क्या किराया लिया जाता है?

(3) उक्त बस की प्रति माह की क्या आय है तथा प्रति माह बस पर चालक, परिचालक एवं अन्य मासिक खर्च क्या है?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

विवरण सहित जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 30-12-77 को मेटाडोर मिनी बस खरीदी गई थी।

(2) बून्दी रोड रेलवे स्टेशन से केशोराय पाटन के मध्य चलती है। प्रति सवारी कस्बे से रेलवे स्टेशन तक 50 पैसे एवं कस्बे से फैक्ट्री गेट तक 40 पैसे किराया लिया जाता है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले की पाठशालायें

110. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी शिक्षण संस्थाएं किन-किन स्तर की कार्यरत हैं? तहसीलवार ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्ष 1980-1981 में जिले में कितनी प्राथमिक शालाएं, उच्च प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, उच्च माध्यमिक शालाएं एवं महाविद्यालय खोलने की योजना है? तहसीलवार ब्योरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति द्वारा विभिन्न स्तर की चित्तौड़ जिले की शिक्षण संस्थाओं की सूची संलग्न है।

(2) इस वर्ष सारे राजस्थान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा गया है। इन विद्यालयों को राजस्थान के विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार खोला जायेगा। इस शैक्षणिक वर्ष में कोई राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

भूतपूर्व विकास अधिकारी, जैतारण के विरुद्ध जांच

111. श्री शिवदान सिंह (जैतारण): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सी. एल. जैन, भूतपूर्व विकास अधिकारी, जैतारण हाल विकास अधिकारी, रायपुर के द्वारा बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ सहायता बाबत वितरित की गई राशि के गबन एवं घोटाले बाबत शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने डिप्टी डी. डी. ओ. पाली को इसकी जांच करने हेतु भेजा था? यदि हां, तो किस तारीख को जांच करने गये तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को प्रेषित की?

Page No 33

(श्री शिवचरणसिंह)

(3) क्या यह सही है कि रिपोर्ट के पेश होने से काफी समय निकलने के उपरान्त भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई ? अब दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उप जिला विकास अधिकारी, पाली द्वारा इसकी जांच कराई गई।

(2) जी हां। दिनांक 16-3-80 को जांच करने हेतु उप जिला विकास अधिकारी पाली भेजे गये थे जिसकी जांच प्रतिवेदन जिलाधीश पाली को दि. 25-3-80 को प्रस्तुत की गई है।

(3) जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सी. एल. जैन को दि० 31-3-80 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उनके उत्तर के आधार पर जिलाधीश, पाली के पत्र दि० 26-5-80 द्वारा रिपोर्ट विशिष्ट शासन सचिव, सहायता विभाग को प्रेषित की गई थी। विशिष्ट शासन सचिव सहायता विभाग के पत्र दिनांक 6-6-80 के द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ मुद्दों पर जिलाधीश, पाली को पुनः जांच करने के निर्देश दिये हैं जिस पर जिलाधीश, पाली द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय

114. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं और इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत को इन स्कूलों का लाभ प्राप्त हो रहा है ?

(2) इस शैक्षिक सत्र में राज्य सरकार इस क्षेत्र में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने जा रही है और कहां कहां ?

उत्तर

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में सांगानेर पंचायत समिति और चाकसू का कुछ भाग सम्मिलित है। दोनों पंचायत समितियों की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची निम्न है:—

पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र सांगानेर	विद्यालय				
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	योग
1. शहरी क्षेत्र सांगानेर	6	1	1	1	9
2. पंचायत समिति सांगानेर	72	18	4	1	95
योग	78	19	5	2	104
3. पंचायत समिति चाकसू	74	17	4	—	95
कुल योग	152	36	9	2	199

कुल जनसंख्या के 20 प्रतिशत सांगानेर तहसील में, एवं 12 प्रतिशत चाकसू में लाभान्वित हो रहे हैं।

Page No 34

(34)

(शिक्षा मन्त्री)

(2) इस वर्ष योजना अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सारे राजस्थान में खोले जाने का प्रावधान है। विभिन्न जिलों में इन विद्यालयों को स्थान विशेष की परिस्थिति, जनसंख्या, छात्रसंख्या, क्षेत्र का पिछड़ापन आदि के आधार पर खोला जाएगा

पंचायत समिति चाकसू के ग्राम अचलपुरा की प्राथमिक शाला

115. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष में चाकसू पंचायत समिति के ग्राम अचलपुरा के लिए एक प्राइमरी स्कूल स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह स्कूल चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

काम के बदले अनाज योजना

116. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सरकार की काम के बदले अनाज योजना को चालू रखने के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

(2) पंचायतों को इस सम्बन्ध में क्या अधिकार दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना को चालू रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति तो केवल मात्र इतनी है कि यह कार्य पंचायतों अथवा विभागीय अभिकरणों के माध्यम से कराये जाते हैं और इन सबका आधार भारत सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा है। भारत सरकार इस वर्ष की नीति तय कर रही है। खाद्यान्न आवंटन की मात्रा अभी तय नहीं हुई है। उसी पर सारा कार्यक्रम और योजना का कार्यान्वयन आश्रित है।

(2) अभी तक पंचायतों को पहले 5 हजार रुपये तक के काम स्वीकृत करने का अधिकार था जो अकाल राहत के विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 7 हजार रुपये तक कर दिया गया है। एक वित्त वर्ष में 3 ऐसे काम प्रारम्भ किये जा सकते थे। इस कार्यक्रम के सन्दर्भ में जो अधिकार दिए गए हैं, उनके सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है जिसकी प्रति संलग्न कर दी गई है।

अभाव स्थिति समाप्त होने पर भारत सरकार से प्रदत्त खाद्यान्न के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन की आवश्यकता व निष्पादन की एजेन्सीज के गुण व दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(पुस्तिका की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पदम सागर पहाड़ी (जोधपुर) पर पार्क निर्माण की योजना

117. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने 5 जनवरी, 1972 को एक प्रस्ताव पारित कर पदम सागर पहाड़ी पर एक पार्क

Page No 35

(35)

(श्री मानसिंह देवड़ा)

बनाने का निर्णय लिया था और न्यास ने प्रस्ताव पारित करने के साथ वर्ष 1972-73 में पार्क के निर्माण कार्य के लिए पांच हजार की राशि भी स्वीकृत कर दी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उप नगर नियोजक ने पार्क का नक्शा तैयार किया और मुख्य नगर नियोजक ने मौका मुआयना करके नक्शे को स्वीकृति दे दी तथा न्यास अभियन्ता ने पार्क निर्माण कार्य का एस्टीमेट बनाया और उसके अनुसार एक ठेकेदार के नाम टेण्डर भी हो गया लेकिन 1972 से अब तक पार्क के निर्माण कार्य के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि सन् 1979 के अप्रेल-मई माह में नगर परिषद्, जोधपुर के प्रशासक और नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से पार्क बनवाने का निर्णय लिया था ?

(4) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास ने पार्क निर्माण हेतु 2 जून, 1979 को 50 हजार रुपये की निविदा जारी की और नगर परिषद् ने 25 हजार रुपये की स्वीकृति देकर 10 हजार का चैक 15 जून, 1979 को न्यास को भेजा है ? यदि हां, तो अभी तक पार्क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उप नगर नियोजन द्वारा पार्क के नक्शे बनाये गये थे। नगर विकास न्यास के अभियन्ता ने पार्क निर्माण का तखमीना बनाया और कार्य विभागीय तौर पर शुरू करने हेतु अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 10-8-79 को आदेश दिये गये। नगर परिषद् द्वारा 10,000/- जमा कराये और 5,000/- न्यास द्वारा दिये गये। इसी के दौरान टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे। परन्तु पूर्ण राशि व सीमेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण व एप्रोच रोड की दुविधा होने से कार्य बन्द करना पड़ा और रेट ऊंची होने के कारण ठेकेदार को कार्य नहीं दिया जा सका।

(3) अध्यक्ष, नगर विकास न्यास ने दिनांक 10-8-79 को पार्क का 15,000/- की लागत का कार्य आरम्भ की स्वीकृति प्रदान की तथा उससे बजट में प्रावधान रखने हेतु आदेश दिया गया।

(4) यह सही है कि नगर सुधार न्यास ने पार्क निर्माण हेतु 2 जून, 79 को 50,000 की निविदा जारी की है और नगर परिषद् ने 25,000/- रु. की स्वीकृति देकर 10,000/- का चैक 15 जून, 79 को न्यास में भेजा है। आंशिक कार्य विभागीय तौर पर शुरू किया गया था। कार्य महंगा होने के कारण व सीमेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य बन्द करना पड़ा। इस दौरान निविदा आमन्त्रित की गई। परन्तु दर ऊंची होने से कार्य ठेकेदार को नहीं दिया गया। इस बाबत प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी रिवाइज्ड स्वीकृति न्यास के विचाराधीन है।

सीकर जिले के अकाल राहत व काम के बदले अनाज योजना की बकाया

118. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (वेगूं)** : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सीकर जिले में अकाल राहत एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत ऐसे कितने काम हैं जो पंचायतों ने पूरे करवा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिये परन्तु जिलाधीश कार्यालय से स्वीकृति न होने के कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है ? कृपया उन पंचायतों के नाम एव बकाया मजदूरी की राशि की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सीकर जिले में अकाल राहत एवं काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसकी मजदूरी का भुगतान जिला कार्यालय की स्वीकृति के अभाव में बकाया हो।

ग्राम पचायतों के राहत कार्य जिला कार्यालय की बिना स्वीकृति चालू कर दिये गये थे तथा स्वीकृत राशि से अधिक कार्य करवा दिये गये हैं उनके नियमन की स्वीकृति जिला कार्यालय द्वारा प्रस्तावित कर दी गई है जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर है।

काम के बदले अनाज योजना के जो कार्य स्वीकृति प्राप्त किये बिना करवाये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'ख' पर है, जिनका मूल्यांकन करवाया जाकर स्वीकृति की कार्यवाही जिला कार्यालय द्वारा की जा रही है। किन्तु भुगतान किसी भी कार्य का शेष नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज्य बुनकर सहकारी संघ

119. श्री बाऊंदयाल जोशी (बीगोद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मण्डल के कब चुनाव हुए थे और वर्तमान में संघ के संचालक मण्डल के कौन कौन–सदस्य हैं ?

(2) संघ का आडिट कब तक का हुआ है ?

(3) संघ के लाभ हानि के 1-7-77 से 30-6-78 व 1-7-78 से 30-6-79 एवं 1-7-79 से 30-6-80 तक के आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(4) संघ की वर्तमान में कितनी हिस्सा पूंजी है ? उसमें राज्य सरकार व सहकारी समितियां की कितनी हिस्सा पूंजी लगी हुई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर के संचालक मण्डल के चुनाव दिनांक 25-2-74 को हुए थे। संचालक मण्डल के वर्तमान सदस्य निम्न प्रकार हैं:–

1. निदेशक, उद्योग विभाग, अध्यक्ष राजकीय प्रतिनिधि
2. उप सचिव, वित्त विभाग, सदस्य राजकीय प्रतिनिधि
3. उप सचिव, सहकारी विभाग, सदस्य राजकीय प्रतिनिधि
4. श्री जगन्नाथ जीतावाला (जयपुर) उपाध्यक्ष; सदस्य समिति के प्रतिनिधि
5. श्री कन्हैयालाल महावर, (टोंक) सदस्य समिति के प्रतिनिधि
6. श्री गंगाराम, बस्सी (जयपुर) सदस्य समिति के प्रतिनिधि
7. श्री गंगाबक्श, जयपुर सदस्य समिति के प्रतिनिधि
8. श्री नानगराम, जयपुर सदस्य समिति के प्रतिनिधि

Page No 37

(37)

(सहकारिता मंत्री)

9. श्री प्रताप, जयपुर, सदस्य समिति के प्रतिनिधि

10. श्री दौलतराम, जयपुर, सदस्य समिति के प्रतिनिधि

11. रिक्त

(2) संघ का 30-6-77 तक आडिट हो चुका है।

(3) संघ के लाभ हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं-

क.स.	अवधि	लाभ (लाखों में)	हानि
1.	1-7-77 से 30-6-78	2.82	–
2.	1-7-78 से 30-6-79	1.42	–
3.	1-7-79 से 30-6-80	सहकारी वर्ष अभी समाप्त ही हुआ है। अतः लेखे तैयार किये जा रहे हैं।	

(4) संघ की वर्तमान हिस्सा पूंजी निम्न प्रकार है :

1. कुल हिस्सा पूंजी रु. 38,01,000.00
2. राज्य सरकार रु. 37,47,000.00
3. सदस्य समितियों का रु. 54,000.00

जालोर का ऐतिहासिक दुर्ग

120. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालोर का ऐतिहासिक दुर्ग पुरातत्व विभाग की देख-रेख में है ? अगर हां, तो पुरातत्व विभाग ने गत 20 वर्षों में दुर्ग के महलों, मन्दिरों एवं अन्य भवनों की मरम्मत पर कितना खर्च किया ? हर वर्ष किये गये खर्च का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि दुर्ग को देखने जाने वालों से कोई प्रवेश शुल्क लिया जाता है ? अगर हां, तो आय का पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। जालोर दुर्ग के महलों, मन्दिरों एवं अन्य भवनों की मरम्मत पर 20 वर्षों में जो कार्य किया गया है उसकी वर्षवार सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(2) जी नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका केशोरायपाटन का कायन हाउस

121. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि 22 जून, 80 को नगरपालिका केशोराय पाटन, जिला बूंदी के बूंदी रोड (पशु बन्दी गृह) कायन हाउस में 280 पशु बन्द किये गये थे ? यदि हां, तो गाय, भैंसे, बैल व अन्य पशु कितने थे ? संख्या सहित विवरण सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह सही है कि 22 जून, 80 को कायन हाउस में बन्दी पशु छोड़ दिये गये?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

यदि हां, तो किस के द्वारा और कब? समय सहित जानकारी देने की कृपा करें।

(3) 27 व 28 जून को नगरपालिका नाका नाव घाट पर एवं कायन हाउस बूंदी रोड पर किस-किस कर्मचारी की ड्यूटी थी और कब से कब तक?

(4) 22 जून, 80 को बन्दी पशुओं, पशु मालिकों द्वारा छुड़ाने पर नगरपालिका को पशुओं पर जुर्माना एवं खर्चे पेटे कितनी राशि प्राप्त हुई है और नगरपालिका कोष में कब जमा हुई, किस के द्वारा जमा कराई गई, चालान संख्या तथा बैंक में किस के द्वारा जमा कराई, पूर्ण जानकारी दें?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, विवरण निम्नानुसार है:–

नाम कर्मचारी जिसके द्वारा छोड़ा गया	कब छोड़े गये	समय
1. गेंद बिहारी शर्मा, सब नाकेदार	25-6-80	5 बजे सायं
2 शिवकरण, नाका गार्ड	26-6-80	3 बजे सायं 5 बजे सायं
3, रामपाल, सब नाकेदार	27-6-80	11 बजे दोपहर
4. शिवकरण, नाका गार्ड	27-6-80	5 बजे सायं
5. गेंद बिहारी शर्मा, सब-नाकेदार	27-6-80	10 बजे रात्रि 11 बजे रात्रि 12 बजे रात्रि

(3) 27 व 28 जून को निम्नांकित कर्मचारियों की ड्यूटी कायन हाउस एवं नाका नाव घाट पर थी:

1. रामपाल 6 बजे प्रातः से 2 बजे दोपहर
2. शिवकरण 2 बजे दोपहर से 10 बजे रात्रि
3. गेंद बिहारी 1 । बजे रात्रि से 6 बजे प्रातः

(4) जुर्माना पेटे 1132/– व खर्च पेटे 6431 कुल 7563/– रु० प्राप्त किये। यह राशि नगरपालिका कोष में दिनांक 1-7-80 को जमा कराने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

नाम कर्मचारी	दिनांक	चालान नं०
1. गोरधन, सब नाकेदार	26-6-80	93
2. ,,	27-6-80	94
3. छोटे खां,	1-7-80	25

यह राशि नगरपालिका कोष में जमा की गई। बैंक में जमा नहीं कराई गई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

भीनमाल चितलवाना मार्ग पर बस सेवा

122. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल-भागल-भीम-निम्बावास-नोहरा-पूनासा, फागोतरा, सारीयाणा, मैलातरा, भूतेल देवड़ा,

(श्री सूरजपालसिंह)

झाब-सेवाड़ा—चितलवाना मार्ग का सर्वे वर्ष 72-73 में हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर गत चार साल से बस आपरेटर हर साल परमिट के लिए आवेदन देते हैं और स्वीकृति मिल जाने के बावजूद भी मार्ग पर कोई बस आपरेटर बस नहीं लगाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) इस मार्ग पर वर्ष 1972-73 से 1979-80 तक किन-किन बस आपरेटर्स को परमिट दिये गये तथा उन्होंने उस मार्ग पर बसें नहीं लगाई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) भीनमाल-पूनासा—झाब-चितलवाना मार्ग पर बस सेवा कब तक शुरू कर दी जायेगी ? निश्चित तारीख बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस मार्ग पर निम्नानुसार अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किए गए:—

दिनांक	अनुज्ञा पत्र
1-1-75	3
21-1-78	4
30-1-79	4
1-2-80	4

उपरोक्त अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद किसी भी प्रार्थी ने इन्हें उठा कर वाहन नहीं चलाया है जिसका मुख्य कारण यह है कि झाब से सेवाड़ा तक रास्ता अधिक रेतीला है।

(3) जिन्हें परमिट दिए तथा उन्होंने इस मार्ग पर बसें नहीं चलाई उसकी सूची संलग्न है।

(4) इस मार्ग पर पुनः दिनांक 19-6-80 को प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्र आने पर प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत किये जायेंगे। यदि कोई आवेदक परमिट प्राप्त नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि 200/- रुपये जब्त करने के अलावा नियमों में बस चलाने हेतु बाध्य करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः बस सेवा शुरू करने की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीयकृत मार्ग

123. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक कितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं और निकट भविष्य में किन-किन मार्गों के राष्ट्रीयकृत किये जाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ राष्ट्रीयकृत जिले के मार्गों पर निजी वाहन भी चल रहे हैं ? अगर हां, तो कहां-कहां और क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में किये गये राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या छः है एवं निगम द्वारा उक्त जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची व जिन्हें राष्ट्रीयकृत करने के प्रस्ताव हैं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 40

(40)

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। राष्ट्रीयकृत मार्गों के कुछ भाग पर निजी वाहन स्वामियों को यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रख कर राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है जो इस शर्त के साथ है कि निजी वाहन स्वामी राष्ट्रीयकृत मार्ग के ऐसे भाग पर न तो यात्री उठायेंगे तथा न ही उतारेंगे क्योंकि निजी वाहन चलाने के लिये जो मार्ग स्वीकृत हैं उनका कुछ भाग राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ओवरलैप करता है। जिन मार्गों पर यह बसें चलती हैं उनकी सूची सलंग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट । 9 देखें)

तहसील जैतारण के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

124. श्री शिवदानसिंह (जैतारण) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ में जो कुएं पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हुए थे उनको सहायता देने का राज्य सरकार ने कार्यक्रम बनाया था? यदि हां, तो तहसील जैतारण में किस-किस गांव में किन-किन व्यक्तियों द्वारा सहायता की मांग की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त सूची में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि किस किस तारीख को भुगतान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बेडकला, गरनीया व लोटोती में बाढ़ के दौरान काफी कुओं को हानि पहुंची थी परन्तु राजनैतिक कारणों से उन गांवों में क्षतिग्रस्त कुओं में एक भी काश्तकार को कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई? इसकी जांच कर क्षतिग्रस्त कुओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भाग संख्या (1) में पूछे गये प्रश्न बाबत ससद सदस्य श्री मूल चन्द डागा द्वारा पूछे जाने पर तहसीलदार जैतारण द्वारा सूची जिलाधीश को भेजी गई थी? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त सरकारी अधिकारी ने कई कुओं के मालिकों को राशि वितरित की है जिनके कुए इस बाढ़ में नष्ट नहीं हुए थे?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ से जो कुएं पूर्ण रूप से नष्ट हुए उनको सहायता देने के लिए कार्यक्रम बनाया गया था। जिन-जिन व्यक्तियों ने सहायता चाही सूची के कॉलम 2 पर नाम पता विवरण ग्राम इत्यादि संलग्न है।

(2) उपरोक्त सूची में दर्ज व्यक्तियों को सहायतार्थ राशि दी गई है। नाम के सामने कालम 3 पर राशि अंकित है तथा वितरण की तारीखों में राशि वितरण की गई है।

(3) यह सही है कि ग्राम पंचायत बेडकला, गरनिया व लोटोती में बाढ़ के दौरान कुओं को हानि पहुंची थी लेकिन जिलाधीश कार्यालय रिकार्ड में ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि सरपंचों द्वारा

(अकाल राहत मंत्री)

राजनैतिक कारणों से इन गांवों में क्षतिग्रस्त कुओं से सम्बन्धित किसी कृषक को राशि स्वीकृत नहीं की गई हो। जिन्होंने सहायता हेतु आवेदन-पत्र पेश किये हैं उन्हें बाद जांच नियमानुसार सहायता दी गई है।

(4) ऐसी कोई सूची तहसीलदार जैतारण द्वारा जिलाधीश कार्यालय में प्रेषित किया जाना विदित नहीं होता है।

(5) यह सही है कि उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त कुओं को सहायता राशि वितरण करने में पाई गई अनियमितताओं के कारण तत्कालीन तहसीलदार जैतारण को निलम्बित किया गया है। जांच कार्यवाही जारी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

उपवैद्य की पुनर्नियुक्ति का प्रकरण

125. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर जिले के कितने उपवैद्य बाड़मेर अथवा अन्य दूर-दराज जिलों में कार्यरत हैं?

(2) क्या अनुसूचित जाति के एक सदस्य श्री मोतीलाल जीनगर, उपवैद्य, बाड़मेर ने वर्ष 1971 में अपनी सेवा से त्याग-पत्र दिया था? यदि हां, तो किन-किन कारणों से? त्याग-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या श्री जीनगर का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया? यदि हां, तो कब तथा इसकी सूचना उन्हें कब दी गई?

(3) अनुसूचित जाति के अथवा अन्य अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को अपने गृह जिले उदयपुर से बाड़मेर लगाना कहां तक न्यायसंगत था?

(4) क्या अनुसूचित जाति के उक्त गरीब कर्मचारी के पुनः राज्य सेवा में लेने के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के कुल 49 उपवैद्य उदयपुर जिले के बाहर कार्यरत हैं। इनमें से 25 उपवैद्य उदयपुर के समीपस्थ जिले भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिले में कार्यरत हैं। बाड़मेर जिले में केवल तीन उपवैद्य उदयपुर जिले के कार्यरत हैं।

(2) जी हां। श्री मोतीलाल जीनगर, उपवैद्य, बाड़मेर ने वर्ष 1971 में अपनी सेवा से त्याग-पत्र दिया था। त्याग-पत्र देने का कारण श्री जीनगर ने स्वयं उनकी पत्नी एवं माता-पिता के अस्वस्थ होना उनके प्रार्थना पत्र में अंकित किया था। त्याग-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। श्री जीनगर का त्याग-पत्र निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर की आज्ञा क्रमांक प्रति2/405/त्याग-पत्र/71/7418-19 दिनांक 15-9-71 से स्वीकृत किया गया एवं त्याग-पत्र स्वीकृत करने की आज्ञा उक्त क्रमांक दिनांक से जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर के माध्यम से श्री मोतीलाल जीनगर को भेजी गई। इसके बाद पुनः आयुर्वेद निदेशालय, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक प्रति1/405/72/15421, दिनांक 6-5-72 के

Page No 42

(42)

(आयुर्वेद मंत्री)

द्वारा उक्त कर्मचारी के आवेदन दिनांक 28-3-72 के सन्दर्भ में त्याग-पत्र स्वीकृति की आज्ञा की प्रति भेजी गई।

श्री मोतीलाल जीनगर के द्वारा दिनांक 18-1-71 को उदयपुर जिले में परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु वर्ष 1971 में ग्राम चुनाव के कारण परिवर्तन पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध था। इस कारण कर्मचारी के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं था। इसके बाद कर्मचारी द्वारा राज्य सेवा से त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया। इस त्याग पत्र को तत्काल स्वीकार नहीं कर कर्मचारी का परिवर्तन बाद में उदयपुर जिले के समीपस्थ लाने की दृष्टि से औषधालय डेचा, (डूंगरपुर) में आदेश क्रमांक प्रति 2/परि /71/3408–10 दिनांक 7-4-71 से किया गया। किन्तु कर्मचारी ने दिनांक 24-1-71 के बाद बाड़मेर अथवा परिवर्तित स्थान डेचा (डूंगरपुर) में न तो ड्यूटी जोइन की और न ही कोई अवकाश आवेदन-पत्र ही प्रस्तुत किये। इस कारण अनुपस्थिति दिनांक 24-1-71 से उक्त कर्मचारी का त्याग पत्र स्वीकार किया गया।

(3) श्री मोतीलाल जीनगर की प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक एफ 2(बी) /66–67/276-777, दिनांक 30-1-67 के द्वारा सब्स्टीट्यूट उपवैद्य पद पर की गई। इसके बाद वर्ष 1970 में कर्मचारी ने एक वर्ष का विभागीय धात्री/कल्पद प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण से वापस आने पर इनका बाड़मेर जिले में पदस्थापन किया गया था।

(4) श्री मोतीलाल जीनगर ने उपवैद्य पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 5–5–77 एवं 26-12–77 प्रस्तुत किये। इन पर विचार करने पर यह पाया गया कि कर्मचारी नियमों में निर्धारित न्यूनतम आयु से अधिक आयु रखते हैं। इस पर उक्त कर्मचारी की अधिक आयु में शिथिलता की शासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई। तदुपरान्त विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त श्री जीनगर का मामला उपवैद्य पद पर नियुक्ति हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। श्री जीनगर केवल मात्र विभागीय एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त है, जबकि यह योग्यता राजस्थान आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम के अन्तर्गत अब मान्य नहीं है। इस कारण चयन समिति द्वारा इनका चयन उपवैद्य पद पर नहीं किया जा सका।

अब राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष का नवीन धात्री/उपवैद्य प्रशिक्षण पुनः प्रारम्भ किया गया है। इस एक वर्षीय धात्री/कल्पद प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थियों को नियुक्ति देने का सरकार विचार रखती है एवं तदर्थ वर्तमान में प्रचलित आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन होने पर ऐसे एक वर्षीय प्रशिक्षित आशार्थियों के मामलों में भी विचार किया जावेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण पर स्वीकृति

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है कि मैंने रूल्स आफ प्रोसीजर के नियम 131 के उप-नियम (5) के अनुसार एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रखा है। Before entering new business ..

श्री अध्यक्ष : यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का समय नहीं है। यों एक दिन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं आता है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज से पांच दिन पूर्व मैंने दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : यों एकदम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं आता।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने, 131 के (5) के अन्तर्गत दिया है। इसमें लिखा है ' (5) The proposed matter shall be raised after the questions and before the list of business is entered upon and at no other time during the sitting of the House."

श्री अध्यक्ष : When it comes before the House it should be asked and not at any time. जब जवाब आयेगा तब वह आयेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया, नन्दलाल मीणा, डाक्टर उजला अरोड़ा, बन्शीलाल पटवा, हीरालाल आर्य व अनंगकुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 10 जुलाई को रात्रि के 9½ बजे उयदपुर स्थित चेतक सर्किल पर एक अभियन्ता श्री शब्बीरअली की सरे आम हत्या कर देने की घटना के विषय में,

(2) श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य विधान सभा की ओर से सी० ए० डी० कोटा द्वारा कैचमेन्ट एरिया मे आने वाले खेतों को लेवल कराये जाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य विधान सभा की ओर से टौंक नगर में अन्धकार, गन्दगी एवं पानी के अभाव के विषय में।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की आशंका के विषय में।

यह प्रस्ताव किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और मात्र आशंका पर आधारित है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के 42 नागरिकों को दुबई में बन्दी बनाने की घटना के विषय में।

इस विषय में अभी हाल ही में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं होने के कारण मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी तथा 4 अन्य माननीय सदस्यों ने राज्य में पी०

Page No 44

(44)

(श्री अध्यक्ष)

एम० टी० की परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को अनिवार्य कर देने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा इस विषय में आज सदन में एक वक्तव्य दिया जावे।

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं दो अन्य माननीय सदस्यों ने दिनांक 10 जुलाई, 1980 को राजस्थान जन-जाति निगम द्वारा संचालित सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को हड़ताल समाप्त हो गई है और अन्य आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

प्रश्न का अपूर्ण उत्तर

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव रूल 57 के तहत दिया है। अध्यक्ष महोदय, वह इस बारे में है कि मेरे एक प्रश्न का जो उप-मन्त्री जी ने जवाब दिया उसमें उन्होंने खण्ड (1) का उत्तर नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, जो उप-मन्त्री सामान्य प्रशासन के हैं उन्होंने जानबूझ कर मुझे जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इसकी आप नियमानुसार सूचना दे दें।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी सूचना दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आपके विशेषाधिकार प्रस्ताव का आप नोटिस दें।

श्री भगवानदास शास्त्री : नोटिस दे रखा है, अध्यक्ष महोदय। मुझे प्रश्न के खण्ड (1) का उत्तर मन्त्री महोदय ने नहीं दिया। मंत्री महोदय ने सदन का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इससे सदन का अपमान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : × ×

श्री अध्यक्ष : आप सभा की कार्यवाही रोक रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज ! अंकित न हो :

श्री भगवानदास शास्त्री : × ×

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर मैंने यह व्यवस्था दी है कि उनको अस्वीकार किया है वह माननीय सदस्य एक-एक करके बोल सकते हैं दो-दो मिनट जैसे कि हमेशा बोलते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कल हमने स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया था कि उदयपुर के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर 144 धारा लागू है। ऐसे विषय की जानकारी के लिए आप छोड़ दें और सदन में नहीं लें तो फिर क्या होगा....

श्री अध्यक्ष : जानकारी मांगी गयी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जानकारी कब आयेगी? जब उदयपुर जल कर राख हो जाएगा तब जानकारी आयेगी? यह महत्वपूर्ण विषय है। कालेज बन्द हैं, होस्टल खाली करा लिये गये है। लॉ-एण्ड आॅर्डर की स्थिति उदयपुर शहर की बिगड़ती जा रही है। वहां पर जूनियर डाक्टर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी है कल को हास्पिटल भी बन्द हो जायेगा। ऐसी स्थिति में क्या यह प्रश्न लोकमहत्व का नहीं है? अन्य विषय आप टाल दें उसका एतराज नहीं है लेकिन यह विषय ऐसा है कि जिसके कारण से उदयपुर में लॉ-एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन खराब हो गयी है। अब और बिगड़ेगी तो उसके लिए यह सदन जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगी। वहां सब पुलिस की गलती की वजह से हुआ है। पुलिस की लापरवाही से हुआ है। वहां पर पुलिस मौजूद थी, नंगी तलवारें लेकर पुलिस के सामने आकर मार कर लोग चले गये लेकिन पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। जिस स्थान पर घटना हुई वहां पुलिस मौजूद थी तो पुलिस को घटना के स्थल पर ही उनको पकड़ना चाहिए। उदयपुर की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। वहां पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह दोषी नहीं थे। दोषी लोग थे वह मारपीट कर चले गए। पुलिस कहती है कि हमने तीन कॉलेज के छात्रों को पकड़ लिया है। इससे तमगा लेना चाहती है। पुलिस की लापरवाही के कारण वहां ऐसी घटनाएं हुई है। आप क्या विद्यार्थियों को कुचल देना चाहते हैं? विद्यार्थियों का दोष तो छोटा सा है, लेकिन पुलिस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि आज से दो महीने पहले मेडिकल कॉलेज में एक डाक्टर की हत्या का प्रयास किया गया। वहां से पुलिस को लड़कों ने धक्के देकर निकाल दिया, पुलिस अब उसका बदला ले रही है। यह बदला लेने की भावना इतने बड़े अधिकारियों में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि विद्यार्थियों ने अपमान किया हो। उदयपुर में लॉ-एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। पुलिस की गलती के कारण लॉ-एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है। जो हास्पिटल के बैड्स पर बीमार पड़े हुए थे उनको विद्यार्थियों ने पुलिस के अधिकारियों के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बेहोशी की हालत में पीटा। पुलिस के जवान बाहर खड़े थे, वह देखते रहे....

एक माननीय सदस्य : धीरे बोलें। कुछ सुनाई तो दे।

(व्यवधान)

श्री सी० पी० जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या बोल रहे समझ ही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : यही बातें आप शान्ति से और अच्छी तरह से कह सकते थे। आप तो एकदम आग बबूला हो गए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना है कि इस पर चर्चा करने के लिए विधान सभा की कार्यवाही स्थगित होनी चाहिए। नहीं तो फिर स्थगन प्रस्ताव का क्या मतलब है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने आज ही पत्रिका को समाचार देते हुए कहा है कि उदयपुर नगर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिलकुल बिगड़ी हुई है। पुलिस अगर चाहती तो यह दुखद घटना उदयपुर में नहीं घटती। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा वर्तमान मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ही कह रहे हैं कि कानून और व्यवस्था उदयपुर में नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप कौन से विषय पर बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज!

(व्यवधान)

ऑर्डर। ऑर्डर। कटारिया जी को और कुछ इस सम्बन्ध में कहना है?

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्रीमती विद्या पाठक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जब स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो सवेरे 9.1 बजे यहां देना पड़ता है। 6-8 रुपये कनवेयेन्स के या रिक्शा के लगा कर यहां आते हैं या उसे पहुंचाने के लिए और कोई व्यवस्था करनी पड़ती है।

श्री मालाराम : हम भी ऐसा ही करते थे।

श्रीमती विद्या पाठक : वह सारे प्रश्न तुरन्त महत्व के होते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्रीमती विद्या पाठक : उस पर व्यवस्था यदि दो चार दिन बाद आती है तब तक इवेन्ट्स डिफरेन्ट हो जाते हैं, तब तक न्याय या अन्याय जो कुछ होना होता है वह हो चुका होता है। इस तरह की घटनायें रोज घटती जा रही हैं इनको रोका जाये और इसके उपर प्रतिबन्ध लगाया जाये। यहां हम लोग स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर देते हैं, उस पर कार्यवाही दस-दस दिन बाद की जाये तो न्याय या अन्याय जो होना होता है वह हो चुका होता है। इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी अभियुक्त हैं उनको नहीं पकड़ कर, छुरा दिखाने वालों को नहीं पकड़ कर पिस्तोल बनाने वालों को पकड़ा जाये और इस तरह से प्रश्न को डाइल्यूट किया जाये तो यह तो जनता के साथ और हम लोग जो चुन कर आये हैं, के साथ अन्याय होगा। यह तो न्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि ज्यों ही इस तरह की कोई घटना की सूचना

(श्री अध्यक्ष)

आती है राज्य सरकार से जानकारी लेते हैं। इसमें भी 11.40 पर जानकारी प्राप्त हुई है। आप जानते हैं मैं प्रश्नों में व्यस्त था। मैं देखता उसके पहले ही आपने सब कुछ कह दिया। उचित तरीका यह होता कि मैं उसको देख लेता, जरूरी समझता तो राज्य सरकार से उत्तर दिला देता। इतना विवाद खड़ा करने की जरूरत क्या थी। थोड़ा धीरज रखिये। सब कुछ ठीक होगा। आपको अवसर दे दिया जायेगा जितने सारे दूसरे विषय हैं वह ले लेते हैं।

स्थगन प्रस्ताव पर
सरकार द्वारा दी गई गलत जानकारी

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन की कार्यवाही में बराबर विश्वास विरोधी दल के कथन पर करें या दूसरी तरफ से जो भी आये उस पर, भी विश्वास रहे यह आधारभूत शिला है हमारे जनतन्त्र की। कल एक दुर्घटना, जो कि अलवर के समीप नलदेश्वर नाले के पास बस की हुई, के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि उसमें बचाव कार्य के लिए और राहत कार्यों के लिए मिलिट्री का उपयोग किया गया और मिलिट्री से सहायता ली गयी और उनके ही दल के एक माननीय सदस्य ने तुरन्त ही उसका खण्डन किया ....

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह बात कल ही समाप्त हो चुकी थी। आज फिर चालू हो गयी।

श्री राजबहादुर : मुझे कहा गया था आपके कार्यक्रम और नीति का सवाल है। आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत से महत्वपूर्ण विषय रह गये हैं। इस तरह की बातें दोहराना केवल मात्र सदन का समय नष्ट करना है। आज बहुत से काम निपटाने हैं। क्योंकि आज का ही समय है इसलिए अन्य विषय लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं यही कह रहा हूं कि बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(व्यवधान)

इसमें आप क्या चाहते हैं? और गलत उत्तर दिया है तो नियमों में प्रावधान है। विशेषाधिकार का हनन हुआ है, गलत बयानी की है तो उसके बारे में सूचना दे दें।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मेरी बात पूरी सुन लें।

आपकी व्यवस्था यह भी होनी चाहिये कि मंत्री महोदय जानबूझ कर गम्भीरतापूर्वक एक स्टेटमेंट दें उसमें गलत सूचना सदन को दें Then he goes scott-free. या कम से कम minimum apologise to do his job.

श्री अध्यक्ष : उसकी सूचना तो आनी चाहिये नियमानुसार।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मंत्री महोदय से माफी मंगवाने की नियत से कह रहे हैं। माननीय सदस्य बिल्कुल गलत कह रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी जब मैं चेम्बर में जाऊंगा इस पर विचार कर के व्यवस्था दूंगा।

श्री राजबहादुर : जो सूचना सदन में दी जाये, सही दी जाये उनके दल के सदस्य ही कह रहे हैं कि गलत है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद !

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : आन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर, सर।

मैंने आज 9 ।। बजे से पहले एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। उसको पढ़ा नहीं गया और न ही उस पर व्यवस्था की गई।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आ गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहां ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जिक्र नहीं होता। स्थगन प्रस्तावों का ही जिक्र होता है। आपका प्रस्ताव नियम 131 में था। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में आप कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह !

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय कल मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में गांव फींच में दिन के करीब 1½ बजे 25-30 एक परिवार के समूह ने 3,4 आदमी, जो हमारे खेत में काम कर रहे थे, खेत में जाकर उन लोगों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर हथियारों से लैस होकर खेतों में गये, जहां वे काम कर रहे थे और उन्हें ललकार कर बुरी तरह दो तीन किलोमीटर तक उनके पीछे दौड़ा कर जैसे हिरण और खरगोश का शिकार करते हैं वैसे मारपीट की। बहुत बुरी तरह से उनको मारा, तीन आदमियों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इससे पहले जो एक आदमी मरा उसके पिता भानाराम की मृत्यु हुई उस वक्त भी कत्ल 5, 6 महीने पहले उस गांव में इन्हीं लोगों की साजिश से किया गया था।

एक माननीय सदस्य : कौन लोग थे ?

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, गांव में भयंकर आतंक है और मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो कुछ उस गांव के अन्दर कार्यशाही हुई वह घिनोनी हरकत है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आज इस प्रजातंत्र के अन्दर जो व्यक्ति अपने घर या खेत में काम करे उसके पीछे दौड़ा कर इस तरह एक तरह जानवर की तरह शिकार कर दिया। किसी तरह की वहां सैफ्टी नहीं है। और लोगों को पकड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज से एक महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री और अन्य अधिकारीगण को भी आगाह कर दिया था कि चुनाव के अन्दर मेरे क्षेत्र के अन्दर 5,6 जगह अप्रिय घटनायें हुई। आज यह भी बताना उचित समझता हूं कि राजस्थान के एडीशनल आई. जी. पी. साहब, जिनका बहुत बड़ा संगठन है और यह उनकी है, उनकी मिलीभगत से ही ऐसी घिनोनी हरकत हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा कि वह लोग जो इसमें शरीक थे 20, 25 व्यक्ति जिन्होंने अपने ट्रैक्टर पर, अपनी जीपों और मोटर साइकल पर उनके खेतों में गये और जो एफ. आई. आर. है, परन्तु उसको मैं नहीं जानता कि कौन-कौन व्यक्ति थे लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि आज से पहले अपना विधानसभा सत्र

(श्री रामसिंह विश्नोई)

शुरू हुआ था उस वक्त माननीय जो, हमारे हत्यारे हैं वह लोग इस विधान सभा में भी आये थे और जो एफ. आई. आर. होगी और जो यहां पर पास होंगे उनसे मालूम हो जायेगा कि उनकी मिली भगत कितनी थी और किससे सलाह मशवरा के लिये यहां पर क्यों आये थे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की अप्रिय घटना फिर नहीं हो। गांव के अन्दर आतंक है और मैं यह भी चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच हो किसी उच्च अधिकारी के द्वारा हमें कोई एतराज नहीं है, जो वहां पर मौजूद अधिकारीगण हैं लेकिन एक एडीशनल आई.जी.पी. बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है वह बहुत ही तिकड़मबाज व्यक्ति है जिन्होंने पिछले दो माह के अन्दर जो भी कार्यवाही की है, वह आपके सम्मुख है। इसलिये उनके प्रभाव में आकर कहीं न्याय का गला न घुट जाये। जो हत्यारे हैं वह छूट नहीं जायें। एक गरीब आदमी का परिवार है वह बिलकुल स्वाहा हो गया। तीन चार आदमियों की इस तरह मौत हो गई। परिवार के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूं और मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करूंगा की निष्पक्ष अधिकारी को भेजकर, वहां पर उच्च अधिकारी को भेज कर जांच करवायें और जो हत्यारे हैं उनको सजा दिलवायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की घटना का उल्लेख किया गया है यह अपने आपमें बहुत गम्भीर है इस घटना के मुझे पूरे तथ्य तो मालूम नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जिस प्रकार की जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं की माननीय सदस्य ने जिस रूप में इस मामले को रखा है उससे भी गम्भीर घटना है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस दुघर्टना के संबंध में तुरन्त वक्तव्य दें जिससे सारे सदन को पता चले।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं पूरे तथ्य आ जायें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट तो आ गई है। वह ही बता दें। मामला बहुत गम्भीर है। मुझे सन्देह है कि इस मामले में सरकार ने यदि हस्तक्षेप नहीं किया तो ला एण्ड आर्डर इस क्षेत्र में काफी खराब होगा। इसलिये जो अब तक तथ्य सामने आये हैं, वह सरकार सदन में रख दें तो सारी स्थिति का ज्ञान हो जाये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अभी समाचार पूरे नहीं आये हैं। सदन स्थगित होने से पहले ही वक्तव्य दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक हरिजन को मार कर सीकर के पास फेंक दिया। दो हरिजनों की हत्या और हुई। तीन हत्याएं हुई हैं। मामला बहुत गम्भीर है....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर सरकार से आ गया है, थोड़ी देर बाद में व्यवस्था दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा भी एक प्रस्ताव था ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके बारे में सरकार का उत्तर क्या आया ? सरकार इसकी जानकारी दे दे उसके बाद आप ग्राहता के बारे में निर्णय ले लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी देखा भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ने तो देखकर भेजा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, तारीख 10 को कोटा कॉलेज में जो लाठी चार्ज हुआ है उसके बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपने फर्माया था कि उसकी जानकारी मंगा रहा हूं। श्रीमन् मेरा निवेदन है कि जानकारी नहीं आई इसका मुझे बड़ा खेद है।

दूसरा मेरा निवेदन है जिले में जो महत्वपूर्ण मृत्यु हुई है उसके बारे में भी व्यवस्था दी थी कि जानकारी मंगवा रहे हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था और आपने कहा था कि जानकारी मंगवा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यदि रक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी तो उसके परिवार को खतम कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी आ जाने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा था जयपुर में दो दलों के आपसी झगड़े के बारे में। आपने व्यवस्था दी थी कि मुझे आज समय देंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मुझे जवानी तो याद नहीं रहता है मैंने कब और क्या कह दिया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था ....

श्री अध्यक्ष : इत्तला आ रही है। मैं चेम्बर में जाकर अध्ययन करके बाद में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहां कभी नहीं पढ़े जाते हैं, केवल स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जाती है। आपको मालूम है जिस स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते हैं उसके लिये यहां दो-दो मिनिट बोलने की इजाजत दे दी जाती है और जिसके लिये जानकारी के लिये कहते हैं तो सरकार से जानकारी आने के बाद ही उस पर कुछ कहा जाता है और तब तक उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। कभी आवश्यकता होती है तो स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य भी दिलाया जाता है।

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कल आपने व्यवस्था दी थी उसमें जानकारी मंगाने की बात कही गई थी।

श्री अध्यक्ष : इसकी भी जानकारी आ गई है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो मोशन मूव किये थे एक तो नियम 127 में और एक नियम 119 में....

श्री अध्यक्ष : उन पर नियमानुसार कार्यवाही हो रही है। सरकार से कन्सेन्ट तो लेनी पड़ती है....

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय मैंने सांगानेर में आतंक फैलने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव कल दिया था....

श्री अध्यक्ष : उसकी भी जानकारी आ रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बता दीजिये कि बाज़ार खुल गया क्या ?

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने कहा था कि जानकारी मांगी जा रही है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ज्यों ही जानकारी आती है व्यवस्था दे दी जाती है। यदि जानकारी 11 बजे पहले आ जाती है तो सामान्यत: उसी दिन व्यवस्था दे दी जाती है। यदि 11-00 बजे बाद जानकारी आती है तो वह मुझे बाद में चेम्बर में मिलती है। उस पर अगले दिन व्यवस्था होती है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार की नियत पर शंका है।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद टोंक नगर में अन्धकार, गन्दगी एवं पानी के अभाव के बारे में बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक): अध्यक्ष महोदय, टोंक शहर एक ऐसा शहर है जिसमें 40 पर्सेण्ट माइनोरिटी के लोग रहते हैं और 30 पर्सेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। सरकार की यह नीति रही है कि इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। हरिजनों के सिर पर जो मैला ढोने की प्रथा है, उसको दूर किया जाय। परन्तु सारे टोंक शहर में न तो नालियां हैं, न सड़कें हैं और जगह-जगह गन्दगी के ढेर पड़े रहते हैं। पिछले दिनों 20 मौतें बीमारी के कारण हुई हैं। वहां पर 1300 बिजली के पाइन्ट्स हैं लेकिन उन 1300 में से केवल 300 पाइन्ट्स ही जलते हैं और सारा शहर अन्धकार में रहता है जिससे मोहल्लों में जा नहीं सकते हैं और जाते हैं तो कुत्तों के काटने का डर रहता है। अध्यक्ष महोदय, कई लोगों को कुत्तों ने काट खाया है। इस प्रकार की स्थिति टोंक में है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टोंक नगरपरिषद के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि कुछ व्यवस्था हो सके और अन्धकार को हटाने के लिये बल्ब भी खरीद सकें।

वहां पर दो-दो मील पर कब्रिस्तान और श्मशान बने हुए हैं उनमें लोगों को भयंकर कीचड़ में होकर जाना पड़ता है। यह एक विचित्र स्थिति है जो मैं समझता हूं राजस्थान के किसी शहर में नहीं होगी। वहां से मंत्री महोदय भी चुनाव लड़ चुके हैं मैं समझता हूं उनको मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा। टोंक जो शहर है, उसमें भयंकर गन्दगी है यहां तक कि कई वार्डों में तो पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, न बिजली की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। सारा शहर गन्दगी और अन्धकार में डूबा हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि टोंक शहर की तरफ ध्यान दीजिये। कोई ऐसी शीघ्र व्यवस्था कीजिये जिससे गन्दगी दूर हो और शहर में समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो जाय ताकि लोग शान्ति और आराम से रह सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। राज्य में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की आशंका के विषय में बोलेंगे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी आपने कहा बाढ़ की

(श्री नाथूसिंह)

आशंका के विषय में कहेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ की आशंका कभी-कभी शंका में भी बदल जाती है। राजस्थान का एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है जब बाढ़ न आई हो। कभी हमारे राजस्थान में अतिवृष्टि होती है तो कभी सूखा होता है, और कभी भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ में राजस्थान को कितना नुकसान हुआ है वह बता रहा हूं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ आने के पश्चात् बाढ़ रोकने की कार्यवाही होती है। जब प्यास लगती है तो कुआं खोदा जाता है अध्यक्ष महोदय, प्यास लगने के पहले ही कुआं खोद लिया जाना चाहिये जिससे उसका उचित लाभ भी मिल सके। अभी जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि बाढ़ तो आई ही नहीं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

समझदारी तो इसी में है कि आप शान्ति पूर्वक सुनें। न तो मैं आपके भाषण के बीच में बोलता हूं और नहीं कभी डिस्टर्ब करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब हर वर्ष बाढ़ आती है तो फिर उसका स्थायी हल क्यों नहीं निकाला जाता है जिससे बाढ़ हमेशा-हमेशा के लिये खतम हो सके? जब बाढ़ आती है तो जान की हानि होती है, माल की हानि होती है, पशुओं की हानि होती है, मकान गिर जाते हैं, खेत उजड़ जाते हैं— इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी काफी नुकसान होता है।

अध्यक्ष महोदय, सन् 1979 में जो नुकसान हुआ है उसके आंकड़े देना चाहता हूं। यों तो पहले भी बाढ़ से नुकसान होता रहा है लेकिन सन् 1979 में जो बाढ़ आई, उससे 125 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अलग–अलग किस–किस प्रकार नुकसान हुआ है, मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं....

(12.38 म. प.)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

सिंचाई विभाग के बांध, तालाब एवं नहरों की क्षति 380.30 लाख रुपया, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग की पानी की लाइनों की क्षति 368.13 लाख रुपये, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों एवं भवनों की क्षति 764 लाख रुपये, विद्युत् बोर्ड की लाइनों को नुकसान 300 लाख रुपये, नगर विकास न्यास और नगरपालिकाओं को क्षति 125 लाख रुपये, शिक्षण संस्थाओं व अन्य राजकीय भवनों को क्षति 106 लाख रुपये, बाढ़ बचाव कार्य को क्षति 14 लाख रुपये। इस तरह अध्यक्ष महोदय, कुल 2057.43 लाख रुपये की क्षति बाढ़ के कारण राजस्थान में हुई है। यह तो सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, इसके अलावा निजी सम्पत्ति का 8631 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। यह सरकारी और गैर सरकारी नुकसान है और जो हमारे यहां केन्द्रीय कार्यालय हैं उनका नुकसान अलग है। कुल मिलाकर सरकार की ओर से 108 करोड़ की क्षति आंकी गई है लेकिन जो वास्तविक नुकसान हुआ है वह 125 करोड़ का हुआ ।

(श्री नाथूसिंह)

इसके पश्चात् राजस्थान में केन्द्रीय सरकार का एक अध्ययन दल यहां आया और उसने अध्ययन करने के पश्चात् रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने कहा है कि 125 करोड़ का नुकसान हुआ है लेकिन सहायता के नाम पर भारत सरकार ने बहुत कम सहायता दी, केवल 10 करोड़ 10 लाख की सहायता दी तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि बाढ़ आने वाली है, बरसात चालू हो गई है, यदि अभी भी सरकार कानों में तेल डाल कर सो गई और जागरूक नहीं रही तो अचानक बाढ़ आने से व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इस समय बरसात शुरू हो गई है बरसात का मौसम शुरू हो गया है इसलिए अभी से सरकार सजग रहे।

मेरा एडजोर्नमेंट मोशन को लाने का ध्येय और उद्देश्य था वह यही है कि हर वर्ष बाढ़ के कारण राजस्थान का बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिये सरकार अभी से बाढ़ से बचाव का प्रयत्न करे। इस समय जो केन्द्रीय अध्ययन दल की जो रिपोर्ट है सरकार उसको पढ़े। कृषि मंत्रीजी ने गत वर्ष कहा था उसके अनुसार उसको पढ़े और उस रिपोर्ट पर विचार करके केन्द्रीय सरकार को अभी से लिखें ताकि बाढ़ की पहले से ही व्यवस्था हो सके। इसके लिए केन्द्रीय सरकार अधिक राशि, अधिक सहायता दे। दूसरा अभी से सरकार इस पर सजग रहे एक समिति बनाये हाउस की। हो सके तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाउस की एक कमेटी बनायें जो स्टडी करे बाढ़ के मसले की और इस पर अपनी रिपोर्ट तुरन्त दे कि बाढ़ की समस्या का क्या स्थायी हल निकाला जा सकता है। बाढ़ हर वर्ष आती हैं। हर वर्ष नदी नाले की बाढ़ से बांध टूटते है। सड़कें टूटती हैं, बाढ़ के कारण। इसलिए इसकी स्थायी व्यवस्था के लिए एक समिति बनाएं जो इस पर अपनी रिपोर्ट दे और उस पर सरकार....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कार्यवाही करें। मेरा निवेदन केवल यही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस सरकार को कि बाढ़ आने वाली है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अभी से इन्तजाम नहीं किया गया तो बाढ़ से होने वाले नुकसान और बाढ़ को रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो राजस्थान में भारी संख्या में आदमी मरेंगे, पशु मर जायेंगे और यहां की सम्पत्ति का नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से विशेष तौर पर ध्यान देकर कार्यवाही करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आज हाउस एडजोर्न होने वाला है, आज के बाद पता नहीं कब विधान सभा की बैठक बुलायेंगे। इसके बीच में यदि बाढ़ आ गई तो सब के सामने दिक्कत हो जाएगी....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसलिए आप तुरन्त आज ही कमेटी बनायें, हाउस की कमेटी बनायें और अपने अधिकारियों को सजग करें। युद्ध स्तर पर बाढ़ की ओर बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अभी से कार्य चालू करें।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी ! राजस्थान के 42 नागरिकों को दुबई में बन्दी बनाए जाने के सम्बन्ध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, मैं यह प्रश्न उठाना भी नहीं चाहता था, न इसको राजनैतिक आधार पर उठाना चाहता हूं और न मेरी इस प्रकार की कोई मंशा है। ऐसे ही प्रश्न पर आसन के द्वारा पिछली बार व्यवस्था हुई थी लेकिन यह अलग से मामला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि एक पत्र दुबई से आया है इसके अन्दर लिखा है 42 आदमी सीकर जिले के, दांता रामगढ़ के हैं, नारायणसिंहजी विधायक हैं उनके क्षेत्र के बहुत से लोग हैं उन लोगों को पहाड़ों में बन्द कर दिया गया है। इन लोगों में 36 हिन्दू लोग हैं और बाकी पाकिस्तानी और दूसरे लोग हैं जिनको बन्दी बना दिया गया है, उनके साथ रोज मारपीट हो रही है, उनसे सुबह से रात 12 बजे तक काम लिया जा रहा है। उनको खाने पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। यह पत्र वहां से आया है। अगर आसन की इजाजत हो तो मैं पांच सात लाइन का यह जो पत्र है आपके सामने इसको पढ़ कर सुना दूं।

'आदरणीय माताजी पिताजी, प्रणाम।

आगे समाचार यह है कि हम राजस्थान के कुल 41 आदमी हैं, सभी बहुत तकलीफ पा रहे हैं। हम अपनी जगह पर बहुत दुखी हैं। आप तो अपनी जगह पर भगवान की दया से राजी खुशी से ही होंगे। हम 41 आदमियों की मारपीट हो रही है। काम का कोई समय नहीं है जब चाहता है उसी समय काम करवाता है और दिनांक 29-5-80 को हम सभी की मारपीट हुई थी और हमें अलग करके पहाड़ों में गेर दिया है और अब भी मारपीट के साथ काम करवाता है। 29-5-80 को हमारी ऐसी मारपीट की गई कि हम सभी उठ कर पानी भी नहीं पी सकते। हमें 2 दिन पुलिस के हवाले रखा और फिर वापस पहाड़ों में ले गया। आप इस पत्र के पहुंचते ही कोशिश करके हम को बुलाओ वरना हम सभी 41 आदमी जिन्दा नहीं आ सकेंगे। यह कम्पनी पाकिस्तानी है। ठेकेदार गुलाम-सरवर बहुत ही खराब आदमी हैं। हम 41 आदमियों के अलावा यहां पर सब पाकिस्तानी हैं। 36 आदमियों में सीकर जिले के ज्यादा हैं इनमें 1. बजरंगलाल बानूड़ा, 2. गोपीराम अचरा की ढाणी 3. मेवाराम चारसवास, 4. गुलाराम घाटवा, 5. जयरामजी दांता 6. सियारामजी दांता, 7. बालजी दांता, 8. रामेश्वर दांता, 9. भंवर दांता, 10. भंवरदांता, 11. दुलीचन्द दांता, 12. टोमा-राम, 13. रामेश्वर बाय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी सूची मिल गई है आसन को।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अभी दो मिनिट में पढ़ देता हूं।

14. पेरखर दांता, 15. भगवानजी गांगलस, 16. गोपाल बाय, 17. बनवारी-बाय, 18. रामेश्वर जोधा का वास, 19. कछनाथ कोछोर, 20. मोहन दांता, 21. गुलाम सीकर, 22. मोतीदीन रानोली आदि। बाकी हम सभी को अलग-अलग जगह पहाड़ों में डाल दिया है सभी नाम हमें याद नहीं हैं। यह ठेकेदार हमें एक जगह मिलने भी नहीं देता है। हमारे पास किसी के पास भी एक भी पत्र नहीं आया है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शायद आपका पत्र हमें यहां से लोग देते नहीं हैं। पहुंचने वाले पत्र में हमारे सभी के नाम होंगे आप देख लेना जी। हम सभी अपनी जगह पर तकलीफ पा रहे हैं। आप इन्दिरा गांधी को हमारी अर्ज पहुंचा कर हमें इंडिया वापस बुलाओ या हमारी कम्पनी बदलवाओ। यदि दोनों में से एक काम नहीं हुआ तो हम जिन्दा नहीं आ सकेंगे। कजोड़मल दांता वाले ने हमें पैसे लेकर पशुओं की तरह से बेच दिया है। उसे पुलिस में देना है। हमें यहां एक भी पैसा नहीं मिलेगा। भाई गणपतिराम आप हीरालाल खाती व मोहनदासजी बाबाजी तीनों मिल कर हमें कोशिश करके या तो कम्पनी बदलवाओ या हमें वापस बुलाओ। जिन्दा आ गए तो हमारा खर्चा हम आपको दे देंगे। अब तक डेढ़ महीना के अन्दर हमें न तो समय पर खाना देता है और न पानी। भाई आपको कितनी कोशिश करनी पड़े आप हमारी अर्ज सुन कर हमें बचाओगे। या तो ऊपर भगवान है या आप। यदि हमारा काम हो जावेगा तो हम आपको भगवान के बराबर समझेगें। हः गोपीराम।"

अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के कम से कम 7हजार आदमी इस समय दुबई में काम कर रहे हैं। एक करोड़ रुपये हर महीने सीकर में बड़ोदा बैंक में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सीकर और झूंझूनू जिले के बहुत से लोग वहां रह रहे हैं। बहुत से लोगों का तो पता ही नहीं है जिनको वहां बन्दी बना लिया गया है वहां से बहुत से ऐसे पत्र आ रहे हैं जिनमें लिखा है कि इस माह रोजे के दिनों में उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। वे लोग वहां स्नान तक नहीं कर सकते, उनको कहा गया है कि जो लोग दुबई में रहेंगे उनको रोजे करने पड़ेंगे, उनको दिन में पानी नहीं दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है जो राजस्थान के लिए बहुत ही सोचनीय है।

मैं यह जानता हूं कि यह केन्द्र का विषय है फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान के नागरिकों के जीवन का प्रश्न है। आज वहां वह काम करके विदेशी मुद्रा कमा कर भेज रहे हैं जिससे हमारे देश को तेल खरीदने में सुविधा हो रही है। एक करोड़ रुपये सीकर में प्रति माह की आमदनी होती है। लेकिन उनकी पशुओं की सी हालत हो गयी है। उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको बन्धक बनाया जा रहा है। जब ईरान में अमेरिका के लोगों को बन्धक बना लिया तो अमेरिका ने बहुत बड़ी कार्यवाही की। हमारे तो फिर भी सभी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। इसलिए मैं इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी केरल के नागरिकों, नर्सों के बारे में सवाल आया था तो उस सम्बन्ध में केरल विधान सभा में प्रस्ताव आया और उसे स्वीकार करके केन्द्र सरकार के पास भेजा गया था। यह मामला हालांकि भारत सरकार से सम्बन्धित है लेकिन हमारे राजस्थान के नागरिकों का प्रश्न है। यह मामला सरकार के सामने रखा गया किन्तु सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की हैं। उन लोगों का जीवन खतरे में है। हजारों आदमी इसी तरह से वहां काम कर रहे हैं। उन लोगों के मन पर क्या बीत रही है, यह वही जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता का विषय है। यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है बल्कि एक मानवीय प्रश्न है इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी

माननीय मुख्य मंत्री अपने प्रभाव का प्रयोग करके विदेश मंत्री को यह कहें कि उनके जीवन की रक्षा सरकार करे या कम्पनी चेंज करायें। कुछ लोगों को टूरिस्ट वीसा के नाम पर भेजा जाता है। लोग भारत सरकार से टूरिस्ट के नाम पर वीसा लेकर भेज देते हैं आदमियों को। इस प्रकार के बड़े स्कैन्डल हो रहे हैं, उनके बारे में राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये। वहां जाने वाले लोगों को वीसा दिये जाते हैं, आने वाले लोगों को वीसा दिये जाते हैं, इस समय वहां के करीब 7 हजार आदमी हैं जिनका जीवन खतरे में हैं। सीकर के 10 हजार आदमी हैं। राज्य सरकार वीसा देने की सरकारी व्यवस्था करे ताकि जो आदमी जेवर बेचकर 8–8 हजार रुपये लेकर जाते हैं उनके साथ धोकाधड़ी न हो और उनके साथ मारपीट न की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको टूरिस्ट बनाकर भेज दिया जाता है। वहां पर नौकरी करते हैं उनके पास वापस आने का पैसा नहीं होता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर व्यक्तव्य दे. छोटा सा एक स्टेटमेंट दे और राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को लिखा जाय की 42 आदमियों, जो राजस्थान के हैं, को बन्धक बनाया गया है, उन लोगों की किसी प्रकार सुरक्षा की जायगी।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य-मन्त्री इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे अन्यथा इस मामले को लेकर सीकर जिले के लोगों में भयंकर असन्तोष फैलने की सम्भावना है।

श्री सभापति : श्री गुलाबचंद कटारिया!

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, उदयपुर में दिनांक 11 से आज तक जो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, उस पर मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया है। श्रीमन घटना एक मामूली सी बात को लेकर....

श्री सभापति : आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपको अभी बोलना नहीं है वह तो आया नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस पर आज चर्चा होने वाली थी।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय इस पर व्यवस्था देंगे। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, मैंने दिनांक 11 को सीमेन्ट की राजस्थान में भयंकर कमी के बारे में एक प्रश्न उठाया था। जो सूचना दी गयी और उसके उतर से सन्तुष्ट नहीं होने पर मैंने आधा घण्टा की चर्चा के लिए आपके सामने एक प्रस्ताव दिया था, नियम 49 के अन्तर्गत।

श्री सभापति : वह अभी विचाराधीन है आसन के। आप स्थान ग्रहण करें।

दल का गठन

प्रतिपक्ष दल की मान्यता की घोषणा

मैं, सदन को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा उस पार्टी के नेता श्री भैरोसिंह को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है।

(श्री सभापति

दलीय स्थिति

श्री रामधन द्वारा कांग्रेस (आई) पार्टी की सदस्यता ग्रहण

मैं, सदन को सूचित करता हूं कि श्री रामधन निर्दलीय सदस्य, विधान सभा ने कांग्रेस (आई) पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली हैं वे अब सदन में कांग्रेस (आई) दल के साथ बैठेंगे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सचिव,

सदन पटल पर रखे गये पत्र

समिति का प्रतिवेदन

पुनर्गठित अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पंचम प्रतिवेदन

श्री सचिव : महोदय, मैं, पुनर्गठित अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1979-80 का पंचम प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(यह प्रतिवेदन गत विधान सभा के अध्यक्ष को उसके विघटित होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रक्रिया के नियम 205 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन व परिचालन के आदेश दे दिये गये थे।)

श्री सभापति : श्रीमती कमला, कृषि मंत्री, राजस्थान भूमि विकास निगम का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेगी।

प्रतिवेदन

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि विकास अधिनियम, 1975 की धारा 38 की उपधारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1978-79 सदन की मेज पर रखती हूं।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों एवं चेतक ब्राण्ड कापियों की अनुपलब्धि

श्री सभापति : मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, शिक्षा मंत्री, राज्य में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों एवं चेतक ब्राण्ड कापियों के न मिलने के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) (1) नियंत्रित दर के कागज की कापियों की स्थिति:- कापियों के लिये निर्धारित दर का सस्ता कागज भारत सरकार से एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। जुलाई, 79 से जून, 80 तक राज्य सरकार की कापियों के लिये 4721 टन कागज की मांग की थी जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने केवल 2990 टन कागज आवंटित किया जिसमें से भी 2075 टन कागज ही प्राप्त हुआ। 915 टन कागज, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में हड़ताल के कारण, ओरियन्ट पेपर मिल में हड़ताल के कारण, ओरियन्ट पेपर मिल का कागज सोन नदी में पानी की कमी के कारण बन्द होने से तथा राजस्थान हेतु उचित संख्या में रेल्वे वेगन उपलब्ध न होने से प्राप्त नहीं हो पाया। इसी प्रकार जितनी कागज की मांग की गई थी उससे भी आधा न मिलने के कारण कापियों की कमी रही। राज्य सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि जो भी कागज हमें उपलब्ध है उसकी कापियां रजिस्टर्ड कापी निर्माताओं से बनवाकर शिक्षा विभाग के द्वारा सीधे छात्रों को निर्धारित संख्या में बंटवाई जावे तथा इसकी खुली बिक्री को पूर्णतया रोक दिया जावे ताकि कापियों की कालाबाजारी न हो सके।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

तदनुसार मण्डल के विभिन्न वितरण केन्द्रों पर 64 पेज की 48 लाख कापियां, 96 पेज की 28.55 लाख कापियां तथा 192 पेज की 5.51 लाख कापियां उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहां से इन कापियों को स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्धारित योजना के अनुसार दी जा रही है। इस प्रकार उपलब्ध कागज का सही उपयोग करने के लिये राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। कागज की कमी की पूर्ति के लिये राज्य सरकार निरन्तर सचेष्ठ रही है। राज्य सरकार ने जुलाई 1979 से जून 1980 तक के लिये नियमानुसार कापियों के लिये 4721 टन कागज का अपना मांग पत्र भारत सरकार को अप्रेल 1979 में प्रेषित कर दिया था। इस सम्बन्ध में पहली तिमाही की मांग जो 1030 टन की थी, के विरुद्ध हमें 7 जून को केवल 600 टन कागज ही प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को तुरन्त 18 जून, 1979 को अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखा गया। इसके बाद भी निरन्तर समय-समय पर भारत सरकार को इस बारे में पत्र लिखे जाते रहे हैं। दिसम्बर, 1979 तथा फरवरी, 1980 को पुनः इस सम्बन्ध में भारत सरकार को पत्र लिखे गये तथा कागज की विषम स्थिति से भारत सरकार को अवगत कराया गया। यही नहीं वरन् इस सम्बन्ध में शिक्षा सचिव ने स्वयं मार्च में तथा जून, 1980 में दिल्ली जाकर इस सम्बन्ध में वार्ता की। किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बतलाया कि समस्त देश में नियंत्रित दर के कागज की कमी है तथा और अधिक कागज नहीं दिया जा सकता। व्यक्तिगत प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हमें 250 टन अतिरिक्त कागज मिल सका। कापियों की अत्यधिक कमी को देखते हुए 20 टन कागज जो पाठ्य पुस्तकों के लिये निर्धारित था उसकी भी कापियां बनवाई गई हैं।

कागज के उक्त अभाव के कारण राज्य सरकार के पास केवल एक ही विकल्प था और वह यह कि जो भी कागज उपलब्ध हो उसकी कापियां सीधे छात्रों के हाथों में पहुंचे अतः यह आवश्यक हो गया कि प्रत्येक कक्षा के लिये कापियों की संख्या निर्धारित की जावे तथा उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जावे। विद्यार्थियों के लिये जो संख्या निर्धारित की गई हैं उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

कापियां

कक्षा	पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ
	64	96	192
कक्षा 1 व 2	—	—	—
कक्षा 3, 4 व 5	2	—	—
कक्षा 6	5	—	—
कक्षा 7 व 8	3	3	—
कक्षा 9 व 10	5	3	—
कक्षा 11	—	—	8

कापियों की उपरोक्त सीमा जो निर्धारित की गई है वह जून 80 तक प्राप्त हुए कागज को ध्यान में रखकर की गई है। इसके पश्चात् भी अब हमें कापियों के लिये अगली तिमाही का 800 टन कागज आवंटन हो चुका है। इसके अतिरिक्त 590 टन कागज जो पिछली तिमाही में मिल बन्द होने के कारण नहीं मिल सका था उसको भी अब प्राप्त होने की आशा है। इस प्रकार ज्यों-

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

ज्यों कागज प्राप्त होता जावेगा त्यों-त्यों विद्यार्थियों को और अधिक कापियां एक निश्चित योजना के आधार पर वितरित की जावेगी। इतना होते हुए भी यह निश्चित है कि समस्त भारत में नियंत्रित दर वाले कागज की कमी होने के कारण सस्ती कापियों का कुछ अभाव रहेगा।

(2) **राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की स्थिति:–**

कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं तथा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, के द्वारा इन्हें छपवाया जाता है। तत्पश्चात् मण्डल विभिन्न जिलों में स्थित अपने 27 वितरण केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को एवं विद्यालयों को विक्रय करने की व्यवस्था करता है। कक्षा 1 से 8 तक की 106 पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं। गत वर्ष की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर इनमें से 80 पुस्तकें पर्याप्त संख्या में सभी वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध है। शेष 26 पुस्तकों में 17 पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों पर सप्लाई प्रारंभ हो गई है। वैसे अब गत वर्ष की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर इनका 70 प्रतिशत से अधिक स्टॉक उपलब्ध हो चुका है। इन क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों से लगातार पुस्तकें जिला वितरण केन्द्रों को भेजी जा रही है। ऐसा अनुमान है कि 10–12 दिनों में इन पुस्तकों की पूरी सप्लाई हो जावेगी। शेष 9 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों का लगभग 60 प्रतिशत स्टॉक पहले से उपलब्ध है। इस प्रकार वास्तविक कमी निम्नांकित 5 पुस्तकों की है:—

(1) हिन्दी कक्षा-4 (2) हिन्दी कक्षा-6 (3) गणित कक्षा-5 (4) गणित कक्षा-8 (5) सिन्धी देवनागरी कक्षा-1

ऐसा अनुमान है कि इन पुस्तकों की कमी भी इस मास के अन्त तक पूरी हो जावेगी।

इस वर्ष पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब का मूल कारण मुद्रकों से विलम्ब से अनुबन्ध किया जाना है। मण्डल ने अपनी निर्धारित योजना के अनुसार 10 अक्टूबर, 79 को पुस्तकों की निविदाएं आमन्त्रित कर ली थी। निविदाएं खोलने पर विदित हुआ कि निविदादाताओं ने मण्डल द्वारा निर्धारित दरों से बहुत अधिक दरें दी। परिणामतः शासी परिषद ने जिसके अध्यक्ष स्वयं शिक्षा मन्त्री होते हैं निविदादाताओं ने बात चीत कर दरों को कम कराने के लिए एक उप-समिति का गठन किया। समिति की अनुशंसाओं को शासी परिषद् ने यथावत् स्वीकार न कर उनमें संशोधन कर दिया परन्तु इस पर भी मुद्रक कार्य करने को सहमत नहीं हुए। अतः पुनः शासी परिषद् को विचार करना पड़ा। इस प्रक्रिया में पर्याप्त समय लग गया तथा शासी परिषद् ने दिनांक 5-2-1980 को अपना अंतिम रूप से निर्णय लिया जिसके पश्चात् मुद्रकों से 20-2-1980 तक अनुबन्ध किये गये तथा उन्हें मुद्रणादेश दिये गये। साथ ही पुस्तकें देने के लिये उन्हें पूर्व निर्धारित 180 दिनों के स्थान पर केवल 140 दिन ही दिये गये। इस प्रकार मुद्रकों की ओर से पुस्तकें सप्लाई करने की वास्तविक तिथि 9 जुलाई से 17 जुलाई 80 के बीच में होती है किन्तु मण्डल ने बिजली की अत्यधिक कमी होते हुए भी मुद्रकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर पुस्तकों को समय पर लाने का प्रयास किया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : शिक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें कोई चीज स्पष्ट नहीं है। कापियों के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में कागज नहीं मिलता है, इसलिए कापियां हम नहीं दे सकते हैं। आपने ऐसी कौनसी व्यवस्था तय की है कि आपको कागज मिले और आगे भी अदरवाइज जैसा आपने बताया कि 11वीं, हायर सैकण्डरी के विद्यार्थी को 192 पेज की 8 कापियां दी जाती हैं और नाइन्थ, नवीं कक्षा के विद्यार्थी को 96 पेज की 3 और 64 पेज की 5 दी जाती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या आप स्वयं समझते हैं कि इतनी कापियां जो आपने दी हैं, क्या पर्याप्त होंगी इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये ? इतनी कापियां तो 15 दिन में भर जायेंगी। फिर कापियों की जरूरत पड़ेगी तो कापियां कहां से लायेंगे ? आगे पूरा कागज आने की संभावना नहीं हैं। पुस्तकें आपने छपवाई नहीं हैं। आगे मिलने की सभावना नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब आपको मालूम है कि केन्द्रीय सरकार जितने कागज की आवश्यकता है उतना नहीं दे सकती है तो क्या आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करेंगे ? नहीं तो, अदरवाइज क्या होगा ? बच्चों को पुस्तकें मिलेगी नहीं तो उनकी शिक्षा में बाधा आयेगी। इस बारे में मंत्री महोदय ने निर्णय लिया होगा कि इस कागज की कमी को कैसे पूरा करेंगे। क्या मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि कागज की कमी को कैसे पूरा किया जाय, कैसे उत्पादन किया जाय, उत्पादन में क्या कमी है ? जो खराबी है उस खराबी को दूर कीजिये। आज स्थिति यह है कि 72 पेज की कापी एक रुपये में बाजार में मिल रही है। मार्केट में कापियां उपलब्ध है मार्केट में कागज की कमी नहीं है, मार्केट में कापियों की कमी नहीं है लेकिन आपने जो रेट निश्चित की है उसमें कापियां, पुस्तकें नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं इस बारे में जांच करें। कापियों पुस्तकों पर ब्लैक हो रहा है। उसको सबसे पहले रोकिये, जांच कीजिये, जांच के लिये समिति बनाइये। जो आपने राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल बना रखा है उसके पदाधिकारियों और सदस्यों को कहिये। उन्होंने जो निर्णय लिया है वह निर्णय देरी से लिया है इसलिये कागज की कमी पैदा हुई। जब एक बार कमी हो जाती है तो ब्लैक बढ़ जाता है। इसलिये मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि राज्य पुस्तक मण्डल के सभी सदस्यों की समिति की मीटिंग बुलाकर कहें कि इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय ले और जांच करे। दूसरे, कागज की वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि कागज की कमी जो हर वर्ष पुस्तकों के लिये, कापियों के लिये हो जाती है उसको पूरा किया जा सके।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी!

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं आपको वक्त नहीं दूंगा। आप स्थान ग्रहण करें। जितने माननीय सदस्यों ने नाम दियें हैं उनको

श्री मोहनलाल मोदी : एक इन्फार्मेशन देना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को पुस्तकों के साथ कुंजियां जबरदस्ती दी जाती हैं। कक्षा तीन की पुस्तकें 9.50 रु० में

(श्री मोहन लाल मोदी)

मिलती हैं उसके साथ 4.10 रु० की कुंजियां दी जाती हैं। कक्षा चार की पुस्तकें 9.60 रु० में मिलती, साथ में 4.90 रु० की कुंजियां दी जाती हैं। कक्षा 5 की पुस्तकें 11.·5 रुपये में मिलती हैं, इनके साथ में 5.20 रु. की कुंजियां दी जाती है। कक्षा 6 के कोर्स की पुस्तकें 20.55 रु० मे आती हैं और साथ में 14.00 रु० की कुंजियां दी जाती हैं। कक्षा 7 का कोर्स 22.00 रु० का हैं उसके 15.00 रु० कुंजियां दी जाती हैं। कक्षा 8 का कोर्स 22.·0 रु० का हैं और कुंजियां 19.·0 रु. की दी जाती हैं। ये कुंजियां बच्चों के किसी काम नहीं आती, बेकार हैं।

श्री सभापति : आपने सूचना दे दी। स्थान ग्रहण करें। श्री घनश्याम तिवाड़ी !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीन महीनों का कागज का कोटा जो ओरियंट पेपर मिल से राजस्थान को मिलना था वह कोटा आन्ध्र प्रदेश की सरकार को दिला दिया गया। जनवरी, फरवरी मार्च का राजस्थान का कोटा चेतक कागज मिल से नहीं आया। जब जवाब मांगा गया तो कहा गया कि राजस्थान का यह कोटा केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को दिला दिया है। तो पहला मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान पर आघात किया है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिस कोटे के पैसे भेजे हुए दो महीने हो गये वह कोटा भी अभी तक नहीं पहुंचा है। पिछले 6 महीनों से लगातार चेतक ब्राण्ड कागज निर्माण करने वाली फैक्ट्री से निवेदन किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राजस्थान का कागज का कोटा अब तक नहीं पहुंचा है। सिर्फ 5 टन कागज दिलाया गया है। जबकि दो क्वार्टर का 20 टन कागज मिलने वाला था उसके बजाय 5 टन कागज का कोटा मिला है। इसी कारण से राजस्थान में कागज की कमी आ रही है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि वितरण की जो व्यवस्था की गई है वह नकारात्मक है। स्कूलों के अध्यापक आकर जहां कापियों का निर्माण होता है वहां से लेकर जायेंगे। सभापति महोदय, एक स्कूल मे 20 लड़के पढ़ते हैं, एक बच्चे को दो और एक बच्चे को तीन कापी दी जाती हैं तो 50 कापियों को लेने के लिये एक गांव का अध्यापक आयेगा, वह आने जाने का खर्चा करेगा। उसको टी.ए. डी.ए. मिलता नहीं है। वह क्यों आयेगा ? इसलिये कापियां नहीं पहुंच रही हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना है.......

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मेरा निवेदन है कि अन्य किसी जरिये से लड़कों को कापियां पहुंचे, इसकी व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन !

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या इसी पर है ? वे जवाब तो दें।

श्री सभापति : आपने तो बात कह दी। माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना है तो देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उत्तर नहीं दें. इसका क्या यह मतलब है कि कोटा लेप्स हो गया है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पहले पूरे प्रश्न आने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, आपकी मार्फत 1–2 प्रश्न और करना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, किताबों को छापने वाले पिछले वर्ष मुद्रक कितने थे और इस वर्ष कितने हैं? मेरी जानकारी है कि इस वर्ष मुद्रकों की जो संख्या है वे आपकी योजना के अनुसार पुस्तकों को नहीं छाप सकते। एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि क्या सारी पुस्तकों के प्रूफ पाठ्य पुस्तक मण्डल के पास आ चुके हैं? क्या पाठ्य पुस्तक मण्डल ने उन्हें देख लिया है और उनको वापस लौटा दिया है? मैं अपनी जानकारी के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कई प्रूफ पाठ्य पुस्तक मण्डल के पास नहीं आये हैं। ऐसी स्थिति में जो आपने कहा है कि 15 तारीख तक सभी प्रकार की पुस्तकें मिल जायेंगी वह गलत है। वे महीने भर में भी उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। अभी डेढ़ महीना और लगेगा, बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलेंगी। सारे राजस्थान के बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने की दृष्टि से आप ऐसी स्थिति बनाइये ताकि पुस्तकें ठीक प्रकार से वितरित हो सकें। सभापति महोदय, मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, जैसा आपने कापियों के बारे में कहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक स्कूल को कापियां इस महीने के अन्त तक वितरित करने की आप क्या व्यवस्था कर सकेंगे? एक सवाल और पूछना चाहता हूं....

श्री गोविन्द सिंह : एक प्रश्न मेरा है, क्या, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो चेतक ब्राण्ड कापियों के वितरण की व्यवस्था है उसमें यह पाबन्दी लगाई गई है कि जो खरीददार हैं वे दस्तखत करेंगे रजिस्टर में और उसके बाद कापियां ले जायें? मुझे सूचना मिली है कि अजमेर जिले में जो किताबें बेच रहे हैं वे प्रत्येक ग्राहक से दस्तखत कराते हैं और पेरेन्ट्स को 2–4 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता हैं, इसके बाद कापियां मिलती हैं।

श्री राऊदयाल जोशी : मैं एक जानकारी दे रहा हूं, सभापति महोदय, कागज का वास्तव में अकाल क्यों है। न्यूज प्रिंट का एक लाख रुपये का, 50 रोल जयपुर स्टेशन पर पानी से, शेड न होने के कारण बरसात में भीग गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर रेल्वे स्टेशन पर शेड न होने के कारण अखबार वालों का एक लाख रुपये का कागज भीग गया। मेरा निवेदन है, इसके लिये व्यवस्था करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने अखबार वालों का निवेदन किया है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, पहला एक प्रश्न यह उठाया गया है कि पुस्तकों के साथ, कुंजियां दी जाती हैं। माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है यदि यह वास्तव में सही है तो इस बात के लिये स्पष्ट आदेश दिये जायेंगे कि जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में हैं उनको खरीद के साथ कुंजी खरीदने की अनिवार्यता नहीं है। इससे अधिक राज्य सरकार और कुछ नहीं कर सकती है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

जहां तक कागज का कोटा लेप्स होने का प्रश्न है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। इसकी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही करूंगा।

कापियों की क्या व्यवस्था है यह प्रश्न भी उठाया गया है। मैंने अभी आपको बताया है कि करीब 1100 टन कागज और आ रहा है। जो कागज आया है उसकी चेतक कापियां वितरित करवा दी हैं। जो कागज आ रहा है उसकी कापियां जल्दी बनवा कर बंटवा दी जाएगी। जहां तक इस बीच में कापियों की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न है वह तो बाजार से ही लेनी होगी।

एक प्रश्न यहां मुद्रकों का उठाया गया है। कुल मुद्रक राजस्थान के अन्दर 85 थे और उनमें से 18 मुद्रकों ने टेन्डर दिये थे। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि करीब दिसम्बर 79 से समिति के अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री थे। रेट्स ज्यादा आई तो नेगोशिएशन्स के लिए समय दिया गया। करीब दो महीने का समय उसमें लग गया। टेन्डर आने के बाद नेगोशिएशन्स हुए और दो महीने का समय इस में लग गया। उस समय की सरकार द्वारा 5 फरवरी को आदेश दिया गया 5 फरवरी से 20 फरवरी तक एग्रीमेन्ट हो गया। मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हुई है वह मुद्रकों की कमी की वजह से नहीं हुई है।

आज यह सवाल किया जा रहा है कि विलम्ब से क्यों पुस्तकें आ रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुबन्ध किया गया है उसके अनुसार 17 जुलाई तक पुस्तकें छाप कर देनी हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह मान कर चलता हूं कि अभी 17 जुलाई में समय है। इसके बाद बिजली की कमी का कारण और कई दूसरे कारणों से थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है तो भी यह वास्तविकता से आंखे मूंदना नहीं होगा प्रेस वालों के साथ जो अनुबन्ध था वह पहले 180 दिन का था, वह अवधि एग्रीमेन्ट में घटा कर 140 दिन कर दी गई है। उल्टा समय घटाया गया है जो संभव हो सकता था शीघ्रता से, समय पर, पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हों, इस दृष्टि से प्रयत्न किये गए हैं।

एक प्रश्न यह किया गया, क्या पुस्तकें इस महीने के अन्त तक दे दी जाएगी निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। गए साल जो संख्या थी, अनुमानित संख्या बढ़ा कर पुस्तकें छपाई गयी हैं। गत वर्ष छात्रों की जो संख्या कक्षाओं में थी उसके आधार पर यह अनुमान किया गया कि इस वर्ष संख्या इतनी अधिक होगी। हो सकता है कि हमारे अनुमानित आंकड़े गलत हों तो भी इस सम्बन्ध में सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि गत वर्ष के जो आंकड़े उपलब्ध थे उनके आधार पर क्या बढ़ोतरी होगी, उसी आधार पर प्रकाशन किया जा रहा है।

सदन की जानकारी के लिये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 30-6-80 से 5-7-80 की अवधि के बीच इस वर्ष 56 लाख 55 हजार की पुस्तकें बिक चुकी हैं जब कि गत वर्ष पहले सप्ताह में 41 लाख की पुस्तकें बिकी थी। 41 लाख के मुकाबले 56 लाख की पुस्तकें बिक चुकी हैं। जिस गति से पुस्तकें

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

भेजी जानी चाहिए उसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । सदन को केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए जितना संभव हो सकता था वह सरकार ने किया है । परन्तु मेरी भी कठिनाई है । इसका प्रोसेस लम्बा है । यह कार्यवाही अक्टूबर से शुरू होती है । जैसा मैंने कहा 5 फरवरी से प्रिन्ट की रेट तय हुई इसलिये जो स्थिति बनी वह स्वाभाविक थी ।

कुंजियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे चुका हूं । और स्पष्ट आदेश जारी कर दिए जायेंगे । चेतक ब्रान्ड कापियां जो उपलब्ध थी उनके हिसाब से वितरण की व्यवस्था कर दी गई है । 1100 टन कागज और आने वाला है । कागज आते ही जितनी जल्दी कापियां बनाई जा सकेंगी, बनाई जाकर छात्रों को देने की व्यवस्था की जायगी । कापियों की संख्या कम है यह मैं मानता हूं । बच्चे मेरे भी हैं । जिस संख्या में कापियों दे रहे हैं वह कम है अपर्याप्त हैं । जो स्थिति है उसको स्वीकार करने के बाद सरकार द्वारा जो संभव हो सकता है उतना प्रयत्न किया जा रहा है । मैं सदन को यही आश्वस्त कर सकता हूं ।

पी.एम.टी. की परीक्षा में अंग्रेजी विषय

श्री सभापति : चिकित्सा मन्त्री महोदय, पी. एम. टी. को परीक्षा में अंग्रेजी विषय सम्मिलित करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री): पी. एम. टी. परीक्षा में अंग्रेजी विषय सम्मिलित किए जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । इस स्थगन प्रस्ताव में यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय किया है जिससे कि इस वर्ष पी. एम. टी. की होने वाली परीक्षा में अंग्रेजी का विषय अनिवार्य कर दिया गया है । जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, अंग्रेजी विषय का सम्बन्ध है यूनिवर्सिटी अपने शैक्षणिक कोर्स के माध्यम से नियम बनाती है और उन नियमों को बनाने में मेडिकल कौन्सिल आफ इंडिया की रिकमण्डेशन को ध्यान में रखना पड़ता है । यह रिकमण्डेशन भारत सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और सभी विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त कालेजों के लिए अनिवार्य है । पत्र संख्या B 11017 4/77/PMT/ME/policy, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि इंडियन मेडिकल कौन्सिल एक्ट, 1956 की धारा 33 के अन्तर्गत मेडिकल कौन्सिल आफ इंडिया की रिकमण्डेशन स्वीकार करती है कि पी. एम. टी. की परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय रखा जाए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पत्र पढ़ कर सुना दीजिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं स्टेटमेन्ट दे रहा हूं ।

इसी आधार पर अपने पत्र दिनांक 3 मार्च, 1980 में राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह सूचना दी है कि उन्होंने इस आधार पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिया है । यह उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि पी. एम. टी परीक्षा के नियम बनाते समय इसको ध्यान में रखा जाए । यह स्पष्ट है कि यह विषय राज्य सरकार के अधिकार सीमा में नहीं आता है । छात्रों

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19-5-80 द्वारा विश्वविद्यालय को यह सुझाव दिया है चूंकि अभ्यार्थियों को पूर्व सूचना नहीं मिली है इसलिए संशोधन 1980 से लागू नहीं किए जाएं। उस पर कुलपति से विचार किया गया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में निर्णय देने के लिए कहा हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, यह बात सच है कि विषय कौन-कौन से रखे जायं यह मेडिकल कौन्सिल तय करती है। परन्तु सभापति महोदय, अंग्रेजी को कम्पलसरी किया है, यह राज्य के सारे विद्यार्थियों का सवाल है, जो हिन्दी भाषी क्षेत्र के हैं। मैंने उस दिन निवेदन किया था कि पहले पी. एम. टी. की परीक्षा में केवल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी के नम्बरों को लेकर के मेरिट लिस्ट बनती थी और वर्षों तक बनती रही है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि इंडियन मेडिकल कौन्सिल ने इसको मेंडेटरी माना है, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि उनका पत्र देख लीजिये। पत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों के पर्सेन्टेज को घटाने के लिए लिखा गया था, जबकि उत्तर मेडिकल कौन्सिल ने यह दिया इसके अलावा शायद विश्व विद्यालय के लोगों ने बहुत आगे बढ़ा कर राष्ट्रपति शासन के दौरान अंग्रेजी को कम्पलसरी माना जबकि ऐसा कहीं नहीं हुआ न मध्य प्रदेश में हुआ, न उत्तर प्रदेश में हुआ, यहां तक कि राजधानी दिल्ली, जहां पर इंडियन मेडिकल कौन्सिल है, में भी अंग्रेजी को कम्पलसरी नहीं माना। आल इंडियन मेडिकल इन्स्टीट्यूट है उसने भी अंग्रेजी को कम्पलसरी नहीं माना परन्तु पता नहीं क्या पहाड़ टूट रहा था कि हमारी सरकार ने अंग्रेजी को यहां अनिवार्य कर डाला। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिये कि अंग्रेजी कम्पलसरी नहीं होगी। यह कहना कि उन्होंने तैयारी नहीं की इस वर्ष इसलिये 1980 में लागू नहीं किया जाय, यह ठीक नहीं है। आपने बताया कि यह नोटिफिकेशन जारी हुआ जब एकेडेमिक कौन्सिल ने तय नहीं किया था। आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वाइस चांसलर की विशेष आज्ञा लेकर। उसके बाद एकेडेमिक कौन्सिल में हुआ, सिंडिकेट में हुआ। सभापति महोदय, यह कौनसी प्रक्रिया अपनायी जा रही है। यह राज्य के हजारों लाखों विद्यार्थियों का सवाल है पहले पी. एम. टी. के विद्यार्थियों को 100-100 नम्बर के हिसाब से 300 नम्बर में से नम्बर लाने होते थे अब उसमें अंग्रेजी के 100 नम्बर और जुड़ जायेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों, जो दलित वर्ग के विद्यार्थी हैं, घर का वातावरण ऐसा नहीं है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो हार जन वर्ग के लोग हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भाषण मत दीजिये। आप प्रश्न पूछ लें।

आप इस पर पहले भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय प्रश्न क्या पूछें यह तो सारा....

श्री सभापति : इसके बारे में आप प्रश्न ही करिये। विस्तार से आप बोल चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, अब 23 तारीख को विधान सभा की बैठक होगी। तब तक क्वेश्चन पेपर सेट हो चुके होंगे। फिर क्या होगा ? राजस्थान का शोषित वर्ग और ज्यादा गिर जायेगा। आप उनके लिये मेडिकल शिक्षा के दरवाजे बन्द कर रहे हैं। आप हमको विश्वास में लें। हम आपके साथ हैं। इस सम्बन्ध में आप आज ही एक मीटिंग बुलायें। उसमें इस पर विचार करें और निर्णय लें। ऐसा न हो कि पेपर्स सैट हो जायें, और गरीब वर्ग के लोग ताकते रह जायें और स्टेण्डर्ड के लोग, पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले आ जाये। यह गलत होगा। इसलिये आप मीटिंग बुलायें, विधान सभा उठने से पहले मीटिंग बुलायें, और इसका निर्णय करें। माननीय सभापति जी, 2 महीने पहिले ही इस बात की घोषणा की है. 2 महीने पहिले ही इसको कम्पलसरी किया गया है, यह उचित बात नहीं हैं। जब कई वर्षों से इस प्रकार की बात चल रही थी और जब ऐसा दिल्ली में नहीं हुआ तो राजस्थान में ही ऐसा क्या हो गया था, क्या आसमान टूट कर गिर रहा था जो यहां पर ऐसी प्रक्रिया अपनायी जा रही है और अंग्रेजी को कम्पलसरी किया गया है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसको हटाने में सक्षम है, मंत्री महोदय, सक्षम हैं, मुख्य मंत्री महोदय सक्षम हैं। राजस्थान के विद्यार्थी वर्ग के हित के लिये यह घोषणा करनी चाहिये कि पी. एम. टी. में तीन ही विषय रहेंगे। माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घोषणा हमने नहीं की, इस स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह का निर्णय नहीं किया है। यह बिलकुल गलत बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मई के महीने में यह सरकार नहीं थी। यह हमारे टाइम में लागू नहीं किया गया। श्रीमान, यह यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड है वह तय करता है। वही तय करता है कि पी. एम. टी. में क्या लिया जायेगा। यह यूनिवर्सिटी के अधिकार की बात है और यूनिवर्सिटी ही इसको लागू करती है। इंडियन मेडिकल कौंसिल ने पत्र में यह लिखा है इसलिये इसको इस साल लागू किया गया इस साल दो महीने पहले ही ये आया इसलिए इसको लागू इस साल नहीं किया जाय, ऐसी यूनिवर्सिटी से बात हुई। भारत सरकार ने इसको मान लिया है तो हमको भी मानना पड़ेगा। फिर भी मैंने कुलपति से बात की और कहा कि इस साल लागू नहीं करें। हमारी खुद की राय है कि इस साल यह नहीं होना चाहिये। हर बात के लिये गवर्नमेंट को ही दोष देते हैं यह बात गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्रीमान, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि वह खुद अंग्रेजी के पक्ष में नहीं हैं और वह इस वर्ष अंग्रेजी लागू नहीं करना चाहते हैं, अगले वर्ष लागू की जाय। एक तो यह मान्यता है आपकी। हमारा विरोध यह है कि अंग्रेजी अगले वर्ष भी लागू नहीं की जाय दूसरा, क्या राज्य सरकार ने यह फैसला कर लिया है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि अगले वर्ष से अंग्रेजी अनिवार्य रूप से लागू की जाय ? इसमें राजस्थान सरकार क्या स्टेन्ड रखती है ? क्या यूनिवर्सिटी आपका कहना नहीं मान रही है ? यूनिवर्सिटी कहना नहीं मान रही है तो राज्य सरकार डायरेक्शन इश्यू कर सकती है। डायरेक्शन पहले भी इश्यू हुए हैं ? तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस प्रकार के निर्णय की सूचना विद्यार्थियों को आम तौर पर कितने समय पहले मिल जानी चाहिये, जो उपयुक्त हो तैयारी करने के लिये? उस समय के आधार पर क्या राज्य सरकार यह फैसला कर लेगी कि अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं माना जाय ? सरकार को अधिकार है लागू करने का। मेडिकल कौंसिल का निर्णय राज्य सरकार माने यह जरूरी नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: समापति महोदय, इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैंने तो यह कहा था कि यह निर्णय तो यूनिवर्सिटी का है। हमारी राय नहीं कि अंग्रेजी को अनिवार्य रखा जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपने कहा है कि 81 से अनिवार्य कर दी जाये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: यह नहीं कहा है। यह कहा है कि 1980 में नहीं रखा जाये।

माननीय सभापति जी, मई में जब यह निकला था हमारी गवर्नमेंट नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरा सवाल यह है कि आपने अंग्रेजी की अनिवार्यता को स्वीकार किया है या नहीं किया है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपने यह किया है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: हमने तो यूनिवर्सिटी से यह कहा है कि इस साल इसको लागू नहीं किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यथेष्ट समय नहीं है। समय की कमी के कारण इस वर्ष लागू नहीं किया जाय। अगले वर्ष से लागू किया जाय। मई के महीने में जब यह लागू हुआ था उस समय यह स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी.....

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: हमारी राय इसमें नहीं थी, मैंने पहले भी यह कहा था।

(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की सिफारिशों को भारत सरकार ने मान लिया है, आपने यहां भी इसलिये लागू की है। फिर भी मैं उनसे बात कर रहा हूं.....

श्री हीरालाल देवपुरा: माननीय सभापति, एक निवेदन है कि मेडिकल में एडमिशन के लिये फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. साइन्स को पास करना आवश्यक है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. में फिजिक्स केमेस्ट्री और बायलोजी के अलावा अंग्रेजी भी अनिवार्य है। अंग्रेजी के अनिवार्य होते हुए भी अंग्रेजी के मार्क्स डिवीजन में नहीं जोड़े जाते हैं, केवल पास होना कम्पलसरी है। इससे अन्दाज तो लग ही जाता है कि कितनी योग्यता है। जब फर्स्ट ईयर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

टी. डी. सी. में बिना अंग्रेजी के डिवीजन दिया जाता है तो पी. एम. टी. के लिये कम्पलसरी करने का क्या मतलब है ? इसका साफ मतलब यह है कि पब्लिक स्कूल के बच्चों को आगे लाना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार की ओर से पर्याप्त उत्तर आ चुका है।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। उत्तर आने दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है, मेरी राय यह नहीं है। कल ही मैंने वाइस चांसलर से बात की है। अभी भी मैं यही निवेदन करूंगा कि वाइस चांसलर से बात करके इस बारे में भरसक प्रयत्न करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता महोदय, सरकार की ओर से उत्तर आ चुका है। सरकार की इच्छा अंग्रेजी को कम्पलसरी करने की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या सरकार अपने निर्णय को यूनिवर्सिटी से मनवाने की क्षमता रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, जब तक सरकार की ओर इस बारे में निर्णय नहीं हो जाता तब तक पी० एम० टी० की परीक्षा को स्थगित रखा जाये, क्या सरकार इसके लिए राजी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं यूनिवर्सिटी को कहूंगा। भारत सरकार को कहना पड़ा तो कहूंगा। मेरी राय यह नहीं है कि अंग्रेजी को अनिवार्य रखा जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : जब तक इस बारे में निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक पी. एम. टी. परीक्षा को स्थगित रखा जाएगा या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निवेदन कर चुका हूं, इस बारे में बात हो रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : परीक्षा की तैयारी का भी तो सवाल है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। सरकार का स्पष्ट उत्तर आ चुका है।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि मैं बात करूंगा। मैं निवेदन करूंगा।

एक माननीय सदस्य : आप अभी और पढ़िये।

श्री नाथूसिंह : आदमी जीवन भर पढ़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत पहले बतला दिया है। कैमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स....

(व्यवधान)

(श्री नाथूसिंह)

बार-बार यह प्रश्न यूनिवर्सिटी की ओर से उठाया जाता है। बार-बार विरोध प्रकट करते हैं। एक ऐसी लॉबी , जो जानबूझ कर यह प्रयत्न करती है कि पब्लिक स्कूलों से आने वाले विद्यार्थियों को ही सुविधा मिलें।

श्री सभापति : इस बारे में बातचीत हो जाएगी। उनकी राय मिल जाएगी। मंत्री महोदय ने कहा है, बातचीत करेंगे।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कि बातचीत की है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि वाइस चांसलर से बातचीत करेंगे। इनकी क्या राय है ?

श्री सी० पी० जोशी : इनका कुछ लेना देना नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बातचीत अभी चालू है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका रिएक्शन क्या है ?

श्री नाथूसिंह : उनकी राय क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने कहा है कि इण्डियन मेडिकल कौंसिल को कहा है कि अंग्रेजी नहीं रखी जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसका निर्णय एक दिन में हो जाना चाहिए। जुलाई का महीना जा रहा है। आपको अपना निर्देश दे देना चाहिए।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मन्त्री महोदय, इसकी घोषणा कब तक कर देंगे ?

श्री सभापति : माननीय परसराम जी मदेरणा !

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं राष्ट्रपति शासन में सरकार ने एक जो पत्र यूनिवर्सिटी को लिखा है आप उससे सहमत हैं या नहीं ? जो जन प्रतिनिधि सदन में आये हैं उन जन प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लिया है। कोई भी यूनिवर्सिटी सरकार के को-ऑपरेशन के बिना चल नहीं सकती है। आप अपनी प्रतिक्रिया को ब्लैक एण्ड वाइट में क्यों नहीं कम्युनीकेट करते हैं ? सदन की भावनाओं से अवगत कराना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कल जैसे ही यह प्रस्ताव हाउस में आया, मैंने वाइस चांसलर से बात की है। गवर्नमेन्ट इस पक्ष में नहीं है कि अंग्रेजी को कम्पलसरी रखा जाये। अंग्रेजी को कम्पलसरी नहीं रखा जाये, मैं इसका स्वागत करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। मैं जानकारी देना चाहती हूं जब तक यूनिवर्सिटी इस बात को मान नहीं लेती है तब तक यूनिवर्सिटी एक्जाम नहीं करें।

श्री सभापति : चर्चा में यह स्वीकार किया है। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

सरकार का स्पष्ट उत्तर आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार का उत्तर बिलकुल स्पष्ट है लेकिन स्थिति बिलकुल अस्पष्ट है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक्जामिनेशन हिन्दी में होंगे या अंग्रेजी में ? हिन्दी कम्पलसरी होगी या अंग्रेजी कम्पलसरी होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विरोधी दल के माननीय नेता से निवेदन करूं कि यह सवाल नहीं है। जो एक्जामिनेशन होते है वह तो होंगे हिन्दी या अंग्रेजी का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार की ओर से स्पष्ट उत्तर आ चुका है कि विश्वविद्यालय को लिखा है। इसके बाद क्या पूछना चाहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल है कि अंग्रेजी को कम्पलसरी सब्जेक्ट इन्डियन मेडिकल कौन्सिल की ओर से मानने के कारण यूनिवर्सिटी अंग्रेजी कम्पलसरी रखेगी तो सरकार क्या करेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : मुद्दा तो यह है कि सरकार अंग्रेजी को कम्पलसरी नहीं रखना चाहती और दूसरी जो संस्थाएं हैं वह अंग्रेजी को कम्पलसरी रखने के लिए जोर दे रही है तो सरकार अपना निर्णय क्यों नहीं देती ? जब तक फैसला उनके पक्ष में नहीं होगा तब तक पी. एम. टी. की परीक्षा इस के अनुसार नहीं चलायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने कहा है कि अभी तारीख तय नहीं हुई है। उस पर विचार करने के लिए आश्वासन दिया है।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इसमें वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कि जून और जुलाई में परीक्षायें कर ली जायेंगी। तो अब समस्या यह खड़ी हो गयी है। अभी परीक्षायें नहीं हुई हैं। वापस करना चाहते हैं इस चीज का उपयोग। आप और हम अब 28 तारीख को मिलेंगे। यह यूनिवर्सिटी की साजिश है, आप लोगों की साजिश है। और इसको सरकार का प्रोटेक्शन है मुख्य मंत्रीजी से हम कहना नहीं चाहते हैं। यह सरकार है इसे कहने का हमें अधिकार है निश्चित रूप से कहने का अधिकार है। मंत्री महोदय को कहने की आवश्यकता है कि राजस्थान एक हिन्दी भाषी प्रदेश है। आप दिल्ली में नहीं हो सकते हैं, पूना में नहीं हो सकते हैं। क्या कारण है मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ? मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यह सदन सर्वोच्च है, आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान के साथ, राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। इसलिये मैं इस सदन से अपने दल सहित बहिर्ग-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मन करता हूं। मंत्री महोदय सक्षम नहीं हैं।

(बहिर्गमन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य

(व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980

विधायी कार्य. विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक । राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक 1980

श्रीमती उजला अरोड़ा : परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेगी ।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री बन्सी लाल पटवा, श्री गोपाल पचेरवाल, सुश्री पुष्पा, श्री राम किशोर मीणा, श्री नाथु सिंह, श्री रंगजी मीणा, श्री हरीश शर्मा, श्री कमलेन्द्र सिंह ....

व्यवस्था का प्रश्न

जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रिकल्स के मजदूरों की हड़ताल व जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल विषयक स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । आपने माननीय सदस्य बोलना शुरू कर दिया है ।

श्री बाऊदयाल जोशी: क्योंकि आज भी एक जलूस आया है। कल भी एक जलूस आया था। मेरा निवेदन है कि आज जलूस आया है, जयपुर मेटल्स की तरफ से उसमें लगातार हड़ताल चल रही है, 15 दिन से कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जयपुर मेटल्स के लिए....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बाऊदयाल जोशी : जयपुर मेटल्स के कर्मचारी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। श्री हजारीलाल शर्मा, श्री रामकंवार, श्री उम्मेदसिंह, श्री भगवान दास शास्त्री। माननीय सदस्य मैंने विधायी कार्य ले लिया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने आप से निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय उस पर विचार कर रहे है। जब वह आसन पर आयेंगे तब अपनी व्यवस्था देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, विधायी कार्य प्रारंभ करने के पहले इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दें, यहां माननीय अध्यक्ष महोदय कहा था........

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, अपने चेम्बर में जा कर के पढ़कर व्यवस्था देंगे ।

श्री सभापति : यह मैंने सुना नहीं है। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बहुत गंभीर प्रश्न है। सारा शहर बन्द है। 7 दिन से लगातार सरकार....

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय जैसे ही आसन पर आयेंगे

(श्री सभापति)

वह व्यवस्था देंगे। विधायी कार्य लेने की मैंने व्यवस्था की इस पर चर्चा नहीं हो सकती। विधायी कार्य पूर्ण करने के बाद ही चर्चा हो सकती है, और किसी समय हो सकती है।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, जनरल प्रैक्टिस यह रही है, रूल्स जो हैं और रूल्स की जो भावना है, नियम 50 और 131 जो हैं इन दोनों के आधार पर जो जनरल प्रैक्टिस जो रही है और जो परिपाटी रही है उसके अनुसार कालिंग अटेन्शन हो सकता है। इसलिये यदि आप विधायी कार्य शुरू कर देंगे तो उसके पश्चात कालिंग अटेन्शन और एडजोर्नमेंट मोशन तो नहीं ले सकते हैं। इसलिए काल अटेन्शन नोटिस और एडजोर्नमेन्ट मोशन पर पहले विचार किया जाए वरना विधायी कार्य प्रारम्भ करने के बाद काल अटेन्शन नोटिस और एडजार्नमेन्ट मोशन को नहीं ले सकते, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था पहले ही दे दी है, वह इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उस पर वह निर्णय नहीं ले सकते मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह अपनी व्यवस्था दे चुके हैं, यह उनके विचारार्थ है। इस बारे में ज्यादा उत्तेजित न हों। विधायी कार्य मैंने ले लिया है यह काम भी चलाना है।

श्री नाथूसिंह : यदि एक बार विधायी कार्य प्रारम्भ हो जाता है, तो फिर न काल अटेन्शन नोटिस पर, न एडजोर्नमेन्ट मोशन पर सदन विचार कर सकता है।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्था दे चुके हैं, वह विचार कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बताना चाहती हूं कि स्थिति गंभीर है जिसको सरकार संभालने में अक्षम रही है। जरा सावधानी से व्यवहार किया जाता तो पुलिस उदंडतापूर्वक कार्य नहीं करती।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। आपको अवसर मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज भी मुझे कहा गया था, विधायी कार्य से पूर्व कहा गया था।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय इस बारे में व्यवस्था देंगे। मैंने बार-बार निवेदन किया है, मैंने विधायी कार्य ले लिया है।

श्री हजारीलाल शर्मा, श्रीराम कंवार, श्रीउम्मेदसिंह, श्री भगवानदास शास्त्री।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शुरू से लिया जाय।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता वाक आउट कर गए थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे आशा नहीं थी कि आप हमें वाक आउट करायेंगे। आप आरम्भ से ही इसको लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आप वाक आउट कर गए थे, आप अनुपस्थित थे, आपका नाम बोला गया था, आपको तीसरी स्टेज पर मौका मिल जाएगा।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा इस पर डिबेट तो होगी। यदि आरंभ से ही डिबेट हो जाए तो आपके मंत्री महोदय को जवाब देने में थोड़ी सुविधा होगी, सारे प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय दे सकेंगे। केवल औपचारिकता हो गई है। तीन आदमियों को पहले बोलने दिया, बाकी को नहीं। जिनके नाम ले लिए और जो नहीं बोल सके वे इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे लेकिन परम्परा गलत पड़ेगी। वाक आउट किया जायगा यदि सरकार शीघ्रता से पास करवाना चाहती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आम तौर पर परम्परा यही रही कि जब किसी भी माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाता है, यदि वह सदन में उपस्थित नहीं होता है तो अपना चांस गंवा देता है। यह गलत बात है। आपको इस पर बोलने का मौका बहुत मिलेगा। यदि एक अच्छी परम्परा पड़ी है तो बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप थर्ड स्टेज पर बोल लें, आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको क्या मालूम कि सदन में क्या परम्परा है ?

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जब वाक आउट कर गए तो मौका चला गया।

श्री सभापति : जिनके नाम बाकी हैं उन में है श्री भगवानदास शास्त्री, श्री दाऊ दयाल जोशी, श्री नन्दलाल मीणा भी आपके सदस्य हैं बोल सकते हैं, आपको थर्ड स्टेज पर मौका मिलेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं, "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 मई, 1980 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1980) को अस्वीकार करता है।" यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया, यह मई की बात है। जहां तक इस अध्यादेश का प्रश्न है, सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा वजन डालकर अध्यादेश को जारी करवाया गया। यह सबको विदित था लोक सभा चुनाव के बाद कांग्रेसी कार्यकर्त्ता चाहे स्थानीय कार्यकर्त्ता हो चाहे दूसरे, सब को उथल-पुथल थी, सबको जल्दी थी चाहे गर्मी हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे मानसून आया हो परन्तु चुनाव कराकर कुर्सी पर बैठना है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इन को इतना, जिसको अपन कहते हैं सीमा के बाहर, बहुमत मिला जैसे पक्षी तड़फता है, वैसे ये तड़फने लगे यह इसका सबूत है। आपको मालूम था कि विधान सभा में आपका बहुमत आने वाला है क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने लोक सभा के साथ विधान सभा में भी बहुमत लिया था। आपने देखा कि दस दिन या पांच दिन या एक महीना या तीन महीने की अवधि के अन्दर भी जो जनप्रतिनिधि सेवा कर रहा है, जो योग्य व्यक्ति है उस चेयर पर उनको कुर्सी से कैसे हटाया जाय। आपको पेट में दर्द होने लगा और आपने सोचा जल्दी से जल्दी कैसे उनको कुर्सी से हटाया जाए। अगर आपको शंका थी, अगर उसके बारे में कुछ शंका थी, भ्रष्टाचार के आपके पास तथ्य थे, आंकड़े थे तो बाद में भी कमीशन बिठा सकते थे उस पर कार्यवाही करने के लिये आप सक्षम थे। आज नगरपालिका

(श्री भगवान दास शास्त्री)

और नगर परिषद के चुनाव 10 साल से नहीं हो रहे हैं। उनमें प्रशासक बैठे हैं। उसके साथ-साथ गांव और पंचायत समिति के अधिकारी वगैरह के बारे में सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार विरोध हो रहा है। यह सही है कि कोई भी स्थिति हो वह सक्षम होकर वार्ड और गांव की सेवा करा सकता है। आपको आफिसर्स से बार-बार सामग्री मिलती है, कभी किसी संस्था का नाम लेते हैं। इसलिए मुख्य मंत्री कल भी कह चुके हैं कि समय रहते ही जब शक हुआ तो अधिकारियों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे।

आज जो संकल्प प्रस्तुत किया वह इस लिए कि इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, सदन सक्षम है, सदन की बैठक जून के अन्दर बुलाने का बिल्कुल निश्चय कर चुके थे। हमें मालूम नहीं था कि मुख्य मंत्री जब दिल्ली से आयेंगे तब जुलाई में सदन होगा। जो कुछ हो उनकी कमजोरियां हैं वह संकल्प पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे साफ जाहिर है कि विरोधी दल, जो भूतपूर्व सरकार में थे, के रखे हुए प्रतिनिधि हैं, वह इनको एक या दो दिन भी पसन्द नहीं थे। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं था, विरोध करने के लिए आपके पास कोई सीमा नहीं थी। आपको सत्ता का ज्ञान है और सत्ता में रहे हैं। विरोधी पक्ष का अगर ज्ञान होता तो किसी पद पर चाहे डाइरेक्टर हो, चाहे जनता का प्रतिनिधि बैठा है तो आपके पेट में दर्द क्यों था। अगर दर्द था तो जांच करवाते, आप उनसे मिलते, फाइलों का निरीक्षण करवाते अगर आपके समर्थक कर्मचारी होते तो आफिशियल फाइलों का निरीक्षण करके भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कार्यवाही कराते। किन्तु यह अध्यादेश लाकर आपने सही काम नहीं किया। जनता पहले जैसी नहीं है जिसको झूठा नारा देकर, प्रलोभन देकर, पास-परमिट होल्डर बनाकर या ठेकेदारी का ठेका देकर अपने कब्जे में ले सके। आज जमाना यह है आपके सामने जनता पार्टी के विरुद्ध जो निर्णय जनता ने किया है वह आपके ऊपर भी लागू होता हैं। चाहे कुछ भी हो सीमा से बाहर न होकर सेन्टर से लेकर स्टेट तक मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के लिए आज तक न सदन में शिकायत की गई है न लोक सभा में। प्रधान मंत्री पुराने गांधीवादी नेता थे, वे धनाढ्य हैं, उनके पास धन है, अगर बैठे-बैठे खाएं तो 7 पीढ़ियों तक खा सकते हैं। उनके पसीने की कमाई है। आपकी ताकत लोक सभा में नहीं थी कि प्रधान मंत्री मोरारजी भाई के खिलाफ कुछ कह सके। मोरारजी भाई व उनके जो साथी थे, मंत्रीगण थे या उनकी जो परिषद थी, उसके साथ-साथ जो राज्य की मंत्री परिषद थी, अगर आपके पास ताकत है, शक्ति हैं, ज्ञान है या आप साफ सुथरे है तो आरोपों की जांच करवा सकते थे। कमीशन के बारे में या जांच के बारे में राज्यपाल महोदय से मिल सकते हैं, जनता ने जो कुछ निर्णय किया है, उससे हम खुश हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर जो संविधान है वह ब्रिटेन के संविधान की तरह है। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो कभी लेबर पार्टी सत्ता में आती हैं,तो कभी कन्जरवेटिव पार्टी सत्ता में आती है, तो कभी लिबरल पार्टी सत्ता में आती है। सभापति महोदय, डेमोक्रेसी में तो सत्ता में परिवर्तन चुनाव होने से होता ही रहता है। अमेरिका में भी

(श्री भगवान दास शास्त्री)

कभी रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आती है तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है। वैसे देखा जाय तो चुनावों के लिये जो समय निर्धारित किया गया है वह हमारे यहां पर पांच साल का है। हमारे देश में जब प्रधान मन्त्री ने चुनावों के लिये छः साल का समय पांच से बढ़ाकर दिया तो बाबू जयप्रकाश नारायण ने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया। छः साल का समय अधिक है इस कारण पांच साल में चुनाव कराने का वापस प्रावधान जनता शासन ने किया।

सभापति महोदय, प्रजातन्त्र में विधान सभाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव तीन साल में होने चाहियें जिससे कि दूसरी पार्टी को भी मौका मिले। सभापति महोदय, पांच साल का कार्यकाल बदल कर तीन साल करना चाहिये। आज जो सदन में बिल पास होने जा रहा है उसके लिये राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश निकाला। उसमें कांग्रेस सरकार की यह मंशा थी कि वहां पर जो निदेशक हैं उसको हटाया जाय, वहां के और कर्मचारियों को हटाया जाय। वैसे भी आप लोग यहां 133-134 हैं और मैं समझता हूं कि 140 तक होने वाले हैं। सभी माननीय सदस्यों को सत्ता में कोई न कोई ओहदा देने के लिये यह कार्यवाही कर रहे हैं। आपके सदस्यों को कार, बंगले, वगैरह सभी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था इस प्रकार का अध्यादेश लाकर आसन पर बैठाने की करेगी। मंत्री परिषद में, जैसा कि यहां पर सुना जा रहा है, आप 33 सदस्यों को ही ले पायेंगे। बाकी जो आपके व्हाइट होर्सेज, सफेद हाथी बचेंगे उनके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे? कुछ न कुछ तो व्यवस्था आपको इनके लिये करनी ही पड़ेगी। इन लोगों के बहुत खर्चे बढ़े हुए हैं इसलिये इन्हें आप इस तरह के पदों पर आसीन करा कर उनको पूरा कराओगे।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश निकाला वही अध्यादेश आज यह विधेयक का रूप लेने जा रहा है इसके पास होने के बाद में आप जो गलत कार्यवाही करने जायेंगे उसको रोकने के लिये हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, ऐसा अध्यादेश लाने को राज्यपाल महोदय को कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अध्यादेश लाकर उन्होंने सदन और माननीय सदस्यों के कर्तव्यों व अधिकारों का अपहरण किया है। इसलिये मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी !

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल मीणा !

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैंने भी अपना नाम दिया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्या अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। जब आपका नाम पुकारा गया था उस वक्त आप सदन के बाहर चली गयी थीं। आपने बहिर्गमन किया था सदन से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मुझे इस पर बोलने का अधिकार है। आप मुझे मेरे अधिकारों से वन्चित कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मैं असमर्थ हूं। जिस वक्त मैंने आपका नाम पुकारा, आप उस वक्त सदन में हाजिर नहीं थीं। अगर आपको बोलना है तो जब बिल पास होवे तब बोल लें।

प्रभारी मन्त्री जी !

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री भगवानदास शास्त्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के संबंध में अपना विरोध प्रकट किया है। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि इस बिल का विरोध करने के लिये जो दलीलें यहां पर उन्होंने प्रगट कीं वह दलीलें बिलकुल ही निराधार हैं। उन्होंने बिल का विरोध करने के लिये अपना नाम दिया लेकिन इस बिल के बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। केवल राजनैतिक बातें कहीं, इसको दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य समझूं, इन्होंने जो भाषण दिया वह ऐसा दिया कि स्वयं के ही खिलाफ में दे दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर कोई डाइरेक्टर है उसको हटाने के लिये यह किया जा रहा है।

दूसरे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इतना जल्दी चुनाव कराने की क्या जल्दी थी ? कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी में कुर्सी हथियाने के लिये विधान सभा के चुनाव कराये। सभापति महोदय, माननीय सदस्य शायद यह भूल जाते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने तो जून के महीने में चुनाव कराये थे जब कि बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। कांग्रेस सरकार ने तो मई में चुनाव कराये हैं जबकि गर्मी कम पड़ती है। जरा तो सोच कर कहा होता।

तीसरे जो उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी इसके लिये तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वह आज इतनी उच्च राजनीति की बातें बोलते हैं तो यह चुनाव कराने की नींव तो आपकी जनता पार्टी की सरकार ने ही डाली थी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। व्यवधान नहीं करें।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि आपकी जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय सरकारों को गिराने के लिये अदालतों में किस-किस प्रकार की दलीलें दीं। फिर आपने उन्हें भंग कराकर चुनाव कराये। यहां माननीय सदस्य ने बहुत बढ़-चढ़ कर राजनैतिक भाषण दे डाला। ऐसे कहा कि जैसे कोई ओलंबा दे रहे हों। मेरा उनको यही कहना है कि कुछ भी अपना भाषण देने के पहले माननीय सदस्य को आइने में अपने मुंह को देख लेना चाहिये था, फिर बोलना चाहिये था।

सभापति महोदय, दूसरी मजे की बात उन्होंने कही, उन्हें यह भी पता नहीं कि इस बिल को लाकर सरकार क्या करने जा रही है। क्या बोर्ड बनेगा, क्या परिवर्तन इसमें करने जा रहे हैं उनको कुछ भी पता नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि भविष्य में माननीय सदस्य जब भी हाउस में आवें तब पूरी तरह से अध्ययन करके

Page No 77

(श्रीमती कमला)

आवें और तैयार होकर सोच-समझ कर बोलें। उनके भाषण से ऐसा मालूम होता था कि माननीय सदस्य बिलकुल इस कानून का मतलब नहीं समझे और यहां पर अफसरशाही की बातें कह डालीं। सभापति महोदय, अफसरशाही तो जनता पार्टी ने जन प्रतिनिधियों को हटा कर इस बोर्ड पर लादी थी। पता नहीं माननीय सदस्यों को जन प्रतिनिधियों को वहां पर नियुक्त करने से क्या पेट में दर्द हो रहा है। सभापति महोदय, जिस बोर्ड में जनप्रतिनिधि थे उस बोर्ड में जनता पार्टी का शासन आने के बाद 12 में से 10 सदस्य सरकारी अधिकारियों से नामजद कर दिये गये। सिवाय एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सभी 12 में से दस अधिकारी सरकारी थे। जन प्रतिनिधियों को हटाया गया तो मेरे ख्याल से अफसरशाही तो जनता पार्टी की सरकार ने लादी थी, कांग्रेस सरकार ने नहीं।

एक बात, सभापति महोदय, मुझे और निवेदन करनी है वह यह है कि माननीय सदस्य ने कहा कि मोरारजी भाई बहुत धनाढ्य थे और जनता पार्टी के मंत्री बहुत धनाढ्य थे। आपके प्रधान मंत्री कितने धनाढ्य थे इसकी तो आपके भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी जो थे, उन्होंने आपस में एक-दूसरे के विपरीत प्रचार करके सारी कलई खोल दी। आपने कहा कि जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ में कोई चार्जेज पार्लियामेन्ट में नहीं लगाये गये भ्रष्टाचार के तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पार्लियामेन्ट में उनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे और सारी कलई खुल गई थी। उनके खिलाफ में जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी जांच होगी। मैं समझती हूं कि जब जांच होगी तो और भी कलई खुलेगी। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि जैसा कि आज बिना सोचे समझे राजनैतिक भाषण दिया है कि इस बिल को विचारार्थ नहीं लिया जाये वैसा भविष्य में न दें। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने किसी प्रकार के तथ्य नहीं रखे और न ही उनके भाषण में कोई तुक ही था। इसलिये, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प श्री भगवानदास शास्त्री ने रखा उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा !

(अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है। "राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को सात दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।" राजस्थान कृषि

Page No 78

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपज विपणि अधिनियम, जो कि सन् 61 में लागू किया गया था, के कुछ निश्चित उद्देश्य थे। एक किसान जो गर्मी और सर्दी की परवाह किये बिना खून और पसीना एक करते हुए अनाज पैदा करता है उसको उसकी उपज की उचित कीमत मिले। इसके अतिरिक्त विक्रय में आढ़तिय, ठेकेदार, नम्बरदार आदि बिचोलिये किसानों का जो शोषण करते हैं उस शोषण की समाप्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसके अन्तर्गत कुछ निश्चित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे, किसानों को उचित मूल्य मिले, कीमत नियमित हो सके, कीमत वृद्धि में सरकार रुकावट ला सके, इसके अतिरिक्त मिलावट में वृद्धि होती है उस मिलावट को रोकने में सरकार कारगर कदम उठा सके, जो अनाज और दूसरी वस्तुएं कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से बिकती हैं उनका सही मूल्य मिल सके — इन उद्देश्यों से यह अधिनियम बना था और उसमें समय-समय पर सुधार संशोधनों के माध्यम से किये गये। वर्तमान में जो अध्यादेश लाया गया है इसका यह उद्देश्य है कि कृषि निदेशालय के अन्तर्गत सारे कार्य हुआ करते थे कृषि अपने आप में एक ऐसा विस्तृत विषय है और इसका कार्यक्षेत्र इतना लम्बा है कि कृषि निदेशालय सुचारु रूप से दोनों कार्यों को नहीं देख पाता था इसलिए मैं सरकार की तरफ से जारी किये गये इस अध्यादेश का स्वागत करता हूं लेकिन मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इस अध्यादेश को संशोधित करके, जन भावना का आदर करके और निश्चित सुझाव जोड़कर यह प्रस्तुत किया जाये तो ज्यादा सार्थक रहेगा।

मेरा यह सुझाव है कि इसके अन्तर्गत जो आप बोर्ड बनाते हैं उसमें उन्हीं व्यक्तियों का मनोनयन करें जो कि कृषि विशेषज्ञ हों। 15 लाख रुपया निदेशालय के ऊपर खर्च किया जाना है, इसके ऊपर सरकार के द्वारा अतिरिक्त रूप से 4 लाख 85 हजार रुपया खर्च किया जाना है, टैक्स कृषि उपज मण्डी समितियां वसूल करती है इसके बावजूद सरकार से अतिरिक्त रुपये की मांग की जा रही है। मुझे यह अनुपयुक्त लगता है। लिहाजा इसको एक स्वायत्तशासी संस्था बना दिया जाये। जिस तरह से नगरपालिका, नगर विकास न्यास और कई दूसरी संस्थायें हैं वैसे ही यह स्वायत्तशासी संस्था बन जाये स्वयं टैक्स वसूल करे और स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं करे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

इसके अतिरिक्त जो कृषि उपज मण्डी समिति के हालात हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। जयपुर और बीकानेर में कृषि उपज मण्डी समितियां आज तक नहीं बन पाई हैं और उससे संबंधित कार्य भी सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनका कार्य सुचारु रूप से चलें और कृषि उपज मण्डी समितियों की जो अव्यवस्थायें हैं, उनको रोका जाये।

इसके अतिरिक्त जो कर वसूल किये जाते हैं वह पर्याप्त मात्रा में वसूल नहीं किये जाते हैं टैक्स इवेजन भयंकर रूप से हो रहा है, टैक्सेज की चोरी होती है और मण्डियों के अतिरिक्त भी माल बिकता है। इसलिये इस अध्यादेश के माध्यम से यह सम्मिलित करें कि जो चोरी होती है उसको रोका जाये। इसके अतिरिक्त पर्याप्त आंकड़े इकट्ठे किये जायें कि मण्डी समितियों के अतिरिक्त कहां

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कहां कोन-कौनसा माल बिकता है। जैसे ऊन है। अनाज है और कुछ अन्य सामान है जो मण्डी के अतिरिक्त कहां-कहां बिकता है। इसके आंकड़े इकट्ठे करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।

लाइसेन्स प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। छोटे-छोटे किसानों को, व्यापारियों को और अन्य लोगों को कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से लाइसेन्स लेने पड़ते हैं उनको लाइसेन्स लेने के लिए कई बार प्रशासनिक कारणों से और अन्य कारणों से कठिनाइयां अनुभव होती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यह संशोधन होना चाहिए और यह नियम बनना चाहिए कि जो लोग लाइसेन्स लेना चाहते हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र लाइसेन्स मिलना चाहिए।

इसके अलावा मण्डी समितियों के अन्तर्गत जो नियम बनें हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूं जो नियम बने हुए हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जो नयी व्यवस्था करने जा रहे हैं उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि कृषि उपज मण्डी समितियों का अचानक निरीक्षण होना चाहिए। व्यापारियों का अचानक निरीक्षण किया जाये। पूर्व सूचना देने पर लोग सजग हो जाते हैं और अपने हिसाब किताब को आवक-जावक ठीक कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि अकस्मात अधिकारी लोग निरीक्षण करें साथ ही कृषि उपज मण्डी समितियों में जो आवक-जावक होता है उसके बारे में पर्याप्त मात्रा में निगरानी रखी जाय।

इसके अतिरिक्त मैं पुनः इस अध्यादेश का स्वागत करते हुए जिन संशोधनों के बारे में जो मैंने तर्क दिये हैं उनकी ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इनको ध्यान में रखते हुए वह इसे एक स्वायत्तशासी संस्था बनायें और इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करें तो ज्यादा उचित रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी !

श्रीमती कमला : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए और उन सुझावों को अमली जामा पहनाये जाने के लिए..........

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : जो प्रक्रिया है उसके अनुसार प्रभारी मंत्री जी का उत्तर होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सेकिण्ड रीडिंग तो खतम करने वाले नहीं हैं ?

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा। पारित करने के समय आप बोल सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जवाब बाकी के लोग बोल लें उसके बाद दें तो अच्छा रहेगा।

श्री नाथूसिंह : पहले फर्स्ट रीडिंग और उसके बाद सैकिण्ड रीडिंग.......

श्री सभापति : वह सही है लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, फर्स्ट रीडिंग होने लगी थी तो हम वाक आउट कर गये थे।

Page No 80

(80)

श्री सभापति : आपको अवसर मिलेगा। आप स्थान ग्रहण करें।

प्रभारी मंत्री जी उत्तर शुरू कीजिए !

श्रीमती कमला : माननीय सभापति जी, जो माननीय सदस्य ने एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु संशोधन दिया है वह इसलिए दिया है कि इसमें कुछ और व्यवस्थाएं की जायें, कुछ और सुधार किये जायें, कुछ और सुझाव मांग लिये जायें। मेरा उनसे यह निवेदन है कि खास तौर से एक बड़ा सुझाव यह दिया कि इसमें किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायें इसलिए इसके बारे में व्यवस्था करने के लिए भी समय होना चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहती हूं कि वर्तमान में जो इसके गठन का स्वरूप है उसमें 10 निर्वाचित सदस्य हैं जो कि कृषि उपज मण्डी के निर्वाचित सदस्यों में से आते हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों में हम आम तौर पर जानते हैं कि किसानों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। उसमें जब निर्वाचित होकर आयेंगे तो मुख्य रूप से सही लोग उभर कर आयेंगे इसलिए अलग से इसका प्रावधान रखने और उसके लिए जनमत के लिए भेजने का विशेष प्रयोजन मैं नहीं समझती।

इसके अलावा जो उन्होंने सुझाव दिया है वह इस प्रकार का है कि जो प्रशासनिक है और कोई कानूनी मुद्दा या गठन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई व्यवधान और पैदा हो जायेगा यदि इस रूप में पास हो जायेगा। इस प्रकार का नहीं है तो इस कार्यक्रम को लागू करने के समय हम ध्यान में रखेंगे और उसको पूरा करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो इन्होंने सुझाव दिया है और प्रस्ताव रखा है उसको सरकार मानने में असमर्थ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैंने इसको स्वायत्तशासी संस्था बनाने के लिए अपना मत प्रकट किया है उसका उत्तर नहीं आया है। इसका प्रशासनिक खर्चा सरकार से मांगा है उसके लिए भी मैं उत्तर जानना चाहूंगा।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले से माननीय सदस्यों को जानकारी दे दी है कि इस वक्त जो इसका स्वरूप बनता है इस संशोधन के जरिये से, कृषि आयोग की बहुत पहले से रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को निर्देश आये कि हम अलग से एक कृषि विपणन निदेशालय कायम करें और कृषि विपणन निदेशालय के साथ-साथ कृषि विपणन बोर्ड भी काम करे। इसके अलावा सरकारी विपणन किया जाये और सरकार की भी और बोर्ड का भी अच्छा फंक्शनिंग रहे, अच्छा कोआर्डिनेशन रहे इस उद्देश्य से इसको कायम किया गया है उसके अन्तर्गत इसका वर्तमान स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वह इसी प्रकार से बनता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री बुलाकी दास कल्ला ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इस पर बोलेंगे।

सभापति महोदय; जो राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 रखा गया है मैं इसका विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आज जो स्थिति है उसमें यदि थोड़ा बहुत सुधार कर लिया जाता तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती और यह संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्थिति यह है कि संशोधन लाने के पश्चात कृषि उपज मण्डियों पर जो सरकारी अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी पकड़ मजबूत होगी। जैसा कि इसमें स्वीकार किया गया है, इस प्रदेश में लगभग 5 लाख रुपये का सरकार पर अधिक भार पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने कौनसी ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिससे उसे संशोधन लाना पड़ा ? वास्तविकता यह है कि जो वर्तमान कानून है उसके तहत जो कमियां थी उनको सरकार जल्दी दूर कर सकती थी लेकिन, सभापति महोदय, सरकार ने जानबूझ कर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खिलौना बनाने के लिए यह जाल रखा जिससे कि वित्तीय भार पड़ेगा। यह वित्तीय भार किन से वसूल किया जायेगा ? उन किसानों से जो इन मण्डियों का उपयोग करते हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जायेगा। आज स्थिति यह है कि जो कृषि उपज मण्डियां हैं, सभापति महोदय, न वहां पानी की व्यवस्था है, न वहां अच्छा भवन है, न वहां नल है, न बिजली है। स्थिति यह है कि गांव से जो गाड़ियां और ट्रैक्टर सामान लेकर आते हैं उनको रखने के लिये कोई स्थान नहीं है। माल उतारने के लिये ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, नये सरकारी अफसर आते हैं तो चालान करते हैं। गाड़ियों का चालान करते हैं। किसान के नाम पर मण्डियां बनाई जाती हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े-बड़े अधिकारी कृषि उपज मण्डियों में जाते हैं उनके लिये एयर कन्डीशन कमरे तैयार हैं, बाथ रूम साथ में लगे हुए हैं। जिन किसानों से टैक्स वसूल किया जाता है उनके लिये कोई सुविधा नहीं, न पीने के लिए पानी है, न बाथ रूम है, न बिजली की व्यवस्था है, और न उनकी गाड़ियों और बैलों के रख रखाव के लिये स्थान है, बरसात आ जावे तो सामान भीग जाता है। इसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं। ट्रैक्टर खड़े रहते हैं तो चालान करते है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर इस तरह का संशोधन लाये और जिन किसानों को कोई सुविधा नहीं है उन पर वित्तीय भार बढ़ाये तो यह शर्मनाक बात है। यह चीज बताती है कि सरकार किसानों के हित में नहीं है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : तीन साल तक क्या किया ?

श्री नाथूसिंह : तीन साल तक हमने कुछ नहीं किया। हमने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे ?

श्री सभापति। माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, बार-बार सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य कहते हैं कि आपने तीन साल तक क्या किया। अगर आप हमारे रास्ते पर चलेंगे हम चाहते हैं कि आप हमारे रास्ते पर चलें ताकि 21 साल में आप इधर आ जायें और हम उधर चले जायें....

(व्यवधान)

Page No 82

(82)

श्री सूरजपाल सिंह : आप लोग तो मतीरे थे हम मतीरे नहीं हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : वे हमको मतीरे कहते हैं वे खुद तुम्बी हैं।

श्री नाथूसिंह : हमें कोई आपत्ति नहीं है हमारे पदचिन्हों पर चलें। हमें खुशी है, कुछ सुधरेंगे। भारद्वाज जी आप मंत्री बनने वाले नहीं हैं। गुड बुक्स से निकल गये ....

श्री भैरूलाल भारद्वाज : यह सारा मंत्रि-मण्डल मेरा बनाया हुआ है।

श्री नाथूसिंह : पहाड़ियाजी को आने दीजिये।

सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि किसानों के नाम पर जो पैसा लिया जाता है टैक्स वसूल किया जाता है, सरकार इस विधान सभा में हमसे इस पर मोहर लगवाना चाहती है कि पांच लाख का अतिरिक्त भार डाला जाये। हमसे मोहर लगवा कर किसानों के सिर के ऊपर तलवार लटकाना चाहती है। ब्यूरोक्रेसी के लिये किसानों से पैसा इकट्ठा किया जायेगा और ब्यूरोक्रेसी पर खर्च किया जायेगा।

आज स्थिति यह है, दुकानें बन गई; उनकी दशा क्या है? आप स्वयं किसान हैं, आपको मालूम होना चाहिये सामान उसमें आ नहीं सकता। किराया बहुत ज्यादा है। साधारण किसान कोई बिजनेस करना चाहे तो वह कर नही सकता क्योंकि कोई दुकान लेना चाहे तो 300 रुपये माहवार से 1100 रुपया माहवार तक का किराया है। आप अन्दाजा लगाइये गांव में कृषि उपज मण्डी और दुकान का किराया 1100 रुपया महीना, क्या स्थिति है इन मण्डियों की। जो किराया है वह किराया किस से वसूल करेंगे? उन किसानों से वसूल करेंगे?

आप निरीक्षण कीजिये, इन मण्डियों की दशा क्या है। स्थिति यह है, सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कृषि उपज मण्डियों में जिस समय सौदा होता है, किसान को प्यास लगती है तो किसान को पीने का पानी नहीं मिलता, उसके बैलों के पीने के लिये पानी नहीं। स्थिति यह है कि वह प्यासा रहता है। कभी-कभी सौदे में गड़बड़ भी हो जाती है। हिसाब किताब ठीक ढंग से नहीं रख सकता। कभी-कभी ऐसा होता है कि शाम को देर हो जाती है तो अन्धेरा हो जाता है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। जिस किसान के हित की बात कर रहे हैं उस किसान के लिये केवल पानी और बिजली भी आप नहीं दे सकते। कभी गंभीरतापूर्वक आपने इस पर विचार किया? पांच लाख रुपयों पर आप हमारी मोहर लगवाना चाहती हैं। सभापति महोदय, बोरी भर कर किसान लाता है लेकिन प्लेट-फार्म पर उसको बोरी नहीं रखने देते हैं। तब वह क्या करता है, किसी एजेन्ट का सहारा लेता है। उसकी बोरियों को रखने के लिये उचित स्थान न मिलने के कारण वह किसी एजेन्ट के हाथ में पड़ता है। स्थिति यह होती है कि किसान का शोषण होता है। बोरियां रखने के लिये उसको पैसे और देने पड़ते हैं। कभी आपने सोचा किसान बोरियां लाता है उनको रखने की भी कोई व्यवस्था करें? इस ओर कभी आपने कोई ध्यान दिया है।

(श्री नाथूसिंह)

किसान अनाज इसलिये बेचता है कि उसको तत्काल पैसों की आवश्यकता होती है। जब बेचने के लिये आता है तो किसान अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि उसको अच्छे दाम नहीं मिलते हैं और कई बार उसको अनाज वापस लेना पड़ता है। 300 से 1100 रुपये का किराया गोदाम का है, सभापति महोदय, यह एक सोचने का प्रश्न है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कितने गोदाम आपने बनाये हैं। कोई किसान अपनी उपज को लेकर आता है और मान लीजिये बरसात हो जाय तब किसान अपने सामान को रखना चाहे तो कहां रखेगा? क्या आपने उसके लिये गोदामों की व्यवस्था की है? उसके लिये भी आपने सोचा है। मेरा निवेदन है कि अधिक गोदाम होने चाहियें और सस्ती रेट पर मिलने चाहिये।

एक बात मंत्री महोदय, आपने कही कि किसानों का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। मुझे इस बात में भी शंका है, मैं कृषि उपज मण्डियों के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, माल तोलने की जो व्यवस्था है, उसमें भी यह है कि व्यापारी उसका माल तोलता है। किसान का अनाज और तोलता है उसको व्यापारी। सभापति महोदय, आज तक कहीं भी हम मार्केट में जाते हैं चाहे कपड़ा खरीदने जायें और चाहे कोई भी दूसरी चीज खरीदने जायं मालिक ही अपने सामान को तोलता है. नापता है और उसका भाव भी वही तय करता है, लेकिन यहां तो किसान की उपज का भाव भी वह तय नहीं करता है, दूसरे लोग ही उसके भाव को तय करते हैं। दूसरे लोग ही उसके माल को तोलते हैं और दूसरे लोग ही भाव लगाते हैं। ठीक तुला या नहीं, ठीक भाव लगा नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा निवेदन है आप इसकी भी कोई न कोई व्यवस्था कीजिये। आपने इस पर नहीं सोचा आपको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, अनाज किसान बेच देता है किन्तु उसको केश पेमेन्ट नहीं होता है। बेचे हुए माल के पैसे लेने के लिये उसको 10 बार आना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है ज्यों ही किसान माल बेचता है. तुरन्त उसको पैसा मिलना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता आपके पास कौनसा जादू का डण्डा है जिससे किसान के हित की बात करना चाहते हैं? आप भाषण उनके हित में दे रहे हैं और काम किसान विरोधी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, बिचौलियों की आज स्थिति यह है कि कृषि उपज मण्डी में जो किसान माल लेता है उसमें सरकार नहीं चाहती कि कोई बिचौलिया हो लेकिन सरकार ने जो अपने अधिकारी भेज रखे हैं वे ही एक तरह से बिचौलियों का काम करते हैं। व्यापारी के हाथों में आपके अधिकारी खिलौना बन जाते हैं। आपके अधिकारी उनके पास जाते हैं और वे उनसे मिल जाते हैं। जितने कानून आपने बनाये, किसी भी कृषि उपज मण्डी में मेरे साथ चलिये अगर आपके कानूनों का पालन होता हो तो जो भी आप कहेंगे, मैं करने को तैयार हूं। 50 प्रतिशत भी आपके नियमों का पालन कृषि उपज मण्डियों में नहीं होता है। आपके अधिकारी बिचौलियों के समान ही होते हैं।

(श्री नाथूसिंह)

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा उन्होंने एक किसान के घर में जन्म लिया है लेकिन जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता है। आप किसान के नाम से वोट लेकर जीत जाते हैं लेकिन आप किसान का भला नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह का संशोधन लाकर किसान का किसी प्रकार भी भला नहीं करना चाहती हैं आपको यह संशोधन लाने से पहले विचार करना चाहिये था इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिये था। आपने आज स्थिति यह पैदा कर दी कि किसान की हालत दयनीय हो गई है। आपको इसमें कोई पाइन्ट नजर नहीं आया। आज की व्यवस्था जो नोमिनेट करने की है, उसके अलावा इसमें आपने 15 लाख का यह चिट्ठा लाकर रख दिया कि इस पर मोहर लगा दें।

2.35 म. प.

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

क्या जरूरत थी ? कितने आफिसर लगाये, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, आपने ब्यूरोक्रेसी को लाभ पहुंचाने के लिये इसमें संशोधन किया है। आपने आफिसरों की नियुक्तियां कर दीं, इससे यह सिद्ध हो जायगा कि जो ब्यूरोक्रेट किन्हीं पदों से वंचित रह गये थे उनको भी आप लगा देंगी और वे सब इन बड़े-बड़े महकमों में जाकर हेरा-फेरी करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदया, अच्छा होता कि इन संशोधनों को लाने से पहले आप विभिन्न मण्डियों का दौरा करतीं लेकिन आपने तो जल्दबाजी की है, यह मेरा आरोप है। आप जल्दबाजी में इसे हमसे पास कराना चाहती हैं इससे हमारा विरोध है। इस संशोधन के हम विरोध में हैं क्योंकि यह संशोधन किसान विरोधी है।

आपने एक बात कही कि किसानों को रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रिप्रजेन्टेशन मिलेगा ? क्या आप किसी किसान को चेयरमैन बनायेंगी? लेकिन आपका तो सरकारी अधिकारियों पर विश्वास है। जो पब्लिक के रिप्रजेन्टेटिव हैं, जनता के नुमाइन्दे हैं, उन पर आपका विश्वास नहीं है। क्या आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, क्या आपकी पार्टी में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला ? आपकी पार्टी में तो जानकार लोग होंगे, आपकी पार्टी में पढ़े-लिखे होंगे उनसे ही काम करवाते ताकि उन पर जनता का सीधा अधिकार तो होता, वे भी पकड़ सकते थे। जनता के व्यक्ति को नोमीनेट करते तो उस पर सीधा जनता का अधिकार होता लेकिन वह अधिकार आपने अपने अधिकारियों को दिया है। अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करता है तो वह तो यही सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा ट्रान्सफर करेंगे। वह कहेगा इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा।

इसलिये, सभापति महोदया, मेरा सीधा आरोप है कि आपने जान-बूझकर जनता के प्रतिनिधि की और किसानों के हितों की अवहेलना की है और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलने के लिये उन्हें छोड़ दिया है ताकि आपकी ब्यूरोक्रेसी को और फायदा मिल जाय। इसलिये, सभापति महोदया, जो संशोधन लाये हैं, मैं इस संशोधन का तीव्र विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदया इस पर पुन: विचार करेंगी और इसको जनता में जनमत जानने के लिये परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव को

(श्री नाथू सिंह)

स्वीकार करेंगी । इसके लिये आग्रह न करें; अच्छा है, मत विभाजन हो, उसके पहले ही जनमत जानने के लिये भेज दें । हो सकता है मेरी बातों का आप पर असर हुआ हो । आप किसान की बेटी हैं इसलिये किसान के प्रति प्रेम की आप चिनगारी हैं वह किसी प्रकार आप में प्रज्वलित हो जाय और आप खड़ी होकर यह कह दें कि मैं जल्दीबाजी में पास नहीं कराऊंगी और इसे जनमत जानने के लिये भेज दूंगी । इससे जो कृषि उपज मण्डी से सम्बन्धित लोग हैं वे भी आपके आभारी रहेंगे, मैं भी आपका आभारी रहूंगा और राजस्थान की जनता भी आभारी रहेगी। आप पर ब्यूरोक्रेसी जरूर गुस्सा होगी लेकिन आप उनके वोट पर जीत कर नहीं आई है । इसलिये मेरा निवेदन है जिनके वोटों से आप जीत कर आई हैं उनके प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें कर दें । मेरा मानना है कि आप इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगी और इसे जनमत जानने के लिये परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी। तभी आप किसानों की वास्तविक रूप से हितैषी होंगी। आपको यह भी अहसास हो जायगा कि यहां आकर मैं ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंस गई हूं ।

माननीय मंत्री महोदया समझदार हैं और बहुत हद तक किसानों के हित में काम किया है, ब्यूरोक्रेसी के हित में नहीं ....

श्रीमती कमला : आपका विश्वास गलत नहीं होगा। जब आप सुनेंगे तब आपको पता लग जायगा।

श्री नाथूसिंह : मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आप किसान की बेटी हैं इसलिए खड़ी होकर कहेंगी और पास कराने में जल्दबाजी नहीं कर जनमत जानने के लिये परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान कृषि उपज विपणि (अमेंडमेंट) बिल के बारे में कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं । असल में कृषि की उपज को नियन्त्रित करने की दृष्टि, से कृषि उपज का उचित मूल्य मिले, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही यह बोर्ड बनाया गया है । इसके तहत हमारे प्रान्त में कृषि उपज को बेचने के लिए काफी नियन्त्रित मन्डियां भी बनायी गयी हैं । परन्तु इसका जो उद्देश्य है वह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम कृषि उपज का उचित मूल्य देने की गारन्टी न दें। किसान आता है, यह ठीक है कि पहले सीधे ही व्यापारी के चंगुल में फंसता था। न उसको तोल का कुछ पता था, न मोल का पता था और जिस प्रकार से भी एक महाजन चाहता था वह लूटता था । एक प्रकार से बिना रुपियों का मामला चलता था । सरकार ने उस ओर ध्यान दिया और बजाय इसके कि किसान को एक व्यापारी के भरोसे छोड़े, मंडियों का निर्माण किया गया। मंडी कमेटियों के नियम बनाये गये और विपणन बोर्ड इन सब पर कमाण्ड करने के लिए प्रान्त स्तर पर बनाया गया है। परन्तु आज भी स्थिति यह है, यह ठीक है कि किसान के ऊपर विभिन्न प्रकार के लगाये जाने वाले टैक्स अब नहीं लगाये जा रहे हैं। यह आढ़त, दलाली और तुलाई वगैरह जो लगती थी किसान पर उन नियमों के तहत उनको मुक्ति दिला दी गयी है। इससे किसान पर

(श्री भेरूलाल भारद्वाज)

वह टैक्स अब नहीं लगता है इससे तो बड़ा संतोष हुआ है। परन्तु असल बात यह है कि जब तक यह गारन्टी न हो कि चाहे किसान कोई भी अपनी चीज लाये, चाहे अनाज हो या दूसरे प्रकार की चीज हो, उसका जो मूल्य हो, उसको वह उचित मूल्य मिले। अगर उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में बोर्ड, मण्डी समितियां और सरकार सोचे। आज भी स्थिति यह है कि बाजार में माल रखता है तो टैक्स बचाने के अलावा मूल्य पर उसका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। दुनिया में केवल एक किसान ही ऐसा प्राणी है जिसकी पैदा की हुई चीजों का वह खुद मूल्य निर्धारण नहीं कर सकता। साधारण तौर पर जूते बनाने वाला चमार, साधारण तौर पर कपड़े बनाने वाला जुलाहा, साधारण तौर पर बड़े से बड़ी फैक्ट्री का मालिक चाहे वह कार बनाता हो, चाहे वह किसी प्रकार की दूसरी मशीनरी बनाता हो, अपनी चीजों के बनाने के बाद लागत मूल्य, उसका मुनाफा और उसके कारखाने के और घर के सारे ठाट-बाट जोड़ करके वह उस पर मूल्य अंकित करता है दियासलाई के बक्स का मूल्य यह है या अम्बेसेडर कार का मूल्य यह है। वे सब मूल्य अंकित करने के अधिकारी हैं, महज किसान ही ऐसा प्राणी है जो रात दिन कठोर मेहनत करके अपनी चीजों का उत्पादन करता है सारी दुनिया को जिन्दा रखने के लिए उसके बावजूद जब वह सारी फसल सारी उपज को लेकर बाजार में रखता है तो चाहे कुछ भी भाव हो, यह लेने वाले की मर्जी है कि वह क्या भाव लगाये। किसान का माल पड़ा रहता है। ग्राहक आता है या कोई महाजन आता है वह भाव लगाता है 85 रुपया, 86 रुपया, 87 रुपया और किसान निरीह की तरह देखता रहता है। जिस तरह नीलामी उसके माल की होती है वह आंख लगाये देखता रहता है। माल किसका नीलाम होता है ? किसी ऐसे माल का नीलाम होता है जिसका कोई मालिक नहीं होता उस माल की नीलामी होती है जिसका कोई धणी धोरी नहीं है। उस तरह की आज किसान की स्थिति है और यह स्थिति इसलिए है कि सारे समाज के अन्दर पूंजीपति पूंजीवाद की रक्षा के लिए अलग-अलग चेहरों से अलग-अलग नामों से राजनैतिक तरीके से उनका संरक्षण करते हैं। मेरे पूर्व वक्ता किसान बन्धु हैं और मेरे क्षेत्र के नौजवान बन्धु हैं वे जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी का काम हिन्दुस्तान में व्यापारी को खुली छूट जारी रखने का है। अभी इससे पहले ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने गला फाड़ फाड़ करके दुकानदारों को वापस किताबें बेचने के लिए कापियां देने के लिए सदन के अन्दर बड़ी वकालत की। आप देखिये कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारियों का संरक्षण होता है।

इस विपणन बोर्ड के जरिये व्यापारियों पर टैक्स लगाकर किसानों को लूट से बचाया है, यह बड़ी अच्छी बात है। परन्तु इससे ही काम नहीं चल सकता। जब तक कृषि उपज का मूल्य सरकार तय नहीं करे जब तक उसका पर्याप्त मूल्य उसको नहीं मिले तब तक वह अपना माल नहीं बेचे। उस हालत में जब वह नहीं बेचे तो उसका माल बाकायदा गोदामों में सुरक्षित रहे और उसको सम्भावित मूल्य का कुछ पैसा एडवांस के तौर पर दिया जाये ताकि

(श्री मेरूलाल भारद्वाज)

जब उचित भाव हों तब वह अपनी चीज बेच सके। इस प्रकार चीजों के न्यूनतम मूल्य निकाल दिये जायें, इस प्रकार न्यूनतम मूल्य हों चाहे वह गेहूं के मूल्य हों, चाहे वह कपास के मूल्य हों। उनके इतने कम मूल्य होते हैं कि उसमें किसान का खर्चा भी पूरा नहीं होता। आपको मालूम है कि कई यूनिवर्सिटी और कई संस्थाओं ने इस बारे में जांच की है कि प्रति क्विन्टल गेहूं का मूल्य क्या हो। परन्तु इसके बावजूद उसके न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। इस मौके पर मैं माननीय मन्त्रीजी का खास तौर से यह ध्यान एक जरूरी पोइन्ट की ओर दिलाना चाहूंगा कि यह विपणन बोर्ड तभी असरदार बन सकता है जब, कृषि उपज के मूल्यों को निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जावे कि किसान को उसका उचित मुनाफा मिले, लागत मूल्य किसान को मिले। ऐसी सूरत में जब कि उसको वह मूल्य नहीं मिले तो सरकार की ओर से सुरक्षा की गारन्टी होनी चाहिये।

जहां तक सवाल है नौकरशाही के हाथ में इस बोर्ड को देने का माननीय मन्त्री जी ने कह भी दिया है और मैं पूर्व वक्ता महोदय से कहना चाहता हूं कि यह तो किसानों का बोर्ड है निश्चित रूप से किसानों के प्रतिनिधि आयेंगे। यह संशोधन केवल इसलिए लाया गया है कि निहित स्वार्थी लोगों द्वारा आपकी सरकार के माध्यम से बोर्डों का निगमों का और इस सरकार का दुरुपयोग किया गया है, उनको हटाना बहुत आवश्यक था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सीधे ही नौकरशाही के चंगुल में दे देना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि जब उन लोगों से सारी सरकार और सारे बोर्डों को मुक्ति मिल गई तो इस विपणन बोर्ड में किस प्रकार से रखा जाय। यह संशोधन उस मन्शा को पूरा करने के लिए लाया गया है। सरकार की मन्शा भी जरूर है और हमारी पार्टी का कार्यक्रम भी है कि वह किसानों को अधिक से अधिक राहत दिलाना चाहती है। यह सारा ही कार्यक्रम उसी के अन्तर्गत है। महज मैं इतनी बात कहते हुए इस बात को समाप्त करूंगा कि सरकार को चाहिए कि वह किसानों को कृषि उपज के मूल्य ठीक ढंग से मिले, इस बात को ध्यान में रखें और उपज के लागत मूल्य तथा उनके जीवन-यापन के लिए जो जरूरी खर्चा है उसको जोड़ कर मूल्य निर्धारित करे यह बहुत जरूरी है। इतना कहते हुए जो संशोधन विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, जो संशोधन लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ सहकारी समितियों, कृषि विपणन समितियों में क्या हो रहा है, मैं उस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक बड़ा मूल प्रश्न है जिस पर इस सदन को विचार करना चाहिए। वही प्रश्न इस विधेयक के द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। यह बात सही है कि जब भी सरकार में परिवर्तन आता है उसके साथ ही सरकार द्वारा जितने भी बोर्ड हैं, कार्पोरेशन्स हैं, उनमें चेयरमैन नियुक्त

(भैरोंसिंह शेखावत)

किये गये, मेरी ऐसी मान्यता है कि उन्हें सरकार के साथ ही त्याग-पत्र दे देना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। यदि इस प्रैक्टिस के आधार पर भविष्य में हम आचरण करें। मैं स्वयं इसे मानता हूं। भूतपूर्व सरकार ने जिन व्यक्तियों को इन पदों पर नामजद किया था, उन सबसे मेरी बात हुई थी। उनसे मैंने यह आग्रह किया कि चुनाव के पश्चात जो भी सरकार बनती है, उस सरकार के आधार पर आपको त्याग-पत्र देने का निर्णय करना चाहिए। अगर कांग्रेस की हकूमत बनती है तो निश्चित रूप से आपको त्याग-पत्र दे देना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है लेकिन जब तक चुनाव नहीं हों उस समय तक इस प्रकार के निर्णय को स्थगित रख कर चलना चाहिए। इसके कारण दो हैं। आज कोई नहीं कह सकता कि चुनाव के परिणाम क्या निकलेंगे। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया या कांग्रेस का बहुमत न आकर अगर जनता पार्टी का बहुमत आया तो जिन लोगों से त्याग पत्र लिये हैं, उन्हीं लोगों को यदि जनता पार्टी पुनः उन पदों पर नियुक्त करती तो स्थिति कुछ विचित्र होती। यदि परम्परायें नहीं हैं तो उनका निर्माण करना चाहिये, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कांग्रेस की सरकार, जो आज शासनारूढ़ है, के आने के बाद बोर्डों के सारे व्यक्तियों को हटाया होता तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। आपत्ति इस बात की है कि सरकार आई नहीं और यहां भारत सरकार ने जो एडवाइजर्स भेजे उन एडवाइजर्स ने अपनी इच्छा से सारे जितने बोर्ड हैं, निगम हैं उनके चेयरमैन से इस्तीफे लिये और जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए उनके लिये आर्डिनेंस लाया गया। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, राष्ट्रपति शासन में इस प्रकार का पहला आर्डिनेन्स है, इस प्रकार का कोई आर्डिनेन्स अन्य राज्य में किसी भी प्रकार से लागू किया गया, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया। यह सदन इस बात पर विचार कर ले, अधिकार चुनी हुई सरकार के हाथ में होने चाहियें या ये अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन या एडवाइजर्स के हाथ में होने चाहिये? जो इस बात के प्रतिपक्षी हैं, वे भी इस बात पर विचार करलें कि ये अधिकार एडवाइजर्स के हाथ में नहीं होकर चुनी हुई सरकार के हाथ में होने चाहिये। मैं आपको उदाहरण के रूप में कह सकता हूं, सन् 1977 में राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ, मुझे एक दो उदाहरण बता दें, जब तक नयी सरकार नहीं आई उसके पहले उस समय के राज्यपाल महोदय ने या उस समय की केंद्रीय सरकार ने किसी भी व्यक्ति को इन पदों से हटाया हो एक भी उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। जब राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ और चुनाव तुरन्त होने वाले थे, तो नयी सरकार कोई भी निर्वाचित होती, वह आने वाली थी, उस बीच में इस प्रकार की प्रक्रिया की जाये तो वह निश्चित रूप से आपत्तिजनक है।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपतिजी ने खुद ने निर्देश दिये थे कि राज्य में कोई नीति सम्बन्धी या महत्वपूर्ण मामलों पर एडवाइजर्स किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे। इस बात को अन्य स्थानों पर लागू किया गया लेकिन राजस्थान में इसको लागू

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं किया गया। मेरा अपना मत है, कांग्रेस की सरकार आ जाती तब तक पृथ्वीसिंहजी उसके चेयरमैन बने रहते। प्रतीक्षा केवल इतनी थी, सिद्धान्त उसमें एक इनवोल्व था कि निर्वाचित सरकार के सामने इस्तीफा दिया जाये या एडवाइजर्स के सामने इस्तीफा दिया जाये। मेरा विश्वास है कि सदन अपने अधिकार ऐसे अधिकारियों के हाथ में नहीं रखेगा, जो आपके साथ इस प्रकार की घटना कर सकते हैं। कल राष्ट्रपति का शासन आ जाये और............

एक माननीय सदस्य : आपके साथ ही जा............

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको अक्ल आ नहीं सकती है।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, ऐसी स्थिति के अन्दर, सिद्धान्त का क्वेश्चन है, व्यक्ति का नहीं है, एक आदमी हटे या नहीं हटे, उससे भूकम्प नहीं होने वाला है। पृथ्वीसिंहजी 15 दिन और रहते और कमला जी मंत्री बनती, उस समय वे आदेश देती तो उसका मैं भी स्वागत करता और वे भी करतीं। प्रश्न केवल इतना सा है कि कमला जी के आने के पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो एडवाइजर्स थे, उनको इस प्रकार के आदेश देने चाहिये थे, या नहीं देने चाहिए थे। यह प्रश्न है, जिस पर सदन में विचार करना पड़ेगा। यह मैं समझता हूं बहुत आपत्तिजनक कार्यवाही है और इसके लिये हमें प्रोटेस्ट रिकार्ड करवाना है।

दूसरा प्रश्न इसमें इनवोल्व है, आपने कहा और जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, ये सारी कार्यवाही किसानों के हित में की जाती। मैं आपसे एक जानकारी करना चाहूंगा, कोई भी किसान चाहे भारद्वाजजी उसके चेयरमैन बन जायें, या और कोई व्यक्ति बन जाये वह ईमानदारी, निष्ठा और कर्त्तव्यपरायणता से काम करे, किसानों के हित में काम करे, लेकिन यदि सरकार इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर चले कि जो कुछ चेयरमैन काम कर रहा है वह सरकार पसन्द नहीं करती है, भले ही किसानों के हित में है लेकिन सरकार पसन्द नहीं करती है तो उस समय के लिए आपने इस कानून के जरिये सरकार को अधिकार दे दिया कि उसको तुरन्त हटा दे। आज राजस्थान का कौन किसान इस बात को चाहेगा कि मैं किसानों के हित में काम करता रहूं, और सरकार की भी गुलामी करता रहूं। फिर चेयरमैन आयेंगे तो किसानों की गुलामी नहीं होगी व सरकार के गुलाम बनेंगे। अब आज इस बात का भी फैसला कर लें कि किसानों के हित को सोचने वाला व्यक्ति बिल्कुल निष्पक्ष होकर, स्वतन्त्र होकर, किसानों का हित चिन्तन करे वही चेयरमैन बनना चाहिये या किसानों के हितों के विपरीत, सरकार की इच्छा के अनुसार जो सरकार कहे, सरकार की आज्ञा का पालन करे, वह व्यक्ति चेयरमैन बनना चाहिये। यह मूल प्रश्न है, इस पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिये। पृथ्वीसिंह जी तो गये, लेकिन पृथ्वीसिंह जी की जगह कोई भी आयेगा, उसको हटाने के लिये आप सरकार को तलवार दे रहे हैं। अगर यह आदेश पृथ्वीसिंह जी तक सीमित होता तो मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं होती, लेकिन यह अधिकार आपने सदा के लिये दे दिया। इसका मतलब जिस दिन चेयरमैन किसानों के हित को लेकर सरकार के पास जाता है और सरकार उसको नहीं मानती है तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संघर्ष होता है, आपने इस कानून में सरकार को अधिकार दे दिया कि बिना नोटिस बताये उसको छुट्टी दे दो। यह मैं समझता हूं न्याय का तकाजा है, आप किसी को भी, किसी व्यक्ति को कहीं से भी हटायें, कम से कम कारण बताना चाहिये। इस व्यक्ति का दोष क्या था, इसने किसानों के हित में कौनसे काम नहीं किये, सरकार के कौनसे आदेश का पालन नहीं किया, इसने बोर्ड में रहते हुए किस प्रकार के घपले किये, कम से कम इस बात का नोटिस देना चाहिये। नोटिस नहीं दिया जाये और उसको मर्जी से हटा दें तो यह व्यवस्था उचित नहीं है। आज हम सरपंच को हटा दें, सरपंच को हटाने के लिये नोटिस देते हैं, नोटिस का वह जवाब देता है। उसके ऊपर आरोप लगाये जाते हैं, उनकी जांच होती है उसकी सुनवाई होती है। पंच को हटाते हैं तो वही प्रक्रिया है, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को हटाते हैं तो वही प्रक्रिया हैं, और कोई भी निर्वाचित व्यक्ति हैं, उनको हटाते हैं तो वही प्रक्रिया है। आज वह प्रक्रिया लागू नहीं की गई और भविष्य में लागू नहीं की जावेगी। यह कोई हेल्दी प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार आपने अधिकार इन कानून के जरिये उनको दे दिया। मैं समझता हूं मंत्री महोदया इस प्रश्न पर विचार करेंगी। मैं समझता हूं वह अपने अधिकार एडवाइजर्स को देने के पक्ष नहीं होंगी। मैं समझ सकता हूं कि वह कभी भी इस बात को नहीं चाहेगी कि जनता के आदमियों की इस प्रकार एडवाइजर्स के हाथों इन्सल्ट कराथी जाये। कोई यह सोच कर नहीं चले कि एक पार्टी के राज करने की बपौती है। एक राज में आज जो नियुक्त कर दिये वे उम्र भर के लिये नियुक्त कर दिये। जैसा मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि जनता राज बदलना सीख गई है, जो जनता राज बदलना सीख गई है, उसका फैसला किसके पक्ष में हो, आज कोई गारण्टी लेकर नहीं चल सकता। जो कुछ हुआ वह हुआ, उसको आप निरस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जो इस प्रकार अधिकार आप देना चाहते हैं, कम से कम जिस व्यक्ति को हटा रहे हैं उसको कारण बताना चाहिये, एक्सप्लेनेशन देने का मौका निश्चित रूप से देना चाहिये। यदि नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि उन लोगों को लगाना चाहते हैं जो हमारी मर्जी के अनुसार काम करें और किसानों के हित्सन के अनुसार काम न करें। मैं विरोधी दल के रूप में मेरी पार्टी की ओर से आश्वासन दे सकता हूं जिस समय मैं मुख्य मंत्री पद से हटा, ये सारे चेयरमैन मेरे पास आये और सबने कहा कि हम त्याग पत्र देना चाहते हैं। उनसे मैंने कहा, आज त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है यदि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आ जाती है और मुख्य मंत्री जिस दिन शपथ लें, उस दिन आपको त्याग पत्र दे देना चाहिये। यह एक हेल्दी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन न कर एडवाइजर्स ने यह सारी कार्यवाही की है। मैं कह सकता हूं कि एडवाइजर्स न कांग्रेस के हैं न बी. जे. पी. के। राजस्थान में एक एडवाइजर आया, मैं समझता हूं, भारद्वाज जी, कांग्रेस का एजेन्ट ऐसा काम नहीं कर सकता है जो उस एडवाइजर ने करके राजस्थान में जैसी स्थिति पैदा की है इसको तो मैं अलग सैशन में बताऊंगा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन होते और जनता पार्टी हुकूमत में आ जाती और उनको बिना नोटिस दिये हटा दिया जाता तो आपकी क्या फीलिंग

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होती ? इससे आप अन्दाजा लगायें। एक एडवाइजर आपको हटा दे, मैं समझता हूं यह सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और परम्पराओं का बहुत बड़ा अपमान है, उस पर बहुत बड़ा आघात हुआ है। इस पर आपको चिन्तन करना पड़ेगा।

दूसरा मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा, इसमें हमने कोई संशोधन नहीं दिया, यह बात सही है। इस कारण से कुछ कहना चाहें तो मैं समझता हूं उचित है, लेकिन मैं उस तरह के अधिकार नहीं रख सकता कि बिना संशोधन के कोई संशोधन स्वीकार कर लें। चाहे आप किसी को नियुक्त करें, आप भी किसी न किसी जनता के आदमी की नियुक्ति करने वाले हैं लेकिन उसके ऊपर 24 घंटे तलवार लटका कर रखें तो वह काम नहीं कर सकता चाहे वह किसी पार्टी का हो चाहे किसी वर्ग का हो। अगर आप ईमानदारी से काम देखना चाहते हैं तो उसको आपको कुछ न कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिये। यदि तलवार आपने लटकाये रखी तो वह सिवाय इसके कि सरकार की खुशामद करते रहें, जनता और किसानों के हित में चिंतन नहीं करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो हटाये वह गलत काम किया, लोकतंत्र पर आघात किया, जनता के प्रतिनिधियों के साथ जबरदस्त अन्याय किया। उसका तो केवल विरोध, प्रोटेस्ट रिकार्ड कराना है लेकिन भविष्य में यह बात न हो यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : आप चले गये तो आपके साथ उनको भी चले जाना चाहिये था। जब बकरी चली गई तो बकरी की घंटी कैसे रहेगी। इससे बढ़िया तो यह तरीका था। जिन लोगों को, इलेक्टेड लोगों को सरकार नोटिस दे यह बात तो वाजिब है, चुने हुए लोगों को हटाने के लिये तो मैं सहमत हूं लेकिन गवर्नमेंट जिसे नियुक्ति दे उसे गवर्नमेंट हटा भी सकती है और हटाना भी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय मैं मुख्य मंत्री बना, जब राष्ट्रपति का शासन था तो कई कांग्रेस द्वारा नोमिनेटेड जो चैयरमैन थे उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, दो आदमी उनमें से मेरे पास आये। 1977 की बात मैं कह रहा हूं। वे बोले, राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया है। हमें त्याग पत्र देना चाहिये। मैंने कहा कि यदि कांग्रेस की पराजय हो जाती है तो आपको निश्चित रूप से त्याग पत्र देना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि 1977 में राष्ट्रपति के शासन काल में किसी व्यक्ति से यदि गवर्नर या उसके एडवाइजर ने त्याग पत्र लिया या त्याग-पत्र का आर्डिनेंस लाये हों तो आप एक भी उदाहरण बता दें। फिर कंपेरिजन करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसका मुख्य कारण यह था कि जब सरकार जा रही थी 2-4 दिन बाकी थे तो आपने अंतिम दिनों में अलवर के यू. आई. टी. में नोमिनेट करके जीतमलजी को भेज दिया। उस वक्त सरकार क्या करती? इसलिये केवल 18 दिन यू. आई. टी. रही। आपने इसलिये थोपा कि आपकी जनता पार्टी के लोगों को, जनसंघियों के लोगों को फायदा पहुंचाना था। उसके बाद एडवाइजर के पास उसको भंग करने के सिवाय चारा नहीं था। वहां लोग परेशान हो रहे थे। उन्होंने इस तरह के

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

काम शुरू कर दिये थे, गरीबों के मकान फोड़ने लग गये थे।

(व्यवधान)।

इसलिये एडवाइजर को ऐसा करना पड़ा। नहीं तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण शर्मा !

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने बड़ी दुहाई दी लोकतंत्र की। लोकतंत्र की दुहाई देनी भी चाहिये थी क्योंकि वे लोकतंत्र के मसीहा हैं। उन्होंने राजस्थान के अंदर पंचायती राज के चुनाव कराये और पंचायत समितियों के चुनाव कराये उस समय चुनी हुई पंचायत समितियों, जिला परिषदों और कोआपरेटिव के जो बहुत से बोर्ड थे उन्होंने उनको इस बात पर भंग कर दिया कि केवल कांग्रेस के चुने हुए बोर्ड थे। उन्होंने उस समय लोकतंत्र को हाथ में लिया था। अगर वे प्रजातंत्र के हामी थे तो चुनाव करा कर दूसरे लोगों के हाथ में देते उन्होंने अफसरशाही के हाथ में दिया और वे दुहाई देते हैं कि उन्होंने 12 साल बाद पचायतों के चुनाव कराये। तीन साल तक लगातार इन पंचायत समितियों, जिला परिषदों, सहकारी समितियों उपभोक्ता भण्डारों और संघों को इन्होंने सरकारी अफसरों के हाथ में दे दिया जो प्रजातंत्र के चुने हुए लोग थे उनके हाथों से लेकर और फिर कहते हैं कि हमने चुनाव करा दिये। चुनाव करा कर सरपंचों को विकास अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया, जिला परिषदों का निर्माण नहीं किया। इन्होंने तीन साल तक कोई कार्यवाही की लोकतंत्र के लिये ?

ठीक है आपने कहा, स्वस्थ परंपरा के लिये गवर्नर ने यहां पर अभिभाषण दिया था उस समय मैं विरोध में बैठा था। उस समय मैंने भी भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिहजी से एक बात कही थी कि आपने जो यह आलाप शुरू कर दिया कि हमारी तीस साल की सरकार ने कुछ नहीं किया और आप बार-बार उन लोगों के खिलाफ बोल कर इस हाउस में भाषण देते हैं, यह कहना बन्द करें। इन चौपड़ के भाषणों से इस देश का विकास नहीं हो सकता। आपको वह चीज करनी पड़ेगी जिससे राजस्थान का विकास हो। आपने 1-2 परंपराएं डालने का काम किया होता। आपने जार्ज फर्नाण्डीज का मुकदमा वापस नहीं लिया होता, एच० एम० पटेल, जिसके ऊपर मूंदड़ा काण्ड का सबसे बड़ा मुकद्दमा है, को केन्द्रीय सरकार में नहीं लिया होता, आपने बीजू पटनायक, जिसके खिलाफ उड़ीसा में आयोग बैठा था, को केन्द्रीय सरकार में न लिया होता तो हम मानते कि भारत में जनता पार्टी की सरकार आई है और वे बहुत बड़ा उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार के आयोग हैं, चाहे वह बादल हों चाहे कोई और व्यक्ति हों उनको न लेते। केवल पृथ्वीसिंह के लिये आप परंपरा डालना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इन्होंने परंपरा वह डाली है, किसानों का जो पैसा आता है कृषि उपज मण्डी से उसका एगजाई फण्ड बनाते, अगर वहां के किसान टैक्स देते हैं और उनको फायदा नहीं होता है तो विपणन बोर्ड से वहां के किसानों को क्या फायदा होता है, जैसा अभी लक्ष्मणगढ़ से आने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वाले माननीय सदस्य ने कहा, आपने तो जाते-जाते किसी को पांच दिन के लिए, किसी को सात दिन के लिए नोमिनेट कर दिया। अलवर के अन्दर जो यू० आई० टी० का बोर्ड था उसके अन्दर तीन आदमी नोमिनेट होने चाहिए थे परन्तु आपने 9 आदमियों को नोमिनेट किया। आपने जाते-जाते बहुत से बोर्ड बनाये इसलिये मजबूर होकर इन एडवाइजर्स को इस बारे में सोचना पड़ा होगा। आपके सामने हरिदेव जोशी की सरकार ने जाते हुए किसी को बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया, हां नहीं बनाया, बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया। बनाया हो तो खड़े होकर बता दें। आखिर में भी उस समय चेयरमैन था। मैंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था चुनाव लड़ने के लिये और मेरे बहुत से साथियों ने इस्तीफे दे दिये थे। केवल उन्हीं साथियों ने इस्तीफे नहीं दिये जिनसे आपकी नीचे-नीचे सांठ-गांठ रही, जिनसे आपके शेयर्स थे, जिनसे दोस्ताना था उन्हीं चेयरमैन को आपने रखा। बाकी औरों के साथ जो कुछ भी आपने व्यवहार किया है वह आपसे, हमसे छिपा हुआ नहीं है। आप जोर-शोर के साथ कह रहे थे कि हमने बदले की भावना से काम नहीं किया। आप, माननीय भैरोंसिंह जी, कह दीजिए, घासीराम यादव आपसे कितनी बार मिला? बाड़मेर भेज दिया था केवल इसलिए कि घासीराम जी के रिश्तेदार हैं। हमारे 25 अध्यापकों को दूर भेज दिया। आपने यह कहा कि यह हुआ तो है मैं देख लूंगा। फिर आपने कहा कि लोकसभा के चुनावों के बाद इसको ठीक कर देंगे। मैंने यह कहा था कि लोकसभा के चुनावों के बाद आप रहेंगे नहीं फिर किसको ठीक कर देंगे। हम और आप दोनों बाहर हो गये इसलिये आप यह तो मत कहिये कि हमने बदले की भावना से काम नहीं किया। आपने कुछ काम किये होंगे परन्तु आपके साथियों ने तो करने में कोई कसर नहीं रखी।

यहां पर आपकी इस बात के लिए ताईद करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र में स्वस्थ परम्पराएं डालनी चाहिए। स्वस्थ परम्पराएं नहीं डालेंगे तो यह प्रजातन्त्र जीवित नहीं रहेगा। प्रजातन्त्र जीवित नहीं रहेगा तो आपकी, हमारे देश के आम आदमी की, कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए हमारे देश में प्रजातन्त्र को जीवित रखने के लिए स्वस्थ परम्पराएं डालनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु यह तभी संभव है जब कि हम जितने भी प्रजातन्त्र के हामी हैं, वे सब मिल कर प्रजातन्त्र के लिए काम करें।

मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हर जिले के अन्दर आपके प्रशासक बैठे हैं उनके पास बहुत अधिक काम हैं। कहीं पर एस० डी० ओ० बैठे हैं, कहीं पर दूसरे लोग बैठे हैं। वे लोग 6 बजे बाद मिलते नहीं हैं। वे इस स्थिति में भी नहीं है। बहुत बड़ा कृषि उपज विपणन बोर्ड है आप उसमें प्रशासक को वर्षों तक बैठाये रखेंगे जैसा कि जनता पार्टी ने किया है तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कृषि उपज विपणन बोर्ड हो, कृषि उपज मण्डी हो, चाहे कोआपरेटिव सोसायटी हो, अगर आपने इनमें जनता के नुमाइन्दे नहीं बिठाये तो मैं यह कह सकता हूं कि लोगों की आस्था समाप्त हो जाएगी, लोगों का इन के प्रति जो उत्साह है वह खतम हो जाएगा। लोग यह महसूस करेंगे कि इस देश का प्रजा

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

तन्त्र अभी अधूरा है। जो गांव का व्यक्ति है वह यह चाहता है कि उसके यहां पर एक मील की सड़क बने। वह चाहता है कि उस के यहां पर यातायात के साधन हों। गांव का किसान यह चाहता है कि उसको कृषि उपज की कीमत ठीक मिले। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इनमें चुने हुए नुमाइन्दे अभी नहीं हों तो आपके द्वारा जो नुमाइन्दे नियुक्त हों, वे जनता के प्रतिनिधि हों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, उनको इन बोर्डों के अन्दर बिठाया जाए।

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजगढ़ के अन्दर जो कृषि उपज मंडी का गठन किया गया है वह सरकार द्वारा चुनाव के 15 दिन पहले किया गया। लोक सभा चुनावों के ठीक 15 दिन पहले राजगढ़ कृषि उपज मन्डी का गठन किया गया। यह भी हमारे एडवाइजर ने किया। विधान सभा के चुनाव हो चुके थे तब वहां पर चेयरमैन का चुनाव हुआ। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इन सब के बारे में गंभीरता से विचार करें। यह ऐसा मसला है जिसको हम भुला नहीं सकते। अच्छी प्रकार से इस पर सोचें-समझें। यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। यह किसानों से बहुत अधिक सम्बन्धित है। किसानों को उपज की सही कीमत मिल सके, उनको यातायात के साधन जुटाये जाएं किसानों को मण्डी में ठहरने की सुख सुविधा हो, यह सारा कार्य कृषि विपणन बोर्ड ही अच्छी तरह से कर सकता है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राज बहादुर : सभापति महोदया, मैं खास-खास सिद्धांत की बात इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। काफी आरोप-प्रत्यारोप सदन में लगाये गये हैं। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता हूं। इस बोर्ड के गठन को देखा जाए, चाहे दूसरे बोर्ड हों, उनके गठन को देखा जाए, तो इनके गठन के समय यह देखा जाय कि कुछ उद्देश्य हैं, जिनकी पूर्ति के लिए इनको बनाया जाता है। इनके प्रशासन में, इनके संचालन में कितनी स्वच्छता और निष्पक्षता हो सकती है, कितनी दक्षता हो सकती है इसको करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह एश्योर करें कि इनके गठन में कोई संकीर्ण भावना न हो।

यहां पर एक सिद्धांत की बात विरोधी दल के नेता महोदय ने कही है। जैसे ही सरकार बदले इन बोर्ड के चेयरमैन को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा शायद अमरीका में ही होता है। अमेरिका में प्रेसीडेन्ट के चुनाव के बाद पोस्ट मास्टर तक रिजाइन कर देता है। लेकिन, सभापति महोदया, हमारे यहां पर इस प्रकार का विधान नहीं है। वह शासन प्रणाली नहीं है। न हम इसको लागू करना चाहते हैं। हम अपने प्रजातन्त्र को परस्पर विश्वास के आधार पर चलाना चाहते हैं जिसका एक स्टेण्डर्ड हो, एक मापदण्ड हो। कुछ ऐसी चीज हों जिनके बारे में हम निष्पक्षता से सोचें। मैं तो सरकार से यह आशा करता हूं और उसको यह सुझाव दूंगा कि जब कभी भी वह ऐसे बोर्ड का गठन करे, नियुक्त करे तो इस आधार पर न करे कि यह मेरा है, यह तेरा है। किसी को राजनीतिक प्रश्रय न दे। किसी का राजनीतिक रिहेबिलिटेशन न करे। जो खास उद्देश्य है, जो काम में दक्ष हों, अनुभवी हों उन्हीं को नियुक्त किया जाए। यह बड़ा भारी माध्यम है रूरल साइट को चैन्ज करने का,

(श्री राजबहादुर)
ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने का, कायाकल्प करने का।

जहां तक मैंने सुना है इन बोर्डों के पास पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा होता है, इस धन के जरिए हम सड़कें बना सकते हैं, और भी कई छोटे मोटे काम हो सकते हैं। निष्पक्षता के साथ, उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम किया जाए तो ये बोर्ड वरदान बन सकते हैं अन्यथा श्राप भी बन सकते हैं। यदि इनमें पदों के लिए खींचातानी रही, मुनाफे के लिए स्थानों के लिए खींचातानी रहीं तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इस लिए पहली बात तो यह है कि जो इनका गठन हो वह निष्पक्षता के साथ हो। वह केवल पोलिटिकल दृष्टि से न हो कि यह कांग्रेस का है, यह कांग्रेस विरोधी है, यह जनता पार्टी का है और यह जनता पार्टी विरोधी है, इस दृष्टिकोण से न हो। बल्कि जब गठन हो बोर्ड का तो यह देखा जाए कि सारे इलाके में, सारे राजस्थान में कौन उपयुक्त व्यक्ति है, अनुभवी हैं। ऐसे व्यक्ति को दक्षता के आधार पर नियुक्त किया जाए तो निश्चय ही वह बोर्ड को दक्षता के साथ संचालित करेगा और स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएगा। एक दूसरा सिद्धान्त यह भी है कि उत्तम से उत्तम बोर्ड में उत्तम से उत्तम आदमी को लगाया जाए। उसका आधार मेरिट हो, उसके चेहरे को न देखा जाए, उसके मुखौटे को न देखा जाए, मेरिट, योग्यता उसका आधार हो। थोड़े बहुत सन्तुलन के लिए हम थोड़े बहुत जाति-पाति में जा सकते हैं मगर हम आज जाति-पाति वाले ज्यादा हो गये हैं और इन्सान कम रह गये हैं, मैं ब्राह्मण हूं, कायस्थ हूं, जाट हूं, गूजर हूं, राजपूत हूं, यह आज ज्यादा चलता है। मैं किसान हूं, यह गैर किसान है, यह ज्यादा चलता है। हम इन्सान नहीं रह गये। गालिब ने कहा है :

"बस कि दुश्वार है हर चीज का आसां होना।
आदमी को भी मयस्सर नहीं इन्सां होना" ।।

आदमी-आदमी नहीं रह गया है इन्सां नहीं रह गया है। यह कोई कल्पना नहीं है। बोर्डों का गठन एक उद्देश्य के लिए होता है वह मकसद अच्छा होगा। संकीर्ण भावनाएं मिटेंगी। संकीर्ण भावनाओं से बोर्ड ऊपर होगा तो बोर्ड के गठन का जो अभिप्राय है, उसका जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। ये बोर्ड एक इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं, एक माध्यम है रिवोल्यूशन, क्रान्ति के रूरल साइट में, ग्रामीण क्षेत्र में और इनके द्वारा यह करना है। इसलिए इनके गठन में आप उत्तम से उत्तम व्यक्ति को, अनुभवी से अनुभवी व्यक्ति को चुनिये, नियुक्त करिये। इस आधार पर नियुक्त मत करिये कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा नहीं है, उसको आप निष्पक्षता के साथ नियुक्त करें। मैं आशा करता हूं कि हमारी मंत्री महोदया इस प्रकार का आश्वासन देंगी, इसी प्रकार से सोचेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि यह बिल माननीय मंत्री महोदया द्वारा लाया गया है जो सदैव से बोर्ड के भंग करने का विरोध करती रही हैं। को-आपरेटिव मूवमेण्ट में जब बोर्ड के भंग करने की बात आई थी तो आपने घोर विरोध किया था। जितना मैं आपको समझ सका हूं, जो चुने हुए बोर्ड हैं।

श्रीमती कमला : यह चुना हुआ बोर्ड नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जो चुने हुए बोर्ड हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

जो बोर्डों के चेयरमैन बने हैं वे ब्यूरोक्रेट में से हैं। अच्छा होता जनता में से आते, जो चुनाव लड़े हुए होते तो जनता की तरफ सोचते। जब मैं बारां कृषि उपज मण्डी का चेयरमैन था उस समय राजस्थान की सबसे अच्छी मण्डी का निर्माण करने का श्रेय लिया था। मण्डियों के अध्यक्षों को यदि हटाना ही था तो आप को किसी भी व्यक्ति, जिसको आप अच्छे से अच्छा समझते हैं, को नियुक्त करना चाहिये था न कि ब्यूरोक्रेट को। आज कृषि उपज मण्डियों के पास धन राशि उपलब्ध है, वह ब्लाक हो रही है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कृषि उपज मन्डी को पैसा होते हुए भी काम करने नहीं दिया जाता है। कृषि उपज मण्डी पर इस बात के लिये दबाव डाला जाता है कि वह उस पैसे को केवल कृषि उपज मण्डी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास में ही खर्च करे, उस क्षेत्र का ही विकास किया जाय। छोटी-छोटी कृषि मण्डियों में कृषि भवन बनाये जायें। रेस्ट हाउस बनाये जायें, अच्छे से अच्छे होटल बनाये जायें और ऐसे कामों में पैसा लगाया जाये। आज भारत का किसान रेस्ट हाउस में रहने का आदी नहीं है। वह ठेले पर से चार आने के चने लेकर खा सकता है। उसको अच्छे से अच्छे होटल में खाने की आदत नहीं है। छोटी-छोटी मंडियों में दिख रहा है कि इतना मंडी के विकास में लगाया जा रहा है। इसके अलावा न तो कोई सड़क बन सकती है न कोई पुलिया बन सकती है। रेस्ट हाउस, होटल बनाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और दूसरी बैंकों से इतना कर्जा लिया जा रहा है कि वह 10 सालों तक अपनी इन्कम को कर्जा चुकाने में लगाए। उसके कारण कृषि उपज मण्डी का पैसा बर्बाद हो रहा है। जिस पैसे का उपयोग उस क्षेत्र के विकास में होना चाहिए, जिस पैसे का उपयोग किसान को साधन जुटाने में होना चाहिए। उसको जगह रेस्ट हाउस बनाने में लग रहा है। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डियों की हालत क्या है?

मैं अपने क्षेत्र की कृषि उपज मंडी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वह 'ए' क्लास मण्डी है राजस्थान में। उसके पैसे का उपयोग उसकी चारदिवारी में हो किया जा रहा है। आज वहां पर सड़कें नहीं हैं, कहीं पर पुलियायें टूटी पड़ी हैं, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। चार दीवारी में पैसा लगाया जा रहा है। उस 'ए' क्लास मंडी की हालत यह है कि 10 साल काम नहीं कर सकते हैं इतना लोन ले लिया है। मेरा निवेदन है कि कृषि उपज मण्डी ने उस क्षेत्र के विकास पर इतना खर्च किया कि करोड़ों रुपया व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार से कृषि उपज मण्डी में पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। विकास की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा किसानों की सुविधा के लिए मंडी का विकास करने की बजाय गांवों में सड़कें बनाना ज्यादा जरूरी है। किसान के लिए वेअरिंग स्टाक बनाना ज्यादा आवश्यक है बनिस्पत इस काम के जिसमें पैसा खर्च किया जा रहा है। किसान को आज भी मंडी में बोरियां नहीं मिल पाती हैं। बिचौलियों से दूर रखने के लिए, जिन सुविधाओं को किसानों को देने के लिए कृषि मंडियों का निर्माण किया गया था वह भी आज तक किसानों को नहीं मिल पायी है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृषि उपज मंडियों का दौरा करें। अनुभव करें कि वहां पर कितनी कमियां हैं और फिर निर्देश दें। इतना ही निवेदन करता हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप किसानों के हित में इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रचारित करेंगे।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा !

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदय, विधेयक सदन में विचाराधीन है उसकी सैकण्ड स्टेज है, वह अण्डर कन्सीडरेशन आफ दि हाउस है। इसलिए मैं उसके प्रिंसीपल में जाकर कहना चाहता हूं।

पहले मेरा निवेदन करना यह है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, 1961 में काफी बड़ा संशोधन किया गया था। 1973 में और वह संशोधन इसके बोर्ड के गठन के बारे में किया गया था। वह संशोधन नाग कमेटी की रिकमन्डेशन के आधार पर किया गया था। ऐसा सोचा गया था कि मंडी समितियां ठीक तरह से काम करें और एक सुन्दर बोर्ड हो। जो समय–समय पर मार्केट के रेगुलेशन का ही काम नहीं करे, धीरे–धीरे मार्केट के फंक्शन रेगुलेटरी टाइप के न रह जाय। जो जन-प्रतिनिधि हैं वह प्राइस डिटरमिन ही नहीं करें बल्कि वह मार्केट फंक्शन का एक हिस्सा बन जायें, जिससे वह किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिला सकें। यह उसकी मंशा थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन मार्केट्स का फंक्शन केवल रेगुलेटरी फंक्शन बन कर रह गया है। यह रेगुलेट करने का ही काम करता है, बाकी किसान भाग्य के भरोसे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले बोर्ड के गठन के समय जो सरकार ने अन्वेषण किया था। उसमें यह सोचा था कि पहले बोर्ड का जो गठन होगा वह एक नोमिनेटेड लोगों का होगा उसके बाद नहीं। उसमें इस बात का प्रावधान नहीं था कि दूसरे बोर्ड का गठन कैसे होगा। तत्कालीन जनता सरकार ने सैकिण्ड बोर्ड के गठन की बात की, क्योंकि पहले बोर्ड के गठन की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए सैकण्ड बोर्ड का गठन किया। उसने यह किया कि वह एक नोमिनेटेड बोर्ड होगा और उसकी कुल अवधि मिलाकर एग्रीमेंट में 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जो आर्डिनेंस प्रस्थापित हुआ है, 9 मई, 1980 को राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति शासन में पावर सरकार लेने जा रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार स्विपिंग पावर ले रही है। मैं ऐसा मानता हूं माननीय सभापति महोदय और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें यह प्रोविजन है : "Provided that if the State Government deems fit in Public interest so to do ...." जो प्रोविजन आप एक्ट में जोड़ रहे हैं इस प्रकार का कोई प्रावधान पहले नहीं था। इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि पहले बोर्ड नोमिनेटेड होगा और उसकी अवधि 3 साल की होगी, बाद में इलेक्टेड बोर्ड होगा, फिर सरकार नोमिनेट करेगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्केट एक्ट के अन्दर लेकिन जनता सरकार ने तबदीली की उसके अन्दर। वह

(श्री परसराम मदेरणा)

लम्बे समय तक अपने आदमियों को बनाये रखना चाहती थी। आज प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं, बात करते हैं, प्रिंसीपल्स की और वह भी तब जब प्रिंसिपल्स डिसकस हो रहे हैं, कन्सीडरेशन स्टेज पर हैं, उनको यह सोचना चाहिये था कि इस बिल के अन्दर जो बोर्ड गठित होगा वह इलेक्टेड लोगों का होगा, उसमें 10 प्रतिनिधि इलेक्टेड होंगे उस बोर्ड की टर्म 3 साल की होगी। वह 3 साल से बढ़ाकर पहले प्लेमिन्ट।

(3.27 म प.)

(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति पदासीन)

माफ दी इलेक्शन कर दिया। पहले जनता के नुमायन्दे रखे गये थे, एक्ट में उसका उन्होंने गला घोंट दिया और अब जो करने जा रहे हैं तो devil is preaching seremons. मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो पावर्स दी जा रही हैं जब कभी 3 साल का पीरियड पूरा होने के बाद इलेक्टेड बोर्ड होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं था एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्केट एक्ट के अन्दर कि सरकार जब चाहे जब सरकार और उनके बीच कनफ्लिक्ट हो तो कनफ्लिक्ट आने के बाद उनको हटा दें। ऐसा सरकार सोच भी नहीं सकती है। यह तो ब्यूरोक्रेट ही सोच सकते हैं।

इसलिये मेरा निवेदन करना यह है, मेरा यह एतराज है और जो एतराज हैं, उसे मैं इसलिये रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि जिस वक्त बोर्ड का गठन हुआ था, जो बिल रखा गया था इस सदन के अन्दर 7 अप्रेल, 1973 को पेश हुआ था उस समय मैं प्रभारी मंत्री था उस विधेयक का उस वक्त मैंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि 3 साल के बाद इलेक्टेड बोर्ड एग्जिसटेंस में हो जायेगा। किसी भी प्रकार टर्म को एक्सटेंड करने वाले हम नहीं हैं। जनता पार्टी की सरकार ने एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके दूसरी बड़ी भूल की। अब जो कुछ भी इस आर्डिनेन्स में रिप्लेस करने का विधेयक माननीय प्रभारी मंत्री महोदया ने रखा है।

इसका मतलब यह है कि जनता सरकार ने जो भी प्रावधान रखा था वह रिट्रोगेट था, एग्रीगेट तीन साल का नोमीनेशन की पावर्स का जो है, उसे लेजिस्लेचर से कन्फर्म किया था। तत्कालीन सरकार ने स्वीपिंग पावर्स ले ली थीं। बोर्ड भी कन्स्टीट्यूट हो गया, सरकार आज नहीं भी सोचे लेकिन बोर्ड को परमानेण्ट करना चाहे तो वह एक नोटिफिकेशन से परमानेण्ट कर देगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह आज जो प्रावधान लाये हैं, इस सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन जो उनके फंक्शन्स और पावर्स हैं वह रेगूलेटरी रह गये हैं वे रेगूलेट न करके क्रय-विक्रय के अन्दर उनका हिस्सा हो। जनता के प्रतिनिधि जो बैठते हैं, नीचे की समिति में और बोर्ड में, वह किसानों को जो उसकी उपज का सही मूल्य है वह दिला सकें। इस बात के लिये इसमें प्रावधान किये जाने चाहियें और एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए। नाहर कमेटी की रिकमण्डेशन्स हैं और काफी रिकमण्डेशन्स हुई हैं जो कि इस बिल में इनकारपोरेट की जानी चाहिए। 1973 में सरकार ने यह सोचा कि केवल बोर्ड और बोर्ड के सम्बन्ध में जितने भी प्रावधान हैं, वह इमीजिएटली कर देने चाहिए। इसके बाद में सदन में मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि नाहर समिति की रिकमण्डेशन्स के ऊपर अगर दूसरे काम्प्रीहेंसिव बिल की आवश्यकता पड़ी तो सदन में सरकार काम्प्रीहेंसिव

(श्री परसराम मदेरणा)

बिल लायेगी और अन्य जो सैक्शन्स हैं उनके अन्दर संशोधन करेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा, प्रभारी मन्त्री जी से कि नाहर कमेटी की दूसरी सिफारिशें इस अधिनियम का हिस्सा बनाई जानी चाहिए। क्योंकि काफी समय निकल गया है, और समय निकलने के बाद में आज उनकी जो हालत होती हुई चली जा रही है, उसको ध्यान में रखकर दीर्घकालीन और अल्पकालीन स्थिति के बारे में सोचना है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जोधपुर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट केवल एक बाजार बन गया है जिसमें व्यापारियों को सुविधा है। किसान न तो माल ला रहे है किसानों की इच्छा है। वहां पर माल जो उसका क्रय-विक्रय हो रहा है। बड़ी बड़ी मण्डियां बनाकर हम उनको सुविधा देना चाहते हैं, ताकि मोटरें अच्छी तरह से जा सकें, स्टोर कर सकें, यह कर सकें, वह कर सकें। न तो किसानों को कोई प्रोड्यूस का वहां सवाल है न कोई रेगूलेट करने वाला है और न कोई प्रोड्यूस की प्राइस डिटरमिन करने वाला है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक यह मार्केटिंग सोसाइटी, या मार्केटिंग बोर्ड, मण्डी या कृषिउपज मण्डी का बोर्ड को फंक्शन के पावर नहीं होंगे तो न प्राइजेज डिटरमिन करेंगे और न मार्केट आपरेशन होगा। जो फ्री मार्केट आपरेशन में है वह भगवान भरोसे है। आक्शन होता है। प्राइस पर उसका कोई कन्ट्रोल नहीं है। जो मिनिमम लोअर प्राइस क्या है, उससे मतलब नहीं है, लोअर क्राप प्राइज क्या है, क्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मिनिमम प्राइस और दूसरी जिस प्राइस पर सरकार खरीदती है, प्रोक्योरमेण्ट प्राइस, वह एक अलग बात है। आज मार्केट के अन्दर किसानों को इच्छा दाम मिले, वह तब ही मिल सकता है जब कि प्राइस डिटरमिन करने का अधिकार उनको हो। मण्डी समितियों को हो या बोर्ड को हो। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रावधान इसमें हैं या नहीं हैं, फंक्शन की पावर दी जानी चाहिए, फण्ड्स भी दिये जाने चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो मण्डी समितियां खुद अनाज खरीद सकें। एफ. सी. आई., वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अनाज खरीद रहा है, इस प्रकार का फंक्शन हो ताकि यह भी अनाज खरीद करके किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध करा सकें।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जो इस प्रकार का पहले बोर्ड था उस बोर्ड का सुपरसेशन जनता सरकार ने किया और कांग्रेस ने भी paid in the same coins. हमको देना चाहिए था। क्योंकि वह ऐसा डिजर्व कर रहे थे। उनको कोई राइट नहीं है इस प्रकार से यहां पर हमको उपदेश देने का।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वीपिंग पावर आप जो लेने जा रहे हैं, इस स्वीपिंग पावर को कोई आदमी इनवोक कर सकता है। तो यह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट की स्कीम के अगेंस्ट है, इस बोर्ड के गठन को जो भी रिकमण्डेशन्स की गई हैं। नाहर समिति द्वारा की गई हैं, ठीक उसके अगेंस्ट है, जिस प्रकार से पहले सरकार की धारणा थी उसके विपरीत है। इसलिये मैं यह चाहूंगा, स्ट्रेन्जेण्ट बिल आप लायें। काम्प्रीहेंसिव बिल आप लायें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज मैंने कह दिया इस सम्बन्ध में लेकिन कोई भी इसको डिलीट करना या उसको डिलीट करने का

(श्री परसराम मदेरणा)

मौका नहीं है क्योंकि हमें आज विधेयक से आर्डिनेंस को सब्सटीट्यूट करना है। लेकिन लेटर स्टेज पर सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वीपिंग पावर और इस एक्ट की स्कीम के अन्तर्गत बिल्कुल विरोधाभास है इस प्रकार यह मूल भावना को तहस-नहस कर देगा।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, यहां बोर्ड के गठन का सवाल आया है। इसकी तरमीम का सवाल आया है। सवाल यह नहीं है कि आज तक इस बोर्ड का अध्यक्ष सरकारी आदमी होता था या गैर सरकारी आदमी होता था। सवाल यह है कि जब से मण्डियां बनी हैं, किसानों को क्या फायदा मिला। बाजार में जो लूट होती थी, उससे क्या मुक्ति मिल गई ? पहले बाजार के लोग लूटते थे। हमको कोई बचाव नहीं था। जब किसानों की फसल तैयार होती है, अपनी खून-पसीने की कमाई को लेकर किसान बाजार में जाता है और बाजार के लोग गिद्द की तरह से उसे घेर लेते हैं। लेकिन चन्द दिनों के बाद फसल की कीमत दूनी हो जाती है। क्या कांग्रेस आई, क्या जनता पार्टी आई उनकी लूट पर अंकुश नहीं लगा सकी है। हम चाहते हैं, किसानों की फसल की कीमत 12 महीने तक एक जैसी रहे। जिस समय फसल बाजार में आती है उस समय उसकी कीमत कम होती है। लेकिन चन्द महीनों के बाद क्या होता है। आज तक की सरकारों की इन लुटेरों के साथ में साझेदारी रही है।

मैं चाहूंगा किसानों को नहीं लूटा जाये। अनाज जो है, जनसाधारण को एक ही कीमत पर मिले। 12 महीने उसकी एक ही कीमत मिले। एक ओर तो किसानों को लूटते हैं दूसरी ओर बिना मेहनत के लूटकर खाते हैं। बाजार में तबाही मच रही है सरकारी आदमी हो या गैर सरकारी आदमी हो सवाल यह है कि बिल में ऐसी तरमीम होनी चाहिये कि वाजिब कीमत किसान को मिले ताकि वह भी समाज से तालमेल बैठा सके। अपनी जिन्दगी को अच्छी तरह से बसर कर सके। आपको मालूम है, गांवों में रहने वाले किसान, उनके घरों में जितने लोग हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, चाहे कोई मौसम हो, सभी काम में लगे होते हैं। उसकी माली हालत क्या है ? रहने को झोंपड़ा नहीं है। खाने को रोटी नहीं है। चाहे कृषि उपज मण्डी हो, चाहे कृषि बोर्ड हो सभी किसानों के द्वारा चुने हुए होने चाहिए। अगर यों ही थोपा जाएगा तो गैर कानूनी होगा। पहली पार्टी राज में आती है, वह अपने रिश्तेदारों को रख लेती है। दूसरी आयेगी, वह अपने लोगों को रखेगी। इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग किसानों से कहेंगे कि वह विरोध करें।

किसानों को लूटने के लिए यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। यह लूट की व्यवस्था है, वह बन्द होनी चाहिए। इसलिए मैं कृषि मंत्री से कहूंगा कि इस तरह का बिल में संशोधन किया जाये। कृषि मंत्री, कृषि बोर्ड है वह चुनिन्दा होना चाहिए उसका अध्यक्ष चुनिन्दा होना चाहिए। किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत मिले इस बात की आवश्यकता है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे गैर-कांग्रेस की हो किसानों की लूट नहीं होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रभारी मंत्रीजी को जिन्होंने इस सदन के

(श्री हरिसिंह)

समक्ष बिल रखा है। धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बिल का आशय केवल यह है कि जो राजस्थान एग्रीकलचर प्रोड्यूज मार्केट है उसमें इस बात का संशोधन किया जाये कि सरकार जब आवश्यक समझे उस समय बोर्ड को भंग कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो संशोधन किया जा रहा है वह प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। यह प्रोविजन या इस प्रकार का अधिकार सरकार के लिए केवल इसी एक्ट के अन्दर नहीं मिल रहा है बल्कि इसी प्रकार राजस्थान के अन्दर जो अनेकों एक्ट हैं और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को गवर्न करते हैं उन सभी एक्ट्स के अन्दर सभापति महोदय, इस प्रकार का प्रोविजन है। राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, राजस्थान पंचायत एक्ट और राजस्थान पंचायत समिति एक्ट, उन सभी में सरकार इस बात के लिए अधिकृत है कि जब कभी आवश्यक समझे उस समय संस्था को भंग कर सके। इस एक्ट के अन्दर भी जो यह प्रोविजन किया गया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओरिजनल एक्ट के अन्दर प्रोविजन होना चाहिये था, इसमें जो ढील दी गई है, संशोधन करके उसको पूरा किया जा रहा है।

(3. 43 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत सभापति पदासीन)

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह स्विपिंग प्रोविजन नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने बहुत गाइडेड प्रोविजन रखा है, उसमें यह लिखा है :

"Provided further that the State Government, if it thinks fit in public interest so to do......"

पब्लिक इन्ट्रेस्ट के अन्दर किसी भी बोर्ड जो पब्लिक के हित में काम न करके जनता के विरुद्ध काम कर रहा हो को भंग किया जाना मुनासिब होगा। किसानों के हितों के विपरीत काम किया जा रहा हो और फिर सरकार हैल्पलेस तरीके से, असहाय तरीके से उस बोर्ड का कार्य क्या देखती रहे। इस प्रकार का अधिकार किसी भी एक्ट के अन्दर होना चाहिये।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, यह आशा की जाती है कि चुनी हुई सरकार, जनता के लिए काम कर रही है। जनता की चुनी हुई सरकार से जनता की मदद की आशा की जाती है तो उसके लिये इस प्रकार का अधिकार देना कोई गलत बात नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रोविजन है वह न्यायोचित है, प्रजातान्त्रिक है, सिद्धान्तों के अनुकूल है और किया जाना आवश्यक है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री राम किशोर मीणा : सभापति महोदया, जो संशोधन, जो अमेन्डमेन्ट किया गया है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि आज काश्तकार सुरक्षित नहीं है। आज उनकी उपज का जो मूल्य तय किया जाता है वह खुले बाजार में तय किया जाता है। खुले बाजार में तय किये जाने के कारण, संगठित न होने के कारण उनको अपनी उपज का एक मामूली सा प्रतिफल भी नहीं मिलता है। यदि एक सक्षम दृष्टि से देखा जाय तो एक काश्तकार दिन-प्रतिदिन मजदूरी करता है तो वह घाटे में रहता है।

(102)

(श्री रामकिशोर मीणा)

मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृषि मूल्य निर्धारित किया जाता है उसमें काश्तकार की उपज पर हुए व्यय का आकलन नहीं किया जाता है। पिछले दिनों में देखने में आया है कि खाद का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ा है और डीजल के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है उसका आंकलन मूल्य निर्धारित करते समय नहीं किया जाता है।

मेरा इसमें निवेदन है कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा तो उसको उसका प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कृषि है, जो हमारे देश की कृषि है, वह प्रकृति के ऊपर निर्भर है। यदि कृषि बीमा योजना को भी सरकार लागू करने की कोशिश करे तो उसका स्वागत होगा, कृषक वर्ग बहुत भारी कृतज्ञ हो जायेगा.

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मदेरणा साहब ने जो कहा है कि पहले बोर्ड का नोमिनेशन हो जाये। लेकिन जो बाद में, जितने भी बोर्ड दुबारा गठित हो वह चुनाव के द्वारा गठित हों। उसमें किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। आज जो कृषकों के हिमायती हैं उनको मैं यह कहना चाहता हूं। इसके साथ मैं इसका विरोध करता हूं और इसके परिचालन के लिए मांग करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो संशोधन इस पर लाया गया इसकी ऐसी मंशा है जैसे कृषि के विकास में अन्य प्रकार का कोई काम बाकी नहीं है। यही एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है, जिसको करने से राजस्थान में कृषि का विकास हो जायगा, उसकी उन्नति हो जायेगी और देश में धन-धान्य और फसल का बहुत बड़ा भण्डार हो जायेगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले कई आवश्यक कार्य थे। केवल व्यक्ति के बदल जाने से यदि देश का हाल अच्छा हो जायेगा, ऐसी आपकी धारणा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। व्यक्ति के बदल जाने से वस्तुयें नहीं बदल पाती, सुधर नहीं पाती। केवल व्यक्ति के आधार पर प्रगति नहीं होती है, कुछ नीतियां होती हैं, जिनके आधार पर प्रगति हुआ करती है। ऐसा मैं मानता हूं। आप किसानों की वजह से आप हैं, श्रीमान आपने किसानों के बारे में विचार किया होगा। किसानों के हित के इससे भी आवश्यक काम हैं। आज किसी व्यक्ति की लाइफ को बचाने की इन्शोरेन्स की योजना है, किसी जगह कोई दुर्घटना हो जाये तो उसकी भी इन्शोरेन्स की योजना है, मोटर साइकिल का इन्शोरेन्स है लेकिन किसान की फसल के इन्शोरेन्स के बारे में आप कुछ नहीं कहते. जब कि वह दिन रात पसीना बहाता है, मेहनत करता है सब कुछ उसमें डालने के बाद उसकी फसल बरबाद हो जाती है! हिन्दुस्तान में प्रकृति का कुछ पता नहीं हम प्रकृति के ऊपर आधारित हैं। हमारा भाग्य सारा प्रकृति पर आधारित है। हम किसानों के भाग्य को बदल सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बीमा व्यवस्था के बारे में कई बार, कई वर्षों से यह प्रश्न उठ रहा है कि हम फसल के बीमा की व्यवस्था करें। वह अब तक आवश्यक नहीं लगा। उसके कारण हम किसानों की मदद

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं कर सके। शायद आपके ध्यान में यह नहीं। आपके ध्यान में आता है कि जनता पार्टी का व्यक्ति कौन बैठा रहेगा, उसको कैसे हटाया जाय। आपने हटा दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन, श्रीमान्, हमने पहले भी कहा था कि आप रिकार्ड निकाल कर देख लीजिये। जनता पार्टी के राज में भी बार बार आग्रह किया और आज भी हम...

(व्यवधान)

हम ऐसे गुलाम नहीं है जो हम यह कहें कि हमने अपने स्वतन्त्र विचार पार्टी के राज में रखे थे। हमने जैसा आपसे आग्रह किया, हम चाहते थे, कि देश के गरीब किसानों की मदद की जा सकती है।

आज इस देश का सबसे गरीब और कम आमदनी वाला कोई व्यक्ति है तो वह हिन्दुस्तान का किसान है। ग्राम मजदूर की मिनिमम वेज 7 रुपये कर दी, उसे 7 रुपये मजदूरी मिलती है। लेकिन एक किसान के परिवार के 10 आदमी खेत में दिन रात जुझते हैं, खून-पसीना बहाते हैं सर्दी, गर्मी और बारिश में उसके पश्चात उसकी आमदनी सात आना प्रति व्यक्ति है, उस हिसाब से उसकी आमदनी प्रतिदिन के हिसाब से तय है। आप उसकी चिन्ता करें। यदि हम उसकी फसल का बीमा करें तो प्रकृति के कारण उसका होने वाला नुकसान हम भर सकेंगे केवल मात्र प्रकृति के आधार पर कभी कोई सुधार नहीं हुआ करते हैं। आपने कृषि उपज मंडी में टैक्स लगाया। एक प्रक्रिया चलाई थी, एक स्थान पर एक टैक्स लगे, यह समझ में आता है लेकिन जो मल्टी-टैक्स की व्यवस्था बनी है, उसको खतम करने के लिए और कदम बढ़ाया जाना चाहिए था, तब तो हम समर्थन करते। एक मण्डी से दूसरी मण्डी में माल पहुंचता है तो सरकार टैक्स लगाती है। इस क्रम को रोका जाए। आप इसको खतम करें। श्रीमान्, केवल यही नहीं, हमें सारी जो आमदनी होती है कृषि उपज मण्डी से, इस आमदनी का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें। जो काश्तकार अपनी फसल का पैसा देता है और जो हमारे खजाने में आता है उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है। जब बैलगाड़ी को लेकर बरसात में किसान फंस जाता है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है, उसकी आपने चिंता नहीं की। पहले माल को ढोकर मंडी तक पहुंचाया जा सके उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा जितना बजट है उसका मोटे से मोटा भाग हम किसान के लिए खर्च करें ताकि वह सामान को मण्डी तक ला सके लेकिन आपको चिंता नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संशोधन के आधार पर.... ..

एक माननीय सदस्य : आपने तीन साल तक किसान का नाम भी लिया क्या ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमने तीन साल में क्या किया, आप हमारे समय की कृषि उपज मंडियों की रिपोर्ट देखें, हमने कितना तो सड़कों पर खर्च करने के लिए दिया है। अभी भी उनकी जो मात्रा है बजट की मात्रा से छोटी है। जनता पार्टी ने सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनाकर अपने बजट का कुछ हिस्सा खर्च किया। मैं उदयपुर से आया हूं। उदयपुर कृषि उपज मंडी, उदयपुर कृषि उपज मंडी दो साल में बनी थी, इन सड़कों पर खर्च किया था, ऐसी बात नहीं है। हम कोई बात करते हैं केवल इसलिए खराब है, यह बुद्धिमानी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का तकाजा नहीं है। हमने कोई सुझाव दिया, आपको लगता है कि ठीक है, वह विकास में सहयोगी हो सकता है, विकास में बाधा नहीं है तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। श्रेय आपको मिलने वाला है, हमको नहीं मिलने वाला है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के गरीब किसान की कुछ मदद कर उनको आगे ला सकें। केवल एक निदेशक को, एक सरकारी अधिकारी को बिठा देने मात्र से ही हिंदुस्तान के किसान को लाभ नहीं होने वाला है, हमें आपकी बुद्धि पर तरस आती है। आप इस संशोधन के अलावा दूसरा संशोधन लाते तो हम आपका समर्थन करते।

श्री सभापति : मंत्री महोदय!

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदया, सदन में प्रस्तुत बिल के संदर्भ में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता और विरोधी पक्ष के नेता ने तो बहुत ही जोर से बहुत सारे आदर्श, राजनीतिक मूल्य राजनैतिक नैतिकता और आने वाले शासन के सिद्धान्तों की न मालूम कितनी व्याख्या की, ऐसा लगा कि शायद वे अपने समय में तो इन सबके विपरीत खूब जोर से खुले आम राजनीतिक कार्य करते रहे, जब उनका राज चला गया तब जाकर उनको सारे सिद्धान्त याद आए। सिद्धान्त की बात करते समय थोड़ी सी भी हिचक इस बात की उनको नहीं हुई। कम से कम थोड़े से समय में पहले का अपना इतिहास देखें कि हमने क्या किया। यह जो बिल आज लाया गया है, इसमें तो उसका एक अंश भी मौजूद नहीं है बल्कि आदर्श ही मौजूद हैं।

माननीय चेयरमैन महोदया, यह जो बिल लाया गया है इसके संदर्भ को जो कार्यवाही है, वह पूर्व को जो जनता सरकार थी उसके समय में प्रारम्भ की गई थी। कृषि आयोग ने जो रिपोर्ट की है, जिसका मैंने पहले हवाला दिया है उसके संदर्भ में भारत सरकार ने इनको बार-बार तकाजा किया कि आप एक कृषि विपणि निदेशालय, अलग से कायम करें, उसको कायम करने के लिये इनको किसी विशिष्ट कारणों से जोर आया और उस फाइल को उधर के इधर महीनों तक मंत्री महोदय अपने पास रखे रहे, उस पर कोई आदेश नहीं किए। जब इनसे राज जाने लगा तब विचार किया कि बहुत तकाजे आये हैं, अब करना पड़ेगा। इसलिये इन्होंने कहा, अच्छा अलग से विपणि निदेशालय कायम किया जाय। इनका राज चला गया उसके बाद गवर्नर शासन आया, उस काल में एडवाइजर्स का राज हुआ उस वक्त में यह आर्डीनेन्स जारी हुआ। तो आज की मौजूदा सरकार को इस आर्डीनेन्स को बिल के रूप में सदन में प्रस्तुत कर रही है इसका तो इस प्रस्ताव से, इस आर्डिनेन्स से अपने सिद्धांतों के आधार पर कोई तालमेल ही नहीं है। न इनीशिएटिव है। इसलिये उसका रेफरेंस देकर यह कहना गलत है कि प्रजातन्त्र खत्म हो जाएगा और हमने लोकतंत्र की रक्षा की है। मैं यह इसलिए कहना चाहती हूं कि हम आप लोगों के पिछले इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया और पहले भी नहीं किया। लेकिन आपके जो कार्य कर रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो आपको खुद शर्म महसूस होने लगेगी कि हम यह करके यह कहने लायक है क्या?

आपने जिस वक्त में इससे पहले वाले बोर्ड को भंग किया था उससे पहले कानून

(श्रीमती कमला)

बना हुआ था जिसका माननीय परसराम ने उल्लेख किया कि पहला बोर्ड नामजद होगा उसके बाद में जो भी इलेक्टेड बोर्ड होगा उसके अलावा कोई दूसरा नामजद बोर्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने आते ही 1978 के अन्दर एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश में जो व्यवस्था की इसके अनुसार मनोनीत प्रथम बोर्ड की अवधि को समाप्त किया गया और प्रशासक को नियुक्त किया गया। आप कल्पना कीजिए कि जो कार्य गलत राजनीतिक दृष्टिकोण से किया, आज उसी के लिये कहते हैं कि आपने जो गलत काम किया हम उसको दोहराना नहीं चाहते लेकिन आप अपनी कार्यवाही देखें। उसके बाद में जब लॉ डिपार्टमेंट ने इनको यह कह दिया कि आप अधूरा बोर्ड नामीनेट नहीं कर सकते। 24 सदस्यों का बोर्ड होना चाहिए, अगर नामीनेट भी आप करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी राय की परवाह नहीं करते हम जिनको चाहते हैं उनको दुबारा नामीनेट करेंगे जिनको नहीं चाहेंगे उनको नहीं रखेंगे। इन्होंने अधूरा बोर्ड लॉ डिपार्टमेंट की राय के विरुद्ध नामीनेट किया। उस इल्लीगल कार्यशाही को राष्ट्रपति शासन के दौरान एडवाइजर्स ने अगर निरस्त कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया ? यह आपके सोचने की बात है। दूसरी ओर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जनता पार्टी का शासन आया था जैसा अलवर से आने वाले सदस्य ने उदाहरण दिया, उस समय सारे सहकारी क्षेत्र में चुनी हुई समितियां, संस्थायें और बोर्ड काम कर रहे थे थोड़े ही महीने पहले कांग्रेस सरकार ने जिन नगरपालिका के चुनाव कराए थे उन तमाम चुनी हुई संस्थाओं को एक ही कलम से बिना सोचे समझे खतम कर दिया। इसलिए निवेदन करना चाहती हूं कि आप प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आपने ही नामीनेट करके बोर्ड में रखा। तो जो प्रजातंत्र और राजनैतिक ईमानदारी की बात करना चाहते हैं उनके संदर्भ में इतनी बातें हैं अगर एक-एक स्थान का राज्य स्तर पर बयान करूं तो शायद उसका अन्त नहीं होगा लेकिन, माननीय चेयरमैन महोदया, मैं एक आपको इस तरह की जनता सरकार की हरकत की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमने तो मात्र एक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो राष्ट्रपति शासन में अध्यादेश आया उसको नियमित करने के लिये रखा है लेकिन, सभापति महोदया, इन्होंने हाउसिंग बोर्ड और दूसरी जो संस्थायें थी और जो बोर्ड थे सभी को भंग कर दिया। भंग करते समय इन्होंने जो फाइल में नोटिंग लिखा वह यह है कि चूंकि लोक सभा के चुनावों में और विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस सरकार हार गयी है इसलिये कांग्रेस सरकार द्वारा नामजद किये हुए बोर्ड के सदस्यों व उनके अध्यक्ष को अब रखने में कोई वेलिटी और यूटिलिटी नहीं है। इन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि कांग्रेस की हृदय दोषी सरकार हार गयी है। कांग्रेस के किये हुए कामों को समाप्त करने के लिये इन्होंने इन बोर्ड को भंग किया।

(व्यवधान)

आप सुनिये, साहब, थोड़ा सुनने की क्षमता भी तो रखिये।

हो सकता है आपने सारे मस्टर रोल फाड़ दिये होंगे रुपये पैसे के कागजात इधर-उधर कर दिये होंगे पर वह फाइलें तो

(श्रीमती कमला)

सुरक्षित हैं जिनमें नोटिंग हुआ है, वह तो कहीं चली नहीं गयी हैं।

सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहती हूं कि इन्होंने जिस प्रकार का नोटिंग उसमें लिखा है उससे इनकी मन्शा का स्पष्ट पता लग जाता है। वह सभी मौजूद है खतम नहीं हो गयी हैं।

(व्यवधान)

मेहरबानी करके माननीय सदस्य तसल्ली रखें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहती हूं, यहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस बिल के आने से किसान बरबाद हो जायेंगे और किसानों को बहुत परेशानी होगी। माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि मन्त्री महोदय खुद किसान वर्ग से हैं। इन्होंने यहां पर किसानों की भावनाओं को बहुत उभारने की कोशिश की। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मैं खुद किसान वर्ग की तो हूं लेकिन माननीय सदस्य खुद भी किसान वर्ग से हैं इसलिये यह कहना चाहती हूं कि इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे कि कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी समितियां, और कृषि निदेशालय, कृषि संबंधी नीतियों के कार्यक्रमों को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित कर सके जिससे काश्तकारों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिल सके और किसानों का शोषण नहीं हो सके। चूंकि जनता पार्टी सरकार किसानों का शोषण करने वाली सरकार थी और जनता पार्टी के शासन में कृषि उपज मण्डी समितियां कृषि विपणन बोर्ड सभी निष्क्रिय हो गये थे इसलिए उनको वापस सक्रिय करने के लिये और किसान को जल्दी लाभ मिल सके इस दृष्टि से यह बिल लाया जा रहा है। सभापति महोदया, इस बिल के पास हो जाने से न केवल किसान को उसकी उपज का लाभ ही मिलेगा बल्कि कृषि उपज मण्डी समितियों में सड़कों वगैरह की भी फैसिलिटी किसानों को उपलब्ध हो सकेगी। मेरी समझ में नहीं आता, माननीय सदस्य कीसान वर्ग से हैं उनको किसानों को लाभ मिलने से दर्द क्यों हो रहा है। मैं भी किसान वर्ग से हूं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आप किसानों का शोषण करने वाली पार्टी के सदस्य हैं। आप किसानों के रहनुमा क्या बनोगे। आप तो किसानों का शोषण करना चाहते हैं। आप को किसानों का दर्द कहां ?

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां बड़ी चिन्ता व्यक्त की और यह कहा कि किसानों को परेशान करने के लिये यह बिल लाया जा रहा है, यह योजना ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सन् 1964 में कांग्रेस सरकार ने कृषि उपज मण्डियां कायम की थीं। कृषि उपज मण्डियां हमारे राजस्थान में बढ़ते-बढ़ते आज 126 हो गई हैं और यह बहुत ही सुचारु रूप से काम कर रही है। उनसे किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है। मण्डी समितियों को व्यापक अधिकार भी दिये हुए हैं। सभापति महोदय, इस बिल के पास होने के बाद बोर्ड का काम अलग होगा। वह फील्ड का काम देखेगा और प्रशासन का काम कृषि विपणन निदेशालय द्वारा देखा जायेगा।

सभापति महोदया, यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि मण्डी उपज समितियां काम नहीं करती हैं।

(व्यवधान)

(श्रीमती कमला)

आप सुनिये। माननीय सदस्य को बहुत दर्द हो रहा है। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में मण्डियों और बोर्ड की आलोचना करते समय बहुत कुछ कहा मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि अभी थोड़े दिन पहले आपकी जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री जी ने जब सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी को देखा तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। अभी मेरे पास वह निरीक्षण रिपोर्ट नहीं है। जब वह गये तब उन्होंने क्या कहा....

एक माननीय सदस्य: आपने उनको हटा दिया।

श्रीमती कमला: हमने नहीं उनको तो जनता ने हटाया है।

तो सभापति महोदया, मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों को जो चिन्ता महसूस हुई उसमें मैं एक का उल्लेख करना चाहूंगी। वह यह है कि इस संशोधन के जरिये कृषि निदेशक को हमेशा हमेशा के लिये रखा जा रहा है। सभापति महोदया, यह निदेशालय अलग से कायम किया जा रहा है जिसका काम कोआर्डिनेशन का बोर्ड और मण्डी समितियों के कार्यकलापों के बीच होगा। वह प्रशासनिक कार्य देखेगा। अभी जो प्रशासक लगाये गये हैं वह थोड़े समय के लिये हैं। ज्यों ही कृषि उपज मण्डियों के चुनाव हो जायेंगे उसके बाद में उन चुनिन्दा सदस्यों से बोर्ड का गठन किया जायेगा। आपकी तरह से नहीं करेंगे कि ला डिपार्टमेन्ट की विपरीत राय के बावजूद आपने आधे मेम्बर बोर्ड के नोमीनेट कर दिये। हम वैसा काम नहीं करेंगे यहां पर प्रशासक उतने दिन के लिये ही रहेंगे जब तक की चुनाव नहीं हो जायं। हमेशा-हमेशा के लिये प्रशासक को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। आपके मन में जो प्रशासक को असीमित अधिकार देने की बात है वह आप अपने मन से निकाल दो।

सभापति महोदया, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि खुद किसान वर्ग के हैं, ने एक बात कही और किसानों के बारे में बहुत दर्द यहां दिखाया। उन्होंने यह कहा कि इस बिल के आने से कृषि उपज मण्डियां किसानों पर टैक्स लगायेंगी और किसानों को बहुत परेशानी होगी। माननीय सदस्य को शायद यह मालूम नहीं है कि यह टैक्स किस पर लगाया जायेगा। यह टैक्स किसानों पर नहीं बल्कि खरीददारों पर लगेगा। मेहरबानी करके माननीय सदस्य आप अपने मन से यह भय निकाल दें कि किसानों को टैक्स लगाकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं खुद किसान वर्ग से हूं मुझे उनका दर्द है आप उनके रहनुमा नहीं हों। माननीय सदस्य शायद उधर बैठने से ऐसी बात सोच रहे हैं।

सभापति महोदया, सदन के विरोधी दल के नेता महोदय ने बहुत सारी बातें इस बिल के बारे में कहीं। उन्होंने इस प्रकार की चर्चा सदन में की कि इस प्रकार का बिल हमारे राज्य में नहीं आना चाहिये।

उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि चूंकि जनता पार्टी ने कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष बैठाया था और वह बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे थे इसलिये उनको हटाया गया है। विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बहुत ही पोपुलर थे और उनकी वजह से किसानों की बहुत खुशहाली हुई। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहती हूं हमने उनको

(श्रीमती कमला)

नहीं हटाया लोक सभा के चुनावों के बाद विधान सभायें भंग हुई तो बीच में जब राष्ट्रपति शासन हुआ तो राज्यपाल महोदय के जो सलाहकार थे उन्होंने यह प्रक्रिया लागू करने की बात कही। यह डाइरेक्टोरेट वाली बात जो है वह हमने नहीं की। यह तो भारत सरकार का जो कृषि आयोग था उसका सुझाव था। इसके लिये बार-बार भारत सरकार से तकाजा आ रहा था कि इस व्यवस्था को लागू किया जाय।

सभापति महोदया, यहां पर बार-बार जो चेयरमैन महोदय की पोपुलरिटी की बात कही गई उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदया, वह अध्यक्ष एक साल दो महीने और चार दिन अध्यक्ष पद पर रहे। इतने समय में उन्होंने खूब टी. ए. डी. ए उठाया प्रशासनिक कार्यों में उन्होंने बोर्ड में खूब धांधली मचा रखी थी। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने ऊपर के प्रशासनिक आदेशों की कितनी ही बार अवहेलना की। मैं आपको बताने लगूं तो आप उनकी पापुलेरिटी से कांफी सन्तुष्ट हो जायेंगे। चेयरमैन महोदय को आज्ञा नहीं थी, कोई निर्देश नहीं था, वह अधिकृत नहीं थे उसके बावजूद भी मर्जी आया जिस अधिशासी अभियन्ता की अपने आप पदोन्नति कर दी। गवर्नमेन्ट ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है तो भी कर दी। एक तो काम यह किया। इसके बाद में जो भी कार्यवाहक सचिव थे जो कि सरकार के डैपूटेड थे उनके बाबत में उनको कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु उनको भी इन्होंने निलम्बित कर दिया। उसके बाद में इन्होंने एक सबसे बड़ा जो नया उदाहरण सामने रखा वह यह रखा कि राजस्थान भर की जितनी कृषि उपज मण्डियां थीं उनमे चाहे जाने वाले जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे उन सबकी भर्ती उन्होंने बोर्ड के दफ्तर से करना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि उन्होंने नम्बर रखे वह इस हिसाब से रखे कि 50 अंक तो परीक्षा के और 20 मिनट का समय रखा और 100 नम्बर रख दिये इन्टरव्यू के। और आप इस लिस्ट को पढ़ें तो मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, इससे आप स्वयं अन्दाजा लगायें कि उन्होंने किन आदमियों की भर्ती की। प्रतापसिंह, नरेन्द्रसिंह, भंवर सिंह, बहादुरसिंह दौलतसिंह, चतरसिंह, मूलसिंह, करणसिंह, गोविन्दसिंह, भंवरसिंह, हिम्मतसिंह, कानसिंह, वेदसिंह, भूरसिंह, भंवरसिंह, मदनसिंह, भीमसिंह......

एक माननीय सदस्य : सारी सिंहों की सेना बना दी।

श्रीमती कमला : कृषि उपज मण्डी को यही चीजें ले डूबीं। अगर आप और भी उदाहरण लेना चाहें तो हमारे पास में और भी नाम हैं। इसके अलावा जो सुरक्षित सूची रखी गयी जिसे वेटिंग लिस्ट कहते हैं उनके नाम भी सुन लें। इनको लेने की जरूरत नहीं है, बाद में यदि वैकेन्सी हो तो लिये जा सकते हैं। उनके नाम हैं रतनलाल, मोहनलाल, रूपनारायण सैनी, विष्णुकान्त, शिवकुमार सोनी, सुरेन्द्र प्रसाद, सालिगराम आदि इनको वेटिंग लिस्ट में रखा है। तो जिस प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली थी और जिस ढंग का उनका काम करने का तरीका था वह मैंने आपके सामने रखा है।

इसके बाद में बोर्ड के फण्ड का किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया या दुरुपयोग किया उसके दो तीन उदाहरण मैं आपके

(श्रीमती कमला)

सामने पेश करना चाहती हूं। दिनांक 13-1-79 से 21-4-80 तक कुल 17627.50 रु. का भुगतान विदेश यात्रा का और 1,1,074 रुपये का दूसरा भुगतान उन्होंने अपनी विदेश यात्रा और देश यात्रा का उठाया। उसके अलावा 19,372 रुपये अलग हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने भी दौरे किये हैं हर महीने में सुमेरपुर, हर तीसरे दिन सुमेरपुर और हर महीने सुमेरपुर। एक तो दौरा इस प्रकार का है कि आप भी शायद निर्जीव काया से ही पहुंच सकते हैं सजीव काया से नहीं पहुंच सकते हैं। अलवर फिर जोबनेर और फिर सीकर एक दिन के अन्दर इतना लम्बा दौरा किया। यह तो कुछ चन्द बातें हैं। मैं इनमें ज्यादा नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि इस बिल से इन व्यक्ति का कोई ताल्लुक नहीं लेकिन एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े पापुलर थे और किसानों का भला करते थे इसलिए मैंने कुछ इशारे में आपको थोड़ी सी बात बताई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने जो अभी नामों की सूची पढ़ी है क्या उनके ऊपर आप कोई एक्शन लेना उचित समझती हैं?....

श्रीमती कमला : यह बाद की बात है कि कहां से क्या क्या शिकायतें आती हैं और किन-किन शिकायतों पर किस-किस प्रकार का कदम उठाया जाना जरूरी है यह बाद में देखने की बात है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मै यह निवेदन कर रहा हूं कि....

श्री रामसिंह विश्नोई : जब आपके पास सूची है और जो लिस्ट आपने पढ़कर सुनाई तो आप अनुमान तो लगाती हैं कि वास्तव में जो उन्होंने कार्य किया वह बिलकुल नियमों के विरुद्ध है। जो नाम आपने पढ़े उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने एक ही जाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए यह किया है तो क्या यह बहुत बड़ा घोटाला सरकार के साथ नहीं है?

श्रीमती कमला : माननीय चेयरमैन महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहती हूं कि आपका हमारा दल एक जिम्मेदार दल है। आज आप और हम सरकार में हैं इसलिए अनुमान मात्र से हम कोई यहां कार्य करने के लिए कह दें यह हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस समय विस्तृत जानकारी अनेक इस प्रकार की शिकायतों की आयेगी और कोई इस प्रकार के मामले आयेंगे उस समय जैसा पाया जायेगा और जैसा उचित समझा जायेगा कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय मंत्री महोदया, मेरा निवेदन यह है....

एक माननीय सदस्य : आप कम से कम यह तो कहें कि आप इसकी जांच करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप समझती है कि अनियमितता नहीं हुई है और पूरी जांच नहीं हुई है तो जब पूरी जांच नहीं होती है, तो आपने यह सूची क्यों पढ़ी और फिर आपने इल्जाम क्यों लगा दिया? आप समझती हैं कि गलत है तो कार्यवाही करें। आप स्पष्टीकरण दें कि वास्तव में जो अपाइन्टमेन्ट्स दिये हैं यह गलत तरीके से दिये हैं और एक ही जाति को संरक्षण देने के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

लिए दिए हैं। आप यह बतायें कि बिना जांच के आपने यह लिस्ट पढ़ी है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, बिराजें। मैं उत्तर देती हूं।

माननीय चेयरमैन महोदया, दरअसल इस बिल के नीचे जो संस्थाएं कायम की गई हैं उनके पीछे किसानों के सन्दर्भ में बहुत लाभप्रद कार्यों और योजनाओं का उद्देश्य है। आज हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कृषि उत्पादन के लिए ऋण व्यवस्था, अन्य बहुत सी चीजों की व्यवस्था, आधुनिकीकरण किये हुए उपकरण और औजारों की व्यवस्था तो हो गई है। उससे हमारे देश का उत्पादन भी इतना बढ़ा है कि 1947 से लेकर आगे बहुत से वर्षों तक हम अनाज बाहर के देशों से लाकर अपने देश के लोगों की मांग की पूर्ति करते थे। आज तमाम योजनाओं के कारण से और कांग्रेस को दूर तक सोचने वाली, सूझबूझ दिखाने वाली हमारी पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारे बहुत महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरु भारत के निर्माण के सपने को साकार रूप देने का प्रयास देने के कारण हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि हमारे देश में उत्पादन का बहुत बड़ा भण्डार बढ़ा और आज पूर्ण से पूर्ण अकाल के समय भी भंयकर अभाव की स्थिति में भी हमें यह जरूरत नहीं है कि बाहर से अनाज मंगाकर अपनी पूर्ति करनी पड़े। लेकिन एक ओर उत्पादन काफी बढ़ा, चाहे सिंचाई के साधनों से, चाहे उन्नत साधनों से लेकिन किसानों ने जो पैदा किया, किसानों की पैदा की हुई जिन्स को बाजार में जिस तरह से लूटा उससे उसका बराबर मूल्य मिला नहीं और दूसरी तरफ जिन बिचोलियों ने उस सामान को बोली लगाकर, कोड़ी के दाम में खरीद कर थोड़े समय के गोदामों में कायम रख कर कुछ समय बाद मंहगे दाम पर बेच दिया। स्थिति यह हुईकि उत्पादक को भारी नुकसान पहुंचा और उपभोक्ता पर भारी चोट हुई। इसलिये उत्पादक को सही कीमत मिले और उपभोक्ता सही कीमत पर सामान प्राप्त कर सके इसलिये बीच की जो कड़ी है वितरण व्यवस्था इसमें सही स्थिति लाने के लिए जो विपणि प्रणाली है यह बहुत बड़ा कारगर कदम है। जिन समाज विरोधी तत्वों के कारण शोषण हुआ है उस शोषण को खतम करने के लिए, उत्पादक और उपभोक्ता को सही भाव में अपना सामान देने और लेने की स्थिति पैदा करने के लिये यह विपणि व्यवस्था भारत सरकार और कृषि आयोग भी बहुत महत्व पूर्ण इस देश के लिए समझी है और उसी के तहत तमाम कृषि उपज मण्डियों का फैलाव करना चाहते हैं, कृषि विपणि निदेशालय का निर्माण उसी व्यापक महान योजना के तहत हाथ में लिया गया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल का ताल्लुक जो कार्य हाथ में लिये गये उसके संबंध में जो गवर्नर रूल में आर्डिनेंस जारी किया गया उनको विधिवत रूप देने का है....

(4.22. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ जो पहले योजना चालू हुई है जिससे किसानों और उपभोक्ताओं

(श्रीमती कमला)

का शोषण बन्द हो और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की व्यवस्था हमारे प्रदेश में बने जिससे हम इस पर कारगर कदम उठा सकें। इस का मूल्य उद्देश्य इसके पीछे यह है।

भोपाल गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और एक दूसरे माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूं कि जहां तक हो इन बोर्डों के गठन में और इनकी कार्य प्रणाली में या इनकी व्यवस्था में और गतिविधियों में इस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, या भारत सरकार के निर्देश हैं या हमारे अनुभव हैं इन सब का सकलन करने के बाद व्यापक, प्रभावित और कारगर संशोधन करें। उसके लिये हमारा प्रयत्न रहेगा और यदि आवश्यक हुआ तो कुछ और संशोधन बाद में यहां पर रखे जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी इस के लक्ष्य, इसकी मूल धारा को समझते हुए जो आप लोगों ने विचार रखे, उनको भी हम लागू करने की कोशिश करेंगे। मूल धारा को और मूल योजना को दृष्टिगत रखते हुए इस बिल को मन्जूर करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

दलीय सूचना
भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक

एक सूचना माननीय सदस्यों को देनी है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की सूचना के अनुसार श्री भंवरलाल शर्मा को दल की तरफ से सचेतक नियुक्त किया गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

बिल लेने से पहले कुछ स्थगन प्रस्तावों पर कुछ व्यवस्था देना चाहूंगा जो उस समय रह गई थी।

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया व एक अन्य सदस्य विधान सभा ने दिनांक 11 व 12 जुलाई, 80 को उदयपुर में अशांति व झगड़ों का वातावरण होने एवं पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

सरकारी उत्तर प्राप्त होने पर मालूम हुआ है कि इस मामले में पांच अभियोग मेडिकल छात्रों के विरुद्ध एवं 3 अभियोग कृषि छात्रों के विरुद्ध दर्ज किये जा चुके हैं एवं अनुसंधान जारी है। अब स्थिति पूर्ण शांति तथा नियन्त्रण में है। अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा ने माण्डल ग्राम के जगदीश डन्डेल नामक व्यक्ति की हत्या व प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज होने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। सरकार की ओर से जानकारी मिली है कि हत्या के मुकदमें की तफतीश चल रही है एवं स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य विधान सभा ने सांगानेर कस्बे में असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे उपद्रवों के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। सरकारी उत्तर से जानकारी मिली है कि इस सम्बन्ध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र होने की संभावना है। स्थिति अब शांतिपूर्ण है, अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से लोसल कस्बे में एक हरिजन को जिन्दा जला दिये जाने व पोपराली कस्बे के पास एक हरिजन को जान से मारकर सड़क पर फेंक दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

सरकारी उत्तर से जानकारी मिली है कि हरिजन की मौत आग की भट्टी में गिरने से हुई तथा श्री कमोड़ हरिजन की मौत हार्ट फेल होने से हुई है एवं इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

अब माननीय सदस्य चाहें तो दो-दो मिनट अपने विचार रख सकते हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया! संक्षेप में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात, केवल विद्यार्थी समुदाय के संगठन के आपस में बातचीत और झगड़े को लेकर जिस तरह से उदयपुर का वातावरण अशांत हुआ है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

स्वप्न लोक सिनेमा के मेडिकल छात्र और एग्रीकल्चर के छात्र की कोई पुरानी रंजिश थी इसलिये सिनेमा हॉल में मेडिकल के छात्रों ने आकर उनकी पिटाई कर दी, मैनेजर की भी पिटाई की और जिन लोगों की हालत पिटाई के कारण गम्भीर हो गई थी उनको पुलिस ने सिनेमा हॉल से ले जाकर हस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल जूरिस्ट उनकी जांच कर रहे थे उनका इलाज प्रारम्भ हो गया इतनी सी देर में एग्रीकल्चर कालेज के 60, 70 लड़के हाथ में छुरें लेकर नंगी तलवारें लेकर और एक के हाथ में पिस्तौल लेकर घुस आये उस समय मेडिकल कालेज के लड़के जा चुके थे, उनके साथी लोग वहां खड़े थे, पुलिस की फोर्स वहां पर थी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा पुलिस की मौजूदगी में उनकी पिटाई प्रारंभ कर दी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं एडीशनल एस० पी० जो वहां काम कर रहा था जिसके हाथ में पिस्तौल थी उसने पीछा किया लेकिन उसको पकड़ नहीं सके। पता नहीं इन्टेंशनली उसको छोड़ दिया या वह अपनी ताकत से छूटकर चला गया। अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज की बाउन्डरी में घुसकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और कमरों में जाकर मारपीट कर चले गये। जब वहां कोई गुण्डा छात्र नहीं मिला तो अस्पताल में जाकर उन घायलों, जो स्ट्रेचर पर पड़े हुए थे, को मारा। वह भी पुलिस की मौजूदगी में मारा, श्रीमन्....

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल 54 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने रूलिंग दे दी उसके बाद में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : अपने यहां नियमों में और परम्पराओं में टकराव है इसलिये जब सत्र का प्रारम्भ हुआ था तब यह तय हुआ था कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों को बोलने का कम से कम एक अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन वह अवसर दिया जाय तो आफ्टर क्वेश्चन आवर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आज समय नहीं मिला था इसलिये विशेष परिस्थितियों में आज अलग से समय दिया गया है। आज सत्रावसान हो रहा है इसलिये विशेष परिस्थिति में अवसर मिल रहा है। माननीय सदस्य इसमें सहयोग करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अवसर प्रदान करने का जहां तक प्रश्न है, वहां तक तो ठीक है लेकिन परम्परा यह नहीं है कि लिस्ट आफ बिजनेस चालू हो जाय तब यह हो.......

श्री अध्यक्ष : आज की विशेष परिस्थिति है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, स्ट्रेचर पर पड़े हुए लोगों की मार पिटाई हुई और उदयपुर की अधिकांश पुलिस उदयपुर के चारों ओर पड़ी थी। मेडिकल कालेज के पास जो थाना है वहां पुलिस की फोर्स पड़ी हुई थी। ठीक दूसरे दिन मेडिकल कालेज के विद्यार्थी जब चाय पी रहे थे, एग्रीकल्चर कालेज के विद्यार्थी.......

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर स्थगन प्रस्ताव का औचित्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक व्यवस्था के लिए निवेदन करना चाहूंगा। It amounts to adjournment of the list of business. आप अलाउ कर दें यह बात दूसरी है लेकिन जब एडजोर्नमेंट मोशन अलाउ करते हैं तो आप फिर एडजोर्नमेंट मोशन को एडमिट कर लें....

श्री अध्यक्ष : अब परिस्थिति आपके सामने है, आप कुछ भी कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस के बिजनेस को सस्पेन्ड कर दिया It amounts to adjournment of the House. तो एडजोर्नमेंट मोशन है It is not discussed.

श्री अध्यक्ष : टेक्निकली आपकी बात ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : हाउस का बिजनेस शुरू होने के बाद तो यह नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने दो उदाहरण तो पहले गलत डाल दिये। अब यह तीसरी परम्परा और गलत डाल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : टेक्निकली आपकी बात ठीक है....

श्री परसराम मदेरणा : आप अनुमति दे सकते हैं लेकिन हाउस का बिजनेस शुरू होने के बाद अनुमति देना गलत परम्परा है।

श्री भेरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, टैक्निकली भी गलत नहीं है। आप जबरदस्ती उनको शह दे रहे हैं, यह बात नहीं है कि माननीय परसरामजी....

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप भी बैठ जायं तो परम्परा ठीक रहेगी।

श्री भेरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, ने सुबह यह व्यवस्था दे दी थी लेकिन दुर्भाग्य है आप दोनों ही माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे। इसलिए जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने दी, तब आप दोनों ही नहीं थे....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उपस्थित था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से सूचना देरी से प्राप्त हुई। चूंकि आज सत्रावसान होने जा रहा है इसलिए विशेष परिस्थिति में माननीय सदस्यों के मांग करने पर यह कहा गया था कि इस पर बाद में व्यवस्था दे दूंगा। इसीलिये उनको अवसर दिया जा रहा है। माननीय सदस्य से निवेदन है कि समय का सदुपयोग किया जाय और माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्या विरोधी दल के नेता महोदय ही हमेशा कोई प्रिसीडेन्ट कायम करेंगे। पहले भी उन्होंने दो एग्जाम्पल रखी हैं........

श्री परसराम मदेरणा : You are trying to form a precedent.

But प्रिसीडेन्स तो नहीं होगा। माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर जीरो आवर में होता है इसलिये प्रिसीडेन्ट तो नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष को अधिकार है, एडजस्ट कर सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सरे बाजार में पुलिस के सामने 15–20 विद्यार्थी आये और 3 विद्यार्थियों को पीट कर पुलिस के सामने से चले गये। फिर मेडिकल कॉलेज के होस्टल में 150–200 विद्यार्थी इकट्ठे हुए। उनको एकत्रित होने में आधा घंटा लगा। पुलिस के सामने वे एकत्रित हुए। उस समय थाने के सामने लगभग 250 जवान, एस० पी०, जो यहां एस० पी० का काम कर रहे थे, की मौजूदगी में वे आये और बाजार में जाकर उन्होंने लड़कों को ढूंढने का प्रयत्न किया। किसी ने बता दिया कि राजकोट में गये हैं, राजकोट के अन्दर वे विद्यार्थी गये और उस दुकानदार के बच्चे को, जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था और इस बात को समझता भी नहीं था, पीट दिया। वह वहां से भाग कर पास की गुजरात आइसक्रीम में गया तो आइसक्रीम वाले का सारा फर्नीचर तोड़ दिया

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

उसके सामने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी पीठ पर आप को एक इन्च भी चमड़ी ऐसी नहीं दिखेगी जहां पर छड़ों के या चैनों के निशान नहीं हों। यह सब कुछ पुलिस के सामने होता रहा और पुलिस का कोई आदमी उसके नजदीक नहीं पहुंचा। श्रीमन्, जब वह वहां से भागा तो उसके पीछे पुलिस के जवान डण्डे फटकारते गये और भागते गये और भागते हुए जाकर उन्होंने किसको पकड़ा यह जो आपके सामने रिपोर्ट आई है क्या मैडिकल कॉलेज के पास विद्यार्थियों को पकड़ा? श्रीमन्, निर्दोष लोगों को पकड़ा जिन्होंने इस प्रकार के हुल्लड़ में भाग लेने के लिये अग्रिम पंक्ति में जाकर मार पीट नहीं की। पास में पान की दुकान पर खड़े तीन विद्यार्थी उनकी पकड़ में आ गये। उनको पकड़ कर झट यह दिखा दिया कि हमने कोई मीर मार लिया। उस समय आपकी पुलिस को एक्शन लेना था जब उस व्यक्ति को मारा जा रहा था। यह तो उसका सौभाग्य था कि वह मरा नहीं। उस समय तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं उस एस० पी० के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? श्रीमन्, यही नहीं इसके बाद घटना आगे बढ़ी। धारा 144 लागू हुई उसके बाद दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज होस्टल खाली कराया गया। श्रीमन्, आपको सुन कर ताज्जुब होगा इस सरकार के और पुलिस के कारनामों को, विद्यार्थियों को रवाना किया गया दो स्पेशल बसों के द्वारा, पुलिस की कस्टडी में रवाना किया गया। आपने देखा होगा, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज का होस्टल आता है उसके सामने एकत्रित हुए 1600 विद्यार्थियों ने बस पर पत्थर फेंके। बसों के सारे कांच फोड़ दिए। यही उन्होंने नहीं किया उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी का अपहरण किया। श्रीमन् गाड़ी का अपहरण करने पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं चलाई तो विद्यार्थियों ने गाड़ी चला कर उनका पीछा किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी एस० पी० एट दी स्पाट किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ सके। ऐसी जो निकम्मी पुलिस है उसकी नादानी और गलती के कारण उदयपुर में यह अशान्ति का वातावरण बना है। इसमें विद्यार्थी इतना दोषी नहीं है, अगर राइट टाइम पर इनको दबा दिया जाता तो निश्चित रूप से यह झगड़ा इतना आगे नहीं बढ़ता। यह पुलिस के निकम्मेपन के कारण ही हुआ है, पुलिस की उदासीनता के कारण ही हुआ है और उदासीनता ही नहीं है, मैं चार्ज लगाता हूं एस० पी० के ऊपर इसलिए कि उसने कुछ समय पहले—डेढ़ महीने पहले मेडिकल कॉलेज में एक हत्या का प्रयास किया था—डॉ सुवालका। उस समय एस० पी० और कलेक्टर मेडिकल कॉलेज में एन्टर हुए थे तो मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने उनको दुत्कारा था कि इनको बाहर निकाल दिया जाय। उसका रिवेन्ज लिया था, श्रीमन् जिनको हम रक्षक बनाकर बिठाते हैं वे ही रिवेन्जफुल एटीट्यूड के आधार पर विद्यार्थियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ऐसा कौनसा पहाड़ पड़ गया था कि आपने 31 तारीख तक सारे कॉलेजेज बन्द कर दिये? इस छोटी सी घटना के आधार पर परीक्षा के दिनों में इस तरह 31 तारीख तक आप कॉलेजेज बन्द करा दें, यह अच्छी बात नहीं है। आपको तुरन्त एक्शन लेना चाहिए और कॉलेज खुलवाने चाहिए। आपकी पुलिस फोर्स है आखिर किस काम की? उसको

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

तनख्वाह किस बात की देते हैं ? अगर छोटा सा झगड़ा हो जाय तो कॉलेज बन्द कर दें तो फिर पुलिस भी कोई जरूरत नहीं है। इनको रवाना करें घर पर........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य, समाप्त कीजियेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यही बात कह कर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार पुलिस के खिलाफ और वहां के प्रशासन के खिलाफ कोई कार्यवाही निश्चित रूप से करे। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांडल ग्राम में आज की तारीख में भी तनावपूर्ण स्थिति है। गत 8 तारीख को लगभग एक हजार व्यक्ति जगदीश डण्डेल नामक व्यक्ति की हत्या के प्रश्न को लेकर थाने पर प्रदर्शन करने की दृष्टि से गये थे। वे प्रदर्शनकारी निहत्थे थे, शान्त थे और मांग कर रहे थे कि वास्तविक अपराधियों को समक्ष लाया जाय, पुलिस कार्यवाही करे। इस तरह की वे निरन्तर मांग कर रहे थे। वहां पर पुलिस तैनात थी, भीलवाड़ा से पुलिस की टोलियां वहां पर पहुंची थीं। उन सब ने मिलकर प्रदर्शनकारियों पर, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर, शान्त प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसायीं। उस लाठी चार्ज में एक नहीं पचासों व्यक्ति घायल हुए हैं। सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है और कहती है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं सदन के समक्ष कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ है। इसका प्रमाण है कि पड़ोस में ही सर्कस चल रहा था वहां से दर्शक लोग आ रहे थे, उनको भी पीटा गया। उन पर लाठियां बरसायी गयीं प्रदर्शनकारियों को पीटने के साथ-साथ पुलिस ने घरों में घुस कर लोगों को पीटा, । दुकानों में घुसकर पुलिस ने लोगों को पीटा। यहां तक कि सोये हुए व्यक्तियों को पीटा बच्चों को पीटा। इस तरह करीब पचासों व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं जिनमें से आठ की मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे पास है। किसी व्यक्ति के 8 चोटें हैं, किसी को 4 चोटें हैं, किसी के 6 चोटें हैं और 3 व्यक्तियों के तो फ्रैक्चर हुआ है, जिसमें एक रामलाल गूजर है, एक सोहनलाल गूजर है और एक सुवालाल सेठी है। सुवालाल सेठी की एक्स-रे रिपोर्ट है उसका तो हाथ तोड़ दिया पुलिस के डंडों से हाथ टूटा और वह जेरे इलाज गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में भर्ती है। यह घटना क्यों घटी और क्यों प्रदर्शनकारी गये ? मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली 28 तारीख को जगदीश डण्डेल दाधिच ब्राह्मण नाम का व्यक्ति मांडल गांव के पड़ोस में गांव कोलीवाड़ा में भोजन की दृष्टि से, खाने की दृष्टि से गया हुआ था। 28 तारीख की रात्रि को लगभग साढ़े 11 बजे एक हलवाई की दुकान पर बीड़ी पी रहा था। उसके बाद सोने की दृष्टि से अपने घर पर गया। घर पर जाने के बाद उस रात्रि के बाद उस जगदीश डण्डेल दाधिच ब्राह्मण का आठ दिन तक पता नहीं चला। उसकी पत्नी ने 28 तारीख के बाद और 29 तारीख के बीच में इस व्यक्ति की हत्या की है, मर्डर किया है। 30 तारीख निकलने के बाद 31 तारीख को उस जगदीश की पत्नी और जगदीश की पत्नी के

(श्री बंशीलाल पटवा)

पिता दोनों ने मिल करके उस मकान को खाली किया। निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या 28 और 29 तारीख के बीच में कर दी गई। उसी मकान में उसकी लाश को गाढ़ दिया गया। पिछली 20 तारीख को, 20 मई को उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े करके एक सीमेन्ट के थेले में बन्द कर दिये गये उस लड़की द्वारा, उस औरत द्वारा वह थेला पड़ौस के एक कुए में डाल दिया गया, जिसको लोगों ने देखा है। उस लड़की के कई तरह के सम्बन्ध थे, जिनके कारण ऐसा लगता है कि इस हत्या में उन षड़यन्त्रकारियों का हाथ है। अकेली औरत हत्या नहीं कर सकती है। कई लोग इसमें शरीक हैं जिनको राजनैतिक प्रश्रय के आधार पर आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उस लड़की का आज की तारीख तक रिमाण्ड है। रिमाण्ड समाप्त हो जाएगा 15 दिन का और असली मुलजिम है, वास्तविक अपराधी है उनको पुलिस समक्ष नहीं ला रही है और यह जो कुछ भी घटना घटी है इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : इस काण्ड में लड़की शरीक हो सकती है, लड़की इनवोल्व हो सकती है लेकिन एक लड़की का इतना बड़ा साहस नहीं हो सकता है। सत्ता पक्ष के व्यक्ति वहां पर बराबर जमे हुए हैं। यहां तक मेरा आरोप है कि मन्त्रीजी से भीलवाड़ा डाक बंगले में उस हत्याकाण्ड की लड़की के पिता ने सम्पर्क किया। वहां एक तरह का कान्ट्रेक्ट किया गया। सारी बातें होने के बाद इस तरह सोचा गया कि तुम दुबारा मत मिलना। जो कुछ होगा मैं अपने ढंग से पैरवी करूंगा। तो यह सारी स्थिति सदन के समक्ष मैंने रखी है। निर्ममता पूर्वक और बुरी तरह से लाठी चार्ज हुआ है, वास्तविक अपराधियों को समक्ष नहीं लाया जा रहा है मेरा सदन से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जावे। वास्तविक अपराधियों को सरकार और पुलिस सामने नहीं लाती है तो मैं यह कहूंगा कि यह सरकार निर्जीव है, कायर है जो इस तरह से निर्ममता पूर्वक हत्या होती है उनको छुपाना चाहती है अगर इसी तरह से होता रहा तो मेरा यह कहना है कि यह सरकार निर्जीव है। सरकार कहती है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एक्स—रे रिपोर्ट है, इनसे साबित होता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : लाठी चार्ज हुआ है। सरकार इस काण्ड को छुपाना चाहती है। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जावे और वास्तविक अपराधियों को सामने लाया जावे। पुलिस के जिन अधिकारियों ने, पुलिस के जिन कर्मचारियों ने लाठी चार्ज किया है, तीन युवकों को पीटा है, उनके हाथ पैर तोड़ दिये हैं उनके बारे में उचित कार्यवाही की जावे, इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीनों

(श्रीमती विद्या पाठक)

के अखबारों को और अब इस दौरान विधान सभा की कार्यवाही को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे जैक इन दी बाक्स की तरह सारे अपराधी कहीं छुपे रहे होंगे और अब एक साथ उभर कर ऊपर आ रहे हैं। अब इसके पीछे कारण कौन से रहे होंगे, कुछ कारण तो स्पष्ट भी हैं। इसी सिलसिले में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के सांगानेर ग्रामीण कस्बे के विषय में चर्चा यहां पर करना चाहूंगी।

11 तारीख को, इसी महीने की 11 तारीख को करीब शाम को साढे छः बजे एक व्यापारी के यहां, व्यापारी की दुकान के ऊपर उसका आफिस है, उस आफिस में दो लोग छुरा लेकर, उस्तरा लेकर गये और उसके मुनीम को डराया धमकाया। उसको एक थप्पड़ भी मारा और उसके चारसौ रुपये लेकर गायब हो गए। जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तब उसी दुकान का मालिक उनको मिला। उन्होंने उसको भी उस्तरा दिखा कर यह कहा कि तुमने यह उस्तरा देखा है या नहीं। रात्रि को भी इसी प्रकार की धमकियां उनके घर पर जाकर दी कि अगर तुमको अपनी खैरियत चाहिये तो तुम इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना। जिसकी एफ. आई. आर. पहले ही पुलिस में दर्ज की जा चुकी है इसी अपराधी कन्हैयालाल जिसकी ये लोग बात करते हैं, ने एक दिन पहले ही एक सीमेन्ट के व्यापारी के घर पर इस तरह की धमकी उसको दी। उस व्यापारी का नाम शरदकुमार है। सांगानेर का ही रहने वाला है। उसको जाकर यह धमकी दी कि उसको तीस कट्टे सीमेन्ट बिना परमिट और बिना पैसे के दे दी जाय क्योंकि उसका मकान बन रहा है। उसके अगले दिन 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को सरला नर्सिंग होम में जाकर ये ही अपराधी नर्सिंग होम के कम्पाउण्डर को पिस्तोल दिखा कर हाथ की घड़ी और 150 रुपया छीनने में सफल हो गए। वहां कुछ अपराधियों को पकड़ा भी गया जिनको पुलिस थाने ले जाते हुए पुलिस द्वारा मैं नहीं कह सकती मगर लोगों के द्वारा छुड़वा दिया गया। निश्चित रूप से वे ही लोग छुड़वाने की कार्यवाही कर रहे थे जो उन्हीं के साथी होंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह श्री कन्हैयालाल की चर्चा मैंने की। जैसा मुझे बताया गया है, 26-5 को भी इन्हीं लोगों ने केसरलाल पुत्र रोडू माली पर छुरे से हमला किया था। इन्हीं लोगों ने हमला किया, उसको 56 टांके आए। उसकी एफ. आई. आर. और मेडिकल ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है। यही कन्हैयालाल मूर्ति चुराने के अपराध में सांगानेर भी में पकड़ा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष बात तो यह है कि यह लोग जो हैं, ये उसी एरिया के हैं। सांगानेर कस्बे के ही हैं। इनको पकड़ने में क्या मुश्किल हो सकती है? मैं परसों वहां गई थी, उससे पहले सामने वाले माननीय सदस्य श्री तकीउद्दीनजी भी गए थे। वे वहीं से उधर से जा रहे थे, उनको भी लोगों ने पकड़ा और उनको काफी हैकल भी किया इस बात के लिए उनको न्याय दिलवाया जावे। अध्यक्ष महोदय, ये लोग उसी नगर के हैं। ऐसी वारदातें बराबर हो रही हैं। और लोगों का ऐसा कहना है कि पुलिस वालों का हाथ उनको बार-बार छुड़वा देने में है। यह आपने अभी फरमाया कि एक अपराधी को पकड़ा है। वह अपराधी माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों पकड़ा गया था,

(श्रीमती विद्या पाठक)

यह सही है। पर यह भी सही है कि जबसे वह पकड़ा गया, वह केवल अस्पताल में है इस बात पर कि उसको हार्ट ट्रबल है। उसने बताया कि उसके सीने में दर्द है, पर मुझे जानकारी दी है कि उसको कभी हार्ट अटेक हुआ ही नहीं। ई. सी. जी. की रिपोर्ट में पहले बताया गया कि वह हार्ट का पेशेंट है, मगर मेरी जानकारी यह है कि उसको कभी-हार्ट अटेक नहीं हुआ और वह हार्ट का पेशेंट भी नहीं है। वह आज तक अस्पताल में रहा और फिर छोड़ दिया गया है। इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी इस तरह की घटनायें हो रही हैं। आपने यह भी आज के अखबारों में देखा होगा कि एक अब्दुल रशीद जो कोई सीकर का है, को पकड़ा है, क्योंकि वह नकली पिस्तोल बनाने का और प्रोवाइड करने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो इस बात की थी उन लोगों को पकड़ा जावे जो वास्तविक कलप्रिट हैं, वास्तविक गुनाहगार हैं और जो उसी कस्बे मे रहते हैं। परन्तु यह साइड-ट्रैक करके इश्यू की गंभीरता को जो, इश्यू की ग्रेविटी को डाइल्यूट करना चाहते हैं। यह भी बताया गया है कि स्वयं पुलिस भी भयभीत है, उन लोगों से इसलिये कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश में अगर स्वयं पुलिस भयभीत हो जाये तो वह दूसरे नागरिकों की रक्षा क्या करेगी? इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं मैं इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय से मिली हूं। मैंने ज्ञापन भी दिया है, इस विषय में तुरन्त कार्यवाही करवाने के आदेश प्राप दिलवाये मंत्री महोदय से, ताकि वहां पर आतंक समाप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक हरिजन को जिन्दा जलाये जाने और एक हरिजन को मार कर रोड पर डालने की घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया जो कुछ बताया गया वह बिल्कुल सरासर गलत है। अध्यक्ष महोदय, जिस माबू नाम के रेगर को लोसल कस्बे में जला हुआ बताया गया है, अध्यक्ष महोदय, उसको चूने के जलते हुए भट्टे में डाला गया है। अध्यक्ष महोदय, चूने का जलता हुआ भट्टा 10 फीट ऊंचा होता है, उसमें डाला गया, आधा जल गया, उसके बाद भट्टे से उठा कर 100 कदम दूर ले जाकर डाला गया। अध्यक्ष महोदय, जो अन्वेषण चल रहा है, उसके अन्तर्गत, बता रहा हूं, मैं मौके पर गया हूं, लोगों से पूछताछ की, अध्यक्ष महोदय, वह दोनों प्रकार की शंकाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन पहली शंका प्रकट करते हैं उनका पक्ष प्रबल है। अध्यक्ष महोदय, माबू रेगर ने कभी चूने के भट्टे पर काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, चूने के भट्टे से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। न उसके घर पर इस समय कोई काम चल रहा है और न वह चूना ले जा कर घर पर काम करवाता है। अध्यक्ष महोदय, जान-बूझकर कुछ लोगों ने, जिनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, जो हरिजन हमारे साथ था, हमारी पार्टी का मेम्बर था, उसको चूने के भट्टे में डाला और उसके बाद में उठा कर ले गये। राजस्थान के इतिहास में यह कलंक की घटना है। किसी भी पार्टी के राज में यह स्थिति नहीं हुई कि किसी हरिजन को चूने के भट्टे के अन्दर डाल कर जला दिया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है कजोड़ हरिजन का, जिसको सीकर के बाहर पिछवाड़ी रोड पर दो मील शहर से बाहर डाला गया। पुलिस कहती है, उसका हार्ट फेल हो गया। अध्यक्ष महोदय, सीकर के बाहर दो मील पर सड़क के किनारे, पुलिस की रिपोर्ट है कि पहिये वाले तांगे में उसको ले जाकर डाला गया। अध्यक्ष महोदय, चार दिन हो गये, पुलिस उस तांगे वाले को नहीं पा सकी। तांगे वाला वहां डालकर आया, वो तांगे वाला कौनसा था। हार्ट फेल ही गया, अध्यक्ष महोदय, तांगे में बैठने पर तो तांगे वाले ने उसके घर क्यों नहीं पहुंचाया, उसको हास्पीटल क्यों नहीं पहुंचाया ?

अध्यक्ष महोदय, ये दोनों मनगढ़न्त घटनाएं हैं। इतिहास के अन्दर दो-दो हरिजनों की सीकर में निर्मम हत्यायें हुई हैं। एक को जलाकर मारा गया है तो दूसरे को मार कर लावारिस लाश की तरह से सड़क पर फेंक दिया गया है। पुलिस की जो अन्वेषण की रिपोर्ट आई है, वह सरासर गलत है। हरिजनों पर जितने अत्याचार सीकर जिले में इन दिनों हुए हैं, आज तक इतने अत्याचार कभी नहीं हुए, यह शर्मनाक अत्याचार है। ये शर्मनाक है हमारे लिये, जो इस सदन में बैठते हैं। शर्मनाक है इस सरकार के लिये जो इस प्रकार झूठे बयान देती है। वहां जाकर, मेरी मांग है कि उच्च अधिकारियों से इन दोनों घटनाओं की जांच करायी जाये और जांच कराने के बाद जो लोग अपराधी पाये जायें, चाहे वे किसी भी राजनैतिक पार्टी के हों, उनको संरक्षण नहीं दिया जाये और उनको उचित सजा दी जाये। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में वबला गांव में एक गरीब हरिजन के बेटे की मौत गोली से वहां के किसी व्यक्ति द्वारा कर दी गई। इस सम्बन्ध में मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने मुझे इजाजत दी, आपका आभारी हूं। मैं.......

श्री अध्यक्ष : केवल पांच मिनट का समय बचता है। अब समय बढ़ाया नहीं जायेगा, इसलिये आप जल्दी समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन समय पांच मिनट है।

श्री गोपाल पचेरवाल : इससे तो अच्छा था कि आप मुझे मौका ही नहीं देते। माननीय खेतसिंह जी इसलिये नहीं सुनना चाहते कि एक मेहतर का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कल मैंने अपनी बात कहना शुरू किया तो जो माननीय खेतसिंह जी ने अपनी जगह से एक बात कही थी वह मुझे बड़ी अच्छी लगी। माननीय खेतसिंह ने कहा कि मेहतरों का ठेका तुम्हारा ही नहीं है।

सदन की कार्यवाही
विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : कितना समय बढ़ा दिया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दस-पन्द्रह मिनट जितना आप चाहें। 5 बजकर 45 मिनिट पर गवर्नर साहब के यहां पहुंचना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय 10 मिनट के लिये बढ़ाया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इधर हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं; उधर गवर्नर साहब के यहां भोजन है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, जब कल मैंने अपनी बात कहना आरम्भ किया तो खेतसिंहजी ने एक बात कही कि मेहतरों का ठेका तुम्हारा नहीं है। यह सही है, हम ठेके की परम्परा में विश्वास नहीं रखते हैं, यह ठेके की परम्परा तो माननीय खेतसिंहजी ने कायम रखी है, इनकी सरकार कायम रखना चाहती है। मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान का मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति का बना तो गांव बबाल के लोगों ने अपनी एक कमेटी की मीटिंग करके निर्णय लिया, हमारे लिये, प्रदेश के लिये खुशी की बात है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हरिजन बना है। इस खुशी में वहां के लोगों ने बीस सूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रम को लेकर उस गांव में एक छुआछूत आन्दोलन चलाया, होटल प्रवेश, नाई की दुकान पर बाल कटवाना आदि का मूवमेन्ट चलाया। जब यह कार्यक्रम चलाया गया तो वहां के सवर्ण लोगों ने उन लोगों से कहा कि आप ये 20 सूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रम, होटल प्रवेश आदि का कार्यक्रम नहीं चला सकते। मुझे खुशी इस बात की है कि वहां के मेहतर युवक ने बीस सूत्री कार्यक्रम लेकर होटल प्रवेश आदि का कार्यक्रम चलाया लेकिन वहां के किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। माननीय खेतसिंहजी इस बात को टालें, इससे बड़ी अफसोस की बात और कोई नहीं हो सकती है। जब यह आन्दोलन चला तो वहां के दो-तीन व्यक्तियों ने मिल कर वहां के सरपंच के साथ उस वक्त कहा गया कि तुमने यह छुआछूत आन्दोलन चलाया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। श्रीमन्, जिसकी सूचना इस प्रकाश नाम के युवक ने वहां के मेहतर समाज ने सरकार को दी और थाने में रपट दर्ज करायी कि हमको धमकी दी गई है, और हमारी जान को खतरा हो रहा है। सरकार हमारी रक्षा करे। लेकिन सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, 18 जुलाई को रात को 8 बजे एक बाघसिंह नाम का व्यक्ति आया और बाघसिंह ने कहा कि प्रकाशसिंह तेरे को सरपंच साहब बुला रहे हैं। श्रीमन्, वो प्रकाश बाघसिंह के साथ सरपंच साहब के यहां पहुंचा। पहुंचने के बाद उसके पिताजी ने सोचा, सरपंच साहब ने बुलाया है, हो सकता है शहर काम भेज दिया हो। लेकिन रात को वह नहीं पहुंचा। जब सुबह उसके पिताजी गांव की सफाई करने गये, मंगलजी उस लड़के के पिताजी थे, जब वह जा रहे थे तो छोटा मेघवाल के मकान के पास खून और उस लड़के की चप्पल पड़ी हुई थी, वहां पर जगदीश, जो वहां हैड चौकी का इंचार्ज था, और सिपाही भी खड़े हुए थे, उस मंगल हरिजन ने कहा कि यह मेरे लड़के की चप्पल है यह यहां

(श्री गोपाल पचेरवाल)

क्यों पड़ी है और यह खून किसका है ? वहां के अधिकारी ने उसको डांटा और कहा कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने यह कहा कि मुझे शंका है कि यह मेरे लड़के की चप्पल पड़ी हुई है और यह खून उसका हुआ है। मेरे लड़के को वाघसिंह रात को बुलाकर ले गये, सरपंच साहब के नाम से वह अभी तक नहीं पहुंचा है, मुझे इस बात की चिन्ता है। बाद में उसके रोने पर चिल्लाने पर उसको लाश दिखाई गई। वह छोटा मेघवाल के मकान के पास एक बोरे में डाल रखी थी। श्रीमन्, जब उसने देखा तो वह बड़ा घबड़ाया, रोने लगा, चिल्लाया। वहां सरपंच ने रात को पुलिस को इत्तिला की लेकिन, श्रीमन् गरीब हरिजन को इत्तिला नहीं की कि तुम्हारे बेटे की किसी ने मौत कर दी, हत्या कर दी। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किसी बच्चे के हाथ मे बन्दूक चलने से उस की मौत हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन् मेरी जानकारी के अनुसार वह बन्दूक रेवतसिंह की है। वह बच्चे के हाथ में कैसे गई। वह बच्चा किसी ब्राह्मण का बच्चा है, जिसकी उम्र 15-16 साल के लगभग है। रेवतसिंह की बन्दूक बच्चे के हाथ में कैसे गई ? अगर उसके हाथ में गई तो क्या बच्चे के पास बन्दूक चलाने का लाइसेंस था ? उसने बन्दूक कैसे चलायी ? जब रात को प्रकाश को बुलाया गया, रात को 9-10 बजे बच्चे के हाथ से उसकी मौत कैसे हो गई, और बच्चे के हाथ में बन्दूक कैसे आई ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों के हिमायती बनने की बात करते हैं। माननीय पहाड़िया जी ने अपने भाषण में यह कहा था, मैं हरिजन हूं, हरिजन होने का गर्व है मुझे, आज वह गर्व कहां गया ? क्यों डर गया उनका जमीर ? क्यों नहीं मुल्जिमान को गिरफ्तार करते ? क्या रहस्य है इसके पीछे ? जिस सरपंच की मौजूदगी में उस गरीब की हत्या कर दी गई वह भारतीय जनता पार्टी का सरपंच नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का सरपंच है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उसकी हत्या हो गई फिर पोस्ट-मार्टम कराया गया। मेरा निवेदन है कि जब बन्दूक से हत्या होती है तो मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा पोस्ट मार्टम कराया जाता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहां के मेडिकल डाक्टर से ही उसका पोस्ट-मार्टम कराया गया। श्रीमन्, आज तक ऐसी हत्या हुई लाश जलाने के लिये परिवार को सुपुर्द की गई है। लेकिन अफसोस इस बात का है, शर्म आनी चाहिए माननीय खेतसिंह जो को जो मेहतरों की ठेकेदारी की बात करते हैं और कांग्रेस के ऐसे लोगों को, जिनके शासन में मेहतर की लाश उसके बाप को नहीं दी गई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अरे, शर्म किस बात की आये। 302 का केस रजिस्टर हो गया, मुल्जिम को पकड़ लिया गया।

श्री गोपाल पचेरवाल : कौन पकड़ा गया ? आप कहते है मुल्जिम पकड़े गये। नहीं पकड़े गये XXX बोल रहे हैं आप। एक

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लड़के को पकड़ा गया। वह लड़का ब्राह्मण का लड़का है। झूठा मुकदमा बनाया गया। सही मुल्जिम आज भी फरार है। मैं निवेदन करना चाहता था, श्रीमन्, मुल्जिम स्टेशन पर गए उन्होंने दो टिकट अजमेर के लिये चाहे तो जांच करा ली जाय। टेलिफोन वालों को मुल्जिम मना करने गए। इसलिये मेहतर अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्त्ताओं को टेलीग्राम नहीं कर पाये, मुल्जिमों ने टेलीग्राम करने वाले को मना कर दिया। इस तरह की कार्यवाही की गई। धमकी दी गई, महानुभाव। आप XXX बोलते हैं, सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, XXX शब्द का प्रयोग न करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : लाश जलाने के लिए उसके बाप को नहीं दी गई उसका पुलिस के दम पर पंचनामा लिखा गया और पुलिस की मौजूदगी में लाश को जला दिया गया, श्रीमन्, इसलिए मैं कहना चाहूंगा सरकार से ऐसी बात करना चाहते हैं, हरिजनों की रहनुमाई की बात करना चाहते हैं, गरीब की रहनुमाई की बात करना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमन्त्री जी यहां पर बैठ कर इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम और संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम की बात करते है और कहते है, मैं हरिजन हूं, मेरा जमीर है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। कांग्रेस की हकूमत में, सदारत में एक मेहतर के बेटे को गोली से उड़ा दिया जाय और कांग्रेस के नुमाइन्दे गोली से उड़ाने के बाद, लाश को जलाने के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इनको सही वाक्या मालूम नहीं है। रेवतराम और कालूराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप XXX बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

XXX **श्री अध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज। कृपया शब्द का प्रयोग न करें। भाषा के प्रयोग में संयम बरतें।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। कृपया भाषा के प्रयोग में संयम बरतें। आप उनको XXX कहें, ये उनको XXX कहें यह अच्छा नहीं लगता। असंसदीय भी है। इसलिए माननीय सदस्य, जब शब्दों का प्रयोग करें तो थोड़ा सा संयम बरतें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय दुलारामजी को कब से मंत्री बना दिया? आपके मंत्री बनने वाली बात है क्या?

एक माननीय सदस्य : वो जनता पार्टी के मंत्री बनेंगे क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन-ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, माननीय दुलाराम जी अधिकारियों से स्लिप लेकर बोल रहे हैं सदन में।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री दुलाराम : मैं किसी स्लिप पर नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी स्लिप पर नहीं खड़ा हूं। मैं तो सदन में खड़ा हुआ बोल रहा हूं। रेवतराम और कालूराम को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ 302 का मुकदमा बना दिया है। मंत्री महोदय उत्तर दें। मंत्री महोदय सक्षम हैं।

श्री यदुनाथसिंह : कृपया व्यवस्था भंग करने की कोशिश मत कीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी यदि माननीय दुलाराम जी को मंत्रिमण्डल में शरीक कर लें तो मैं कोई सवाल करूंगा तो माननीय दुलाराम जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

हरिजनों की हत्या हो रही है।

श्री दुलाराम : यदि हरिजन जुर्म करेगा तो हरिजन गिरफ्तार होगा और राजपूत करेगा तो राजपूत गिरफ्तार होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मेघराज : हरिजनों की हत्या हो रही है। ये जवाब दे रहे हैं।

श्री दुलाराम : मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर कुछ कहा तो मेरे पास सूचना थी। ये XXX कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया शब्द XXX का प्रयोग न करें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं बोल भी नहीं सका, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप सत्यता से बोलिये

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय आप इन्हें शांत करवाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : अगर आप सत्यता से कहते तो यह सदन, हम माननीय सदस्य साथ होते।

(व्यवधान)

इस कांग्रेस (आई) की पार्टी के शासन के अन्दर किसी हरिजन पर अत्याचार नहीं बख्शा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें। माननीय सदस्य, गोपाल पचेरवाल, जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप अपना अखबार में नाम छपवाने के लिये बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : इस तरह से कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

यह क्या तरीका है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। कृपया उनको बिठाइये पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कृपया समय बढ़ा दिया जाय, आपको भी कई व्यवस्थाएं देनी हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय।

(अस्वीकृत)

समय नहीं बढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाए ?

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही दिनांक 28 जुलाई, 1980 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.11 बजे सोमवार दिनांक 28 जुलाई, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।]

(127)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची

परिशिष्ट-'अ'

आंत्रशोथ से मृत व्यक्तियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	उम्र
1.	श्री नवनीत	1 वर्ष 6 माह
2.	श्री कमलेश	1 वर्ष
3.	मनिता रानी	6 वर्ष
4.	छोटा	6 वर्ष

Page No 127

(128)

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची

दिनांक 15-2-1980 से सातवें वित्त आयोग की सिफारिश पर बनाये गये न्यायालयों की सूची

अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालयों के स्थान

1. किशनगढ़बास (जिला-अलवर)
2. भरतपुर
3. डीग (जिला-भरतपुर)
4. नोहर (जिला-श्री गंगानगर)
5. रायसिंहनगर (जिला-श्री गंगानगर)
6. जयपुर
7. बारां
8. राजसमन्द (जिला-उदयपुर)
9. नागौर।

मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के स्थान

1. बानसुर (जिला-अलवर)
2. किशनगढ़बास (जिला-अलवर)
3. सिवाना (जिला-बाड़मेर)
4. कामा (जिला-भरतपुर)
5. नोखा (जिला-बीकानेर)
6. लूणकरणसर (जिला-बीकानेर)
7. अनूपगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)
8. पदमपुर (जिला-श्री गंगानगर)
9. सांगरिया (जिला-श्री गंगानगर)
10. ओसियां (जिला-जोधपुर)
11. पीपाड़ (जिला-जोधपुर)
12. इटावा (जिला-कोटा)
13. सांगोद (जिला-कोटा)
14. मकराना (जिला-नागौर)
15. डेगाना (जिला-नागौर)
16. लाडनूं (जिला-नागौर)
17. बड़ी सादड़ी (जिला-चित्तौड़गढ़)
18. कुम्भलगढ़ (जिला-उदयपुर)

19. गोगुन्दा (जिला–उदयपुर)
20. झाड़ोल (जिला–उदयपुर)
21. खेरवाड़ा (जिला–उदयपुर)
22. धरियावद (जिला–उदयपुर)
23. उनियारा (जिला–टोंक)
24. माण्डल (जिला–भीलवाड़ा)
25. बिजोलिया (जिला–भीलवाड़ा)
26. सुजानगढ़ (जिला–चूरू)
27. चौमू (जिला–जयपुर)
28. सुमेरपुर (जिला–पाली)
29. दांतारामगढ़ (जिला–सीकर)
30. रेल मगरा (जिला–उदयपुर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय

1. अजमेर नं० 5
2. ब्यावर (जिला अजमेर)
3. बाड़मेर
4. नोहर (जिला श्री गंगानगर)
5. जयपुर नं० 13
6. जयपुर नं० 14
7. जयपुर नं० 15
8. बारां
9. आबूरोड़

(130)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची

मुख्यालय चिकित्सालयों की सूची जहां रक्त कोष सुविधा उपलब्ध है।

राजस्थान में कुल 27 जिला मुख्यालय हैं वर्त्तमान में निम्न जिला मुख्यालयों पर कार्यरत रक्त कोष का विवरण निम्न प्रकार से है:—

1.	अजमेर	एक
2.	अलवर	एक
3.	भीलवाड़ा	एक
4.	भरतपुर	एक
5.	बीकानेर	एक
6.	चित्तौड़गढ़	एक
7.	गंगानगर	एक
8.	जयपुर	दो
9.	जोधपुर	दो
10.	जैसलमेर	एक
11.	जालौर	एक
12.	कोटा	एक
13.	सीकर	एक
14.	पाली	एक
15.	उदयपुर	एक

———

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची

बकाया वेतन

क्रमांक	नाम अध्यापिका	अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4
		जिला जयपुर (प्रथम)	
1.	श्रीमती संतोष बहल	6-7-77 से 17-9-77	
2.	,, किरण वाजपेयी	4/65 से 1/68	
		9/76 से 9/77	
3,	,, शान्ती पारीक	4/62 से 9/65	
4.	,, गुलाली देवी	2/61 से 4/64	
5.	,, निर्मला सिन्हा	10/65 से 10/68	
6.	,, मारगेट मसीह	9/69 से 11/77	
7.	,, गोदावरी सिंह	8/66 से 9/74	
8.	,, लक्ष्मी सचदेव	10/73 से 12/74	
9.	,, परमेश्वरी देवी	8/72 से 9/73	
		2/72 से 7/72	
10	,, शीला माथुर	9/70 पूरा माह	
11.	,, दयावती जैन	1/64 से 8/68	
12.	,, चन्द्रकला शर्मा	11/64 से 8/68	
		7/67 से 8/68	
13.	,, विमला गुप्ता	11/66 से 8/72	
14.	,, बसन्ती वैष्णव	6/68 से 8/68	
15.	,, विमला जैन	9/68 से 2/71	
16.	,, पुष्पा शर्मा	2/69 से 1/71	
17.	,, शान्ती पारीक	9/61 से 8/71	
18.	,, सुदर्शन सहानी	11/72 से 11/74	
19.	,, बसन्त शर्मा	9/77 का	
20.	,, आचुकी गहलोत	5/75 से 6/76	
21.	,, मनोरमा देवी	16-11-76 से 30-11-76	
22.	,, सुशीला जैन	12/76 से 7/77	
23.	,, राजकुमारी शर्मा	9/77 से 10/77	
24.	,, मक्खन जिन्दू	2/72 से 1/74	

1	2	3	4
25.	श्रीमती पार्वती चौधरी	7/60 से 6/69	
26.	,, दुलारी श्रीवास्तव	12/68 से 12/71	
27.	,, ताहिरा बेगम	8/77 से 9/77	
28.	,, कृष्णा देवी शर्मा	9/61 से 9/67	
29.	,, कमला यादव	11/77 से 12/77	
30.	,, शान्ती शर्मा	4/77 से 5/77	
31.	,, निर्मला सिन्हा	10/69 से 6/78	
		जयपुर (द्वितीय)	
32.	श्रीमती धरबती देवी	7/73 से 12/73	
33.	,, विमला अरोड़ा	4/69 से 10/69 7/66	
34.	,, अयोध्या देवी शर्मा	1/72 से 2/73	
35.	,, विद्यादेवी शर्मा	7/72 से 8/72 3/56 से 8/60	
36.	,, सरदार देवी	3/59 से 9/59	
37.	,, पुष्पा गुप्ता	9/57 से 9/61	
38.	,, राजन देवी	9/61 से 3/70	
39.	,, कृष्णा चतुर्वेदी	8/68	
40.	,, शकीला आसमत	8/72 से 9/72	
41	,, कमला माथुर	5/74 से 9/74 8/68	
42.	,, सरोज शर्मा	10/73 से 7/74	
43.	,, तारा देवी	10/69 से 12/70	
44.	, कमला सुमन	2/72 से 9/74 7/70 से 11/77	
45.	,, एस० के० सिंह	5/57 से 5/58	
46.	,, दुर्गा देवी	7/57 से 9/69	
47.	पुष्पलता ग्रोवर	7/61 से 7/65	
48.	,, विमला देवी	7/61 से 7/71	
49	,, सोलोमन डी. लाल	9/68	
50.	,, दामोदरी देवी	8/68 12/72 से 11/73	
51.	,, रुकमणी देवी माथुर	7/64 से 8/67	
52.	,, मुन्ना देवी शर्मा	6/62 से 7/66	
53.	,, राजेश्वरी भटनागर	9/68 से 6/70	
54.	,, मधुमती	4/70 से 5/70	
55.	,, कृष्णा रानी	2/68	
56.	,, इन्द्रा रामचन्दानी	10/71 से 10/74	

1	2	3	4
57.	श्रीमती इन्दु अरोरा	2/74	
58.	,, सुदेश सहानी	3/74	
59.	,, कृष्णा खुराना	7/66 से 7/67	
60.	,, ऊषा खत्री	8/74 1/70 से 7/71	
61.	,, मोहनी देवी	8/73	
62.	,, चन्द्रकला कोहली	3/73 से 8/73	
63.	,, सुदर्शन शर्मा	1/78	
64.	,, स्वर्ण कान्ता	1/78 से 6/78	
65.	,, प्रमोदलता	6/78	
66.	,, कुमुद शर्मा	6/78	
67.	,, मंजू शर्मा	5/78	
68.	,, उमराव शर्मा	7/77	
69.	,, शकुन्तला अरोरा	2/77	
70.	,, कौशल्या तोलानी	2/77 से 4/77	
71.	,, सरोज कश्यप	11/77 से 12/77	
72.	,, सरोज कपूर	5/77 से 8/78	
73.	,, लाजवन्ती पारीक	2/78	
74.	,, केसर देवी	9/76 से 11/76	
75.	,, माया जैन	12/73	
76.	,, सुषमा शर्मा	8/77 से 12/77	
77.	,, कृष्णा सिंघल	12/75 से 11/76	
78.	,, ललिता श्रीवास्तव	9/71 से 3/75	
79.	,, पदमा नाग	9/76 से 12/76	
80.	,, निर्मला माथुर	7/65 से 9/68	
81.	,, चांदकुमारी बारेसा	11/70	
82.	,, सुदर्शन गुप्ता	6/74 से 12/74	
83.	,, शान्ती शर्मा	8/74	
84.	,, निर्मला शर्मा	5/78 से 11/78	
85.	,, कौशल्या अरोड़ा	4/78 से 5/78	
86.	,, श्यामा कपूर	4/77 से 11/77	
87.	,, कमला शर्मा	11/77 से 12/77	
88.	,, कृष्णा देवी	7/61 से 3/67	

(134)

1	2	3	4
	बकाया वेतन	सीकर जिला	
1.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	1/73 से 2/73	
2.	" शकुन्तला शर्मा	9/74 से 11/76	
3.	" जसवन्त कौर	3/74 से 7/75	
4.	" सरोज शर्मा	10/74 से 3/75	
5.	" पदमा शुक्ला	5/73 से 9/73	
6.	" आशा रानी सिंघल	11/76 से 9/77	
7.	" आशा एन. गुलवानी	10/74 से 12/74	
8.	" शकुन्तला खुराना	5/73 से 2/74	
9.	" सुबोधबाला चौधरी	12/74 से 5/75	
10.	" दर्शना कुमारी	1/9/71 से 16/9/71	
11.	" शैलकुमारी	5/62 से 6/62	
12.	" सुरक्षा कुमारी	22/12/73 से 31/12/73	
13.	" रतन कौर	10/58 से 7/59	
14.	" उषा अरोड़ा	5/73 से 2/74	
15.	" कृष्णा त्यागी	5/73 से 2/74	
16.	" कुन्ती सक्सेना	10/75 से 11/77	
17.	" भगवानी नागर	9/71 से 3/72	
18.	" किरण लता	9/77 से 12/77	
19.	" अमर जीत कौर	11/76 से 2/77	
20.	" मनभरी बाई	9/77 से 4/78	
21.	" चन्द्र लेखा	8/77 से 12/77	
	बकाया वेतन	झुंझुनूं जिला	
1.	श्रीमती शान्ता आर्य	9/68 से 7/69	
2.	" प्रभा कुमारी	8/76	
3.	" जानकी नइयर	3/78	
4.	" परमात्मा देवी	9/76 से 4/79	
5.	" कमला देवी	5/78	
6.	" भगवती देवी गुप्ता	7/75	
7.	" गीता स्वामी	1-2-75 से 4-2-75 1-7-75 से 22-7-75 28-8-75 से 31-8-75	
8.	" कमला चानिया	25-12-77 से 31-12-77	
9.	" निर्मला देवी	1-1-76 व 26-3-76 से 31-3-76	

1	2	3	4
10.	श्रीमती चमेली देवी	9/76 से 9/78	
11.	,, विमला देवी	9/76 से 2/77	
12.	,, जानकी देवी	1-7-74 से 28-7-74 व 1-8-74 से 13-8-74	
13.	,, डोरिस विद्यावती सिंह	1-11-72 से 20-11-72 3-3-73 से 4-3-73 4-9-73 से 23-9-73 24-9-73 से 26-9-73	
14.	,, कृष्णा कुमारी	8/67 से 9/67	
15.	,, रामरती देवी	9/67 से 7/69	
16.	,, देवयानी बांसवाड़ा	10/63 से 8/65	
17.	,, मनोरमा सक्सेना	11/71 से 10/74	

यात्रा भत्ता बकाया

जिला जयपुर (1)

क्रमांक	नाम अध्यापिका	अवधि	विशेष विवरण
1.	श्रीमती लक्ष्मी गम्भीर	11/77	
2.	,, प्रेमलता शर्मा	12/77	
3.	,, गंगा देवी	10/75	
4.	,, कैलाश सक्सेना	12/77	
5.	,, कृष्णा देवी मेहरा	9/77	
6.	,, स्नेहलता सक्सेना	2/76	
7.	,, सुमनलता गुप्ता	7/77	
8.	,, शारदा शर्मा	8/76	
9.	,, तारा शर्मा	11/77	
10.	,, माया जैन	3/78	
11.	,, चन्द्रावती चुग	1/78	
12.	,, शकुन्तला शर्मा	12/74	
13.	,, कृष्णादेवी शर्मा	12/77	

जिला जयपुर (2)

14.	श्रीमती सूरत देवी	4/78	

(136)

क्रमांक	नाम अध्यापिका	अवधि	विशेष विवरण
			सीकर जिला
		मिल	
		पेनल	
1.	श्रीमती सुशीला चौहान	8/77 11/77	
2.	,, निवला बावड़ा	9/76 9/77	

प्रसूती अवकाश — जिला जयपुर (1)

क्रमांक	नाम अध्यापिका	अवधि	विशेष विवरण
		मिल	
			जिला जयपुर (2)
		मिल	
			सीकर जिला
1.	श्रीमती सुमित्रा गांधी	15-3-74 से 9-6-74	
2.	,, साधना भाटिया	17-12-77 से 14-3-78	
3.	,, चन्द्रलेखा	3-7-77 से 27-9-77	
			झुंझुनूं जिला
4.	,, निर्मला बाधा	24-12-69 से 20-3-70	

———

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची

माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों की सूची

क्र०सं०	नाम	पद
1	श्री पूरन चन्द कुमावत	अध्यक्ष
2.	श्री रमेश चन्द अग्रवाल	उपाध्यक्ष
3.	श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल	मंत्री
4.	श्री राधेश्याम शर्मा	कोषाध्यक्ष
5.	श्री दामोदर अग्रवाल	सदस्य कार्यकारिणी
6.	श्री जसवन्तसिंह	,,
7.	श्री रवीन्द्र सिंह	,,
8.	श्री नेम सिंह सोलंकी	,,

(138)

परिशिष्ट--6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, कोटपूतली के वर्तमान सचिव के विरुद्ध कार्यवाही

131. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:** —

(1) श्री ताराचन्द सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, कोटपूतली कहां-कहां सचिव पद पर कितने दिन रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनके विरुद्ध आज तक कहां-कहां की शिकायत किस-किस प्रकार हुई तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि कोटपूतली के पावटा कस्बे में जून में गबन के बंटवारे में झगड़ा हुआ और थाना प्रागपुरा में वे गिरफ्तार हुये और चालान भी हुये फिर भी विभाग द्वारा इनके निलम्बन की व अन्य कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री ताराचन्द बाकलीवाल जहां जहां सचिव कृषि उपज मंडी समिति में रहे उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री बाकलीवाल के विरुद्ध कोटपूतली के कुछ व्यक्तियों से एक शिकायत उनके कोटपूतली कार्यकाल से सम्बन्धित प्राप्त हुई जिसमें मुख्यत: रिश्वत लेना, पद का दुरुपयोग करना एवं वित्तीय अनियमिततायें करना था। प्रारम्भिक जांच में प्रतीत हुआ कि संभवत: कुछ अनियमिततायें की गयी हैं अत: मामले को विभागीय जांच हेतु दिया गया है।

(3) इसकी जानकारी कृषि विभाग को नहीं है।

श्री ताराचन्द बाकलीवाल, सचिव कृषि उपज मंडी समिति के कार्यकाल का विवरण

पद स्थापन की जगह	कब से	कब तक
1	2	3
सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, सीकर	7-4-72	19-4-72
,, श्री माधोपुर	20-4-72	17-10-74

1	2	3	4
कृषि उपज	चोमेला (झालावाड़)	18-10-74	15-3-75
मंडी समिति	नरायना (जयपुर)	16-3-75	16-10-75
	कोटपूतली	17-10-75	6-8-77
	नीम का थाना	7-8-77	9-1-78
	झालरापाटन	10-1-78	8-12-78

दिसम्बर 1973 में विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए।

प्रोविडेन्ट फन्ड से मजदूरों को समय पर विथ्ड्राल की व्यवस्था

132. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि प्रोविडेन्ट फन्ड में मजदूरों का पैसा जमा रहता है उसकी जब मजदूरों को आवश्यकता पड़ती है तो पैसा समय पर नहीं मिल पाता और न ही पैसा निकलने के बारे में उन्हें किसी प्रकार का मार्गदर्शन ही मिल पाया है, जिसके कारण उन्हें कठिनाई होती है।

उत्तर

जी नहीं। कर्मचारी भविष्य-निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 एवं उसके अन्तर्गत बनी योजनाओं एवं नियमों के अनुसार श्रमिकों के प्रार्थना पत्रों/दावों का निपटारा एवं भुगतान यथा सम्भव शीघ्र किया जाता है, तथा समुचित मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था

133. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि नगर परिषद, जयपुर के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान सफाई व्यवस्था बनाये रखने हेतु बाहर से सफाई कर्मचारी लाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और कब से तथा किस स्थान से लाये गये थे ? विवरण सहित जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिनांक	नाम स्थान	संख्या
12-6-80	अजमेर	40
15-6-80	रामपुर	415
30-6-80	रामपुर	440

ग्राम सेवा सहकारी समितियों, अन्य सहकारी समितियों तथा बैंकों के चुनाव

134. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं अन्य प्रकार की सभी सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों के चुनाव मौजूदा कानून के अनुसार कब तक करा दिये जावेंगे ?

(2) क्या राज्य सरकार मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(2) वर्तमान व्यवस्था अस्थाई है। लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर उचित समय पर चुनाव करा दिये जायेंगे।

ब्रह्मपुरी से ग्राम कागदीवाड़ा–छीपीवाड़ा सड़क पर विद्युत प्रकाश

135. **श्रीमती उज्वला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छठी विधान सभा में भूतपूर्व सदस्य श्री रामकरण सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 333/ शि. म. के उत्तर में तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने वित्तीय वर्ष 1978–79 में शीघ्र ब्रह्मपुरी (जयपुर) से ग्राम कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा तक रोड लाइट्स लगवाने का आश्वासन दिया था ? अगर हां; तो क्या रोड लाइट्स लगवा दी गयीं ? अगर नहीं, तो क्यों ? रोड लाइट्स कब तक लगवा दी जायेंगी ?

उत्तर

जी हां। रोड लाइट्स लगाने की व्यवस्था वर्ष 1979–80 में यथाशीघ्र करने का आश्वासन दिया गया था। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एस्टीमेट प्राप्त हो चुके हैं एवं उक्त एस्टीमेट के आधार पर नगर परिषद् ने राशि जमा करा दी है। उन्हें शीघ्र लगवाने हेतु लिखा गया है।

किसानों से आवश्यकता से अधिक ऋण की वसूली

136. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री बाऊलाल जोशी (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा में 1968 से 71 में भू-संरक्षण द्वारा खेतों की लेवलिंग कराने हेतु भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को ऋण दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि भू-संरक्षण विभाग द्वारा इस लेवलिंग में गड़बड़ी एवं घोटाला किये जाने की वजह से किसानों पर आवश्यकता से अधिक ऋण लिखा हुआ है जिसे किसान देने में असमर्थ हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस घोटाले की सूचना तथा ऋण मुक्ति हेतु किसानों ने कई बार सरकार से निवेदन किया है जो सरकार के विचाराधीन है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस भारी ऋण को किसान चुकाने में असमर्थ हैं तथा फिर भी उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार इन गरीब किसानों पर थोपे गये इस भारी ऋण से उनको शीघ्र मुक्त करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां परन्तु पंजीयक की रिपोर्ट कुछ असफल कार्यों के मामले में जिनका अपेक्षित प्रतिफल काश्तकार को नहीं मिल सका राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4 किसानों को परेशान नहीं किया जा रहा है। स्थगन आदेश दिनांक 14–7–77 से जारी है।

(5) सरकार सभी तथ्यों पर विचार कर न्यायोचित कार्यवाही करेगी

भवानी मंडी (झालावाड़) में आवासन मण्डल के माध्यम से भवन निर्माण

137. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में भवानी मंडी शहर एक व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्र है।

(142)

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(2) क्या सरकार यहां जनता की सुविधा के लिए हाउसिंग बोर्ड के मकान बना कर रिहायशी सुविधा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भविष्य में जब कभी पंजीकरण प्रारम्भ किया जावेगा तो भवानी मंडी के लिए भी विचार किया जावेगा।

सुल्तानपुर क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम

138. **श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

कोटा जिला स्थित सुल्तानपुर क्षेत्र में भूमि सुधार (ओ. एफ. डी.) कार्यक्रम के तहत कितनी भूमि में कितना कार्य हो चुका है व इस कार्य में कुल कितना खर्चा प्रति बीघा आता है ? विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र मे 50,000 बीघा क्षेत्र में भूमि सुधार कार्य हो चुका है तथा 1800 बीघा मे कार्य प्रगति पर है। भूमि सुधार कार्य में खर्च लगभग 440 रु. प्रति बीघा आता है। विस्तृत सूचना "अ" संलग्न है।

सूची

क्र. सं.	जलग्राह क्षेत्र	क्षेत्रफल हैक्टेयर	वर्ष जिसमें कार्य हुआ	अनुमानित खर्च प्रति हैक्टेयर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	गढ़ेपान "बी"	250	जुलाई,76-जून,77	3240/-	
2.	गढ़ेपान "ए"	240	जुलाई,77-जून,78	3240/-	
3.	खेड़ली महाद्वीप	735	,,	2145/-	
		975			

Page No 142

(143)

1	2	3	4	5	6
4.	आटोन किशोरपुरा I	210	जुलाई, 78-जून, 79	2616/-	
5.	आटोन किशोरपुरा II	459	,,	2688/-	
6.	आटोन किशोरपुरा III	479	,,	2855/-	
7.	बमोरी I	392	,,	2666/-	
8.	बमोरी II	150	,,	2597/-	
9.	करीर का खेड़ा	332	,,	2967/-	
10.	सुरेला II	988	,,	2710/-	
11.	अमरपुरा	554	,,	2677/-	
12.	प्रेमपुरा I	164	,,	2575/-	
		100			
13.	सुल्तानपुर I	170	,,	-	
14.	नयागांव	125	,,	2621/-	
		4124			
15.	शाहपुरा	250	जुलाई, 79 से जून, 80	3000/-	कार्य शेष है 14 हैक्टेयर
16.	नापाहेड़ा	360	,,	2333/-	40 हैक्टेयर
17.	पड़ासलिया	270	,,	3050/-	30 हैक्टेयर
18.	प्रेमपुरा II	161	,,	2855/-	18 हैक्टेयर
19.	सनीजा I	335	,,	3006/-	36 हैक्टेयर
20.	सनीजा II	600	,,	2924/-	67 हैक्टेयर
21.	बोर खेड़ा	626	,,	2976/-	70 हैक्टेयर
22.	मोतीकुआ	108	,,	2782/-	12 हैक्टेयर
		2710			
	कुल योग 8059	49884.6		289=1800 बीघा	

अर्थात् 50,000 बीघा

(144)

केशवरायपाटन में अधिशासी अधिकारी के लिये आवासीय व्यवस्था

139. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका केशवरायपाटन में कार्यरत अधिशासी अधिकारी के लिये आवासीय भवन उपलब्ध है? यदि हां, तो भवन का निर्माण कब कराया गया?

(2) नगरपालिका द्वारा निर्मित आवासीय भवन का उपयोग करने पर अधिकारी से किराया जमा कराने का या निःशुल्क आवासीय सुविधा देने का प्रावधान है?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कार्यरत अधिशासी अधिकारी पालिका के आवासीय भवन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा इन से पूर्व कार्यरत अधिशासी ने भी इस भवन का उपयोग नहीं किया? यदि उपयोग किया है, तो कब से कब तक? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन का निर्माण दिनांक 18-10-79 को पूरा हुआ है।

(2) भवन आवंटन करने की स्थिति में अधिकारी से किराया लिया जाता है।

(3) जी नहीं। भवन का उपयोग अधिशाषी अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	नाम अधिशासी अधिकारी	उपयोग कब से कब तक
1.	श्री सीताराम शर्मा	1-11-89 से 30-4-80
2.	श्री मांगीलाल जाट	1-6-80 से अब तक

सांगानेर स्थित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में महिला डाक्टर का पदस्थापन

140. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले कई माह से सांगानेर स्थित मातृशिशु कल्याण केन्द्र में महिला डाक्टर का पद रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो यह नियुक्ति न होने का क्या कारण है?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) क्या इस केन्द्र में दवाइयों व मरीजों को सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सन्तोषजनक है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेटर्न के हिसाब से सन्तोषप्रद है।

जैसलमेर जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

141. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या कृषि (विशिष्ठ योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में कितने ब्लाक चयनित किये गये और कितनी सबसीडी एस. एफ. डी. के अन्तर्गत कमजोर वर्ग व अन्त्योदय परिवारों को दी गयी ?

उत्तर

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर में दो ब्लाकों का चयन किया गया है। वर्ष 1978-79 व 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा इस जिले को 7.12 लाख रु. की धनराशि गरीब परिवारों को अनुदान इत्यादि देने हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है। इसमें से जिला विकास अभिकरण द्वारा मार्च, 80 तक 0.50 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में व्यय की जा चुकी है।

कोटा से वाया खातोली, श्योपुर, ग्वालियर सड़क का निर्माण

142. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री दाऊदयाल जोशी : (दीगोद) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा से ग्वालियर वाया खातोली, श्योपुर होते हुए बस चलाने हेतु जनता द्वारा निवेदन किया जाता रहा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त रूट पर बसें चलाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या सरकार राजस्थान तथा मध्यप्रदेश को जोड़ने तथा जनता के हित में इस सड़क पर शीघ्र बसें चलायेगी ?

(146)

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) वर्तमान में राजस्थान और मध्यप्रदेश 99 बस मार्गों से जुड़ा हुआ है। जहां तक इस बस मार्ग का प्रश्न है यह मामला विचाराधीन है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति समराईतल (झालरापाटन) के सचिव के विरुद्ध कार्यवाही

143. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति समराईतल, झालरापाटन के सचिव के विरुद्ध गबन का आरोप पत्र सहायक रजिस्ट्रार, झालावाड़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो गबन की राशि कितनी है और अभी तक आरोप पत्र के आधार पर पुलिस कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

सहायक रजिस्ट्रार को आरोप-पत्र प्राप्त नहीं हुआ परन्तु आडिट रिपोर्ट वर्ष 76-77 के आधार पर 1,14,575-74 के धन के गबन एवं दुरुपयोग करने का मामला विभागीय जांच से सिद्ध हुआ । एफ० आई० आर० पुलिस में दिनांक 16-4-80 को दर्ज करादी गई है । मामला अनुसंधानान्तर्गत है ।

टोंक जिला मुख्यालय के बस स्टेन्ड पर यात्रियों के लिये सुविधायें

144. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या टोंक जिला मुख्यालय के बस स्टेन्ड पर यात्रियों के बैठने, पीने के पानी एवं मूत्रालयों की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में सरकार अग्रेतर क्या प्रयास कर रही है ।

उत्तर

जी हां । व्यवस्था है ।

ऊन मंडी, बीकानेर का प्रसार

145. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर ऊन की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और यह एशिया भर में प्रसिद्ध है ?

(श्री चुलाकीदास कल्ला)

(2) क्या यह सही है कि यहां उपलब्ध ऊन का समुचित उपयोग नहीं होता है ?

(3) क्या सरकार बीकानेर व आसपास के क्षेत्रों में ऊन पर आधारित उद्योग धंधे लगाने के लिये कोई योजना तैयार करवायेगी ताकि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान की प्रसिद्ध एवं बड़ी मंडी है।

(2) ऊन राज्य में व राज्य के बाहर बेची जाती है।

(3) कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने की योजना विचाराधीन नहीं है। कारपेट यार्न निर्माण हेतु ऊनी तकुओं के परमिट स्वीकृत किये गये हैं। नये तकुओं की स्वीकृति हेतु टैक्सटाइल कमिश्नर को और सिफारिश भी की गई है।

टोंक के सहादत एवं जनाना अस्पतालों में विशेषज्ञ

146. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिला मुख्यालय पर सहादत अस्पताल एवं जनाना अस्पताल में विशेषज्ञों के कितने स्वीकृत पद हैं ?

(2) उपरोक्त पदों में कितने पद रिक्त हैं ? यदि पद रिक्त हैं, तो यह पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

सहादत अस्पताल एवं जनाना अस्पताल, टोंक में विशेषज्ञों के सात स्वीकृत पद हैं। सूची संलग्न है।

उपरोक्त पदों में से केवल तीन विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। पदों को भरने हेतु डी० पी० सी० की कार्यवाही की जा रही है। ये पद शीघ्र ही भर दिये जावेंगे।

सहादत अस्पताल/जनाना अस्पताल, टोंक में स्वीकृत कनिष्ट विशेषज्ञों की सूची

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	भरे हुये पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	एक	एक	
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	एक	एक	

(140)

1	2	3	4	5
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ओपथोमोलोजी)	एक	एक	
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मारफालोजी)	एक	एक	
5.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थेसिया)	एक	—	एक
6.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग)	एक	--	एक
7.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	एक	—	एक

बारां भूमि विकास बैंक के सचिव के विरुद्ध कार्यवाही

147. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के बारां भूमि विकास बैंक के सचिव श्री महेश चन्द जैन अकाल पीड़ित क्षेत्र अटरू में गरीब किसानों की अवैधानिक रूप से सम्पत्ति की कुर्कियां करवा रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री महेश चन्द जैन द्वारा खाली नोटिस फार्मों पर अपने हस्ताक्षर करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कुर्की करने हेतु दे रखे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि बारां भूमि विकास बैंक ने जिनकी कुर्कियां की हैं वह नियमानुसार नहीं है ? सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या जनता के एवं राज्य के हित में सरकार श्री महेश चन्द जैन को तुरन्त निलम्बित करना उचित समझती है और कुर्कियां करना बन्द करवाने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो सरकार कब तक यह कार्यवाही पूरी करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी हां। कुछ फार्म सचिव ने हस्ताक्षर कर सम्बन्धित कर्मचारियों को दिए हैं।

(3) जी नहीं। मामले की जांच करने के आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार कोटा को दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

आदतन नादेहन्द ऋणी [Will full defaulter] सदस्यों से अवधि पार ऋणों की वसूली करने पर कोई रोक नहीं है।

ग्राम विछिदोना (मलारना डूंगर) में आयुर्वेद औषधालय

148. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मलारना डूंगर सब–तहसील के ग्राम विछिदोना में पूर्व में कोई आयुर्वेद औषधालय था ? यदि हां, तो किन कारणों से इसे बन्द किया गया ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) क्या सरकार ग्राम विछिवोना में आयुर्वेद औषधालय पुनः खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बोर्ड द्वारा सन् 1959 से पहले इसे बन्द कर दिया गया।

(2) इस समय यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जैसलमेर जिले में विभिन्न विद्यालय

149. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्तमान में जैसलमेर जिले में कितने हायर सैकण्डरी, मिडिल व प्राईमरी स्कूल हैं ? निकट भविष्य में राज्य सरकार कितने और स्कूल खोलने जा रही है ?

उत्तर

जैसलमेर जिले मे उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्न प्रकार हैं:—

	शालाओं का प्रकार	छात्र	छात्रा	योग
1.	उच्च माध्यमिक	2	1	3
2	माध्यमिक	12	1	13
3.	उच्च प्राथमिक	46	3	49
4.	प्राथमिक	278	6	284

इस वर्ष प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में कुछ विषय सारे राजस्थान में खोले जाने का प्रावधान है। विद्यालय खोलते समय अन्य जिलों के साथ जैसलमेर जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जावेगा। उस समय इस प्रश्न पर विचार सम्भव है।

काला बाजारी एवं मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

38. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में जून, 1977 से फरवरी, 1980 तक कुल कितने मुकदमें काला बाजारी एवं मिलावट करने वालों के खिलाफ दर्ज किये गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। दोषी व्यापारियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गई तथा कितने अपराधियों को दंडित किया गया ?

(150)

उत्तर

जून, 1977 से फरवरी, 1980 तक कालाबाजारी के आरोप में 701 मुकदमें तथा मिलावट के सम्बन्ध में 1676 मामले न्यायालय में दर्ज किये गए।

जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

दोषी व्यापारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये।

कालाबाजारी के सम्बन्ध में 156 व्यक्तियों को दण्डित किया गया शेष के खिलाफ मामले अदालतों में विचाराधीन है।

जून, 1977 से फरवरी, 1980 की अवधि के पूर्व के विचाराधीन मामलों को शामिल करते हुए उक्त अवधि में मिलावट के सम्बन्ध में 795 मामलों में जुर्माना और 1548 मामलों में जुर्माना व सजा दोनों हुई। शेष के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं।

कालाबाजारी की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	काला बाजारी के आरोप में मुकदमें	क्या कानूनी कार्यवाही की गई अदालत में	कितने को दण्डित किया गया
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1	—	—
2.	अलवर	124	—	60
3.	बाड़मेर	1	—	—
4.	बांसवाड़ा	16	—	—
5.	भरतपुर	—	—	—
6.	भीलवाड़ा	5	—	—
7.	बीकानेर	—	—	—
8.	बून्दी	—	—	—
9.	चित्तौड़गढ़	92	—	2
10.	चूरू	—	—	—
11.	डूंगरपुर	—	—	—
12.	गंगानगर	264	—	12
13.	जयपुर	34	—	—

1	2	3	4	5
14.	जैसलमेर	56	—	49
15.	जालोर	—	—	—
16.	जोधपुर	—	—	—
17.	झुंझुनूं	—	—	—
18.	झालावाड़	—	—	—
19.	कोटा	27	—	18
20.	नागौर	19	—	14
21.	पाली	19	—	—
22.	सवाई माधोपुर	34	—	—
23.	सीकर	7	—	1
24.	सिरोही	—	—	—
25.	टोंक	—	—	—
26.	उदयपुर	2	—	—
	योग....	701		156

मिलावट की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	1977	1978	1979	1980
1.	अजमेर	15	4	21	—
2.	अलवर	30	1	36	—
3.	भरतपुर	13	5	99	- -
4.	धोलपुर	40	2	4	—
5.	जयपुर	58	14	27	—
6.	सीकर	25	16	14	—
7.	झुंझुनूं	18	15	2	8
8.	सवाई माधोपुर	28	13	53	2
9.	टोंक	29	—	79	—
10.	बीकानेर	15	1	—	—
11.	श्रीगंगानगर	45	7	—	—
12.	चूरू	26	—	7	—
13.	जोधपुर	13	14	42	—

(152)

1	2	3	4	5	6
14.	जैसलमेर	1	—	1	1
15.	जालौर	7	12	3	—
16.	बाड़मेर	7	3	1	—
17.	नागौर	6	—	—	—
18.	पाली	17	10	33	3
19.	सिरोही	13	9	2	—
20.	कोटा	93	18	98	—
21.	बून्दी	21	1	59	—
22.	झालावाड़	3	12	7	—
23.	बांसवाड़ा	25	18	69	—
24.	भीलवाड़ा	23	11	26	—
25.	चित्तौड़गढ़	65	7	49	—
26.	डूंगरपुर	2	1	7	—
27.	उदयपुर	27	13	49	2
	योग :–	668	206	786	16

(– सूचना अपेक्षित है ।)

———

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की तालिका

महिला सदन की उन आवासनियों की सूची जिनकी 1-1-80 के बाद विवाह हुआ

क्र.सं.	नाम आवासनी	पति का नाम
1.	निर्मला	श्री ग्यारसीलाल जाट
2.	रज्जो	श्री केसरी लाल
3.	मूल्ली	श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव
4.	गायत्री	श्री ताराचन्द सोलंकी
5.	गीता उर्फ पंचकला	श्री घासीलाल शर्मा
6.	सविता	श्री बहादुर सिंह यादव
7.	सुदरानी घोष	श्री बद्रीदास आर्य
8.	रुकमणी	श्री हनुमान सहाय शर्मा
9.	सुगना	श्री पारसमल शर्मा
10.	कमला	श्री बिहारीलाल सैनी
11.	महादेवी	श्री रमेश नायडू

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न 93 की सूची

सूची व्यय

		वर्ष 1979-80	वर्ष 1978-79	वर्ष 1977-78	वर्ष 1976-77	वर्ष 1975-76
1.	पशु प्रजनन केन्द्र [च]	14,97,000	17,23,000	11,23,000	16,19,000	21 05,000
2.	मूलग्राम योजना [च]	28,31,000	22,80,000	21,41,000	23,78,000	28,80,000
			5,06,000	4,81,000	4,73,000	5,91,000
3.	सांड क्रय	1,61,000	49,000	55,000	00,000	49,000
		50,000				
		28,000				
4.	गर्भाधान जांच इकाई	4,31,000	4,43,000	4,01,000	3,57,000	3,19 000
		1,50,000				
5.	मूलग्राम परिगणित क्षेत्र	1,87,000	1,92,000	2,50,000	85 000	—
		7,15,000	7,62 000	11,22,000		
		60,50,000	59,55,000	55,73,000	50,02,000	59,44,000

डेयरी कारपोरेशन फेडरेशन-अ खण्ड

1. राजस्थान में तरल एवं जमे हुए वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया गया है, उसके लिये बस्सी में प्रयोजन सीमन बैंक व जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, पाली, पोकरण व सरदारशहर में वीर्य संकलन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों के लिये विदेशी सांडों की पूर्ति हेतु बस्सी में एक विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोटा व भीलवाड़ा जिलों में भारतीय कृषि उद्योग संस्थान के माध्यम से नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विदेशी सांडों से उत्पन्न संकर बछड़ियों को पालने हेतु विशिष्टपशु पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 जिलों में अनुदान देने की व्यवस्था है। जून, 1980 तक पशु विकास पर 146 लाख रुपया व्यय हुआ व 294303 कृत्रिम गर्भाधान किये गये। तथा विशिष्ठ पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 4821 पशु पालन लाभान्वित हुए।

2 आदिवासी क्षेत्र में डेयरी विकास योजना चल रही है व डूंगरपुर व बांसवाड़ा के लिये योजना स्वीकृत की गई है। जिसे प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

भेड़ व ऊन विभाग-स खण्ड

राज्य में भेड़ व ऊन विकास की गतिविधियों और प्रवृतियों के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये वर्तमान में 14 जिलों 139 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र तथा 36 कृत्रिम गर्भाधान एवं मिनी फार्म, क्रियाशील हैं। इनके अतिरिक्त एक प्रशिक्षणालय, पांच भेड़ प्रजनन फार्म, चार रोग अनुसंधान प्रयोगशालाऐं, एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, चार परियोजना कार्यालय (सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास) और दस परियोजना कार्यालय विशेष पशुपालन कार्यक्रम तथा एक परियोजना कार्यालय (मरु विकास परियोजना) हैं। जनजाति विकास क्षेत्र में भी वर्ष 1979-80 से एक जिला भेड़ व ऊन कार्यालय उदयपुर में तथा एक कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रसार केन्द्र, डूंगरपुर में तथा 10 प्रसार केन्द्र खोले गये हैं। राज्य में इस वर्ष 36 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को मिनी फार्म का रूप भी दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान/प्रसार केन्द्र के क्षेत्र में उत्पन्न हुए नर संकर मेमनों (हाफ ब्रेड) को 4-5 माह की उम्र में भेड़ पालक से क्रय कर मिनी फार्म पर रखा जा रहा है जिन्हें व्यस्क होने पर गावों के भेड़ पालकों में वितरित किया जा रहा है। जिससे उत्पन्न संतति में 25 प्रतिशत विदेशी रक्त हो सके और ऊन का उत्पादन भी अधिक हो जाय।

संकर प्रजनन और नस्ल सुधार

भेड़ के ऊन एवं मांस उत्पादन वृद्धि के लिये संकर प्रजनन से नस्ल सुधार किया जा रहा है। प्रजनन कार्य के लिये वृहद स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर के अतिरिक्त जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोड़बीड़ (बीकानेर) और बांकलियां (नागौर) में राजकीय भेड़ प्रजनन फार्म है। इन फार्मो पर 1980 के विवरणानुसार फतेहपुर फार्म पर 2380 विदेशी, 895 संकर एवं 243 स्थानीय, चित्तौड़ फार्म पर 122 विदेशी, 396 संकर एवं 348 स्थानीय तथा बांकलियां (सांकलियां) फार्म पर 20 विदेशी, 187 संकर एवं 360 स्थानीय भेड़ हैं। इस वर्ष 261 भेड़ों का वितरण किया गया है। जयपुर फार्म पर विदेशी 406, संकर 258 एवं देशी 452, जोड़बीड़ (बीकानेर) पर संकर 1; देशी 661 इन फार्मों पर कुल 2928 विदेशी संकर 1737 एवं 2964 स्थानीय नस्ल के मेढ़े व भेड़ें पाली जा रही हैं।

पशु धन नस्ल सुधार (भेड़ों में) विगत 4 वर्षों में किया गया व्यय एवं सम्बन्धित भेड़ पालक

		वर्ष 76-77	वर्ष 77-78	वर्ष 78-79	वर्ष 79-80	योग	
1.	व्यय (लाखों में)	12.26	14.85	21.34	25.29	73.45	
2.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	20	23	36	36	36	
3.	लाभान्वित भेड़ पालकों की संख्या जिन्हें संकर मेंढ़े दिये गये	119	202	209	261	791	योग 6541
4.	लाभान्वित भेड़ पालकों की संख्या जिनके रेवड में संकर प्रजनन कार्य किया (कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक)	10·0	1150	1800	1000	5750	

Page No 156

(157)

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 96 की सूची)

सरकारी कर्मचारियों, सेवा निवृत कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनों की सूची जो दिनांक 1-4-80 से विभिन्न अवधि तक उपचार हेतु इन चिकित्सालय के कोटेज वार्ड में भर्ती रहे।

क्र.स.	कोटेज सं०	नाम रोगी	अवधि
1	2	3	4
1.	1	श्रीमती अडि अप्पा	21-4-80 से 26-4-80
2.	1	श्री एस. एन. चतुर्वेदी	16-5-80 से 22-5-80
3.	1	श्री मनोज कुमार	26-6-80 से 27-6-80
4.	2	श्री शंकर लाल शर्मा	21-3-80 से 23-4-80
5.	2	श्री एस० एन० कक्कड़	7-5-80 से 16-5-80
6.	2	श्री एम० एल० डांगी	17-5-80 से 2-6-80
7.	2	श्री पी० सी० मुकर्जी	4-6-80 से 10-7-80
8.	3	श्रीमती स्नेहलता	14-2-80 से 10-4-80
9.	3	श्री कुशाल सिंह	11-4-80 से 26-5-80
10.	6	श्री सूरज शर्मा	18-6-80 से 7-7-80
11.	7	श्रीमती उत्तम देवी	25-3-80 से 13-4-80
12.	7	श्री जी० एल० मेहता	14-4-80 से 9-5-80
13.	7	श्री विष्णु लाल शर्मा	11-5-80 से 14-6-80
14.	8	श्री एस० के० मुकर्जी	28-5-80 से लगातार
15.	9	श्रीमती के० सी० तिवारी	27-3-80 से 13-4-80
16.	9	श्री एस० एस० नन्दा	11-5-80 से 2-6-80
17.	10	सुश्री वि. सूद	22-3-80 से 12-4-80
18.	10	श्री एस० सी० जैन	12-4-80 से 24-4-80
19.	10	श्री बी० पी० माथुर	25-4-80 से 27-5-80
20.	10	श्री जयसिंह	20-6-80 से लगातार
21.	11	श्री विवेक कालिया	17-6-80 से 25-6-80
22.	13	श्रीमती इस बाई	1-5-80 से 17-6-80
23.	15	श्री कमलेश	1-4-80 से 19-4-80
24.	15	शोमिला जैन	20-5-80 से 1-6-80
25.	15	श्री एम० एल० शर्मा	1-6-80 से 10-6-80
26.	15	श्री बी० एम० शर्मा	11-6-80 से 3-7-80
27.	16	श्री आर० सी० भाटिया	7-5-80 से 21-5-80

1	2	3	4
28.	16	श्री एम० एल० शर्मा	11-6-80 से 28-6-80
29.	17	श्री बन्सीलाल	13-4-80 से 7-6-80
30.	19	श्री डा० आर० पी० भल्ला	24-1-80 से 8-4-80
31.	20	श्रीमती तारा देवी	23-5-80 से 9-6-80
32.	20	श्री अमवीर	3-7-80 से लगातार
33.	21	श्री विमला माथुर	23-3-80 से 4-4-80
34.	21	श्रीमती सुशीला पाटनी	13-5-80 से 19-5-80
35.	21	नीता	27-5-80 से लगातार
36.	22	एम० एल० कर्नावट	5-3-80 से 22-4-80
37.	22	सरोजनी	8-5-80 से लगातार
38.	23	चन्द्रकला	12-5-80 से 3-6-80
39.	23	माधुरी	21-6-80 से लगातार
40.	24	शान्ती	16-2-80 से लगातार
41.	25	श्री डी० सी० शर्मा	5-4-80 से 21-4-80
42.	26	श्री बी० बी० माथुर	6-3-80 से 24-4-80
43.	26	सुशीला पाटनी	13-5-80 से 28-5-80
44.	26	अर्जुन सक्सेना	28-5-80 से लगातार
45.	27	कुसुम लता	28-4-80 से 3-6-80
46.	29	इन्द्रा	26-5-80 से 17-6-80
47.	30	श्री के० एल० चतुर्वेदी	3-5-80 से 21-5-80
48.	30	श्री वीना गुप्ता	16-6-80 से 21-6-80
49.	30	श्री[illegible] एस० एन० सोगानी	23-6-80 से लगातार
50.	31	श्री पी० एन० कौल	23-5-80 से लगातार
51.	32	श्री एम० एस० नाग	10-3-80 से 27-3-80
52.	33	श्री के० सी० कलटया	2-4-80 से 9-4-80
53.	एस-5	इन्दु जैन	25-3-80 से 12-4-80
54.	एस-5	श्री हीरा लाल	13-6-80 से 28-6-80
55.	एस-5	श्री नगेन्द्र गुप्ता	29-6-80 से लगातार

—— ——

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की तालिका

नाम	पद	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	वेतन व भत्ते	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1. डा० सुशील कुमार तिवाड़ी	महाधिवक्ता	अधिवक्ता पी एच.डी.	7-4-1980	रुपये 2500/-	अनुभवी एवं कुशल अधिवक्ता हैं तथा पूर्व में भी महाधिवक्ता रहे हैं।
2. श्री एम० आई० खान	राजकीय अधिवक्ता	अधिवक्ता	18-4-1980	रुपये 1600-2000	इनको अपर राजकीय अधिवक्ता के पद से राजकीय अधिवक्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है।
3. श्री हरनाथ कल्ला	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता	,,	18-4-1980	रुपये 1400-1800	इनकों उप राजकीय अधिवता के पद से अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के पद पर पदोन्नत किया गया।
4. ,, गिरधर गोपाल शर्मा	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता	,,	20-3-1980	रुपये 1400-1800	ये पूर्व में भी अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के पद पर कार्य कर चुके हैं।
5. श्रीमती कमला जैन	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता	,,	20-3-1980	रुपये 1400-1800	इनको महिला अधिवक्ता होने के कारण नियुक्त किया गया।

1		2	3	4	5	6
6.	श्री हेमन्त दास	उप राजकीय अधिवक्ता	अधिवक्ता	20-3-1980	रुपये 1200-1500	राजकीय अधिवक्ता की सिफारिश पर नियुक्त किया गया।
7,	श्री कमलाकर शर्मा	सहायक राजकीय अधिवक्ता	,,	20-3-1980	रुपये 800-1100	,, ,,
8,	श्री अजीत भण्डारी	,,	,,	20-3-1980	रुपये 800-1100	,, ,,
9.	श्री सत्यदेव साहू	,,	,,	20-3-1980	रुपये 800-1100	,, ,,
10.	श्री एस0 पी0 जैन	अतिरिक्त लोक अभियोजक, धौलपुर	,,	31-3-1980	रुपये 850-1100	जिलाधीश व जिला न्यायाधीश की सिफारिश पर नियुक्ती की गई।
11.	श्री हेमचन्द्र शर्मा	अतिरिक्त लोक अभियोजक, अलवर	,,	28-3-1980	रुपये 850-1100	,, ,,
12.	श्री के0 एल0 शर्मा	लोक अभियोजक,	,,	7-3-1980	रुपये 800-1000	,, ,,
13.	श्री सागरमल मेहता	स्टेंडिंग अधिवक्ता प्रतापगढ़ वाणिज्य कर विभाग	,,	17-4-1980	रुपये 300/- प्रति सुनवाई प्रति दिन	वाणिज्य कर विभाग की सिफारिश पर एक साल के लिए।
14.	श्री एस0 एस0 भांडावत	उप राजकीय अधिवक्ता	,,	8-5-1980	रुपये 1200-1500	ये पूर्व में उप-राजकीय अधिवक्ता के पद पर कार्य कर चुके हैं।

161

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची

कार्यालय नगरपालिका केशोरायपाटन, जिला बून्दी

नगरपालिका केशोरायपाटन में कार्यरत नाकेदार, सब नाकेदार, खजांची एवं सहायक कर निरीक्षक का पूर्ण विवरण

नाम	निवासी	जाति	आयु	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	योग्यता	पदोन्नति तिथि	नियोजन के माध्यम से या सीधी नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्री घनश्याम	केशोरायपाटन	ब्राह्मण	54 वर्ष 6 माह	27-7-68 चपरासी के पद पर	21-1-1926	हिन्दी पढ़ा-लिखा	1-10-69	सीधी नियुक्ति
श्री इन्द्रमल जैन	बून्दी	महाजन	31 वर्ष 9 माह	26-9-67 नाकेदार अस्थाई	8-10-1948	सैकण्ड्री पास		,,
श्री मदनलाल	केशोरायपाटन	छींपा	52 साल	17-12-63 सब नाकेदार	1-7-1928	हिन्दी का ज्ञान	1-7-76	,,
श्री रामपाल	केशोरायपाटन	गूजर	29 साल 11 माह	1-2-77 सब नाकेदार	12-8-1951	हायर सैकण्ड्री पास		,,
श्री मांगीलाल	जयपुर	मेघवाल	33 साल 2 माह	2-2-77 सब नाकेदार	4-5-1947	,,		,,
श्री इस्कार हुसैन	केशोरायपाटन	मुसलमान	24 वर्ष 10 माह	1-2-77 सब नाकेदार	1-9-1955	सैकण्ड्री		,,
श्री रामलाल	,,	भगत	42 वर्ष 5 माह	2-7-71 अस्थाई सब नाकेदार	15-1-1938	मिडिल पास		,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्री मोहनलाल	केशोरायपाटन	पटवा	28 वर्ष	11-11-73 चपरासी के पद पर	1-7-1952	नोन मिडिल	15-4-77	नियोजन कार्यालय द्वारा
श्री गोवर्धन	"	माली	34 वर्ष	1-1-70 सब नाकेदार	15-7-1946	मिडिल पास	15-4-77	"
श्री गेन्द बिहारी	"	ब्राह्मण	25 वर्ष 6 माह	11-11-75 सब नाकेदार	15-1-1955	सैकण्ड्री		सीधी भर्ती
श्री नरेन्द्रकुमार झा	बून्दी	"	24 वर्ष	17-11-79 सहायक कर निरीक्षक	1-4-1956	बी. काम.		"

कार्यालय नगरपालिका केशोरायपाटन, जिला बून्दी

नगरपालिका केशोरायपाटन में कार्यरत नाकेदार, खजांची का पूर्ण विवरण

नाम	निवासी	जाति	आयु	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	योग्यता	पदोन्नति तिथि	नियोजन के माध्यम से या सीधी नियुक्ति
श्री छोटेखां केशियर	केशोरायपाटन	मुसलमान	44 वर्ष 10 माह	23-7-55 नाकेदार स्थाई	12-9-1935	मिडिल	27-6-67	सीधी भर्ती

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

टोंक जिले में चल रहे गबन के मामलों की सूची

क्रम सं०	समिति का नाम	गबन कर्ता का नाम	राशि	क्या कार्यवाही की जा रही है।
1	2	3	4	5
1.	नासिरदा ग्राम सै० स० स० लि०, 75–76 की ऑडिट रिपोर्ट पर	श्री रतनलाल, कोषाध्यक्ष श्री कन्हैयालाल, व्यवस्थापक	3,141.31	धारा 74 की कार्यवाही चल रही है।
2.	झुण्डवा ग्राम सै० स० स० लि०, 75–76 की ऑडिट रिपोर्ट पर	श्री मोतीलाल	492.35	,, ,,
3.	बंथली ग्राम सै० स० स० लि०, 75–76 की ऑडिट रिपोर्ट पर	श्री राधेश्याम व्यवस्थापक श्री मोहनसिंह मंत्री	11,519.62	,, ,,
4.	सोवला ग्राम सै० स० स० लि०, 75–76 की ऑडिट रिपोर्ट पर	श्री राधेश्याम व्यवस्थापक	23,590.77	,, ,,
		श्री लादूलाल शर्मा, मंत्री	58,940.00	,, ,,
		श्री चतुर्भुज, कोषाध्यक्ष	1100.00	,, ,,
			83,630.77	

1	2	3	4	5
5.	बिसलपुरा ग्राम सं० स० स० लि०, 76-77 की ऑडिट रिपोर्ट पर	श्री चिरंजीलाल, व्यवस्थापक	2,369.44	धारा 74 की कार्यवाही चल रही है।
6.	गहलोद ग्राम सं० स० स० लि०, 78-79 की ऑडिट रिपोर्ट	श्री अर्जुनलाल, व्यवस्थापक	3,019.43	,, ,,
		श्री राजूलाल, अध्यक्ष	478.80	,, ,,
		श्री लादूलाल, मंत्री	848.53	,, ,,
		श्री कुन्दलाल	3,400.00	,, ,,
			7,546.76	
7.	दूनी ग्राम सै० स० स० लि०, 76-77 की ऑडिट रिपोर्ट	श्री नाथूलाल जैन, व्यवस्थापक	3.278.00	,, ,,
		श्री नन्दकिशोर, सहायक व्यवस्थापक	106.32	,, ,,
		श्री दुर्गालाल, कोषाध्यक्ष	770.00	,, ,,
		श्री धर्मचन्द जैन, भू० पू० मंत्री	4,634.68	,, ,,
		श्री मदनलाल, कोषाध्यक्ष	2,709.84	,, ,,
		समस्त प्रबन्धकारिणी	6,534.12	,, ,,
			18,033.11	
8.	देवड़ावास ग्राम सं० स० स० लि०, 76-77 की ऑडिट रिपोर्ट	श्री खेमसिंह, भू० पू० मंत्री	2.622.52	,, ,,
		श्री राधेश्याम, व्यवस्थापक	503.25	,, ,,
		श्री प्रेमचन्द, व्यवस्थापक	559.92	,, ,,
			290.56	,, ,,
			3,976.25	

165

9.	बावला ग्राम सेवा स० स० लि०, 76–77 की ऑडिट रिपोर्ट	श्री मथुरालाल, भू० पू० व्यवस्थापक श्री सर्वसिंह, श्री समरसिंह	6,078.34	धारा 74 की कार्यवाही चल रही है।
10.	सोनवा ग्राम सेवा स० स० लि०, 77–78 की ऑडिट रिपोर्ट	श्री मिलनलाल, भू० पू० व्यवस्थापक	4.243.60	,, ,,
		श्री कुलदीपकुमार, व्यवस्थापक	2,867.34	,, ,,
		श्री मगरलाल, भू० पू० कोषाध्यक्ष	1,967.70	,, ,,
		श्री कपूरचन्द, व्यवस्थापक	63.25	,, ,,
		श्री राजूलाल, भू० पू० अध्यक्ष	151.50	,, ,,
			99,293.3	
11.	खण्डवा ग्राम सेवा स० स० लि०, 76–77 की ऑडिट रिपोर्ट	श्री रमेश मुदनल, ऋण सुपरवाईजर श्री रामरतन व्यवस्थापक श्री रामपाल, कोषाध्यक्ष श्री लालचन्द पहाड़ी, व्यवस्थापक श्री गोविन्द नारायण	6,026.71	,, ,, मामला पुलिस में दिया जा चुका है।
12.	टोंक क्रय-विक्रय, स० स० लि०,	श्री रामरख, भू० पू० लेखक	330.45	हाई कोर्ट में केस चल रहा है।
13.	टोंक क्रय-विक्रय, स० स० लि०,	श्री मोहम्मद रसोदखां, भू० पू० व्यवस्थापक	1,268.55	,, ,,
14.	,, ,,	,, ,,	274.97	,, ,,
15.	मेन्दवास ग्राम सेवा सं० स० लि०,	श्री मोहनलाल पालीवाल	36,099.67	प्रधान कार्यालय में केस चल रहा है।

1	2	3	4	5
16.	मेन्दवास ग्राम सेवा सै० स० लि०,	श्री रामराय मूलचन्द	20,59[illegible].92	धारा 74 की कार्यवाही चल रही है
17.	जयसिंहपुरा ग्राम सेवा सै. स. लि.,	श्री कल्याण, मंत्री	70.30	,, ,,
18-	जयसिंहपुरा ,,	श्री जगदीशनारायण, व्यवस्थापक	848.25	,, ,,
19.	जयसिंहपुरा ,,	श्री जगदीशनारायण, व्यवस्थापक	9,290.00	,, ,,
20.	पाटोली ,,	श्री बनवारीलाल, भू० पू० व्यवस्थापक	1,174.99	,, ,,
21.	बोजवाड़ ,,	श्री घासीलाल, राजूलाल	1000.00	कोर्ट में केस चल रहा है
22.	बीजवाड़ ,,	श्री राजूलाल	1,538.00	,, ,,
23.	बीजवाड़ ,,	श्री सोभागसिंह	250.00	,, ,,
24.	बीजवाड़ ,,	श्री घासीलाल	148.55	,, ,,
25.	मेन्दवास ग्राम सेवा सै० स० लि०,	श्री रामस्वरूप, भू० पू० व्यवस्थापक	1,524.84	धारा 74 (2) की कार्यवाही को जा रही है।
26.	कनवड़ा ,, ,,	श्री रामनिवास चोधरी, सदस्य	14 680.00	,, ,,
27.	सोनवा वृहत्त बहु० सै० स०	श्री मिठनलाल, व्यवस्थापक	1,148.00	,, ,,
28.	मेन्दवास ,,	श्री मूलचन्द राव, भू० पू० व्यवस्थापक	962.20	,, ,,
29.	टोडारायसिंह ,,	समस्त प्रबन्धकारिणी	19,799.74	सहायक रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) प्रधान कार्यालय द्वारा धारा 74 (1) की कार्यवाही की जा रही है।
30.	केदारनाथ ग्राम सेवा सै० स०, झाना	श्री भवंरसिंह, भू० पू० सेल्समैन	927.29	धारा 74 (1) की जांच को जा रही है।

167

टोंक जिले के अब तक निर्णीत मामलों की सूचना

क्रमांक	नाम समिति	गबन की राशि	दिनांक निर्णय	प्रस्तावित कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	खण्डवा ग्राम सेवा स. स.	3699.53	24-5-78	सहायक रजिस्ट्रार, स. स.; टोंक व सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., टोंक से कार्यवाही जारी है।
2.	पहाड़ी ग्राम सेवा स. स.	18161.27	26-6-78	,,
3.	नोहुटा ग्राम सेवा स. स. लि.	3124.00	26-6-78	,,
4.	चरनेट ग्राम सेवा स. स. लि.	16775.90	31-5-78	,,
5.	कनवाड़ा ,,	200.00	24-5-78	,,
6.	नासिरदा ,,	3141.31	31-3-78	,,
7.	सिरस ,,	960.20	4-4-79	,,
8.	नवज्योति बचत व साख स. स.	504.40	19-2-79	,,
9.	सोनेवा वृहत् कृषि ऋणदात्री स. स.	476.85	19-2-79	,,
10.	देवली क्रय-विक्रय स. स.	62897.12	30-4-79	,,
11.	पंचाले ग्राम सेवा स. स.	8870.37	27-9-78	मामला सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां टोंक में चल रहा है।
12.	दी स्कीन वर्क्स एण्ड कोआप. सोसायटी लि.,	600.00	29-5-78	,,
13.	झुंडवा ग्राम सेवा स. स.	492.85	26-6-78	,,
14.	जोला ग्राम सेवा स. स.	945.97	16-10-78	,,
15.	बनेठा ग्राम सेवा स. स.	5446.77	28-11-78	,,
16.	सांखना ग्राम सेवा स० स० लि०	11175.41	26-2-59	मामला सहायक रजिस्ट्रार, सह० समितियां, टोंक में चल रहा है

(168)

1	2	3	4	5
17.	ढाणी जुगलपुरा ग्राम सेवा स० स०	863.29	26-2-79	मामला सहायक रजिस्ट्रार, सह० समितियां, टोंक में चल रहा है
18.	नासिरदा ग्राम सेवा स० स०	7917.16	21-11-77	,,
19.	करीरिया ग्राम सेवा स० स०	3830.65	30-9-78	,,
20.	शोप ग्राम सेवा स० स० लि०	9402.16	25-9-78	,,
21.	देवरी ग्राम सेवा स० स०	776.73	25-9-78	,,
22.	टोकरवावास ग्राम सेवा स० स०	11338.26	16-10-78	,,
23.	गेरोली ग्राम सेमा स० स०	25995.04	15-1-79	,,
24.	बावड़ी ग्राम सेवा स० स०	1327.00	29-1-79	,,
25.	टोंक नगर सह० भंडार लि०	13371.92	22-1-79	,,
26.	चनानी ग्राम सेवा स० स०	12035.79	26-2-79	,,
27.	महालक्ष्मी ग्राम सेवा स० स०	580.70	9-1-79	,,
28.	पनवाड़ ग्राम सेवा स० स०	561.70	29-1-79	,,
29.	ढाणी जुगलपुरा ग्राम सेवा स० स०	20915.89	12-9-79	,,
30.	रामथला ग्राम सेवा स० स०	2466.45	25-4-79	सह० रजिस्ट्रार स० स०, टोंक व स० को० बैंक, टोंक से कार्यवाही जारी है
31.	पर्वराज कला ग्राम सेवा स० स०	5693.66	26-6-79	,,
32.	बासेड़ा ग्राम सेवा स० स०	1770.50	23-7-79	,,
33.	फुलेता ग्राम सेवा स० स०	7605.44	28-1-80	,,
34.	धांड ग्राम सेवा स० स०	13589.75	12-3-78	,,
35.	मोर ग्राम सेवा स० स०	2210.00	11-9-79	,,
36.	थांवला ग्राम सेवा स० स०	6078.34	12-5-80	,,
37.	खातोली ग्राम सेवा स० स० लि०	4482.46	4-12-79	,,
38.	टोंक क्रय वि. सह. स.	34945.80	3-4-76	खारिज किया गया।
39.	,, ,,	15.06		राशि जमा हो चुकी है।
40.	,, ,,	508.88	17-2-76	वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
41.	रसूलपुरा संयुक्त कृ. स. स. लि.	500.00	13-3-78	,, ,,
42.	,, ,,	68.00	13-3-78	,, ,,

1	2	3	4	5
43.	घास वृहत् बहु. सह. स. लि.	6080.00	4-10-72	राशि जमा हो चुकी है।
44.	मैनवास ग्राम सेवा सह. स. लि.	6322.15	16-12-76	वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
45.	" "	2319.41	24-1-76	" "
46.	" "	1851.48	24-1-76	" "
47.	सोयल ग्राम सेवा सह. स. लि.	11672.93	29-11-75	" "
48.	भमोर चर्म उत्पा. सह. स.	138.00	21-5-78	" "
49.	" "	144.25	13-4-79	" "
50.	टोंक शिक्षा विभाग कर्म. सह. स. लि.	2497.54	12-3-80	राशि जमा हो चुकी है।
51.	गहलोत ग्राम सेवा सह. स.	728.25	6-9-75	वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
52.	" "	434.00	6-9-75	राशि जमा हो चुकी है।
53.	" "	570.00	22-11-76	वसूली की कार्यवाही जारी है।
54.	" "	352.28	31-10-75	" "
55.	सोरण ग्राम सेवा "	383.45	28-3-76	" "
56.	सोनवा वृहद् बहु. सह.	351.23	17-5-76	" "
57.	रानोली ग्राम सेवा सह. स. स.	1436.00	28-6-79	अपील में चल रहा है।
58.	" "	22980.00	28-6-79	" "
59.	कुहाड़ा गुजर्क "	925.40 264.70 28.50	22-7-76	वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
60.	दतवास ग्राम सेवा "	1337.00	30-6-77	" "
61.	पाटोली ग्राम सेवा "	22.87	5-3-72	राशि जमा हो चुकी है।
62.	" "	554.36	23-1-80	" "
63.	" "	136.27	17-11-71	" "
64.	" "	7267.69	31-5-78	" "
65.	सोप-घाणी तेल उत्पा. सह. स.	616.65	26-7-77	" "

1	2	3	4	5
66.	सोंप घाणी तेल उत्पाद० स० स०	178.50	2-6-77	वसूली की कार्यवाही जारी है।
67.	कचरावता ग्राम सेवा स० स०	935.68	3-1-76	,,
68.	,, ,,	1533.39	30-6-77	केस फाईल किया।
69.	अलीगढ़ ,,	10000.00	28-11-75	,,
70.	देवली ग्राम ,,	1328.00	22-7-76	खारिज किया गया।
71.	,, ,,	300.00	23-1-80	,,
72.	पचाला ,,	450.00	31-5-78	वसूली की कार्यवाही जारी है।
73.	पचाला ,,	450.00	30-6-77	,,
74.	पचाला ,,	604.50	30-6-77	,,
75.	पचाला ,,	12117.22	31-5-78	,,
76.	कलमण्डा वृ० बहु० स० स०	6043.00	30-6-77	दायित्व से मुक्त किया गया।
77.	श्री कल्याण ग्राम सेवा स० स०	1769.59	26-7-77	दोषमुक्त किया।
78.	,, ,,	312.07	29-5-78	वसूली की कार्यवाही जारी है।
79.	,, ,,	50.73	29-5-80	,,
80.	,, ,,	266.08	31-5-78	,,
81	,, ,,	1605.80	26-7-78	दोषमुक्त किया।
82.	कल्याण ग्राम सेवा स० स०	44624.45	5-3-80	वसूली कार्यवाही जारी है।
83.	मालपुरा क्र० वि० स० स०	3348.69	5-3-80	,,
84.	,, ,,	1600.00	18-10-79	केस फाईल किया।
85.	,, ,,	50.00	10-1-77	दोषमुक्त किया।
86.	सांडला ग्राम सेवा स० स०	815.12	13-7-76	वसूली की कार्यवाही जारी है।
87.	,, ,,	400.00	25-4-77	दोषमुक्त किया।
88.	,, ,,	6938.13	31-7-76	वसूली की कार्यवाही जारी है
89.	,, ,,	268.24	13-5-77	दोषमुक्त किया।

1	2	3	4	5
90.	देवली केन्ट ग्राम सेवा स० स०	300.00	29-11-75	वसूली की कार्यवाही जारी है।
91.	,, ,,	1670.00	31-7-76	,,
92.	,, ,,	110.00	31-7-76	,,
93.	देवली क्रय विक्रय स० स० लि०	10.90	31-7-76	दोषमुक्त किया।
94.	,, ,,	1807.12	9-2-76	वसूली की कार्यवाही जारी है।
95.	,, ,,	1690.70	31-3-76	,,
96.	,, ,	82.00	31-7-76	,,
97.	,, ,,	6699.68	13-9-79	,,
98.	कासीर ग्राम सेवा स० स०	1606.53	21-5-80	,,
99.	,, ,,	9877.65	21-5-80	,,
100.	ढ़िकोलिया ,,	814.00	13-4-79	,,
101.	पनवाड़ा ,	38597.60	13-4-79	अपील में चल रहा है।
102.	दूनदेवल ,,	32234.50	26-6-78	वसूली कार्यवाही जारी है।
103.	टोंक क्रय-विक्रय स० स०	5179.40	13-9-79	,,
104.	, ,,	216.00	18-12-79	जमा हो चुकी है।
105.	बस्सी ग्राम सेवा स० स०	23846.00	15-1-80	केस फाईल किया।
106.	,, ,,	12550.00	17-7-79	वापस रिमांड होकर आया।
107.	टोडारायसिंह ग्राम से० स० स०	10799.74	19-6-79	,,
108.	,, ,	12508.00	15-1-80	,,
109.	,, ,	1200.00	15-1-80	,,

टोंक जिले की सहकारी समितियों के गबन के मामले पुलिस में दिये गये, उनकी सूचि

क्रमांक	नाम समिति	गबनकर्ता का नाम	राशि	पुलिस में देने का दिनांक	क्या कार्यवाही हुई
1	2	3	4	5	6
1.	बंथली ग्राम से. स. स. लि.	श्री राधेश्याम शर्मा	22932.14	बैंक द्वारा दिया गया है	कोर्ट में चालान पेश हो चुका है

Page No 171

(172)

1	2	3	4	5	6
2.	हाजीपुरा स. स. लि.	श्री रफीक मोहम्मद मंत्री	22000.00	बैंक द्वारा दिया गया है	कोर्ट में चालान पेश हो चुका है।
3.	चौरी अहमदपुर स. स. लि.	श्री घीसालाल कोषा.	10000.00	,,	,,
		श्री राजूलाल	35950.52	,,	,,
4.	मालपुरा क. वि. स. स. लि.	श्री चम्पालाल भू. पू. व्यव.	17021.90	25-8-75	,,
5.	देवली क. वि. सह. स. लि.	श्री मिश्रीलाल जैन भू. पू. व्यव.	61663.00	15-2-76	,,
6.	खण्डवा ग्राम स. स. लि.	श्री रमेशचन्द मुगल सुपरवाईजर	8874-00.	समिति द्वारा	,,
7.	करीरीया से. स. स. लि.	श्री मन्नालाल		2-6-78	पुलिस में कार्यवाही चल रही है।
8.	छान ग्राम से. स. स. लि.	श्री जगदीशप्रसाद यादव भू. पू. व्यव.	29938.26	16-6-79	,,
9.	बस्सी ग्राम से. स. स. लि.	श्री मनोहरलाल जैन भू. पू. व्यव.	23846.00	10-11-79	,,
10.	पहाड़ी ग्राम से. स. स. लि.	श्री लालचन्द भू. पू. व्यव.	18161.00	29-12-79	,,
11.	सीतापुरा ग्राम से. स. स. लि.	श्री रामनिवास चौधरी व्यव.	50620.00	30-1-80	,,
		श्री रामस्वरूप अध्य.			
		श्री हजारीलाल मंत्री			
		श्री ओंकार कोषा.			

———

(173)

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 107 का विवरण

परिशिष्ट–'अ'

वर्ष 1980–81 में विभागों के माध्यम से खोले गये राहत कार्यों का विवरण:

क्र. सं.	नाम विभाग	नाम तहसील	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग,	सांगानेर	सड़क कल्वाड़ा से बगेह	.70
2.	,, ,,	लालसोट	सड़क रामगढ़ पचवारा से तूंगा	.80
3.	,, ,,	लालसोट	सड़क मण्डावरी से बगड़ी	.50
4.	,, ,,	दौसा	सड़क रानोली से गोलिया	.70
5.	,, ,,	विराटनगर	एप्रोच रोड किशनगढ़	.50
6.	,, ,,	विराटनगर	सड़क मनोहरपुरा से खोरा लाडखानी	1.99
7.	,, ,,	कोटपूतली	एप्रोच रोड दांतिल	.50
8.	,, ,,	जमवा रामगढ़	एप्रोच रोड डांगरवाड़ा से धांधी	.50
9.	,, ,,	,, ,,	एप्रोच रोड जमवा रामगढ़ से मंडावा प्रतापगढ़	.50
10.	,, ,,	,, ,,	एप्रोच रोड खोरामीना	.50
11.	,, ,,	सांभर	एप्रोच रोड बधालइटावा	.45
12.	,, ,,	,,	एप्रोच रोड मादवा वाया भैसलाना	.50
13.	,, ,,	दूदू	एप्रोच रोड रूपनगढ़ मरवा बिचून	.95
14.	,, ,,	दूदू फागी	एप्रोच रोड महलां से फाग	.60
15.	,, ,,	फागी	सड़क नीमेड़ा से पालड़ी	.70
			योग	10.39 लाख

क्र सं.	नाम विभाग	नाम तहसील	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वि० वि०
1.	सिंचाई विभाग	सांगानेर	नेवटा बांध	.20	
2.	" "	कोटपूतली	बांध नांगल पंडितपुरा	.10	
3.	" "	"	दांतिल इर्रीगेशन प्रोजेक्ट	.20	यह बड़ी योजना है, जुलाई तक समाप्त नहीं हो सकने के कारण शुरु नहीं किया गया।
4.	" "	विराटनगर	छीतोली बांध	.30	
5.	" "	दूदू	गंगासागर बांध	.20	
6.	" "	जमवा रामगढ़	रामगढ़ बांध वहां की मरम्मत	.50	
7.	" "	"	मावासूला बांध	.40	श्रमिक न मिलने से रोक दिया।
8.	" "	आमेर	गुनावता बांध	.20	तकनीकी दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होने से प्रारम्भ नहीं किया गया।
9.	" "	दौसा	चांदसाना बांध	.20	मुआवजा तय नहीं होने से शुरु नहीं हुआ।
10.	" "	फागी	राकड़ा बांस बांध	.20	
11.	" "	फागी–दूदू	रिसैंप्सनिका कालख नहर 0 से 10	.10	
12.	" "	"	रिसैंप्सनिका कालख नहर 10 से 20	.10	
13.	" "	"	रिसैंप्सनिका कालखा नहर 20 टू टेल	.10	
14.	" "	"	फीडर ग्राम कालख सागर	.10	
			योग	2.90 लाख	

परिशिष्ट—'ब'

काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत पंचायतों के माध्यम से पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण माह–मई, 1980, जिला जयपुर

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	शाला भवन	डिस्पेन्सरी	पंचायत भवन	पेयजल कूप	सड़क	तालाब	अन्य	योग
1.	चाकसू	4	–	–	–	–	1	1	6
2.	शाहपुरा	13	1	3	2	–	4	19	42
3.	सांभर लेक	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	सिकराय	2	–	–	2	1	–	1	6
5.	दौसा	5	–	–	–	4	4	4	17
6.	बस्सी	2	–	–	1	–	1	2	6
7.	गोविन्दगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	फागी	2	–	–	–	1	–	2	5
9.	जमवा रामगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	विराट नगर	6	1	2	7	2	15	25	58
11.	सांगानेर	1	–	–	–	–	–	1	2
12.	दूदू	13	–	3	26	4	23	4	73
13.	बांदीकुई	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	आमेर	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	कोटवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	लालसोट	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	कोटपूतली	–	–	–	–	–	–	–	–
		48	2	8	38	12	48	69	215

(राहत कार्यों की स्वीकृत राशि 13.76 लाख)

परिशिष्ट 'स'

काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत पंचायतों के माध्यम से चालू कार्यों का विवरण

जिला-जयपुर

नाम पंचायत समिति	शाला भवन	औषधालय भवन	पंचायत घर	तालाब	पेयजल कूप	सड़क	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. शाहपुरा	20	14	14	—	6	—	6	46
2. सांभर	—	—	—	—	3	1	2	6
3. सिकराय	10	—	1	2	8	—	4	25
4. बान्दीकुई	19	1	5	—	11	—	22	58
5. दौसा	5	—	—	4	—	4	4	17
6 बस्सी	14	1	5	50	13	20	19	122
7. कोटपुतली	13	2	2	—	4	—	—	21
8. गोविन्दगढ़	7	2	3	—	3	2	5	22
9. फागी	7	2	1	2	4	1	—	17
10. चाकसू	54	3	17	1	9	—	1	85
11. ज. रामगढ़	65	8	17	7	35	20	35	187
12. दूदू	14	—	3	5	8	2	6	38
13. विराट नगर	3	1	6	2	13	3	7	35

1		2	3	4	5	6	7	8	9
14.	आमेर	24	2	21	3	19	3	15	87
15.	लालसोट	8	1	1	4	1	5	2	22
16.	कोटपुतली	10	—	9	—	7	1	7	34
17.	सांगानेर	21	2	6	1	11	2	11	54
	योग····	294	25	111	81	155	64	146	876

(राहत कार्यों की स्वीकृत राशि रुपये 50.70 लाख)

परिशिष्ट (द)

माहवार नियोजित श्रमिकों की संख्या

नाम माह	श्रमिकों की संख्या
जनवरी, 80	2,688
फरवरी, 80	13,325
मार्च, 80	13,570
अप्रेल, 80	19,580
मई, 80	21,279
जून, 80	24,500

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का विवरण

नगरपालिका केशोरायपाटन द्वारा संचालित मेटाडोर मिनी बस की आय—व्यय का विवरण दिनांक 1–4–79 से 31–3–80

	अप्रेल, 79	मई, 79	जून, 79	जुलाई, 79	अगस्त, 79	सितम्बर, 79	अक्टूबर, 79	नवम्बर, 79	दिसम्बर, 79	जनवरी, 80	फरवरी, 80	मार्च, 80	योग
आय	3990=20	3734=80	3009=30	1497=60	2054=40	1796=30	1257=80	1355=70	977=70	719=60	784=80	555=40/	21733=60
व्यय	2015=05	3189=18	1956=50	2305=43	1658=63	3456=92	1545=00	1463=93	1295=80	1780=40	1048=44	710=32/	22425=50

औसत आय=1811.13
औसत व्यय=1868.80

(वर्ष 1979–80 के आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर)

(179)

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 110 की सूची

जिला चित्तौड़गढ़ शिक्षण संस्थाओं की सूत्रवार संख्या 0-9-79

क्र०सं०	क्षेत्र	प्राथ. शालायें	उ०प्राथ० शालायें	माध्य० शालायें	उच्च माध्य० शालायें
1	2	3	4	5	6
1.	अरनोद	62	11	1	1
2.	बेगूं	65	10	3	1
3.	बड़ी सादड़ी	52	09	1	—
4.	भदेसर	58	11	4	1
5.	भैंसरोड़गढ़	47	11	4	—
6.	भोपालसागर	39	11	5	—
7.	छोटी सादड़ी	59	16	2	—
8.	चित्तौड़गढ़	95	19	6	—
9.	डूंगला	52	11	5	1
10.	कपासन	50	12	1	—
11.	निम्बाहेड़ा	62	15	5	—
12.	प्रतापगढ़	114	18	4	—
13.	राशमी	76	21	4	2
	कुल योगः—	831	175	45	6

उप निदेशक (प्रशासन),
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

(cl/c)

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची

परिशिष्ट–ख

ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बिना स्वीकृत कराये गये कार्य—

क्र०स०	नाम पंचायत समिति	नाम कार्य	राशि लागत	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
1–पंचायत समिति नीम का थाना–				
		नाला निर्माण क्वाटर के पास गुहाला	5034–51	पूर्ण
		कुई निर्माण मीनान मराठा	5234–00	,,
		रास्ता दुरुस्ती ढा० काली महावा	7402–62	,,
		कुई व रास्ता निर्माण डोकन	5126–00	,,
		जोहड़ा खुदाई पाल मरम्मत गणेश्वर	6416–00	,,
		पुलता कुई निर्माण गावड़ी	8190–00	,,
		नाला राम सरा इमलोहा	5719–09	,,
		कुई निर्माण पाटन शीतलामाता	5641–31	,,
		कुई निर्माण अस्ताल पाटन	5174–50	,,
		नालिया निर्माण	5173–00	,,
		धर्मशाला निर्माण वेवा पाघोला	5025–00	,,
		कुई निर्माण पाचू खरदड़ा	8260–00	पूर्ण
		कुई निर्माण गोरधनपुरा	5226–32	,,
		कुई निर्माण गोरधनपुरा	5656–92	,,
		कुई निर्माण नया बास	5296–07	,,
		बाल वाटिका अजमेरी	5810–50	,,
		कुई व ग्राम चौक अजमेरी	5891–00	,,
		नला बांध बैग अजमेरी	7960–00	,,
		धर्मशाला निर्माण हसामपुर	29988–00	पूर्ण
		मवेशीखाना निर्माण चला	7785–84	,,
		सड़क निर्माण चला	40000–00	अपूर्ण
		शाला भवन डेहरा	6997–66	पूर्ण
		नवकूप ढाणी जोहड़ी	15000–00	अपूर्ण
		नवकूप ढाणी बागसर	15000–00	,,

1	2	3	4
	सड़क निर्माण मसाला	20000-00	अपूर्ण
	पुख्ता जोड़ निर्माण महावा	17540-02	पूर्ण
	पूल निर्माण गणेश्वर	40951-15	,,
	कूप निर्माण ढाणी जगतसिंह गावड़	11000-00	,,
	कन्या शाला रायपुर जागीर	6995-67	पूर्ण
	बांध ढाणी माल्यावाली भूदोली	8081-00	,,
	बांध घाटा वाला भूदोली	8539-60	,,
	पुल निर्माण भूदोली	26930-00	,,
	पंचायत भवन भूदोली	52837-00	,,
	2-पंचायत समिति खण्डेला :		
	खुर्रा निर्माण ढाणी गुमान सिंह से कोठडी पंचायत गुमान सिंह	23116-00	,,
	खुर्रा ढाणी गुमान सिंह से तिवाड़ी के रास्ते पर	12896-00	,,
	कोटडी बस स्टेण्ड से ढाणी गुमान सिंह तक पिचिंग कार्य	69444-00	,,
	हरिजन बस्ती विश्राम गृह ढाणी गुमान सिंह	11322-00	अपूर्ण
	पिचिंग कार्य ढाणी गुमान सिंह से कोठड़ी वाला रास्ता तक	23116-00	पूर्ण
	पिचिंग कार्य ढाणी गुमान सिंह से तिवाड़ी के बास के रास्ते पर	12896-00	पूर्ण
	प्राथमिक शाला भवन बस्ती जयरामपुरा [पंचायत]	11510-00	अपूर्ण
	पंचायत भवन जयरामपुरा	8712-00	,,
	सार्वजनिक कूप निर्माण जयरामपुरा	7721-00	,,
	राजकीय प्राथमिक शाला लाखनी	8570-00	,,
	प्राथमिक शाला भवन फतेहपुरा, रलावता	22483-00	,,
	प्राथमिक शाला भवन रलावता	15478-00	,,
	प्राथमिक शाला सेवा की ढाणी भवन व उन्हा निर्माण पंचायत निमेडा	9355-00	पूर्ण
	प्राथमिक कन्या शाला जयरामपुरा के उन्हा निर्माण	19806-00	,,
	प्राथमिक शाला भवन ज्ञान पुरा पंचायत मलिकपुर	19498-00	,,
	पंचायत भवन झाडली	4902-00	अपूर्ण
	पंचायत भवन लाखणी	23370-00	पूर्ण

1	2	3	4
3—पंचायत समिति घोद :			
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण नेतडवास	-	
4—पंचायत समिति दान्तारामगढ़ :			
	खुर्रा निर्माण मेयी	26626-55	अपूर्ण
5—पंचायत समिति पिपराली :		स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
	प्राथमिक शाला निर्माण राजपुरा	6271	27,512-64 पूर्ण

Page No 182

(183)

परिशिष्ट—क

ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना एवं अकाल राहत के बिना स्वीकृति के कराये गये कार्यों का विवरण जिनको स्वीकृति दे दी गई है।

क्र० सं०	पंचायत समिति	नाम कार्य	पूर्व स्वीकृत राशि	संशोधित स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	फतेहपुर	1. उप-स्वास्थ्य केन्द्र कारंगा बड़ा	10,000/-	35,000/-
		2. पाइप लाइन रोल साहबसर	--	1,3000/-
		3. आयुर्वेद औषधालय रोल साहबसर	--	9,000/-
		4. पंचायत भवन माडेला बडा	20,000/-	3,500/-
		5. पंचायत भवन बलारां	10,000/-	13,500/-
		6. पंचायत भवन पालास	20,000/-	3,500/-
		7. पंचायत भवन भींचरी	12,000/-	11,500/-
		8- पंचायत भवन हुडेरा	2,000/-	3,500/-
2.	खण्डेला	1. स्कूल भवन निर्माण पुजारो का बास	14,710/-	25,000/-
		2. बुर्ज निर्माण कांवट	--	11,170/-
		3. पंचायत भवन जाजोद	--	23,500/-
		4. सार्वजनिक कूप भादरपुरा	--	18,000/-
		5. हरिजन कूप बालवाडा	--	18,000/-
3.	धोद	1. होद निर्माण बढाढर	10,000/-	23,000/-
		2. होद निर्माण छोगर छोटी	15,000/-	25,000/-
		3. प्राथमिक शाला मेलासी	25,000/-	27,200/-
		4. दो दुकान निर्माण जेरठी	14,700/-	16,000/-
		5. सा० नि० कूप पर टंकी निर्माण संबंध	15,470/-	30,000/-
		6. प्राथमिक शाला के डोडा निर्माण सांवलोदा लाडखानी	,,	11,000/-
		7. समाज कल्याण भवन मुनाडू	,,	11,000/-
		8 समाज कल्याण भवन फतेहपुरा	,,	11,000/-
		9. सा० कूप टाउनवा	15,000/-	11,000/-

(184)

1	2	3	4	5
		10. प्रा० शा० डंडा निर्माण जरेडो	—	14,000/-
		11. ग्राम चारणा नाऊ कूप	—	14,000/-
		12. ग्राम सेवक क्वार्टर सेवदडो	—	16,000/-
4.	श्री माधोपुर	1. पंचायत भवन निर्माण कोटडी धायलान	10,000/-	23,500/-
		2. चौमू पुरोहितान	10,000/-	23,500/-
5.	दांतारामगढ़	1. औषधालय भवन निर्माण सूल्याबास	30,000/-	42,500/-
		2. घाटी निर्माण उदयपुरा	25,000/-	44,000/-
		3. प्राथमिक शाला निर्माण पचार	14,710/-	17,060/-
		4. औषधालय निर्माण घोगपुर	24,000/-	39,000/=
		5. पंचायत भवन ज्याना	20,000/=	23,500/-
		6. गेस्ट हाऊस पंचायत समिति मुख्यालय	34,000/-	51,000/-
		7. प्राथमिक शाला गोविया	—	14,710/-
		8. प्राथमिक शाला दोलतपुरा	14,710/-	22,710/-
		9. प्राथमिक शाला बाजियाबाद	—	14,710/-
		10. प्राथमिक शाला गुमारडो	—	14,710/-
		11. सांडशाला सूल्याबास	—	11,100/-
6.	पिपराली	1. टंकी निर्माण चारण की ढाणी	—	5,558/-
		2. पशु चिकित्सालय पिपराली	21,000/-	24,645/-
		3. होज निर्माण पंचायत समिति कूप पर	15,000/-	19,300/-
		4. रेस्ट हाऊस पंचायत समिति कार्यालय का	—	20,000/-

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 121 का विवरण

नाम जानवर	संख्या
1. गाय	50
2. भैंसें	124
3. बैल	20
4. अन्य पशु	86
योग....	280

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 122 की सूची

सूची जिन्हें परमिट स्वीकृत किए व जिन्होंने बसें नहीं चलाई

क्रमांक	अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने का प्रस्ताव व दिनांक	प्रार्थी जिन्हें परमिट दिये व बसें नहीं चलाई
1.	45/1-1-75	1. श्री अम्बालाल पुत्र श्री जसराज निवासी भीनमाल
		2. श्री मुनीर खां पुत्र श्री महबूब खां निवासी भीनमाल
		3. श्री यासीन मोहम्मद पुत्र श्री दाउद खां निवासी भीनमाल
2.	74/21-1-78	1. श्री हफ्ताराम पुत्र श्री प्रभुजी भीनमाल
		2. श्री ड्राइवर भूराराम पुत्र श्री प्रभुजी भीनमाल
		3. श्री भंवर लाल पुत्र श्री भूरा राम भीनमाल
		4. श्री दीन मोहम्मद पुत्र श्री दाउद खां भीनमाल
3.	71/30-1-79	1. श्री खुर्शीद अहमद पुत्र श्री नैन खां भीनमाल
		2. श्री इलियास मोहम्मद पुत्र श्री दाउद खां भीनमाल
		3. श्री इदरीश खां पुत्र श्री इशतियाक मोहम्मद भीनमाल
		4. श्री रजाक मोहम्मद पुत्र श्री दाउद खां भीनमाल
4.	19/1-2-80	1. श्री लाखा राम पुत्र श्री खेता राम बाड़मेर
		2. श्री रामलाल पुत्र श्री टीकाराम बालोतरा
		3. श्री लूणाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल बालोतरा
		4. श्री प्राणा राम पुत्र श्री लाधूराम बालोतरा

५

परिशिष्ट—19

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची

परिशिष्ट-अ

चित्तौड़गढ़ जिले में किये गये राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूचीः—

क्र. सं.	मार्ग योजना का नाम	राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि	क्रियान्वयन की तिथि
1.	चित्तौड़गढ़-उदयपुर वाया मंगलवाड़	9-10-75	20-10-75
2.	चित्तौड़गढ़-उदयपुर वाया मावली, कपासन	19-3-76	11-8-76
3.	चित्तौड़गढ़-बून्दी वाया मांडलगढ़		
4.	चित्तौड़गढ़-राशमी		
5.	चित्तौड़गढ़-नाथद्वारा		
6.	चित्तौड़गढ़-कपासन		

चित्तौड़गढ़ जिले की निगम द्वारा जो योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं उनकी सूचीः—

क्र. सं.	मार्ग योजना का नाम	धारा 68-ग के अन्तर्गत प्रकाशन की तिथि	संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा अनुमोदन की तिथि	विशेष विवरण
1.	चित्तौड़गढ़-बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़-छोटी सादड़ी	3-4-76	29-5-80	राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया है।
2.	मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा	13-4-79	—	संयुक्त विधि परामर्शी के यहां विचाराधीन है।
3.	प्रतापगढ़-धरियावद	13-4-79	—	—
4.	प्रतापगढ़-जालघर खेड़ा (राज० सीमा) प्रतापगढ़-अरनोद प्रतापगढ़-राजपुरिया	13-4-79	—	—
5.	चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ वाया झालमपुरा	21-1-80	—	—

क्र०सं०	राष्ट्रीयकृत मार्ग	राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग जहां निजी वाहन स्वामियों को संचालन में छूट दी हुई है	कि०मी०	मार्ग जिन पर निजी वाहन स्वामियों को अनुज्ञा-पत्र दिये हुए हैं
1.	चित्तौड़-भीलवाड़ा	चित्तौड़-चन्देरिया	7 (68-डी)	चित्तौड़-चन्देरिया
2.	उदयपुर-बूंदी	बलवन्त चौराहा-बेगूं	9 (68-डी)	चित्तौड़गढ़-भैंसरोड़गढ़
3.	चित्तौड़गढ़-नाथद्वारा	चित्तौड़-पांडोली मोड़	8 (68-डी)	घोसुन्डा-कनेड़ा
4.	,, ,,	चित्तौड़गढ़-सैनिक स्कूल लालोला चौराहा	5 (68-डी)	गंगापुर-चित्तौड़गढ़
5.	,, ,,	चित्तौड़-निम्बाहेड़ा	6 (68-डी)	निम्बाहेड़ा-विजयपुर
6.	,, ,,	गंगापुर-लालोला चौराहा	10.02 (68-डी)	गंगापुर-चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का विवरण

बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए के नव निर्माण जीर्णोद्धार हेतु दी गई कृषकों को सहायता राशि की सूची, तहसील जैतारण, जिला–पाली

क्र० सं०	नाम कृषक पिता का नाम जाति, गांव, तहसील	मन्जूर शुदा राशि	राशि वितरण तारीख	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री जयकिशन पुत्र रावतराम माली, कानावास	3000.00	16-11-80	
2.	,, शिवराज पुत्र बस्तीराम सेवग, बलून्दा	1500.00	,,	
3.	,, मोड़सिंह पुत्र समुन्दरसिंह पिता भोरसिंह, निम्बेड़ा खुर्द	3000.00	19-11-79	
4.	,, नैनसिंह पुत्र रामप्रतापसिंह पुरोहित, छूकड़ा	3000.00	,,	
5.	,, नारायण पुत्र मुकना बावरी, छूकड़ा	3000.00	,,	
6.	,, शिवराम पुत्र भोलाराम भांबी, फूलमाल	1500.00	20-11-79	24-1-80
7.	,, कल्याणदास पुत्र मंगलदास वैष्णव, फूलमाल	1500.00	,,	,,
8.	,, मोहन, माधु गोपाल, मांगू पिता शिवराम, अमरपुरा	750.00	21-1-79	
9.	,, बिरदाराम पुत्र जावतराम माली, राबड़ीयावास	3000.00	,,	30-1-80
10.	,, जमुदास पुत्र मायादास साद, राबड़ीयावास	4000.00	,,	29-3-80
11.	,, गोकल, भंवरू, पन्ना, पिता धूला, हीरा पुत्र मोडा भांबी, बलपुरा	1500.00	,	
12.	,, जोगा, मूला पिता शिवनाथ भांबी, बलपुरा	3000.00	,,	29-3-80
13.	,, रामप्रताप पुत्र शिवदान चारण, ब्यास	1500.00	,,	

Page No 189

(190)

1	2	3	4	5
14. श्री	शंकर, समद्दू, घोंगा पिता पीरा देवी, जमाल पिता मानमोहगत, वगतपुरा	3000.00	22-11-79	29-3-80
15. ,,	मोती पुत्र मघा, हीमा, सादुल पिता मेंहू, गुलाबसिंह मिहू पिता हेमा मेंहरातान, वगतपुरा	750.00	,,	,,
16. ,,	मोहम्मदसाह, बासमसाह पिता, चांदसाह, साहीरास	750.00	,,	,,
17. ,,	भंवरू पुत्र खाजूजाट, नोरतन, रामकरण, छोटीया, गागलिया पिता टोडा, हपू, चुतरा, महराम पपू पिता खाजू, पेमा, डूगरा, शंकर, मंगला पिता हेमा, प्रभू, कालू,	3000.00	,,	25-1-80
18. ,,	दलिया, रामचन्द्र, तेजा, छोटीया रूपा, बाबू, पाचीरा पिता भंवरू जाट, लाम्बिया	8000.00	23-11-79	30-3-80
19. ,,	ईसेखां पुत्र अब्दुल करीम, लाम्बिया	4000.00	,,	,,
20 ,,	नैनदास बद्रीदास, साद, लाम्बिया	4000.00	,,	,,
21 ,,	हीरा पुत्र मागू गूजर, कोटडिया	4000.00	25-11-79	29-3-80
22 ,,	शंकरपुरी पुत्र पन्नापुरी गुसाई, कोटडिया	4000.00	,,	,,
23 ,,	मांगु नाथ पुत्र लम्बु नाथ, जियानाथ पिता प्रेमनाथ जनोत, कुडकी	3700.00	,,	,,
24 ,,	रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राम्हण, कुडकी	3000.00	,,	,,
25 ,,	हजारीपुत्र शिवलाल भांबी, कोटडिया	3000.00	,,	21-2-80
26 ,,	रामा पुत्र नैना माली, दागला	1500.00	24-11-79	,,
27. ,,	अड्डा पुत्र थाना राईका मोहराई	1500.00	24-11-79	
28. ,,	हीरा पुत्र किशना नायक, दागला	2000.00	,,	22-2-80
29. ,,	छोगा पुत्र रूपा पिता गणेश गुर्जर, दागला	3000.00	,,	,,

191

1	2	3	4	5
30. श्री	बाबू पुत्र भोला माली, दागला	3000.00	24-11-79	22-2-80
31. ,,	देवा पुत्र पाबू माली	1500.00	,,	,,
32. ,,	माधु पुत्र जगा भांबी, सामोरसी	3000.00	,,	30-1-80
33. ,,	प्रेमसिंह, बद्रीसिंह पुत्र चैतान सिंह मोहराई, देवीसिंह रूपसिंह पुरोहित	1500.00	,,	
34. ,,	पोकू पुत्र जठा कुम्हार	6000.00	,,	22-2-80
35. ,,	गफूर, बीना, सफूखां पिता लालूखां लुहार	6000.00	3-12-79	29-1-80
36. ,,	हाथी, गोकुल, काना पिता मंगला, शिवराम पुत्र जाला भांबी, कालिया	3000.00	,,	
37. ,,	धीसा पुत्र मारा भांबी कालिया	1500.00	,,	
38. ,,	प्रताप पुत्र रामा तुलसा पुत्र पोकर हरदीन पुत्र शिवजी, पुना गेवर, गोकल पिता चोथा, नारायण, निहाल पिता गिरधारी माली, कालू	6000.00	,,	30-3-80
39. ,,	नारायण, दुर्गा मोती, लाबू पि० मंगा कालू	6000.00	,,	29-1-80
40. ,,	रावत पुत्र पूना जाट	6000.00	,,	30-3-80
41. ,,	बरसा पिता हिरता, अणदा पुत्र पुना, तुलछा पुत्र हिमता, मेहराम पुत्र हिमता जाट, कालू	6000.00	,,	,,
42. ,,	घना, माना, शंकर पुत्र लालू माली	6000.00	,,	24-1-80
43. ,,	मेंगा, पोकर, चिमना पिता लूमा रामनिवास हरजी, जाट कालू	6000.00	,,	30-3-80
44. ,,	रूपा पुत्र गोकल सलाहोला, पुत्र नैना, जाला पुत्र छगना माली	6000.00	,,	29-1-80
45. ,,	भोला, भंवरू वगैरा पिता जराम, सूजा, हीरा जाट	6000.00	,,	30-3-80
46. ,,	दानाराम पिता चैना राम जाट कालू	8000.00	,,	,,
47. ,,	रावत पिता मना माली, पुना, प्रताप माली	6000.00	,,	,,

1	2	3	4	5
48. श्री	पुनम वगैरा चोथा, हरसुख पुत्र लूना माली	3000.00	3-12-73	30-3-80
49. "	हरदीन, धूला बावरी	4000.00	"	"
50. "	शंकर चुमना पिता बिजा दरोगा, धमरपुरा	3000.00	5-12-79	"
51. "	गोरधन वगैरा पिता जयलाल दरोगा	8000.00	5-12-79	30-3-80
52. "	घनश्याम पुत्र भेरु ढोलो, लाम्बोरा	6000.00	"	25-9-80
53. "	धना, सगराम पिता भोला कुमार, कावलिया	3000.00	"	
54. "	भोला पुत्र साबत वगैरा कुमावत, खिनावडो	3000.00	10-12-79	
55.	मदनदास पुत्र शंकरदास वैष्णव, फूलमाल	6000.00	10-12-79	24-1-80
56. "	मोतीलाल मुरारीराम ब्राह्मण, फूलमाल	6000.00	"	1-2-80
57. "	हिम्मतसिंह कानसिंह राजपूत, वगैरा	6000.00	"	24-1-80
58. "	निहाल, लालू पुत्र घोकल कुम्हार, कालू	6000.00	"	30-3-80
59. "	भारु, दोला पिता मेहराम वगैरा जाट, फूलमाल	8000.00	"	"
60. "	मोहनदान पि० रामदान चारण, कावलिया	3000.00	"	"
61. "	श्रवण पि० भारु, भांबी, कालू	4000.00	"	"
62. "	सुखदेव, रामु पि० मुकन वगैरा कुम्हार, कावलिया	3000.00		
63. "	मदनलाल, शिवराम ब्राह्मण, रावडोयावास	3000.00	"	"
64. "	भीकमचन्द पुत्र फकीरचन्द नाई रावडोयावास	3000.00	"	"
65. "	तख्तसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत, बडोयावास	3000.00	"	
66. "	तेजसिंह मुकनसिंह, रावडोयावास	3000.00	"	

Page No 192

(193)

1	2	3	4	5
67. श्री	समुन्द्रसिंह पुत्र पीरूसिंह, रावडीयावास	3000.00	10-12-79	
68. ,,	भंवरसिंह पुत्र सुलतानसिंह वगैरा राजपूत, काणेचा	3000.00	,,	
69. ,,	लादू पुत्र बालू मांबो, रावडियवास	6000.00	29-2-80	
70. ,,	तेजा पुत्र मंसाराम माली, दागला	6000.00	11-12-79	
71. ,,	जाना पुत्र रामदान बावरी, मोहराई	6000.00	12-2-80	
72. ,,	पुना पि० बालु माली, दागला	3000.00	,,	
73. ,,	चोकला पुत्र गुला माली	3000.00	,,	
74. ,,	देवीसिंह पुत्र चतुरभुज, मोहराई	6000.00	22-2-80	
75. ,,	शंकरसिंह पुत्र नाहरसिंह पुरोहित, मोहराई	2500.00	,,	
76. ,,	भंवरू वगैरा पि० शंकर माली, सेवरिया	6000.00	21-2-80	
77. ,,	गोपाल; शिवकरण रावत, चेनपुरा	3000.00	,,	
78. ,,	कनेसिंह रामसिंह पुत्र रूपसिंह भवरू गोद कानसिंह, चेनपुरा	6000.00	,,	21-2-80
79. ,,	मगाराम पुत्र हरजी गूजर, सेवरिया	3000.00	,,	
80. ,,	कुशालसिंह पुत्र धुलसिंह, सेवरिया	6000.00	,,	,,
81. ,,	प्रभु पुत्र राजू मंगलवाल, सेनपुरा	6000.00	,,	,,
82. ,,	हरजी पुत्र जगरूप गूजर, सेवरिया गुडा	6000.00	,,	,,
83. ,,	रामपाल पुत्र घीसा मांबी, सेवरिया	3000.00	,,	,,
84. ,,	शिवकरण पुत्र उमा रावत, चेनपुरा	6000.00	,,	,,
85. ,,	सालु पुत्र हगुन, चेनपुरा	6000.00	,,	,,
86. ,,	हेमा पुत्र रूपा रावत, सेवरिया	6000.00	,,	,,

Page No 193

(194)

1	2	3	4	5
87.	श्री सुखा पुत्र मेना, गुडा	3000.00	21-2-80	21-2-80
88.	,, कल्याणसिंह पुत्र रणजीतसिंह, रा० नि० खुर्द	3000.00	,,	,,
89.	,, सगला पुत्र गंगाराम भांबी, टुकडा	3000)	11-12-79	
90.	,, भंवरलाल पुत्र लालू बावरी	3000)	,,	
91.	,, हेमाराम पुत्र उदाराम माली	3000)	,,	
92.	,, मांगीलाल पुत्र बालुराम नाई, टुकड़ा	6000)	,,	29-3-80
9 .	,, नैना पुत्र जीता माली, फूलमाल	6000)	,,	24-1-80
94.	,, जावता, जैराम पुत्र देवीलाल	3000)	,,	
95.	,, भंवरलाल सम्पतराम पिता देवीलाल, कालूलाल जाट	6000)	,,	24-1-80
96.	,, जीयाराम पुत्र मगाराम जाट/ रीदाराम वगैरा	3000)	,,	
97.	,, मंगला पुत्र मगाराम ब्राह्मण, पीपलीया खुर्द	6000)	,,	30-1-80
98.	,, जगन्नाथ पुत्र राम चोकीदार, फूलमाल	3000)	,,	
99.	,, शंकर, चौथा माली, भोगडीया, घीसा, पिपलीया खुर्द	6000)	,,	30-1-80
100.	,, कैसो, टोडा जाट वगैरा, लाम्बीया	6000)	17-12-79	25-1-80
101.	,, भायचुकी पत्नि घीसुलाल सोनी	8000)	,,	30-3-80
102.	,, असगर, गफूरखां पुत्र अजीम मुसलमान सरलाम्बीया	6000)	,,	24-1-80
103.	,, भणदा, गुलाब पुत्र भागीरथ वगैरा ब्राह्मण, लाम्बिया	8000.00	17-12-79	30-3-80
104.	,, रतनलाल, धूलचन्द महाजन वगैरा, बलाड़ा	3000.00	19-12-79	
105.	,, भरतसिंह पुत्र सुमेरदान चारन, ग्यास	3000.00	19-12-79	
106.	,, भंवरलाल, धरनाराम पुत्र रावत राम जाट, बलाडा	6000.00	19-12-79	23-1-80
107.	,, भंवरसिंह पुत्र धीसा दरोगा, प्रतापपुरा	8000,00	19-12-79	30-3-80
108.	,, कचरु पुत्र पाबू रावणा राजपूत	3000.00	19-12-79	

1	2	3	4	5
109. श्री	बाबूसिंह पुत्र रावतसिंह वगैराह, बलाड़ा	3000.00		
110. ,,	ईस्माइल पुत्र जहूर मोहम्मद व्यापारी, लांबिया	3000.00	19-12-79	
111. ,,	गोविन्दराम पुत्र प्रतापदार राव, लांबिया,	6000.00	19-12-79	25-1-80
112 ,,	सूरजमल पुत्र मंसा अचारज, गांव लाम्बिया	6000.00	19-12-79	25-1-80
113 ,,	बालू पुत्र पुरा वगैरा जाट, लांबिया	6000.00	19-12-79	30-1-80
114. ,,	भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ, ब्राह्मण, लाम्बिया	6000.00	19-12-79	25-1 80
115. ,,	दला, भीखा; माधु पिता देवा वगैरह जाट, लांबिया	6000.00	19-12-79	25-1-80
116. ,,	गोकुल, चिमना; मिसरू पिता पेमा वगैरा जाट, लाम्बिया	8000.00	19-12-79	30-3-80
117. ,,	मोहनसिंह, भैरुसिंह, हनवतसिंह पिता रामसिंह वगैरा राजपूत, लाम्बिया	3000.00	19-12-79	
118. ,,	रावतराम, खेवरराम, रतनाराम पिता जवाहरराम ब्राह्मण; पिपलिया खुर्द	6000.00	20-12-79	21-2-80
119. ,,	कचरू पुत्र बुद्धा वगैरा कुम्हार, धनेरिया	6000.00	20-12-79	29-1-80
120. ,,	पना पुत्र बुद्धा बावरी, धनेरिया	6000.00	20-12-80	31-1-80
121. ,,	जयसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह पुरोहित, केकिन्दड़ा	3000.00	20-12-79	
122. ,,	नीना, तारियो पिता मोड़ा भांबी, केकिन्दडा	3000.00	20-12-79	
123. ,,	खिया पुत्र हातु कुम्हार; धनेरिया	6000.00	20-12-79	30-1-80
124. ,,	अम्बालाल; केसुलाल पिता अंसु ब्राह्मण, लांबिया	8000.00	20-12-79	30-3-80
125. ,,	देवीलाल, जसा दरोगा, ढगलाराम, किशनाराम माली, लांबिया	8000.00	20-12-79	30-3-80
126. ,,	प्रेमला वगैरा पिता शिवजी लांबिया	6000.00	20-12-79	25-1-80

1	2	3	4	5
127.	श्री धन्ना पुत्र मंगला मेघवंसी, पिपलिया खुर्द	3000.00	20-12-79	11-2-80
128.	,, किशनलाल पुत्र उदाराम ब्राह्मण वगैरह, पिपलिया खुर्द	6000.00	20-12-79	30-1-80
129.	,, मोहनदास गोपालदास साद, लासनी	6000.00	20-12-79	30-1-80
130.	,, मिसरीलाल पुत्र पूनमचन्द ब्राह्मण	600.000	20-12-79	30-1-80
131.	,, मांगुसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत, बिलाड़ा	8000.00	20-12-79	29-3-80
132.	,, दयाल वगैरा पुत्र किसना कुम्हार वगैरा, सांगावास	6000.00	20-12-79	20-3-80
133.	,, डालसिंह घोडावड	3000.00	20-12-79	
134.	,, हरीराम पुत्र छगनाराम नाई, देवरिया	3000.00	1-12-69	27-3-80
135.	,, गोकुलराम वगैरा पिता गणेशराम	4000.09	,,	,,
136.	,, बालुराम भगाराम, धर्माराम जाट बाबरी, देवरिया	3000.00	,,	,,
137.	,, भैराराम पुत्र मगाराम बावरी, देवरिया	1500.00	,,	,,
138.	,, नारायणसिंह, हमीरसिंह पिता जबरसिंह देवरिया राजपूत	3000,00	,,	,,
139.	,, देवाराम पुत्र लालाराम वगैरा सिरवी, देवरिया	3000.00	,,	,,
140.	,, लिकमाराम पुत्र नैनाराम सिरवी, देवरिया	3000.00	,,	,,
141.	,, बद्रीदास वगैरा हडमानदास, देवरिया	1500.00	,,	
142.	,, भवराराम पुत्र मुजाराम बावरी, देवरिया	2000.00	,,	,,
143.	,, कालुराम पुत्र मिरधजी राईका, देवरिया	3000.00	,,	,,
144.	,, हरीराम, सरदार पिता चिमनराम बावरी, देवरिया	750.00	,,	
145.	,, गुलाब पुत्र सुजाराम बाबरी, देवरिया	2000.00	,,	,,

(197)

1	2	3	4	5
146. „	अमरा पुत्र दानाजी वगैरा, देवरिया	1500.00	1 12-81	27-12-81
147. „	डावरराम लालु पिता लच्छा बावरी, देवरिया	3000.00	„	„
148. „	लालु पुत्र धन्नाराम वगैरा भांबी, देवरिया	3000.00	„	22-3-80
149. „	भोगड लाल पिता नवला वगैरा सिन्धी, झाजणवास	8000.00	„	28-3-80
150. „	माधोसिह पुत्र गुमानसिह राजपूत, मापोदिया	3000.00	2-12-79	
151. „	मानसिह पुत्र मोडसिह राजपूत, बागास	375.00	„	
152. „	ज्वालानाथ नैननाथ पिता मंजुननाथ, बांकास	375.00	„	
153. „	कानाराम वगैरा पिता रामबक्ष वगैराह जाट, बांकास	1500.00	„	2-2-80
154. „	माना पुत्र गणेशराम वगैरा माली मापोदिया	6000.00	„	2-2-80
155. „	शिवदानसिह पुत्र भीमसिह राजपूत, मापोदिया	3000.00	„	2-2-80
156. „	प्रभातराम पुत्र लक्ष्मणराम जाट, फालका	3000.00	„	2-2-80
157. „	भोपालसिह पुत्र गम्भीर राजपूत, फालका	3000.00	„	1-2-80
158. „	बक्सराम जसाराम पि० हरीराम, फालका	3000.00	„	2-2-80
159. „	धाराराम पुत्र कालुराम जाट, फालका	6000.00	„	22-2-80
160. „	रामदिन मंगलराम पिता नेनाराम जाट	6000.00	„	21-2-80
161. „	धाराराम पुत्र घमण्डीराम जाट, फालका	6000.00	„	21-2-80
162. „	भारमल, हापुराम, बालुराम पिता रामाराम माली; बलुन्दा	3000.00	10-12-79	
163. „	भवरु, मोहन पि० नाथा वगैरा कुम्हार, बलुन्दा	1500.00	10-12-79	

1		2	3	4	5
164.	श्री	रवीदान वगैरा पि० उमरदान वगैरा चारण, बोगासनी	2748.00	11-12-79	29-1-80
165.	,,	घेवर, सुखा वगैरा पि० प्रभु जाट वगैराह रामावास खुर्द	1500.00	11-12-79	
166.	,,	फुलकंवर बेवा कर्मसिंह सिरवी, पासुस	2250.00	11-12-79	30-1-80
167.	,,	शान्तिलाल पुत्र धन्नाराम कुम्हार, जेतारण	8000.00	21-12-79	28-3-80
168.	,,	सज्जनसिंह पुत्र नवलसिंह राजपूत, पोपाडा	6000.00	21-12-79	21-2-80
169.	,,	सूरजमल पुत्र भगाराम बाबरी, जाजनवास	4000.00	21-12-79	28-2-80
170.	,,	बुद्धा पुत्र खुमा सिरवी, जाजणवास	4000.00	21-12-79	28-3-80
171.	,,	बेरीशालसिंह पुत्र देवीदान चारण, कानावास	3000.00	21-12-99	24-1-80
172.	,,	भेरा पुत्र भमरा वगैरा माली निम्बोल	8000.00	13-12-79	31-3-80
173.	,,	पिताम्बरदासचेला द्वारकादास बैष्णव	8000.00	13-12-79	21-3-80
174.	,,	हरीया वगैरा पि० मंगला जाट, निम्बोल	8000.00	13-12-79	21-3-80
175.	,,	बस्ताराम शिवराम पि०उम्मेद राम माली, निम्बोल	6000.00	13-12-79	21-3-80
176.	,,	माणक पुत्र जुमर मोची, निम्बोल	4000.00	13-12-79	31-3-80
177.	,,	नन्दाराम भोगाराम पुत्र रूपाराम सिरवी, निम्बोल	8000.00	13-12-79	31-3-80
178.	,,	हीरकंवर बेवा शिवसिंह वगैरा राजपुत, निम्बोल	6000.00	19-12-79	31-3-80
179.	,,	बाबु पुत्र मूला कुम्हार, रामावास कंला	3000.00	21-12-79	22-2-80
180.	,,	थाना पुत्र सेवा वगैरा कुम्हार, लाटोती	3000.00	15-11-79	21-2-80
181.	,,	ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल व्यास	8000.00	1-7-80	
182.	,,	भमरा पुत्र देवा चौकीदार लिकरीया	2250.00	31-3-80	

199

1	2	3	4	5
183. श्री	भोका पुत्र प्रभु जाट, निम्बोल	3000.00	31-3-80	
184. ,,	बद्रो पुत्र बंशी वगैरा, लिकरीया	2250.00	31-3-80	
185. ,,	हापु पुत्र गाजी जाट वगैरा, पाणेचा	2250.00	31-3-80	
	कुल योग....	7,79,498.00		

जिलाधीश (सहायता), पाली